VISIONIAS

www.visionias.in

MAINS 365

VISION

Classroom Study Material

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

November 2015 – August 2016

Note: September and October material will be updated in November 1st week.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

A. भारत और विश्व _____ *6*

1. भारत और इसके पडोसी देश _____ *6*

1.1 बांग्लादेश _____ 6

1.1.1 भारत–बांग्लादेश _____ 6

1.1.2. बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले _____ 9

1.2. म्यांमार _____ 10

1.2.1. भारत – म्यांमार _____ 10

1.2.2. फ्लैगशिप परियोजनाएं _____ 11

1.2.3. म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन _____ 11

1.3. भारत–भूटान _____ 12

1.4. मालदीव _____ 13

1.4.1. भारत-मालदीव _____ 13

1.4.2. मालदीव में लोकतान्त्रिक संकट _____ 14

1.5. नेपाल _____ 15

1.5.1 भारत-नेपाल _____ 15

1.5.2 नेपाल में प्रथम लोकतांत्रिक संविधान _____ 17

1.5.3. नेपाल और चीन _____ 18

1.6. भारत-पाकिस्तान _____ 19

1.6.1. सर क्रीक विवाद _____ 19

1.6.2 सियाचिन विवाद: _____ 21

1.6.3. भारत पाकिस्तान नदी विवाद _____ 23

1.6.4. पाकिस्तान के प्रति भारत की नई रणनीति _____ 24

1.6.5. बलूचिस्तान का मुद्दा _____ 25

1.6.6. गिलगित-बाल्टिस्तान _____ 25

1.6.7. कश्मीर पर बात करने के लिए पाकिस्तान का आमंत्रण _____ 26

1.7. भारत- अफगानिस्तान _____ 27

1.7.1 भारत- अफगानिस्तान _____ 27

1.7.2 अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया _____ 28

1.8. भारत – श्रीलंका _____ 29

1.8.2. भारत-श्रीलंका : कुछ विवादित मुद्दे _____ 31

1.8.3. श्रीलंका में युद्ध अपराध _____ 32

1.8.4. श्रीलंका ने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की _____ 32

1.9.1. चीन- पाकिस्तान _____ 33

1.9.2. वन बेल्ट वन रोड(OBOR) _____ 33

1.9.4. चीन में सैन्य सुधार _____ 36

VISION IAS

1.10. सार्क (SAARC) 38
1.10.1. सार्क का 37वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 38
1.10.2. सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों का सातवाँ सम्मेलन 39
1.10.3.सार्क के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन 39
1.10.4. भारत की सहायता कूटनीति 40

2. पश्चिम एशिया 42

2.1. भारत-पश्चिम एशिया 42

2.2 प्रथम भारत अरब मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 43

2.3. भारत- सऊदी अरब 44

2.4. भारत-ईरान 46

2.5. भारत संयुक्त अरब अमीरात 47

2.6. भारत-क़तर 47

3. मध्य एशिया 49

3.1. भारत-मध्य एशिया (India-Central Asia) 49

3.2. प्रधानमंत्री की मध्य एशिया यात्रा 50

4. अफ्रीका 52

4.1. भारत-अफ्रीका 52

4.2. अफ्रीका में भारत बनाम चीन 54

4.3. भारत-अफ्रीका फोरम का तीसरा सम्मेलन 55

4.4. राष्ट्रपति की अफ़्रीकी देशों की यात्रा 55

4.5. उपराष्ट्रपति की उत्तर अफ्रीकी देशों की यात्रा 57

4.6. प्रधानमंत्री की अफ़्रीकी देशो की यात्रा 58

5. हिंद महासागर क्षेत्र 60

5.1. भारत-हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) 60

5.2. प्रधानमंत्री की हिन्द महासागरीय देशों की यात्रा 60

6. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप 63

6.1. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध 63

6.2. भारत और न्यूजीलैंड 63

6.3. भारत – प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) 64

7.अमेरिका 66

7.1.भारत -अमेरिका सम्बन्ध 66

VISION IAS

7.2. रक्षा संबंध 67

7.3.सौर विवाद: 68

7.4. भारत-अमेरिका: आतंकवाद विरोधी तंत्र में सहयोग 69

7.5. व्यापार और अर्थव्यवस्था 69

7.6.भारत-पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका 70

8.यूरोपीय यूनियन 72

8.1. तेरहवाँ भारत-यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन 72

8.2. भारत-जर्मनी 73

8.3. भारत और फ्रांस 74

8.4.भारत और इटली 75

8.5. भारत - UK 76

9.1. भारत-जापान 77

9.2. संयुक्त राज्य-जापान-भारत त्रिपक्षीय बैठक 79

10.रूस 80

10.1.भारत-रूस सम्बन्ध 80

B.महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ 82

1. अमरीकी राष्ट्रपति की क्यूबा यात्रा 82

2. यमन संकट 83

3. ईरान परमाणु करार 84

4. आसियान व्यापार गलियारा 85

5. यूरोप में शरणार्थी समस्या 86

6. अफपाक-मध्य एशिया में चीन की भूमिका 87

7. संयुक्त राज्य अमेरिका-पाकिस्तान 87

8. तुर्की में तख्तापलट का प्रयास असफल 88

9. ब्रेक्सिट (BREXIT) 89

10. बेल्जियम में आतंकी हमला 91

11. अमेरिकी राष्ट्रपति की रियाद यात्रा 92

C. महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय/क्षेत्रीय समूह और शिखर सम्मेलन 93

1.एसेम सम्मेलन 93

2. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन, 2015 93

VISION IAS

3. ISIS के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 94

4. चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) 95

5.एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) 96

6. NSG 97

7.मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) 98

8. हेग आचार संहिता (HCOC) 98

9. व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि 98

10.सुरक्षा की जिम्मेदारी (R2P) 99

11. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार 100

12. नाभिकीय क्षति के लिए अनुपूरक क्षतिपूर्ति 101

13. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में सुधार 102

14.चतुर्थ नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन (NSS) 103

15.RCEP पर भारत का रवैया 104

16. ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) 105

17. बिमस्टेक 106

18.अश्गाबात समझौता 107

19.शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 107

20. एशिया में संपर्क और विश्वास बहाली के उपायों पर सम्मेलन (CICA) 107

21.रायसीना संवाद 108

D. भारतीय प्रवासी समुदाय 109

E. विगत वर्षों के प्रश्न 112

VISION IAS

A. भारत और विश्व

1. भारत और इसके पड़ोसी देश

1.1 बांग्लादेश

(Bangladesh)

1.1.1 भारत–बांग्लादेश

(India Bangladesh)

साझा इतिहास एवं विरासत, भाषाई एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध, संगीत, कला और साहित्य आदि के लिए जुनून भारत- बांग्लादेश संबंधों को विशेष महत्व और दूरदृष्टि प्रदान करते हैं।

भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व :

- **बांग्लादेश का भू राजनैतिक महत्व**

✓ बांग्लादेश भारत के मुख्य भू-भाग और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच सामरिक महत्त्व रखता है।

✓ ये सभी उत्तर पूर्वी राज्य स्थलरुद्ध हैं एवं इनका समुद्र तक का निकटस्थ मार्ग बांग्लादेश से होकर गुजरता है।

- **एक्ट ईस्ट नीति (ACT EAST POLICY) की सफलता :**

✓ बांग्लादेश इस नीति का प्रमुख स्तम्भ है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया एवं उसके पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक व राजनैतिक संबंधों को सशक्त करने के लिए एक सेतु की भांति कार्य कर सकता है।

- **उत्तर पूर्वी भारत का सामाजिक-आर्थिक विकास**

✓ बांग्लादेश के साथ पारगमन समझौते के संपन्न होने से उत्तर-पूर्वी भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास में तेज़ी आएगी।

- **उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद (INSURGENCY) के नियंत्रण हेतु**

✓ बांग्लादेश से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी ज़मीन से कोई आतंकवादी या भारत विरोधी गतिविधियाँ न चलायी जा सके।

- **चीन का प्रभाव कम करने के लिए**

✓ बांग्लादेश की तटस्थ स्थिति बंगाल की खाड़ी के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों व चीन के आक्रामक रवैये पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के साथ चीन की वन बेल्ट वन रोड (ONE BELT ONE ROAD) रणनीति को प्रतिसंतुलित करने में भी सहायक होगा।

बांग्लादेश के साथ प्रमुख समस्याएँ

- **अवैध प्रवास** : 1971 के युद्ध के उपरान्त बांग्लादेश का गठन हुआ तथा इससे उत्पन्न परिस्थितिओं के कारण लाखों की संख्या में बांग्लादेशी अप्रवासियों ने भारत में अवैध प्रवेश किया।
- **सीमा प्रबंधन** : भारत-बांग्लादेश सीमा हथियारों , नशीले पदार्थों, पशुओं व मानवों की तस्करी के लिए कुख्यात है।
- **चीन** : बांग्लादेश भारत के साथ अपनी सौदेबाज़ी की क्षमता को बढ़ाने के लिए चीन का कूटनीतिक इस्तेमाल करता है।
- **जल का बँटवारा** : भारत-बांग्लादेश 54 छोटी-बड़ी सीमा पार नदियों का जल साझा करते हैं।

जल बंटवारें से सम्बंधित विवाद

गंगा नदी विवाद

- 1996 में दोनों देशों के मध्य गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर सहमति बनी थी। फ़िर भी, दोनों देशों के बीच प्रमुख विवाद का कारण भारत में हुगली नदी में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए फ़रक्का बैराज का निर्माण एवं संचालन रहा है।
- बांग्लादेश की शिकायत है कि शुष्क मौसम में उसे नदी के जल का उचित हिस्सा नहीं मिलता और मानसून के समय भारत द्वारा अतिरिक्त पानी के छोड़ने के कारण उसके कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है।

तीस्ता नदी विवाद

- सिक्किम में अपने उद्गम स्थल से निकल कर बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले तीस्ता पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। तत्पश्चात यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में कृषि के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

तीस्ता नदी समझौते का कालानुक्रम

- 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच इस नदी जल के बंटवारे के लिए एक अस्थाई समझौता हुआ था जिसके तहत शुष्क मौसम में यानि अक्टूबर से अप्रैल तक जल का 39% हिस्सा भारत को मिलेगा और 36% बांग्लादेश को, शेष 25% को बाद में निर्णय के लिए छोड़ दिया गया था। किन्तु यह समझौता दो दशकों से लम्बित पड़ा हुआ है।
- 2011 के एक अनुबंध के अनुसार दोनों पक्षों में नदी जल बराबर बंटवारे का फैसला हुआ। यह दोनों पड़ोसियों के मध्य 1996 में हुए गंगा नदी जल साझेदारी समझौते के समान था। किन्तु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के विरोध के कारण इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके थे।

तिपाइमुख पनबिजली विद्युत परियोजना

- बांग्लादेश अपने पूर्वी छोर पर स्थित बराक नदी पर तिपाइमुख पनबिजली विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को रोकने की मांग कर रहा है।
- बांग्लादेश का कहना है कि इस विशाल बाँध के कारण नदी के मौसमी प्रवाह में बाधा आएगी जिसका निचले क्षेत्रों में कृषि, मत्स्य पालन और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- भारत सरकार ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि वह तिपाइमुख परियोजना पर ऐसा कोई एकपक्षीय फ़ैसला नहीं लेगा जो बांग्लादेश के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो।

भारत विरोधी समूहों की उपस्थिति

- शेख हसीना सरकार की कार्यवाही के बावजूद, सीमा पार भारत विरोधी शक्तियों जैसे हरकत-अल-जिहाद-अल-इस्लामी (HUJI), हाल ही में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी और हूजी-बी (HUJI-B), जिसके अल-कायदा के साथ सम्बन्ध हैं, की मौजूदगी अभी भी बनी हुई है।

प्रमुख समझौते

- मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय मानक कार्यालय (BIS) और बांग्लादेश के मानक और परीक्षण संस्थान (BSTI) के बीच द्विपक्षीय सहयोग समझौता।
- वर्ष 2015-2017 के लिए **सांस्कृतिक आदान-प्रदान** कार्यक्रम।
- 2.0 अरब डॉलर की नयी **लाइन ऑफ़ क्रेडिट** के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन।
- **ब्लू इकोनामी और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में समुद्री सहयोग पर समझौता ज्ञापन**: ब्लू इकोनामी पर सहयोग और समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संयुक्त अनुसंधान सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन तथा इस क्षेत्र में आगे और सहयोग करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना।
- मानव तस्करी, तथा नकली नोटों के प्रचलन और तस्करी को रोकने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- बांग्लादेश में **भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र** की स्थापना पर समझौता ज्ञापन: इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों देशों की व्यावसायिक संस्थाओं की भागीदारी के साथ एक भारतीय आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए सहयोग का निर्णय लिया गया है।
- भारत और बांग्लादेश तटरक्षकों के बीच समझौता ज्ञापन: समुद्र में अपराधों को रोकने के लिए।
- जलवायु परिवर्तन के लिए भारतीय निधि के अंतर्गत एक परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन: यह शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए पहला व्यापक दस्तावेज़ है।

संबंधों में नवीन प्रगति :

- **भूमि सीमा समझौता (लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट)**

भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096.7 कि.मी की भू-सीमा है। भारत-पूर्वी पाकिस्तान भूमि सीमा 1947 के रैडक्लिफ पंचाट के अनुसार निर्धारित की गयी थी।

- **1974 का भूमि सीमा समझौता:** बांग्लादेश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद, सीमाओं के सीमांकन की जटिल प्रकृति का समाधान खोजने के लिए इस समझौते पर 16 मई,1974 को हस्ताक्षर किए गए थे| लेकिन बांग्लादेश द्वारा इस समझौते का अनुसमर्थन कर दिए जाने के बाद भी, भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की, क्योंकि इससे भारत को कुछ ज़मीनी क्षेत्र छोड़ना पड़ता।
- सितंबर 2011 में, भारत और बांग्लादेश ने सीमा के सीमांकन और अन्त:क्षेत्रों (एन्क्लेव) के आदान प्रदान हेतु एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

VISION IAS

- भारतीय संविधान का **100वां संशोधन (संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन)**: बांग्लादेश के साथ अन्तःक्षेत्रों का आदान प्रदान और वहाँ के निवासियों के लिए नागरिकता के अधिकार' हेतु 100 वें संशोधन अधिनियम ने 1974 के भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को लागू करने हेतु मार्ग प्रशस्त किया।
- इस समझौते के तहत, 51 एन्क्लेव भारत का हिस्सा बन चुके हैं और बदले में बांग्लादेश को 111 एन्क्लेव प्रदान किये गए हैं।

विद्युत समझौता एवं इन्टरनेट सेवा: भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने अगरतला में इन्टरनेट सेवा अंतर्राष्ट्रीय गेटवे के शुभांरभ के साथ-साथ त्रिपुरा से बांग्लादेश को 100 मेगावाट विद्युत ऊर्जा आपूर्ति की शुरूआत की, जो की:

- 100 गिगाबिट्स/सेकण्ड इंटरनेट बैडविथ के बदले भारत को 100 मेगावाट विद्युत् ऊर्जा की आपूर्ति करेगा।
- सूर्यमणिनगर ग्रिड से दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश के कोमिल्ला ग्रिड को 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
- भारत पहले से ही **बहरामपुर-भेरमारा** इंण्टर कनेक्शन के ज़रिये 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बांग्लादेश को कर रहा है।
- कॉक्स बाजार में स्थित बांग्लादेश के सबमरीन केबल स्टेशन से पूर्वोत्तर क्षेत्र को 10 GBPS के इंटरनेट बैंडविथ की सुविधा प्राप्त होगी
- **"सुन्दरवन मोइत्री" (सुन्दरवन-गठबंधन) :** सुन्दरवन मोइत्री BSF (सीमा सुरक्षा बल) एवं बार्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच एक संयुक्त अभ्यास है।

✓ सुन्दरवन सीमा क्षेत्र में BSF और BGB के मध्य होने वाला यह प्रथम अभ्यास था।

✓ इसका उदेश्य दोनों देशों के मध्य बेहतर सीमा प्रबंधन तंत्र का विकास करना था।

✓ संयुक्त अभ्यास सीमा पर अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ सीमा सुरक्षा गतिविधियों को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करने में भी सहयोगी सिद्ध होगा।

- **तटीय नौपरिवहन पर समझौता:** भारत और बांग्लादेश ने नई दिल्ली में 15 नवम्बर 2015 को दोनों देशों के बीच जून, 2015 में हस्ताक्षरित "तटीय नौपरिवहन पर समझौते" को कार्यान्वित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर हस्ताक्षर किए। SOP के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:

✓ SOP भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय नौवहन को प्रोत्साहित करेगी और दोनों देशों के बीच के परिवहन लागत को घटाकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाएगी।

✓ SOP के प्रावधान निर्धारित करते हैं कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के जलयानों से उसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगें जैसी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में संलग्न अपने राष्ट्रीय जलयान को प्रदान करते हैं।

✓ दोनों पक्षों ने भारत-बांग्लादेश तटीय नौपरिवहन के लिए रिवर-सी-वैसेल (RSV) श्रेणी के जलयानों का उपयोग करने पर भी सहमति जतायी है।

- **भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा हाट:**

✓ निरंतर प्रगतिशील भारत-बांग्लादेश संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू उत्तर-पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास सीमावर्ती हाट (बाजार) की स्थापना है।

✓ ये हाट 1947 के विभाजन से पहले सीमाओं के पार व्यापार एवं वाणिज्य के संपन्न केंद्र थे। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि कुछ हाट मुगल शासन के समय में भी अस्तित्व में थे।

- **एकीकृत जाँच चौकी (इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ICP)**

✓ हाल ही में, पेट्रापोल (PETRAPOLE) एकीकृत जाँच चौकी का उद्घाटन हुआ। पेट्रापोल ICP भारत-बांग्लादेश सीमा पर अगरतला (भारत)-अखौरा (बांग्लादेश) स्थलीय सीमा पर अगरतला ICP के बाद दूसरी ICP है।

✓ यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय बंदरगाह भी होगा। पेट्रापोल ICP भारत बांग्लादेश के बीच महत्तर आर्थिक एकीकरण व संपर्क में सुधार लाने में सक्षम साबित होगा।

उत्तर पूर्व से संपर्क बढ़ाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण समझौते/ सहमति ज्ञापन:

- द्विपक्षीय व्यापार समझौता (नवीकरण): इस समझौते पर पहली बार 1972 में हस्ताक्षर हुए थे। नवीकरण समझौते में स्थलीय मार्ग से व्यापार में बढ़ोतरी, जलमार्ग, दोनों देशों के बीच रेलमार्ग और उत्तर पूर्व भारत को पारगमन सुलभ कराने की परिकल्पना की गयी है। यह बांग्लादेशी माल को भारत के ज़रिये नेपाल और भूटान तक पहुँचने में भी सहायता करेगा। ढाका-शिलॉग-गुवाहाटी बस सेवा पर समझौते पर प्रोटोकॉल दोनों देशो के नागरिकों के परस्पर सम्पर्क को बढ़ावा देगा।
- कोलकाता-ढाका-अगरतला बस सेवा व उसका प्रोटोकॉल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की राजधानियों के बीच की यात्री दूरी को कम कर देगा।

VISION IAS

- अंतर्देशीय जलमार्ग पारगमन और व्यापार (PIWTT) (नवीकरण) पर प्रोटोकॉल : इस प्रोटोकॉल पर पहली बार 1972 में हस्ताक्षर हुए थे। यह दोनों देशों द्वारा वाणिज्य के लिए जलमार्गों के उपयोग के लिए परस्पर लाभकारी व्यवस्था को रेखांकित करता है।
- यह पारगमन समझौता भारत के बाकी हिस्सों से भारत के उत्तर पूर्व तक माल वहन की लागत को काफी कम कर देगा।
- भारत से आने और जाने वाले माल के लिए चित्तागोंग और मोंगला बंदरगाह के उपयोग पर समझौता ज्ञापन।

1.1.2. बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले

(Attack on Secular Activists in Bangladesh)

बांग्लादेश एक धर्म निरपेक्ष, मुस्लिम बहुल देश है जो 1971 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हिंसक इस्लामिक समूहों से जूझ रहा है। हाल ही में बांग्लादेश अल्पसंख्यकों, उदार, धर्म निरपेक्ष कार्यकर्ताओं, ब्लोगर्स और पत्रकारों पर किये गए ऐसे कई हमलों का साक्षी रहा है।

ब्लॉगलेखक (उदार और धर्म निरपेक्ष कार्यकर्ता) पर हमले क्यों ?

- चरमपंथी गुटों द्वारा पिछले कई वर्षों से इन ब्लॉग लेखकों को उनके 'धर्म-निरपेक्ष' तथा 'नास्तिक' विचारों के कारण निशाना बनाया जा रहा है।
- ये ब्लॉगर 1971 की उस समय पश्चिमी पाकिस्तान से आजादी की ऐतिहासिक लड़ाई के आदर्श का समर्थन करते हैं, जिसके अनुसार बांग्लादेश का शासन धर्म निरपेक्षता के सिंद्धांतों के आधार पर चलाया जाना चाहिए।
- यह ब्लॉगर्स युद्ध अपराधियों पर चलाये जा रहे युद्ध मुकदमों के समर्थक हैं|
- चरमपंथियों के इस कट्टरपंथी दृष्टिकोण/सम्प्रदायवाद के विरुद्ध ये ब्लॉगर, साइबर स्पेस में जनमत निर्माण का कार्य कर रहे हैं|
- इन ब्लॉगर्स ने चरमपंथी गुटों की कड़ी आलोचना की है।

युद्ध अपराधों पर मुकदमों से सम्बद्ध विवाद

- वर्तमान की आवामी लीग सरकार धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है और उसने साहसपूर्वक उन युद्ध अपराधियों के विरुद्ध मुकदमों की शुरुआत की है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के वक़्त जनसंहार और सामूहिक बलात्कार जैसे अपराध किये थे।
- बांग्लादेश की प्रमुख इस्लामिस्ट पार्टी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की दृढ़ सहयोगी पार्टी, जमात-ए-इस्लामी को इन मुकदमों के कारण तगड़ा झटका पहुँचा है। पार्टी के कई नेता इन युद्ध के मुकदमों में अपराधी ठहराये गए हैं।
- जमात-ए-इस्लामी का साथ देने के लिए प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी सरकार के विरुद्ध धरना व विरोध प्रदर्शन किया। ये विशिष्टतः युद्ध मुकदमों के विरोध में था जिनमे कई नेता दोषी ठहरायें गए हैं।
- इस दौरान जब जमात-ए-इस्लामी के एक नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को अपराधी घोषित किया गया, तो ढाका की सड़कों पर 1971 के युद्ध अपराधियों को फांसी देने के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए जिनमें 2013 के शाहबाग स्क्वायर विरोध प्रदर्शन प्रमुख था।
- बांग्लादेश में हाल ही में ज़्यादातर हुई आतंकी घटनाएँ अंतर्राष्टीय अपराध न्यायाधिकरण (INTERNATIONAL CRIMES TRIBUNAL) द्वारा 1971 के इन युद्ध अपराधियों पर चलाये जा रहे मुकदमों की प्रतिक्रिया हैं।
- 2013 से कई प्रकार के स्थानीय इस्लामिस्ट समूहों को इन धर्मनिरपेक्ष लेखकों, कार्यकर्ताओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों और विदेशियों की हत्या के लिए ज़िम्मेदार माना जा रहा है।
- इन घटनाक्रमों के चलते ब्लॉग लेखकों की हत्याओं की पृष्ठभूमि तैयार हुई।

विश्लेषण

- धर्म निरपेक्ष ब्लॉग लेखकों की हत्या और उन पर हो रहे लगातार हमले बांग्लादेश सरकार की संगठित हिंसा से अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और क्षमता पर सवाल खड़े करते हैं।
- ब्लॉग लेखकों की हत्याओं द्वारा इस्लामिस्ट कट्टरपंथी सरकार और आमजन को यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी आलोचना करने वालों का ऐसा ही हश्र होगा।
- सरकार को जल्द से जल्द अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए विश्वसनीय कदम लेने होंगे। अन्यथा हमलावरों द्वारा सरकार को उदासीन मान लिया जायेगा तथा इससे उनके और ज्यादा निरंकुश होने की संभावना बढ़ जाएगी।
- आतंक से लड़ने का सिर्फ एक यही मार्ग है की आतंकित न हों, बल्कि आतंकियों को राजनैतिक रूप से अलग किये जाने के साथ साथ आतंक के विरुद्ध वैचारिक लड़ाई लड़ी जाये।

VISION IAS

1.2. म्यांमार

(Myanmar)

1.2.1. भारत – म्यांमार

(India-Myanmar)

भारत और म्यांमार में पारंपरिक रूप से कई समानताएं रही हैं: एक लम्बी भौगोलिक स्थलीय सीमा और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा साझा करने के साथ-साथ दोनों देश सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जातीय और धार्मिक संबंधों से भी जुड़े हुए हैं।

भारत के लिए म्यांमार का महत्व

- **उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद से निपटने के लिए**

✓ म्यांमार उत्तर पूर्वी भारत की सुरक्षा के लिए मुख्य महत्व रखता है क्योंकि सीमा पार से जातीय समूहों की एक बड़ी संख्या और उत्तर पूर्वी भारत के उग्रवादियों के म्यांमार में सैन्य ठिकाने हैं।

✓ पिछले वर्ष भारतीय सैनिकों ने कथित तौर पर म्यांमार के इलाके में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालिम (खापलांग) के सैन्य शिविर को निशाना बनाने के लिए सीमा पार करके ऑपरेशन किया था।

✓ म्यांमार ने अपने क्षेत्र को भारत के विरुद्ध उपयोग न होने देने के संकल्प को बार-बार दोहराया है।

- **एक्ट ईस्ट नीति**

✓ म्यांमार का महत्व पूर्व, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण एशिया के तिराहे पर अपनी भू-रणनीतिक अवस्थिति में निहित है।

✓ म्यांमार रणनीतिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक ऐसा आसियान देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है।

✓ भू राजनीतिक संदर्भ में, नई दिल्ली म्यांमार को चीन के साथ एक बफर राज्य के रूप में देखता है।

✓ यह बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (BCIM) आर्थिक कॉरिडोर के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

- **उर्जा सुरक्षा**

✓ म्यांमार अपने **"प्रचुर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस"** के भंडार के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है।

✓ पेट्रोलियम और गैस कम्पनियाँ जैसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और गेल म्यांमार में इसकी खोज में लगी हुई हैं।

- **व्यापार और निवेश के अवसर**

✓ म्यांमार की अर्थव्यवस्था केंद्रीय नियोजित योजना से बाज़ारी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रही है।

✓ म्यांमार - अन्य (CLMV) देशों (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम) की तरह - बढ़ती खपत के साथ तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था,सामरिक अवस्थिति, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन (तेल, गैस, सागौन, तांबा और रत्न), जैव विविधता और सस्ती श्रम दर वाला देश है। इसके साथ ही म्यांमार माल और सेवाओं में व्यापार, निवेश और परियोजना निर्यात के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

✓ भारत-म्यांमार में द्विपक्षीय व्यापार 1997-98 में 328 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2015-16 में 2.052 बिलियन डॉलर हो गया है। म्यांमार भारत के लिए सेम और दालों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

✓ भारत वर्तमान में 22 भारतीय कंपनियों के $730.769 मिलियन के अनुमोदित निवेश के साथ नौंवा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत का अधिकांश निवेश पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में है।

✓ भारत का इंजीनियरिंग सेक्टर इंजीनियरिंग निर्यात के लिए बड़ी उपस्थिति बनाने के लिए म्यांमार के बाज़ार पर नज़र गड़ाए हुए है।

- **उत्तर पूर्वी भारत का आर्थिक विकास**

✓ भारत आसियान और म्यांमार के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र का संपर्क बढ़ाने पर पर ध्यान दे रहा है।

- **क्षेत्रीय सहयोग**
- **आसियान (ASEAN):** म्यांमार एकमात्र एक ऐसा आसियान देश है जो भारत के साथ स्थल सीमा साझा करता है।
- **बिम्सटेक (BIMSTEC):** म्यांमार दिसंबर 1997 में बिम्सटेक का सदस्य बना तथा यह बिम्सटेक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का हस्ताक्षरकर्ता है।
- **मेकांग गंगा सहयोग:** म्यांमार नवम्बर 2000 में इसकी स्थापना से ही मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) का सदस्य है।
- **सार्क (SAARC):** म्यांमार को अगस्त 2008 में सार्क पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था।

VISION IAS

1.2.2. फ्लैगशिप परियोजनाएं

(Flagship Projects)

कालादान मल्टी-मोडल पारगमन परिवहन परियोजना

- कालादान मल्टी-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ेगी। यह परियोजना इसके बाद सितवे बंदरगाह को कालादान नदी नाव मार्ग के रास्ते म्यांमार में लाशियो से और फ़िर लाशियो को भारत में मिज़ोरम से सड़क परिवहन से जोड़ेगी।

भारत के लिए लाभ

- वर्तमान में उत्तर पूर्वी भारत से चिकन नेक के रास्ते कोलकाता बंदरगाह जाने वाले मार्ग को भारी यातायात का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग से जाने वाले माल को बंदरगाह पहुचने में कई दिन लग जाते हैं।
- यह परियोजना मिज़ोरम से कोलकाता के बीच की दूरी को लगभग 1000 कि.मी. कम कर देगी और माल के परिवहन के समय को कम कर के 3-4 दिन कर देगी।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के अलावा, यह मार्ग चीन से किसी संघर्ष की स्थिति में भी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान मार्ग (चिकन नेक) संघर्ष की स्थिति में चीन द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है।
- इस परियोजना से उत्तर पूर्वी राज्यों को समुद्र तक मिलने वाली पहुँच उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
- इस परियोजना से भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और परिवहन संपर्क और मज़बूत होंगे।
- यह परियोजना न केवल भारत के आर्थिक, वाणिज्यिक और सामरिक हित में कार्य करेगी,बल्कि म्यांमार के विकास और भारत के साथ आर्थिक एकीकरण में भी सहयोग प्रदान करेगी।
- यह "एक्ट-ईस्ट पॉलिसी" के लिए भी सहायक होगी।

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग

- 3,200 किलोमीटर लम्बे भारत-आसियान त्रिपक्षीय राजमार्ग जो की भारत में मोरेह से म्यांमार के मंडाले के रास्ते थाईलैंड के माई सोत तक जायेगा, को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है।

1.2.3. म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन

(Democratic Transition in Myanmar)

50 वर्षों बाद पहली बार एक असैनिक राष्ट्रपति के रूप में H.E.U. हेतिन काव **(Htin Kyaw)** ने म्यांमार के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है।

- हेतिन काव की सरकार,1962 में सेना द्वारा सत्ता अधिग्रहण के पश्चात पहली लोकतांत्रिक सरकार है ।
- आंग सान सू की के नेतृत्व वाली **नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD)** ने संसद में 77% निर्वाचित सीटें जीती। किन्तु एक संवैधानिक प्रावधान के अनुसार उन्हें सरकार का नेतृत्व नहीं प्रदान किया जा सकता, क्योंकि उनके बेटे ब्रिटिश नागरिक हैं न कि म्यांमार के नागरिक।

पृष्ठभूमि

- नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने 1990 में म्यांमार का अंतिम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारी मतों से जीता था, लेकिन परिणाम को सत्तारूढ़ सेना द्वारा उपेक्षित कर दिया गया था। इसके बाद NLD द्वारा 2010 में सैन्य शासन के अंतर्गत हुए चुनाव का बहिष्कार भी किया गया था।
- सैन्य और सिविल सेवकों के प्रभुत्व वाली यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (USDP)सबसे बड़ा विपक्षी दल है।
- 'सुश्री सू की' की राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा, संविधान की एक धारा जो ऐसे लोग जिनके बच्चे विदेशी नागरिकता के धारक हैं उन्हें राष्ट्रपति बनने से प्रतिबंधित करती है, के कारण पूरी नहीं हो सकती।

VISION IAS

म्यांमार में राजनैतिक सुधार :

नवम्बर 2010 से म्यांमार में सुधार की प्रक्रिया जारी है, जब सैन्य शासन की जगह एक नई सैन्य समर्थित नागरिक सरकार अस्तित्व में आई थी।

- 'सुश्री सू की' की घर पर नज़रबंदी से रिहाई।
- राजनीतिक कैदियों की रिहाई।
- 2012 में स्वतंत्र और निष्पक्ष उपचुनाव जिससे सुश्री सू की को संसद में प्रवेश मिला।
- मीडिया पर से सरकारी नियंत्रण (सेंसरशिप) का हटाना।

सेना का संसद पर अधिकार कायम

- 2008 के संविधान के अनुसार,Hluttaw (प्रतिनिधि सभा) के ऊपरी और निचले सदन में सीटों का 25 प्रतिशत सेना द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
- सभी महत्वपूर्ण रक्षा और गृह विभाग Tatmadaw (म्यांमार सशस्त्र बल) के अधीन रहेंगे।

नई सरकार के समक्ष चुनौतियाँ

- **आर्थिक विकासः**
  - ✓ म्यांमार एशिया के सर्वाधिक गरीब देशों में से एक है। सैन्य सरकार के शासन काल में यह शेष विश्व से अलग था, जिससे इसकी आर्थिक संवृद्धि स्थिर हो चुकी थी एवं लाखों लोग निर्धनता के दुश्चक्र में फँसे हुए थे।
- **सेना की भूमिका**
  - ✓ संसद के दोनों सदनों की एक चौथाई सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं। अत: सेना की अनुमति के बिना कोई भी संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता है।
  - ✓ तीन मुख्य मंत्रालयों यथा: रक्षा, गृह एवं सीमा संबंधी मामलों के मंत्रालयों पर सेना का प्रत्यक्ष नियंत्रण है।
- **नृजातीय संघर्ष और संप्रभुता का मुद्दा**
- आगामी वर्षों में म्यांमार की सबसे बड़ी चुनौती अपनी सीमा पर सुरक्षा और नियंत्रण को मजबूत करने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की होगी। नृजातीय आधार पर क्षेत्रों की मांग करने वालों के साथ एक व्यापक शांति समझौते पर आगे बढ़ना और विद्रोह नियंत्रण म्यांमार का प्राथमिक लक्ष्य रहेगा।
- म्यांमार **बौद्धों एवं मुस्लिमों** के मध्य गंभीर संघर्ष का साक्षी रहा है (विशेषकर **रखाइन राज्य** में)।

1.3. भारत–भूटान

(India-Bhutan)

भारत और भूटान के मध्य लम्बे समय से कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भूटान-भारत संबंध एक मैत्री संधि से शासित होते हैं जिस पर 2007 में फिर से वार्ता की गयी थी। इस संधि ने थिंपू के विदेश संबंधों को नई दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त कर दिया, लेकिन अभी भी हिमालयी राष्ट्र की सुरक्षा की ज़रूरतें भारत के पर्यवेक्षण पर निर्भर हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2014 में भूटान का दौरा किया। अपनी इस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित क्षेत्रों में घनिष्ठ समन्वय और सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।

भारत-भूटान मैत्री संधि समय रेखा

- 8 अगस्त 1949 को भूटान और भारत ने **मैत्री संधि** पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने शांतिपूर्ण व्यवहार और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का संकल्प लिया। हालांकि, भूटान ने भारत को अपनी विदेश नीति के मार्गदर्शन करने की अनुमति दी तथा दोनों देशों ने अपने विदेश और रक्षा मामलों में बारीकी से एक दूसरे से परामर्श करने का संकल्प किया। संधि ने मुक्त व्यापार और प्रत्यर्पण प्रोटोकॉल की भी स्थापना की।
- भारत ने 1949 की संधि पर भूटान से पुनः बातचीत की और 2007 में मित्रता की एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए।
- नई संधि ने भूटान को व्यापक संप्रभुता प्रदान करते हुए अपनी विदेश नीति पर भारत के मार्गदर्शन लेने के प्रावधान को बदल दिया, और अब भूटान को हथियार आयात करने के लिए भारत की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

VISION IAS

व्यावसायिक सम्बन्ध

भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और भूटान के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था मौजूद है।

पनबिजली सहयोग

- भूटान के रन-ऑफ-द रिवर बांधों द्वारा उत्पन्न पन बिजली भारत-भूटान संबंधों का आर्थिक आधार है।
- भारत ने सहायता और ऋण के संयोजन के माध्यम से भूटान के बांधों को वित्तीय मदद प्रदान की है तथा भारत बहुत कम कीमत पर भूटान से अतिरिक्त बिजली खरीदता है।
- तीन पनबिजली परियोजनाएं (HEP) कुल 1416 मेगावाट (336 मेगावाट चुखा HEP, 60 मेगावाट कुरीचू HEP, और 1020 मेगावाट ताला HEP), पहले से ही भारत को बिजली निर्यात कर रहे हैं।
- 2008 में दोनों सरकारों ने 2020 तक न्यूनतम 10,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित करने की सहमति जताते हुए दस और परियोजनाओं की पहचान की।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2013-18)

- 1961 से भारत ने अपने पड़ोसी की पंचवर्षीय विकास योजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत का कहना है की वह 2018 तक भूटान को 4,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगा।

द्विपक्षीय व्यापार

- वर्ष 2014 में द्विपक्षीय व्यापार 7965 करोड़ तक पहुंच गया था और भारत से भूटान का आयात 4785 करोड़ रुपये का था,जो की भूटान के कुल आयात का लगभग 84.13% है।
- भूटान का भारत को कुल निर्यात 3179 करोड़ रुपये (बिजली सहित) का था,जो की भूटान के कुल निर्यात का 89.38% है।

सांस्कृतिक सम्बन्ध

भारत और भूटान के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग है।

भूटान का महत्व

- भूटान चीन के साथ 470 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। परंपरागत रूप से, भूटान भारत और चीन के बीच एक बफर देश के रूप में अवस्थित रहा है।
- **सामरिक महत्व:** चुम्बी घाटी भूटान, भारत और चीन के तिराहे पर स्थित है और उत्तरी बंगाल में **"चिकन नेक"** से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ती है।
- **उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए:** भूटान ने अतीत में भारत के साथ सहयोग से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असोम (ULFA) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) जैसे आतंकवादी समूहों को हिमालयी राष्ट्र से बाहर निकालने में मदद की है।
- **भूटान में चीनी दखलंदाज़ी पर नियंत्रण रखने के लिए:** चीन थिम्पू के साथ औपचारिक संबंधों को स्थापित करने में रुचि रखता है, जहां उसका अभी तक एक भी राजनयिक मिशन नहीं है। भूटान भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पश्चिमी भूटान में चीनी क्षेत्रीय दावे 'सिलीगुड़ी कॉरिडोर' के करीब हैं।

1.4. मालदीव

(Maldives)

1.4.1. भारत-मालदीव

(India-Maldives)

घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों के रूप में भारत और मालदीव प्राचीन काल से नृजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक तत्वों के ज़रिये सम्बद्ध हैं तथा दोनों देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण और बहु-आयामी संबंध स्थापित हैं|

- भारत 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद उसको मान्यता देने वाले और उसके साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना करने वाले प्रथम देशों में से था। भारत ने 1972 में माले में अपने मिशन की स्थापना की।
- मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम ने अप्रैल 2016 में भारत का राजकीय दौरा किया।
- भारत और मालदीव ने विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

VISION IAS

<u>समझौतों की सूची इस प्रकार है</u>

- रक्षा सहयोग के लिए कार्य-योजना:
  - ✓ यह भारत-मालदीव संबंधों तथा हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के साझा रणनीतिक और सुरक्षा हितों का महत्वपूर्ण घटक है।
  - ✓ इस कार्य-योजना में रक्षा सचिवों के स्तर पर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक **संस्थागत तंत्र** की परिकल्पना की गई है।
- 48 डिग्री पूर्वी देशांतर पर प्रायोजित '**सॉउथ एशिया सैटेलाइट**' परियोजना के ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी कोआर्डिनेशन से संबंधित समझौता:
  - ✓ यह समझौता सॉउथ एशिया सैटेलाइट के प्रचालन में इंटर-सिस्टम ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी कोआर्डिनेशन करने, साउथ एशिया सैटेलाइट के ITU स्तर की नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण/पहचान दिलाने के लिए किया गया है।
- प्राचीन मस्जिदों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के क्षेत्र में तथा मालदीव में संयुक्त अनुसन्धान तथा नवीन खोजों से संबंधित सर्वेक्षणों के संदर्भ में समझौता ज्ञापन।
- पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।
- कर सम्बन्धी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए समझौता।

कॉमनवेल्थ मिनिस्टीरियल एक्शन ग्रुप (CMAG) की कार्यवाही में भारत का समर्थन

- मालदीव के राष्ट्रपति ने CMAG द्वारा संभावित दण्डात्मक कार्यवाही से बचाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। CMAG द्वारा मालदीव को लोकतंत्र की बहाली के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं।
- नवंबर 2015 में राष्ट्रीय आपात काल घोषित करने के कारण श्री यामीन को वैश्विक आलोचना झेलनी पड़ी थी। बाद में यह आपात काल हटा लिया गया था।

विश्लेषण

हिन्द महासागरीय क्षेत्र में मालदीव एक महत्त्वपूर्ण देश है। भारत और मालदीव के सम्बन्ध उतार-चढ़ाव से युक्त रहे हैं।

- भारत की प्रमुख चिंता **चीन-मालदीव** के बढ़ते संबंधों से है
  - ✓ चीन बुनियादी ढांचों के निर्माण और विकास परियोजनाओं में मालदीव की सहायता कर रहा है।
  - ✓ मालदीव चीन की **सिल्क रोड परियोजना** का भी हिस्सा है।
  - ✓ माले द्वारा GMR ग्रुप के साथ इब्राहिम नासिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए 2010 में हुआ समझौता रद्द कर दिया गया था। बाद में यह प्रोजेक्ट एक चीनी कंपनी को दे दिया गया।
- मालदीव को भारत द्वारा दी गयी मदद
  - ✓ 1988 में मालदीव में ईलम-समर्थक समूह द्वारा तख्ता पलट की कोशिश की गयी थी, जिसे भारत ने **'ऑपरेशन कैक्टस'** द्वारा नाकाम कर दिया था। मालदीव के अनुरोध पर 2009 से मालदीव में भारतीय नौ सेना की उपस्थिति है।
  - ✓ दिसंबर 2014 में माले में, वहाँ के सबसे बड़े 'वाटर ट्रीटमेंट प्लांट' के जनरेटर में लगी आग से उत्पन्न जल संकट से निपटने के लिए भारत ने त्वरित **'जल सहायता'** (ऑपरेशन नीर) भेजी थी।
  - ✓ भारत ने मालदीव की चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और सहयोग के लिए पर्यवेक्षक भी भेजे थे।

1.4.2. मालदीव में लोकतान्त्रिक संकट

(Democratic Crisis in Maldives)

अक्टूबर 2008 में जब एक नया संविधान लागू किया गया,तब से मालदीव एक बहुदलीय लोकतंत्र बन गया।

तानाशाही से लोकतंत्र

- अक्टूबर 2008 में मालदीव में हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के बाद 30-वर्ष से चला आ रहा मौमून अब्दुल गयूम का तानाशाही शासन समाप्त हो गया।
- 2008 के चुनावों के बाद माल्दिवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद सत्ता में आये।
- आपराधिक न्यायालय के मुख्य-न्यायाधीश अब्दुला मोहम्मद को गिरफ्तार करने के आदेश के बाद कई हफ़्तों तक सार्वजनिक विरोध होने पर 2012 में मोहम्मद नशीद ने इस्तीफ़ा दे दिया। नशीद ने उन पर राजनीतिक भेदभाव और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।

VISION IAS

- एक वर्ष के पश्चात् नशीद यमीन अब्दुल गयूम से चुनाव हार गए।

2012 के बाद से राजनैतिक अस्थिरता

- वर्ष 2013 के चुनाव, लोकतांत्रिक रूप से चयनित पहले राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद द्वारा लोगों के विरोध के कारण त्याग पत्र दिए जाने बाद कराए गए थे। सर्वोच्च न्यायलय ने मतदान के पहले दौर को अस्वीकार कर दिया था जिसमे श्री नशीद को बढ़त मिली हुई थी।
- प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (PPM) के प्रत्याशी श्री यामीन ने विरोधी दल के प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद पर अनापेक्षित रूप से विजय प्राप्त कर ली।
- अब्दुल्ला यामीन को मालदीव के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गयी।
- वर्ष 2012 में एक न्यायाधीश को नज़रबंद करने के अपराध में नशीद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1990 के आंतकवाद विरोधी नियमों के अंतर्गत आरोपित किया गया। इसी प्रकरण में पहले भी गिरफ्तारी से बचने के लिए फ़रवरी 2013 में नशीद ने माले स्थित भारतीय दूतावास में शरण ली थी।
- श्री नशीद को आंतकवाद के आरोपों में 13 वर्ष के कारावास में भेज दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक पैनल ने कारावास की सज़ा को अवैध घोषित किया है और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है।

श्री यामीन का सत्तावादी शासन

- असहमति के प्रति असहिष्णुता और विरोधियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु यामीन की राष्ट्रपति के रूप में भूमिका की व्यापक रूप से आलोचना की जा रही है।
- मालदीव सरकार ने श्री यामीन के अधिकार को मजबूत करने के लिए मुख्य न्यायाधीश और पुलिस प्रमुखों को हटाने, तथा उपराष्ट्रपति और पूर्व रक्षा मंत्री की गिरफ्तारी जैसे कईं कदम उठाए।
- इन घटनाओं की भारत सहित विभिन्न देशों ने बड़े पैमाने पर निंदा की। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हिंद महासागर के दौरे में मालदीव को छोड़ दिया।

विश्लेषण

श्री यामीन को अपने निरंकुश व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। इसके साथ ही लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान व विरोधियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए,जिससे नवोदित प्रजातन्त्र की नीव सुदृढ़ होगी। उसके बाद ही वह अपने नागरिकों को एक स्थिर सरकार दे पाएंगे और मालदीव को इस अस्थिरता की स्थिति से बचाया जा सकेगा।

1.5. नेपाल

(Nepal)

1.5.1 भारत-नेपाल

(India-Nepal)

दोनों देशों के बीच संबंध इतिहास, भूगोल, आर्थिक सहयोग, सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों से बंधे है। निकट पड़ोसियों के रूप में, भारत और नेपाल खुली सीमाओं और लोगों से लोगों के बीच रिश्तेदारी और संस्कृति के गहरे जुड़ाव के माध्यम से मैत्री और सहयोग का एक अनोखा रिश्ता निर्मित करते हैं।

द्विपक्षीय संबंधों में हाल के विकास

- नेपाल में आये 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप की प्रतिक्रिया में, भारत सरकार ने तेजी से नेपाल के लिए बचाव और राहत सामग्री के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमों और विशेष विमान को भेजा।
- नेपाल में कुल भारतीय राहत सहायता के रूप में लगभग 67 मिलियन डॉलर की राशि पहुंचाई गयी।
- भूकंप के बाद पुनर्निर्माण की दिशा में 25 जून 2015 को काठमांडू में नेपाल सरकार द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय दाता सम्मेलन में,भारत ने नेपाल को 1 अरब डॉलर की भारतीय सहायता की घोषणा की जिसमें से एक चौथाई अनुदान के रूप में होगा।

नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी.शर्मा ओली ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की। परंपरानुसार श्री ओली ने अक्टूबर 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को अपनी पहली विदेश यात्रा की। श्री ओली की इस यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

समझौतों की सूची:

- नेपाल में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण सहायता के लिए भारत सरकार के सहायता पैकेज के 250 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान घटक के उपयोग पर समझौता ज्ञापन:
- ✓ इस समझौता ज्ञापन में चार क्षेत्र सम्मिलित हैं - आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत।
- नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क अवसंरचना को मजबूत बनाने पर समझौता ज्ञापन;
- नेपाल की नाटक और संगीत अकादमी और भारत की संगीत नाटक अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विशेषज्ञों, कलाकारों, नर्तक-नर्तकियों, विद्वानों और प्रबुद्धजनों के आदान-प्रदान के माध्यम से कला प्रदर्शन के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है।
- पारगमन मार्गों पर विनिमय पत्र:
- ✓ काकादभिट्टा-बंग्लाबंध गलियारे के माध्यम से नेपाल और बांग्लादेश के बीच पारगमन संबंधी सुविधाओं का विकास जिसका उद्देश्य काकादभिट्टा (नेपाल) और बंग्लाबंध (बांग्लादेश) गलियारे के माध्यम से भारत से होकर पारगमन करते हुए नेपाल और बांग्लादेश के बीच वस्तुओं के यातायात के लिए तौर तरीकों का सरलीकरण करना।
- ✓ विशाखापत्तनम बंदरगाह के सुचारू संचालन से नेपाल के लिए पारगमन सुविधा उपलब्ध होगी।
- ✓ मुजफ्फरपुर-ढल्केबर पारेषण लाइन का उद्घाटन।
- प्रख्यात व्यक्तियों के समूह की स्थापना
- ✓ जुलाई 2014 में काठमांडू में आयोजित भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह (EPG) की स्थापना करने का निर्णय किया गया था। इसका अधिकारक्षेत्र व्यापक रूप से द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए संस्थागत रूपरेखाओं सहित अन्य उपायों की अनुशंसा करना होगा।

यात्रा का महत्व:

- अगस्त **2015** में**,** जब से नेपाल ने नया संविधान अपनाया है**,** मधेशियों द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर निरंतर नाकाबंदी की जा रही है। नए संविधान की उद्घोषणा के साथ ही नेपाल-भारत तनाव चरम पर पहुँच गया था क्योंकि इस संविधान को मधेशी और थारू जैसे जातीय समूह के लिए गैर-समावेशी माना गया।
- नेपाल सरकार ने भारत पर नाकाबंदी करने का आरोप लगाया, नाकाबंदी से नेपाल में गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो गया। नेपाली सरकार ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने संविधान के प्रावधानों में सुधार के लिए काठमांडू पर दबाव बनाने के लिए नाकाबंदी को प्रोत्साहित किया है।
- भारत ने इन आरोपों का खंडन इस बात पर बल देते हुए किया कि सीमा पर तनाव **मधेशी दलों** के कारण था और यह नेपाल के आंतरिक विरोध प्रदर्शनों का परिणाम था। भारत ने नेपाल पर 'भारत विरोधी' भावना भड़काने का आरोप लगाया और 'चीन' कार्ड का उपयोग करने के नेपाल के प्रयास के संदर्भ में अपनी नाराजगी जाहिर की।
- ऐसी परिस्थिति में, नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा ने गलतफहमियों को कम करने के लिए दोनों पक्षों को अवसर प्रदान किया। इस यात्रा के दौरान, भारत ने अवगत कराया कि काठमांडू को तराई क्षेत्र में **"सुरक्षा और सद्भाव"** की भावना पैदा करने और **"निर्बाध वाणिज्य"** सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को तत्काल हल करना चाहिए।
- नेपाल में **शांति और स्थिरता** भारत के आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। नेपाल में लंबे समय तक संघर्ष का प्रभाव विशेष रूप से नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश में होगा।
- नेपाल में भारत विरोधी भावना इस अस्थिर स्थिति का लाभ उठाने के लिए चीन को अवसर उपलब्ध करा सकती है।

भारत के लिए नेपाल का महत्व

- सामरिक महत्व: नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य है।
- आंतरिक सुरक्षा: नेपाल भारत के साथ एक लंबी खुली सीमा साझा करता है। नक्सलवादियों और नेपाल में माओवादियों बीच कथित सम्बन्ध भी देखे गए हैं।
- सीमा से लगे राज्यों विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में।

VISION IAS

- नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव की जांच करने के लिए। चीनी रेशम मार्ग परियोजना के हिस्से के रूप में सड़क और रेल लिंक का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं।
- करीब 30 लाख नेपाली (नेपाल की आबादी का करीब 10 प्रतिशत) भारत में कार्यरत हैं; इनमें लगभग 50 हज़ार सैनिक भी शामिल हैं।

द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी अड़चनें

- नेपाल ने आरोप लगाया है कि भारत उसके आंतरिक राजनीतिक मामलों में दखल दे रहा है।
- भारत नेपाल के चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ने के बारे में चिंतित है।चीन ने,यूरेशियाई परिवहन गलियारे के साथ नेपाल को जोड़ने का एक खाका बनाकर सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट का दक्षिण एशिया में विस्तार करने हेतु एक सुदृढ़ कदम उठाया है।
- व्यापार असंतुलन

1.5.2 नेपाल में प्रथम लोकतांत्रिक संविधान

(Nepal: Adoption of New Constitution)

नेपाल ने अपना प्रथम लोकतांत्रिक संविधान अंगीकृत कर लिया है। यह युद्ध, राजमहल की विभीषिका और विद्ध्वंसक भूकंप का सामना करने वाले इस देश के लिए ऐतिहासिक है और इसके साथ ही 65 वर्ष से चली रही नेपाली जनता की आधुनिक राष्ट्र निर्माण की मांग पूरी हुई।

नेपाली संविधान के प्रमुख बिंदु

- संविधान में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, हालांकि नेपाल को हिंदु राष्ट्र घोषित करने के लिए वहां विरोध प्रदर्शन हुए।
- **संघीय राजव्यवस्था:** नेपाल को एक संघीय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत सात प्रांत होंगे।
- नेपाल के संविधान के अनुसार देश में सात प्रान्त होंगे।

✓ नेपाल की राजधानी काठमांडू संविधान के अनुसार निर्मित, प्रांत नंबर दो के अंतर्गत आती है। दो नंबर प्रांत के अलावा प्रत्येक प्रांत के तीन भौगौलिक प्रभाग होंगे, जोकि क्रमश: पर्वतीय, पहाड़ी तथा दक्षिणी मैदान होंगे।

- **अधिकार आधारित :**

✓ नेपाल का संविधान अधिकार पद्धति पर आधारित है।

✓ यह संविधान अपने नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों के अंतर्गत भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा पर्यावरणीय क्षति से संरक्षण का अधिकार तथा मानव दुर्व्यापार से भी संरक्षण का अधिकार भी सम्मिलित है।

- इस संविधान में वंचित तथा हाँशिए पर पड़े समुदायों जैसे दलितों, विकलांगों, समलैंगिकों आदि के अधिकारों के बारे में भी प्रावधान किए गए हैं।
- सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को मूलभूत अधिकारों की संज्ञा दी गई है।
- मृत्यु दंड का निषेध किया गया है।
- अगले दो वर्ष चार माह के दौरान संविधान संशोधन अपेक्षाकृत अधिक सरलता से किए जा सकेंगे क्योंकि संविधान सभा ही इस दौरान अपनी अवधि समाप्त होने के पश्चात भी एक विधायी संस्था के रूप में काम करती रहेगी।

नवीन संविधान का विरोध

- नेपाल के तराई क्षेत्र के मधेशी समुदाय ने इस नये संविधान का तीव्र विरोध किया तथा इसे मधेशियों के प्रति अन्यायपूर्ण बताया।
- नेपाल को सात प्रान्तों में बांटने का विरोध मधेशियों ने किया, उनके अनुसार इस प्रकार प्रांतो के विभाजन के द्वारा मधेशियों को 6 भागों में बांटकर उनकी शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया है। इन सात प्रान्तों में मात्र एक प्रभाग में ही मैदानी लोगों का बहुमत है।
- तराई क्षेत्र के लोगों के विरोध का एक मुद्दा यह भी है कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर नहीं किया गया है। इससे मधेशी क्षेत्र के लोगों में असंतोष उत्पन्न हो गया।
- इसके अलावा नागरिकता से संबंधित एक मुद्दे पर भी विरोध था, जिसके अनुसार किसी नेपाली मां व विदेशी पिता के बच्चे को नेपाली नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी।

नेपाल संविधान को लेकर भारत सरकार की प्रतिक्रिया

- भारत सरकार के अनुसार संविधान में तीन मुख्य कमियां हैं जो कि भारत को नेपाली संविधान का स्वागत करने से रोकती हैं ।
- प्रथमत: संघीय तथा प्रांतीय सीमांकन को तराई क्षेत्र के लोगों के प्रतिकूल बनाया गया है।
- दूसरा बिंदु यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन मधेशी लोगों के हितों के विरुद्ध है जो कि नेपाल की आबादी का 50 प्रतिशत हैं। वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र सीमांकन के अंतर्गत 100 सीटें पहाड़ी समुदाय को मिली है, जबकि मधेशी व आदिवासियों को मात्र 65 सीट मिली हैं।
- अंतत: सामानुपातिक समावेशीकरण के प्रावधान के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र की अनेक अगड़ी जातियों को भी आरक्षण का लाभ प्राप्त हो गया है। यह सकारात्मक विभेद के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है।
- भारतीय सरकार को इस बात से भी निराशा हुई है कि वर्ष 2007 के अंतरिम संविधान लागू करने के वक्त जो वादे नेपाल ने भारत से किए थे, उनको इस नए लोकतांत्रिक संविधान में नजर अंदाज कर दिया गया है।

संविधान में संशोधन: वर्तमान स्थिति

- **संशोधन**

✓ निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आयोग (अनुच्छेद 286) संघीय कानून के अनुसार 165 निर्वाचन क्षेत्र (अनुच्छेद 84) का निर्धारण करते समय पहली प्राथमिकता जनसंख्यां को तथा दूसरी भौगोलिक अवस्थिती को देगा।

✓ अधिक समावेशी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह अनुच्छेद 42 को भी शामिल करता है।

- हालांकि, संशोधन प्रक्रिया में नेपाल के मैदानों पर दो अलग-अलग मधेसी प्रांतों के निर्माण की मुख्य मांग को शामिल नहीं किया गया।
- भारत की प्रतिक्रिया: भारत ने नेपाली संविधान के पहले संशोधन को स्वागतयोग्य कदम बताते हुए उम्मीद जताई कि बाकि मुद्दे भी इसी प्रकार सृजनात्मक भावना से सुलझा लिए जाएंगे।
- मधेशियों का दृष्टिकोण: यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट ने चल रहे राजनीतिक संकट को हल करने के लिए संसद द्वारा पारित एक संवैधानिक संशोधन को खारिज कर दिया।

1.5.3. नेपाल और चीन

(Nepal and China)

हाल ही में नेपाली प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली की चीन की प्रथम आधिकारिक यात्रा सम्पन्न हुई। इस यात्रा के दौरान पारगमन व्यापार के साथ कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना, ऊर्जा अन्वेषण एवं भण्डारण, बैंकिंग, छात्रवृत्ति एवं प्रशिक्षण आदि पर 10 महत्वपूर्ण समझौते हुए।

महत्वपूर्ण समझौतों की सूची/ MOUs:

- चीन से पारगमन (ट्रांजिट) पर समझौता जहाँ चीन ने नेपाल को तीसरे देशों से आयातित वस्तुओं के पारगमन के लिए तियानजिन बन्दरगाह प्रदान करने पर सहमति जताई है।
- तिब्बत रेल नेटवर्क के साथ नेपाल को जोड़ने का प्रस्ताव।
- हुमला जिले के हिलसा में जियार्वा सीमा नदी सेतु (Xiarwa Boundary River Bridge) के निर्माण प्रबंधन एवं रख-रखाव पर समझौता।
- पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग पर समझौता।

VISION IAS

- चीन, नेपाल एवं तिब्बत के मध्य 2 सड़क संपर्कों को प्रोन्नत करने के साथ चीनी रेलवे को काठमांडू के बाद लुम्बिनी तक ले जाने पर सहमत हुआ है।
- चीन ने नेपाल के साथ एक दीर्घकालीन व्यावसायिक तेल समझौते एवं तेल भण्डारण सुविधाओं के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त की है।

विश्लेषणः

इनमें से कुछ समझौतों को ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व बताया जा रहा है, विशेषकर पारगमन से संबंधित तथा उन समझौतों को जो नेपाल एवं चीन के बीच सड़क एवं रेल संपर्क से संबंधित हैं।

पारगमन समझौताः

- पारगमन समझौते का लक्ष्य नेपाल की भारत पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता को घटाना है।
- वर्तमान में किसी तीसरे देश को नेपाल द्वारा किए जाने वाले व्यापार का 98% भाग कलकत्ता बंदरगाह से जाता है।
- हालांकि इस समझौते की संभाव्यता संदेहास्पद है क्योंकि तियानजिन नेपाल से 3000 किमी दूरी पर स्थित है जबकि वर्तमान में नेपाल द्वारा प्रयुक्त भारत का हल्दिया बंदरगाह केवल 1000 किमी की दूरी पर है।
- नेपाल के उत्तरी भाग में प्रस्तावित तियानजिन पारगमन गलियारे के लिए पर्याप्त अवसंरचना भी मौजूद नहीं है अतः इसे साकार करने के लिए काफी प्रयास और निवेश करना पड़ेगा।

रेल संपर्क:

- तिब्बत रेल नेटवर्क के साथ नेपाल को जोड़ने के प्रस्ताव में भी समय लगेगा।
- ल्हासा रेल लाइन को ज़िगात्से तक लाया गया है। इसे तिब्बत के अन्दर नेपाल सीमा तक 2020 (चीन की वर्तमान योजना के अनुसार) तक ही लाया जा सकेगा।
- नेपाल-तिब्बत रेल लिंक को बनाने में पटरियों को 6000 मीटर की ऊँचाई पर बिछाना होगा (या तो सुरंगों से या घुमावदार चैनलों के द्वारा), जिसमें अत्यधिक लागत, समय और श्रम लगेगा।
- लागत और भौगोलिक विषमता के अवरोध के अतिरिक्त तिब्बत और नेपाल के बीच रेल संपर्क चीनी सत्ता के लिए एक राजनीतिक मुद्दा भी है। उन्हें इस बात पर निर्णय करना है कि भूमि संपर्क द्वारा तिब्बत को बाहरी दुनिया के लिए किस सीमा तक खोला जा सकता है।

भारत-नेपाल संबंधों पर प्रभावः

- नेपाल में संविधान लागू होने के बाद से भारत-नेपाल संबंध बिगड़े हैं। लगभग छः महीनों तक भारत-नेपाल सीमा पर गतिरोध बना रहा। इससे नेपाल में भारत-विरोधी प्रवृत्ति जन्मी है जिसका वर्तमान नेपाली सरकार द्वारा लाभ उठाया जा रहा है।
- इन समझौतों के माध्यम से नेपाल भारत को एक कड़ा सन्देश देने का प्रयास कर रहा है कि भारत द्वारा बनाए जा रहे किसी भी दबाव को संतुलित करने के लिए नेपाल चीन का समर्थन ले सकता है।
- चीन के साथ समझौतों का नेपाल-भारत संबंधों पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है। नेपाल भारत और चीन के बीच बफर देश के रुप में देखा जाता है।
- नेपाल के चीन की तरफ इस झुकाव के भारत के लिए गंभीर रणनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं।
- जब भी नेपाल सरकार अपनी जनता के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाती और भारत नेपाली जनता को अपना समर्थन देता है तब वह भारत को चीन का भय (चाइना कार्ड) दिखाती है।
- भारत को अभी भी दक्षिण एशिया में चीन द्वारा बढ़ाए जा रहे प्रभाव क्षेत्र को रोकने का तरीका ढूंढना है। चीन भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों में उतार-चढ़ाव का अनुचित लाभ उठा सकता है। ऐसे में भारत को अपने निकटस्थ पड़ोसियों के साथ अत्यन्त बुद्धिमतापूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विमुख न हों।

1.6. भारत-पाकिस्तान

1.6.1. सर क्रीक विवाद

(India-Pakistan : Sir Creek Dispute)

सर क्रीकः सर क्रीक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित 96 किमी लम्बा ज्वारनदमुख है। इसका मुहाना अरब-सागर में खुलता है और यह भारत के गुजरात राज्य को पाकिस्तान के सिंध प्रान्त से अलग करता है।

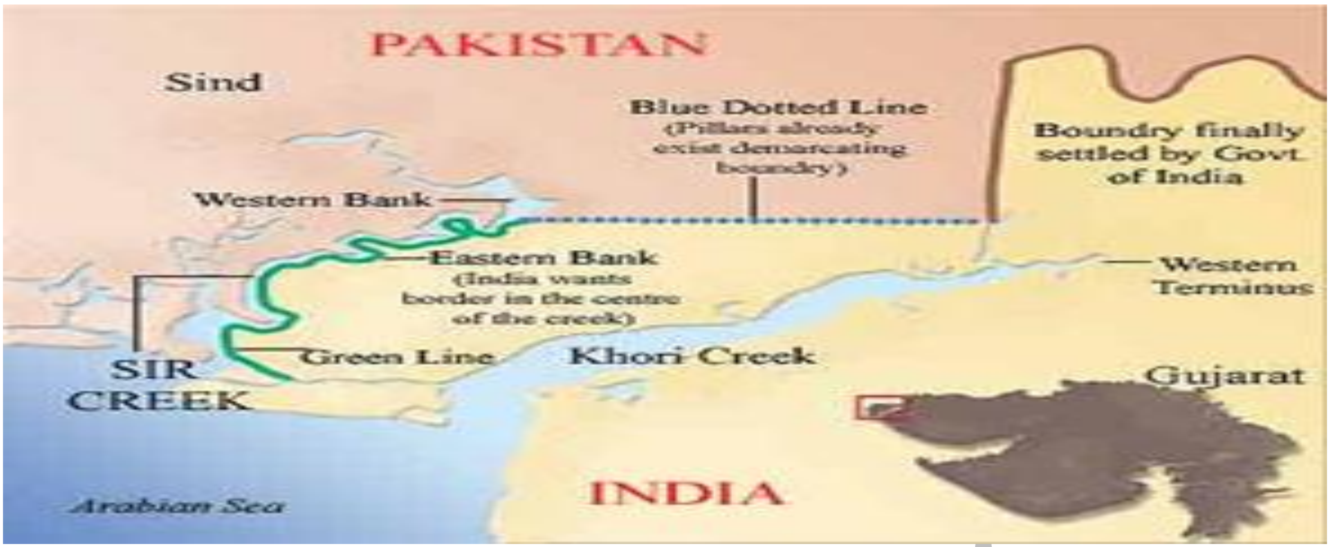

सर क्रीक विवाद कालानुक्रमः

भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित स्थल सर क्रीक का नामकरण उस ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर हुआ जिसने स्थानीय राजाओं के बीच ईधन की लकड़ी पर हुए विवाद में मध्यस्थता की थी।

- **1908**: कच्छ के राव (शासक) एवं सिन्ध राज्य के शासक के मध्य क्रीक क्षेत्र में लकड़ी संग्रहण को लेकर विवाद का प्रारंभ।
- **1914**: बंबई प्रांत की सरकार ने प्रस्ताव के माध्यम से मामले का निर्णय दिया।

✓ 1914 के प्रस्ताव के पैरा 9 के अनुसार सर क्रीक की सीमा, क्रीक के पूर्वी किनारे पर अवस्थित **ग्रीन बेंड** होगी।

✓ तथापि उसी प्रस्ताव के 10 वें पैरा के अनुसार सीमा, नौकागम्य चैनल का मध्य भाग होगी। (अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 'थालवेग सिद्धांत' के अनुसार)

- **1925:** 67 खम्भों की स्थापना के माध्यम से 1924-25 में सिन्ध एवं कच्छ के द्वारा क्षैतिज क्षेत्र में भू-सीमा को निर्धारित किया गया।
- **1968:** भारत-पाकिस्तान न्यायाधिकरण (कच्छ सीमा विवाद पर गठित) ने अपने निर्णय में भारत के दावों का 90% समर्थन किया किन्तु इसमें सर क्रीक शामिल नहीं है बल्कि क्रीक के पूर्वी क्षेत्र से संबंधित निर्णय सम्मिलित हैं।

पाकिस्तान का दृष्टिकोण:

- 'पाकिस्तान ग्रीन बेंड द्वारा परिभाषित इसके पूर्वी किनारे सहित सम्पूर्ण सर क्रीक पर अपना दावा प्रस्तुत करता है और इसी प्रकरण से संबंधित 1914 के मानचित्र पर इसे प्रदर्शित भी करता है।
- ग्रीन बेंड के आधार पर पाकिस्तान के दावों को स्वीकार करने से भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (**Exclusive Economic Zone**) के तकरीबन 250 वर्ग मील क्षेत्र कम हों जायेगा।

भारत का दृष्टिकोण:

- भारत के अनुसार 'ग्रीन बेंड' **एक** सांकेतिक रेखा है, एवं सीमा निर्धारण 1925 के मानचित्र में प्रदर्शित क्रीक के "मध्य चैनल" द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए।
- अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 'थालवेग सिद्धान्त' का हवाला देते हुए भारत इस संदर्भ में अपना पक्ष रखता है, जिसके अनुसार दो राज्यों के बीच 'यदि दोनों सहमत हों' तो सीमा को मध्य चैनल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है।
- यद्यपि पाकिस्तान 1925 के मानचित्र के विरोध में तर्क नहीं देता तथापि पाकिस्तान के अनुसार 'थालवेग सिद्धान्त' इस संदर्भ में अनुपयोगी है क्योंकि यह सिद्धान्त साधारणतया गैर-ज्वारीय नदियों पर लागू होता है जबकि सरक्रीक एक ज्वार-नदमुख है।

सर क्रीक का महत्त्व

- सर क्रीक का महत्व अत्यन्त कम है और यह दलदली और परित्यकत भूमि है। लेकिन इसमें सीमा का निर्धारण दोनों देशों के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में होने वाले सकारात्मक तथा नकारात्मक परिवर्तन का फैसला करेगा।
- इस क्षेत्र का अधिकांश भाग समुद्र की सतह के नीचे गैस एवं तेल में संपन्न है, अतः इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्रत्येक देश की ऊर्जा क्षमता पर पर्याप्त प्रभाव डालने में सक्षम है।

सरक्रीक विवाद के कारण चुनौतियाँ

मछुआरों की समस्याः

- सरक्रीक क्षेत्र दोनों देशों के सैंकड़ों मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण स्थान है।
- स्पष्ट समुद्री सीमा के अभाव में नौकाएं अक्सर अपने देश की काल्पनिक सीमा पार कर जाती है और अन्ततः दूसरे देश द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।
- सीमांकन द्वारा आए दिन मछुआरों द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र में किए जाने वाले अवैध प्रवेश को आसानी से रोका जा सकता है।

नशीली दवाओं का व्यापारः

- विगत वर्षों में यह क्षेत्र नशीली दवाओं, हथियारों एवं पेट्रोलियम उत्पादों के अवैध व्यापार से ग्रस्त रहा है।
- इस अस्पष्ट समुद्री सीमा का दुरुपयोग नशीली दवाओं के व्यापारियों द्वारा किया जाता है।

आतंकवादी गतिविधियाँ

- आतंकवादियो द्वारा विवादित क्षेत्र का इस्तेमाल अवैध तरीके से भारत में घुसने के लिए किया रहा है।
- 26/11 के आतंकवादी हमले में आतंकवादियों ने (सर क्रीक में) मछली पकड़ने के उपयोग में लायी जाने वाली एक भारतीय नाव 'कुबेर' पर कब्जा कर इसको हमले के लिए उपयोग किया।

समुद्री सीमा

- सर क्रीक विवाद का समाधान उस समुद्री सीमा के निर्धारण में सहायक होगा, जिन्हें तटीय संदर्भ बिन्दुओं के विस्तार के रूप में अंकित किया जाता है।
- समुद्री सीमाएँ अनन्य आर्थिक क्षेत्रों एवं महाद्वीपीय जल सीमा के निर्धारण में भी सहायक होती है।

सम्भावित समाधान

- इसके समीपस्थ गैर अंकित क्षेत्रों को एक संयुक्त प्रशासित समुद्री पार्क के रूप में नामोदिष्ट करना।
- इस क्षेत्र की पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों क्षेत्रों द्वारा इसे एक समुद्री संवदेनशील क्षेत्र के रूप में नामोदिष्ट किया जा सकता है।

1.6.2 सियाचिन विवाद:

(Siachen Dispute)

- सियाचिन (जिसका अर्थ गुलाबों की भूमि है) को विश्व के उच्चतम युद्धक्षेत्र के रूप में भी पहचान प्राप्त है।
- यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान द्वारा चीनियों को हस्तांतरित भूमि के बीच स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र है।

VISION IAS

- सियाचिन विवाद जुलाई 1949 के कराची युद्धविराम समझौते में व्याप्त अस्पष्टता का एक प्रत्यक्ष परिणाम है।
- 1947-1948 के युद्ध के अंत में जिस समझौते के द्वारा दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध विराम रेखा की स्थापना हुई, उसमें **ग्रिड संदर्भ NJ 9842** (जो कि सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण की ओर अवस्थित है) से चीनी सीमा तक के बीच की सीमा रेखा का निरूपण नहीं किया गया, तथा इसे "चालुन्का (श्योक नदी पर), खोर, और तदंतर **ग्लेशियरों के उत्तर (thence North to the glaciers)** तक ऐसे ही छोड़ दिया गया।

कराची युद्धविराम समझौते की व्याख्या:

"इसके बाद thence North to the glaciers " वाक्यांश की भारत और पाकिस्तान पक्षों ने बिल्कुल भिन्न प्रकार से व्याख्या की है।

- पाकिस्तान इसका अर्थ यह बताता है कि **यह रेखा NJ 9842 से सीधी भारत-चीन सीमा पर स्थित काराकोरम दर्रे की ओर जानी चाहिए।**
- हालांकि, भारत इस बात पर जोर देता है कि यह रेखा चीन के साथ लगने वाली सीमा के साथ सल्टोरो पर्वतश्रृंखला के साथ NJ 9842 से उत्तर की ओर आगे बढ़नी चाहिए।

रणनीतिक अवस्थिति:

- सियाचिन एक ऐसे रणनीतिक स्थान पर अवस्थित है जिसके बायीं ओर पाकिस्तान और दाहिनी ओर चीन है। इसलिए पाकिस्तान ने इसकी पुनर्व्याख्या कर इसे उत्तर-पूर्व की ओर बताया जिससे यह सल्टोरो रिज एवं सियाचिन से आगे के स्थान को अपना बताकर दावा प्रस्तुत कर सके।
- इससे पाकिस्तान को चीन के साथ सीधा संपर्क प्राप्त होने के साथ ही साथ लद्दाख क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण लेह-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रणनीतिक निगरानी रखना संभव होगा, जिससे भारत के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

ऑपरेशन मेघदूत:

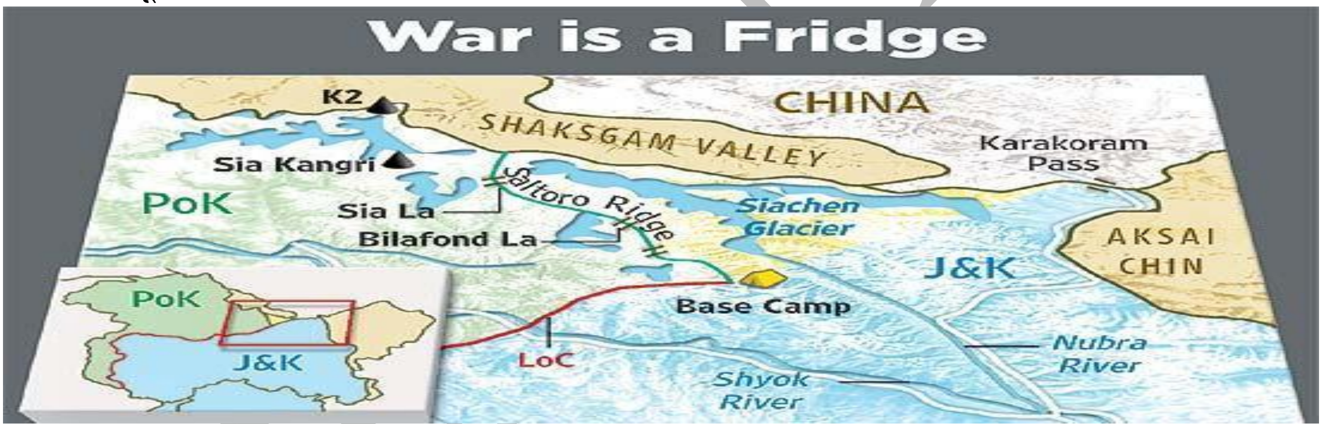

- 1983 में, पाकिस्तानी जनरलों ने सियाचिन ग्लेशियर पर सेना तैनात कर अपना दावा करने का निर्णय किया। पाकिस्तान को रोकने के लिए भारत ने अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत आरंभ किया और ग्लेशियर के उच्च स्थलों पर अपना अधिकार कर लिया।
- वर्तमान में भारतीय सेना का 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर,इसके सभी उप-ग्लेशियरों, और साथ ही साथ ग्लेशियर के ठीक पश्चिम की ओर सल्टोरो रिज के तीन मुख्य दर्रों सिया ला, बिलाफोन्ड ला और ग्योंग ला पर नियंत्रण है, इस प्रकार इसे उच्च भूमि के सामरिक लाभ प्राप्त हैं।

ऐसे दुर्गम क्षेत्र में सैन्य तैनाती की लागत

- सियाचिन ग्लेशियर में हाल ही में हुए हिमस्खलन में भारतीय सेना के 10 सैनिक दफन हो गए।
- हिमस्खलन का खतरा न सिर्फ भारतीय सैनिकों के लिए है, बल्कि पाकिस्तानी सैनिक भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।
- अप्रैल 2012 में गायरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के 6 उत्तरी लाइट इन्फैंट्री के 129 सैनिक और 11 नागरिक एक हिमस्खलन में दफ़न हो गए।
- कठिनाइयों के रूप में वहां सिर्फ हिमस्खलन नहीं हैं, अपितु ग्लेशियर की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां सम्मिलित रूप से लगातार सैनिकों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं।

- विश्वस्त अनुमानों के अनुसार, 1984, जब भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर कुछ महत्त्वपूर्ण सामरिक स्थलों पर कब्ज़ा किया था, से अब तक सियाचिन ग्लेशियर में दोनों पक्षों के 2000 से अधिक सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है।

सियाचिन का विसैन्यीकरण

ग्लेशियर पर दोनों सेनाओं के बहुमूल्य संसाधनों के प्रयुक्त होने के बाद से ही, दोनों देशों द्वारा इस ग्लेशियर को विसैन्यीकृत किये जाने के उपायों पर विचार किया जा रहा है। हालाँकि, अतीत में इस हेतु की गयी वार्ताओं में एक बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गयी :

- **भारत की स्थिति**

✓ नई दिल्ली का कहना है कि सलतोरो रिज की ग्राउंड पोजीशन को सीमांकित तथा मानचित्र में प्रमाणित करने के बाद ही विसैन्यीकरण की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है।

✓ इसके अलावा, नई दिल्ली भारतीय पक्ष द्वारा खाली किये जाने वाले चौकियों और स्थानों पर असहमति नहीं चाहती। पाकिस्तान द्वारा कारगिल घुसपैठ के बाद से यह भावना और सुदृढ़ हो गयी है।

✓ इसलिए भारत द्वारा जोर दिया गया है कि वास्तविक जमीन की स्थिति रेखा (AGPL) का जमीन तथा मानचित्र पर संयुक्त सीमांकन नक्शा पहला कदम होना चाहिए तथा उसके बाद दोनों सेनाओं को परस्पर सहमत स्थानों तक पीछे हट जाना चाहिए।

पाकिस्तान का पक्ष

- भारत ने सियाचिन पर अधिकार किया है अतः उसे बिना किसी शर्त पीछे हट जाना चाहिए और 1984 से पहले की यथास्थिति बरक़रार रखी जानी चाहिए।
- इन वर्षों में, पाकिस्तान ने सुझाव दिया है कि दोनों पक्षों के सैनिकों को 1972 के शिमला समझौते के आधार पर तय स्थिति के अनुसार NJ 9842 के दक्षिण में एक बिंदु तक पीछे हट जाना चाहिए। हालांकि, यह जमीनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए अनिच्छुक ही रहा है।
- पाकिस्तान का प्रस्ताव है कि क्षेत्र के विसैन्यीकरण, बलों की वापसी और प्रमाणीकरण पर एक साथ कार्य किया जाये। इस्लामाबाद यह तर्क भी देता है कि 1984 में सियाचिन पर कब्जा करके भारत ने शिमला समझौते का उल्लंघन किया है। ।

1.6.3. भारत पाकिस्तान नदी विवाद

(India-Pakistan River Dispute)

पाकिस्तान ने किशनगंगा और रतले नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भारत के साथ विवाद के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में पुनः अपील करने का निर्णय लिया है।

पाकिस्तान की नई रणनीति: पाकिस्तान में विशेषज्ञों द्वारा इस ओर संकेत किया गया है कि पूर्व आर्बिट्रेशन से इतर इस बार पाकिस्तान जम्मू एवं कश्मीर में किशनगंगा व रतले नदी परियोजनाओं की "डिजाईन" का मुद्दा उठाएगा।

किशनगंगा पनबिजली संयंत्र विवाद: घटनाक्रम

किशनगंगा पनबिजली संयंत्र वस्तुतः एक बांध है, जो कि झेलम नदी बेसिन में स्थित बिजली संयंत्र तक किशनगंगा नदी के पानी के प्रवाह को मोड़कर पहुँचाने के लिए बनाए जाने वाली रन ऑफ़ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का एक अंग है।

- 2010 में, पाकिस्तान के द्वारा हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन में अपील की गयी थी। उसकी शिकायत यह थी कि भारत किशनगंगा पनबिजली संयंत्र के माध्यम से झेलम नदी का जलग्रहण क्षेत्र बढ़ाकर और पाकिस्तान को उसके पानी के अधिकार से वंचित करके सिंधु नदी संधि का उल्लंघन कर रहा है।
- भारत का कहना है कि रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं को सिंधु नदी संधि द्वारा परिभाषित सीमा के भीतर अनुमति दी जाती है।
- इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन ने 20 दिसंबर 2013 को अपने "अंतिम निर्णय" में भारत को किशनगंगा बांध के निर्माण को जारी रखने की अनुमति दी थी।

VISION IAS

- इस "अंतिम निर्णय" में यह स्पष्ट किया गया था कि परिवेशी अनुप्रवाह को बनाए रखने के लिए किशनगंगा नदी में हर समय **9 m³/s** पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखा जाना चाहिए।
- बांध में अवसादों के प्रबंधन के लिए, भारत ने आधुनिक जलावतलन प्रक्षालन तकनीक (drawdown flushing technique) के प्रयोग की योजना बनाई थी, जिसमें जल को गहरे संग्रहण स्तर (Dead Storage Level) से नीचे लाने की आवश्यकता होती है। इस तकनीक को पाकिस्तान के साथ बगलिहार विवाद से जुड़े तटस्थ विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गयी थी, लेकिन कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।

1960 के सिंधु जल संधि बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण से संबंधित एक संधि है, जो विश्व बैंक (तब अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक) द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से संपन्न की गयी है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा 19 सितंबर, 1960 को करांची में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था।

- इस समझौते के अनुसार, तीन "पूर्वी" नदियों - व्यास, रावी और सतलज पर भारत को और तीन "पश्चिमी" नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर पाकिस्तान को नियंत्रण दिया गया था।
- **स्थायी सिंधु नदी आयोग:** सिंधु नदी संधि के अंतर्गत संधि के प्रावधानों से संबंधित मामलों में आंकड़ों और सहयोग के आदान-प्रदान का प्रावधान है। इसके लिए, यह संधि स्थायी सिंधु नदी आयोग का गठन करती है, जिसमें प्रत्येक देश से एक आयुक्त होगा।

विवाद समाधान तंत्र

इस संधि में किसी भी विवाद एवं इनके समाधान के लिए स्थापित तंत्र के संबंध में **तीन श्रेणियों** की पहचान की गयी है:

- संधि से जुड़े **'प्रश्नों'** पर चर्चा और उनका समाधान वस्तुतः सिंधु नदी आयोग के स्तर पर, या दोनों देशों के सरकारों के स्तर पर किया जाएगा;
- कुछ विशेष प्रकार के **मतभेद** (अर्थात मोटे तौर पर तकनीकी प्रकृति वाले मतभेद) की स्थिति में ऐसे **'मतभेदों'** (अर्थात अनसुलझे **'प्रश्न'**) को एक **तटस्थ विशेषज्ञ (न्यूट्रल एक्सपर्ट-NE)** को संदर्भित किया जाएगा; तथा
- कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन को संदर्भित किए जाने वाले **'विवाद'** (जो **'मतभेदों'** से परे हैं और जिनमें प्रायः संधि के प्रावधानों की व्याख्या का प्रश्न संलग्न है)।

1.6.4. पाकिस्तान के प्रति भारत की नई रणनीति

(India's policy Shift Towards Pakistan)

प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में पाकिस्तान सम्बंधित नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुये बलूच आजादी संघर्ष का ज़िक्र किया और कहा कि संघर्षरत पाकिस्तानी राज्य बलूचिस्तान में तथा गिलगित और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी लोग उनके पास पहुंचे हैं।

अभूतपूर्व कदम

- राजनयिकों ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपने संबोधन में बलूचिस्तान के मामले को उठाने का फैसला 'अभूतपूर्व' था क्योंकि भारत ने शायद ही कभी इस राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन का ज़िक्र किया है तथा भारत ने बलूच राष्ट्रवादी समूह की किसी भी प्रकार से सहायता करने के, पाकिस्तान के आरोप का सदैव खंडन किया है।
- भारत-पाकिस्तान संबंधों के इतिहास में यह पहली बार था कि एक भारतीय प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान मुद्दे पर बात की।
- इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी सरकार की दिसंबर 2005 में बलूचिस्तान में अपने ही लोगों पर बमबारी कराने और उसके बाद 2006 में एक हवाई हमले में बलूच नेता नवाब अकबर शाहबाज खान बुगती की हत्या करवाने की आलोचना की थी।
- इस संदर्भ में मानव अधिकारों के मुद्दों को उठाकर, भारत अपने लोकतांत्रिक मानकों और परंपराओं के अनुसार कार्य कर रहा है और यह पूर्णतया न्यायसंगत है।
- यह तर्क कमजोर आधार पर स्थित है कि यह पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे का "अंतर्राष्ट्रीयकरण" करने का एक अवसर देना होगा क्योंकि पाकिस्तान आजादी के बाद से ही ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमे उसे अब तक अधिक सफलता नहीं मिली है।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

- पाकिस्तान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान के बारे में बात करके 'सीमा रेखा' (**red line**) पार कर दी है।
- पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत, बलूचिस्तान और कराची की विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है और यह भी कहा कि कश्मीर में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन को ढकने के लिए भारत बलूचिस्तान का जिक्र कर रहा है।
- पाकिस्तान ने दिल्ली पर, बलूचिस्तान को अस्थिर करने में, काबुल और तेहरान का सहयोग करने का आरोप भी लगाया है।
- नवीनतम आरोप यह है कि चीन की आर्थिक परियोजनाओं को कमजोर करने के लिए दिल्ली और वाशिंगटन बलूचिस्तान में आतंक को बढ़ावा दे रहे है।

1.6.5. बलूचिस्तान का मुद्दा

(Issue of Balochistan)

बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे अल्पविकसित प्रांत है, जहाँ 13 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती हैं, जिनमें से ज्यादातर बलूची है ।

- संघर्ष की जड़ें देश की आजादी के साथ शुरू हुई। 1947 में जब पाकिस्तान अलग देश बना, कलात का खानैत, जो ब्रिटिश शासन के तहत एक रियासत था और आज के बलूचिस्तान का हिस्सा था, के शासकों ने नए राष्ट्र में शामिल होने से इनकार कर दिया था।
- पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को हडपने के लिए मार्च 1948 में सैनिक टुकड़ियां भेजी। हालांकि, कलात के तत्कालीन शासक यार खान ने विलय-संधि पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन इसके बाद भी उसके भाइयों और अनुयायियों ने लड़ाई जारी रखी।

उग्रवाद और मानव अधिकारों के उल्लंघन

- प्रांत में अनेक अलगाववादी समूह हैं।
- उनमें से सबसे मजबूत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) है, जो पाकिस्तान और ब्रिटेन द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित है।
- इस्लामाबाद ने दावा किया है कि भारत BLA का समर्थन कर रहा है।
- प्रांत में पाकिस्तानी अत्याचारों की अंतरराष्ट्रीय निंदा हुई है।
- यहाँ के लोगों की न्यायेतर (Extra-judicial) हत्यायें और उन्हें अगवा करना, यहाँ की सबसे आम गतिविधियाँ हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास की कमी

- बलूची राष्ट्रवादी इस्लामाबाद पर आरोप लगाते हैं कि खनिज संपन्न प्रांत को जानबूझकर गरीब रखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के शासकों का कहना है कि विकास की गति उग्रवाद के कारण धीमी है।
- जनसांख्यिकी को बदलने के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे है ।
- प्राकृतिक गैस राजस्व में इसके स्पष्ट योगदान को नकारना।
- फलतः यह प्रांत, पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बना हुआ है।

वृहद् परियोजनायें

अब पाकिस्तान की वृहद् आर्थिक और भू राजनीतिक रणनीतियों में इस प्रांत का महत्व बहुत अधिक बढ़ रहा है।

- यह चीन द्वारा प्रस्तावित आर्थिक गलियारे के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। चीन ने 46 अरब डालर के निवेश द्वारा गहरे जल वाले ग्वादर बंदरगाह को झिंजियांग के पश्चिमी चीनी क्षेत्र में एक व्यापारिक केंद्र, काशगर शहर के साथ जोड़कर आर्थिक गलियारे के निर्माण को प्रस्तावित किया है।
- ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को भी बलूचिस्तान से गुज़ारते हुये आगे ले जाने की योजना बनाई है।

1.6.6. गिलगित-बाल्टिस्तान

(Gilgit-Baltistan)

गिलगित-बाल्टिस्तान, जम्मू-कश्मीर के उत्तर पश्चिमी कोने में ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह जम्मू-कश्मीर की पूर्व रियासत का एक हिस्सा था, लेकिन नवंबर 1947 के बाद से इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण स्थापित हो गया।

- क्षेत्र को 'पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र' नाम दिया गया और इसे इस्लामाबाद के सीधे नियंत्रण में रखा गया। ये उत्तरी क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से अलग थे।

VISION IAS

- पाकिस्तानी सरकार द्वारा अगस्त, 2009 में गिलगित-बाल्टिस्तान सशक्तिकरण और स्व-शासन का आदेश अधिनियमित करने के बाद, 'उत्तरी क्षेत्र' को गिलगित-बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाने लगा।

गिलगित-बाल्टिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है?

- इसकी एक निर्वाचित विधानसभा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद के पास सभी शक्तियां होती है और यह इस क्षेत्र के संसाधनों और राजस्व को नियंत्रित करती है।
- गिलगित-बाल्टिस्तान या उत्तरी क्षेत्र का पाकिस्तानी संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है: यह न तो स्वतंत्र है और न ही इसे प्रान्तीय दर्जा प्राप्त है। यह क्षेत्र भी पाक अधिकृत कश्मीर की तरह पाकिस्तान की उसके क्षेत्र के बारे में अस्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है।

इस क्षेत्र पर भारत का दृष्टिकोण क्या है?

- भारत गिलगित-बाल्टिस्तान को भारतीय क्षेत्र के रूप में देखता है जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है।
- 1994 के एकमत संसदीय संकल्प ने पुष्टि की थी कि यह क्षेत्र "जम्मू एवं कश्मीर राज्य का हिस्सा है, जो 1947 में इसके परिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग है।

चीन की भूमिका

1963 में पाकिस्तान-चीन समझौते के तहत चीन को शाक्सगाम घाटी का हस्तांतरण किया गया, इस समझौते के बाद से बीजिंग की इस क्षेत्र में भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है।

- चीन ने झिंजियांग के काशगर को गिलगित से जोड़ने के लिए काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया।
- **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** इस क्षेत्र से होकर गुजरता है।
- भारत ने इस आर्थिक गलियारे का विरोध किया है क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है।

1.6.7. कश्मीर पर बात करने के लिए पाकिस्तान का आमंत्रण

(Pakistan Invitation for Talk on Kashmir)

पाकिस्तान ने कश्मीर पर वार्ता के लिए भारत को आमंत्रित किया और कहा कि इस समस्या को हल करना दोनों देशों का "अंतर्राष्ट्रीय दायित्व" है।

भारत की प्रतिक्रिया

• भारत ने पाकिस्तान की कश्मीर पर वार्ता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

• भारत ने दोहराया कि वह पाकिस्तान से केवल, आतंकवाद के मुद्दों जिनमे जनवरी 2016 में हुये पठानकोट एयरबेस हमले और 2008 में मुंबई में हुये 26/11 के हमलों की जांच सम्मिलित है, के अलावा एक नई मांग कि पाकिस्तान तुरंत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को खाली करने दे, के बाद ही बात करने के लिए तैयार है।

कश्मीर में व्याप्त अशांति के सन्दर्भ में पाकिस्तान के कदम

- पाकिस्तान ने कश्मीर में तनाव को बढ़ाने का प्रयास करते हुए हिज़्बुल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकवादी बुरहान वनी को कश्मीरी नेता कहा तथा उसकी मौत को भारतीय सेना द्वारा की गयी गैरन्यायिक हत्या करार दिया।

- पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने वनी की तारीफ करते हुए उसे शहीद का दर्ज़ा दिया। कश्मीर के लोगों के समर्थन हेतु उन्होंने न सिर्फ 19 जुलाई को 'ब्लैक डे' घोषित किया, बल्कि कश्मीर हेतु और अधिक राजनीतिक समर्थन देने का वादा भी किया।

1.7. भारत- अफगानिस्तान

(India-Afghanistan)

1.7.1 भारत- अफगानिस्तान

पृष्ठभूमि

भारत और अफगानिस्तान के मध्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर एक मजबूत रिश्ता है। अफगानिस्तान और भारत के लोग, प्राचीन समय से ही व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से साझा सांस्कृतिक मूल्यों और समानताओं के आधार पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रह रहे हैं।

- सोवियत अफगान युद्ध (1979-89) के दौरान भारत सोवियत समर्थित अफगानिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता देने वाला एकमात्र दक्षिण एशियाई राष्ट्र था। साथ ही भारत ने इसके बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की सरकार को मानवीय सहायता भी उपलब्ध करायी जोकि सोवियत सेनाओं की वापसी के बाद भी जारी रही।
- 1999 में, भारत तालिबान विरोधी उत्तरी गठबंधन के प्रमुख समर्थकों में से एक बन गया।
- 2005 में, भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) में अफगानिस्तान की सदस्यता का प्रस्ताव रखा। दोनों देशों ने इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ रणनीतिक और सैन्य सहयोग भी विकसित किया।
- 2011 में भारत के साथ अफगानिस्तान के पहले सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत अफगानों के नेतृत्व में और अफगान स्वामित्व वाले अफगान संविधान के ढांचे के भीतर राष्ट्रीय सुलह की प्रक्रिया का समर्थन करता है।
- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, **आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड** से सम्मानित किया गया।

संस्थाओं और बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत का योगदान

भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में विविध विकास परियोजनाओं में अफगानिस्तान में छठा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता है।

- भारत ने अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भारत ने अफ़गानिस्तान को दो अरब डॉलर की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी है। अफ़गानिस्तान में भारत की विकास परियोजनाओं को मुख्यतः चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:-

✓ बड़ी आधारभूत परियोजनाएं,

✓ मानवीय सहायता;

✓ क्षमता निर्माण की पहल; और

✓ लघु विकास परियोजनाएं

कुछ बड़ी परियोजनाएं

- ईरानी सीमा के लिए माल और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए जरांज से डेलाराम तक 218 किमी सड़क का निर्माण।
- पुल-ए-खुमरी से काबुल तक 220kV DC ट्रांसमिशन लाइन और चिम्ताला में एक 220/110/20 केवी सब-स्टेशन का निर्माण,
- हेरात प्रांत में सलमा बांध का निर्माण
- अफगान संसद का निर्माण

सामरिक भागीदारी समझौते

- अमेरिका और पाकिस्तान के प्रयासों के बावजूद अफगानिस्तान के साथ एक सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश भारत था।
- भारत ने वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित रणनीतिक भागीदारी समझौते में "अफगानी सुरक्षा बलों हेतु प्रशिक्षण के साथ-साथ उपकरण उपलब्ध कराने और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों" में सहयोग करने का वादा किया था। .

VISION IAS

- तालिबान का सामना करने के लिए सामरिक नीति के एक भाग के रूप में, भारत ने तीन आक्रमणकारी हेलिकॉप्टर Mi-25 उपहार स्वरूप दिए हैं (जिसमें भविष्य में एक और यूनिट देने का विकल्प भी है)।
- भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस लाने के लिए तापी पाइपलाइन परियोजना पर भी हस्ताक्षर किए हैं।.

व्यापारिक सम्बन्ध

- भारत और अफ़गानिस्तान का द्विपक्षीय व्यापार 2014-15 में 684.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- भारत और अफ़गानिस्तान के व्यापार में मुख्य बाधा पाकिस्तान द्वारा स्थल मार्ग की सुविधा न देना है।
- अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने, 2011 में, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट और व्यापार समझौते (APTTA) पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों की राष्ट्रीय सीमाओं तक दोनों देशों को बराबर पहुँच देता है।
- वर्तमान में पाकिस्तान भारत जाने वाले अफ़गान ट्रकों को वाघा बॉर्डर तक ही आने देता है जबकि महज 1 कि मी दूर ही स्थित अटारी पर भारतीय चौकी तक ट्रकों को आने की अनुमति नहीं दी जाती।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत भी APTTA में शामिल होना चाहता है।
- ऐसे परिदृश्य में, ईरान के चाबहार बंदरगाह के विस्तार में तेजी लाने की जरूरत है, जो भारत को अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।

भारत की चिंता

- काबुल में कमजोर सरकारों के कारण तालिबान पुनः सक्रिय हो गया है और इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादी संगठनों का उदय हुआ है। भारत, अफगानिस्तान के फिर से कट्टरपंथी विचारधारा और हिंसा का केंद्र बन जाने को लेकर भी आशंकित है। क्योंकि ऐसी घटनाएँ पाकिस्तान को भी प्रभावित करेंगी और अनिवार्य रूप से कुछ समय बाद भारत तक पहुँचकर अन्य देशों तक फैल जाएंगी।
- हाल ही में तालिबान के हमले में बढ़ोत्तरी से भारत की संपत्ति और अफगानिस्तान में काम कर रहे कर्मियों की सुरक्षा के बारे में सवाल उठे हैं।
- भारत तालिबान के साथ शांति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।
- SPA में उल्लिखित सिद्धांतों के बावजूद भारत बहुत अधिक सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए उत्सुक नहीं है क्योंकि इससे भारत के सैन्य संघर्ष में उलझ जाने की सम्भावना है।
- भारतीय हथियारो के उग्रवादी संगठनों तक पहुँचने की संभावना व्याप्त रहती है।

भारत - अफगानिस्तान संबंधों का महत्व

भारत के लिए अफगानिस्तान का सामरिक महत्व काफी अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, काबुल में एक मित्रवत एवं स्थिर शासन व्यवस्था वस्तुतः पाकिस्तान के कुत्सित राजनीतिक उद्देश्यों के खिलाफ़ भारत को प्राप्त एक भू-राजनीतिक लाभ है।

- अफगानिस्तान ऊर्जा समृद्ध मध्य एशिया के लिए प्रवेश द्वार है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया और मध्य एशिया तथा दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के केंद्र पर स्थित है।
- देश के लिए बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण की योजनाएँ भारतीय कंपनियों के लिए बहुत से अवसर प्रदान करती हैं।
- अफगानिस्तान में तेल और गैस के महत्वपूर्ण भंडार हैं।
- अफगानिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल्स के समृद्ध स्रोत हैं।
- काबुल में स्थिर सरकार से आतंकवादी गतिविधियों को सुरक्षित पनाह मिलनी समाप्त हो जाएगी जिससे कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आएगी।
- फिर भी नई दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अफगान मामलों में पाकिस्तान की केंद्रीय भूमिका फिर से बढ़ने देने से रोकना है।

1.7.2 अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया

(Peace Process in Afghanistan)

तालिबान की पुनःसक्रियता

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) के अनुसार जनवरी और जून के बीच 1,601 नागरिक मारे गए और 3565 घायल हुए, यह इसी अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में हताहतों की संख्या में चार प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

तालिबान की रणनीति

- तालिबान प्रमुख शहरों में बम विस्फोट करके और आत्मघाती हमलों से लोगों को हताहत करके यह दर्शाना चाहते हैं कि वे सबसे संरक्षित लक्ष्यों को भी अपना निशाना बना सकते हैं।

VISION IAS

- काबुल के प्राधिकार की सीमा का खुलासा करने के लिए कुछ दिनों के लिए एक प्रांतीय राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश करना।

शांति वार्ता

तालिबान और अफगान सरकार के बीच सीधी बातचीत की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सम्मिलित करके एक चतुष्पक्षीय समन्वय समूह (Quadrilateral Coordination Group, QCG) का गठन किया गया है।

- तालिबान ने तब तक अफगान सरकार के साथ बातचीत करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति बनी हुई है।
- तालिबान के साथ शांति वार्ता को गति देने के लिए पाकिस्तान का सहयोग हासिल करने की दिशा में राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रयास विफल साबित हुए हैं।
- यह आशा भी गलत साबित हुई है कि इसके लिए चीन पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा।
- अमेरिका ने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) की बढ़ती असुरक्षा को भांप कर, यह घोषणा की है कि अफगानिस्तान में उसके तैनात मौजूदा सुरक्षाबल इस वर्ष के अंत तक बने रहेंगे।
- QCG की पांचवीं बैठक मई, 2016 में इस्लामाबाद में आयोजित की गयी थी। यह असफल रही।
- QCG के लिए सफल होने और अफगान शांति प्रक्रिया के लिए कोई सार्थक योगदान करने के लिए निम्नलिखित चार खंडों में सफलता प्राप्त करनी होगी:-अमेरिका-पाकिस्तान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान, पाकिस्तान तालिबान और इंट्रा-अफगान।

नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG)

2014 के अत्यधिक विवादास्पद राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका ने दो महत्वपूर्ण प्रत्याशियों को नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए सहमत करके तथा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का सृजन करके चतुराई का प्रदर्शन किया था।

- अफगान संविधान राष्ट्रपति प्रणाली की व्यवस्था करता है; हालांकि माना जा रहा था कि दो साल के भीतर अर्थात् सितंबर 2016 तक, संविधान का संशोधन कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को प्रधानमंत्री के पद में बदल दिया जाएगा, और कार्यपालिका शक्तियों का बँटवारा किया जाएगा।
- इसके लिए नए संसदीय चुनाव की आवश्यकता थी, जिसका आयोजन एक स्वतंत्र चुनाव आयोग द्वारा किये गए चुनाव सुधारों के बाद किया जाना तय हुआ था, परन्तु इनमें से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि चुनाव आयोग का गठन नहीं किया गया; परिणामस्वरूप, संसदीय चुनावों का भी आयोजन नहीं किया जा सकता।
- राष्ट्रपति गनी और मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला के बीच के मतभेदों ने प्रशासन को पंगु बना दिया है।

शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका

- अमेरिका अब इस बात से और भी अधिक सहमत है कि अफगानिस्तान में भारत द्वारा एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया जाना चाहिए। अमेरिका के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन आंशिक रूप से पाकिस्तान की विफलता या वादे पूरा करने की उसकी (पाकिस्तान की) अनिच्छा से उत्पन्न हताशा के कारण हुआ है।
- अमेरिका ने अफगानिस्तान में विकास, पुनर्निर्माण और संस्था-निर्माण की दिशा में भारत के प्रयासों का स्वागत किया है, लेकिन सुरक्षा के संदर्भ में भारत की भूमिका पर अस्पष्टता को बनाए रखा है।
- पाकिस्तान के आग्रह पर अमेरिका ने भारत को अफगानिस्तान शांति वार्ता से बाहर रखा है। अब यह चार राष्ट्रों का प्रयास है जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और अफगानिस्तान सम्मिलित हैं।

1.8. भारत – श्रीलंका

India- Sri Lanka

भारत श्रीलंका का सबसे करीबी पड़ोसी है तथा यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समूह के साथ भारत के नृजातीय सम्बन्ध हैं। भारत का इस द्वीपीय राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना पर बड़ा प्रभाव है। पिछले दो वर्षों में भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा	**भारत के प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा**
• परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग	• चार यात्रा के दौरान चार समझौता ज्ञापनों पर

✓ भारत और श्रीलंका ने एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, ✓ यह श्रीलंका द्वारा किसी विदेशी देश के साथ किया गया इस तरह का पहला समझौता है तथा इससे नयी श्रीलंकाई सरकार का भारत-उन्मुख दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है। • **सांस्कृतिक सहयोग** ✓ 2015-18 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम, विविध क्षेत्रों में सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा। • **नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।** ✓ समझौता ज्ञापन के द्वारा श्रीलंका नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना में भाग लेने के लिए सक्षम हो जाएगा। • **कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन के तहत कार्य योजना 2014-2015** ✓ इस कार्य योजना में दोनों देशों के प्रासंगिक संस्थानों और संगठनों के बीच कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग, कृषि विस्तार, बागवानी, कृषि मशीनरी, कृषि मशीनीकरण में प्रशिक्षण, पशुधन रोगों, आदि की सुविधा होगी।	हस्ताक्षर किये गए हैं : ✓ सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट ✓ सीमा शुल्क सहयोग ✓ शिक्षा और यूथ एक्सचेंज ✓ एक विश्वविद्यालय के सभागार का निर्माण। ✓ श्रीलंका के नागरिकों के लिए आगमन सेवाओं पर ई-वीजा • श्रीलंका रेलवे के उन्नयन के लिए 318 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन, और त्रिंकोमाली को एक "पेट्रोलियम हब 'के रूप में विकसित करने का वचन।

संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक

भारत के विदेश मंत्री ने प्रमुख द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए **संयुक्त आयोग के 9वें सत्र की बैठक** में भाग लेने के लिए श्रीलंका की यात्रा की। द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक प्रणाली के रूप में 1992 में संयुक्त आयोग की स्थापना की गयी थी।

संयुक्त आयोग के महत्वपूर्ण आकर्षण:

आर्थिक सहयोग में विचार-विमर्श, व्यापार, विद्युत और ऊर्जा, तकनीकी और समुद्री सहयोग, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक मामलों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, पर्यटन और लोगों से लोगों के बीच संपर्क से संबंधित सभी पहलुओं का समावेश किया गया।

- श्रीलंका ने **त्रिंकोमाली में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)** की स्थापना करने और विमानन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी का प्रस्ताव रखा।
- दोनों पक्षों ने वैमानिकी अनुसंधान और श्रीलंका द्वारा **भारतीय उपग्रह प्रणाली 'गगन' के उपयोग के संबंध में सहयोग बढ़ाने की योजनाओं पर चर्चा** की।
- श्रीलंका ने त्रिंकोमाली में स्थापित किये जा रहे तेल भण्डारण स्थलों पर सहयोग का प्रस्ताव रखा।
- **पर्यटन: लंका में रामायण सर्किट के विकास और भारत में बौद्ध सर्किट के विस्तार पर सहयोग** को आगे ले जाने के लिए पर्यटन पर संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक वर्ष 2016 के मध्य में आयोजित की जाएगी।
- श्रीलंका ने भारत से **लघु विकास परियोजना** मॉडल के अंतर्गत नई परियोजनाओं पर विचार करने के लिए अनुरोध किया।
- संयुक्त आयोग भारत से श्रीलंकाई शरणार्थियों की स्वैच्छिक वापसी और स्वदेश वापसी की प्रक्रिया के सरलीकरण पर नज़र रखेगा।
- प्रस्तावित आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर श्रीलंका की चिंताओं का समाधान करने के लिए भारत कोलंबो में कार्यशाला की मेजबानी करने के लिए आगे आया है ।
- भारत ने श्रीलंका की मेल-मिलाप और विकास की नीतियों का समर्थन किया है।
- बैठक के बाद दो सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए - एक तमिल बहुल उत्तरी प्रांत में 27 विद्यालयों के पुनरूद्धार पर और दूसरा पूर्व में बट्टीकोला टीचिंग अस्पताल में सर्जिकल वार्ड बनाने और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने पर।
- **शम्पूर परियोजना:** 500 मेगावाट की शम्पूर ताप विद्युत परियोजना, जो श्रीलंका और भारत का एक संयुक्त उपक्रम है, को पर्यावरण संबंधी स्वीकृत प्रदान की गई।

VISION IAS

व्यापार संबंध

भारत, विश्व स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जबकि श्रीलंका सार्क में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2015 में श्रीलंका को भारत का निर्यात 4268 करोड़ डॉलर का था , जबकि भारत को श्रीलंका द्वारा किया गया निर्यात सिर्फ 643 मिलियन डॉलर का रहा।

- 1998 के भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के मध्य 2000 के दशक में सेवाओं में व्यापार और निवेश शुरू करने को उदार बनाने की दिशा में प्रयास किया गया।
- हालांकि, CEPA वार्ता, लगभग एक दशक तक श्रीलंका के भीतर विशेष रूप से व्यापार समुदाय और हितधारकों यथा चिकित्सा लॉबी द्वारा बढ़ रहे विरोध के चलते, खिंचती रही।
- द्विपक्षीय संबंधों में नई गति आने से अब भारत एक नई व्यापार संधि आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता (ETCA) के लिए जोर दे रहा है। अब प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की उदारीकरण समर्थक सरकार सक्रिय रूप से प्रस्तावित व्यापार समझौते की ओर बढ़ रही है।
- हालाँकि श्रीलंका में विपक्षी दलों ने भारत के साथ प्रस्तावित आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते का विरोध कर रहे है। इनका कहना हैं कि आर्थिक और तकनीकी समझौते का कुछ अर्थ तब होगा जब श्रीलंका को आर्थिक या तकनीकी क्षेत्र में भारत से कुछ ऐसा मिल सके जो वह खुद हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान श्रीलंका सरकार वह सब भारतीयों को सुपुर्द करना चाहती है जो यहां के स्थानीय लोग खुद कर सकते हैं।
- इनका मत है की इस तरह के समझौते को अंजाम देने से पहले यह जरूरी है कि भारत के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौता की कमियां दूर की जाएं। श्रीलंका के निर्यातकों को भारत में नौकरशाही की तरफ से पैदा बाधाओं से मुक्त कराया जाना चाहिए एवं विदेशी निवेश सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में होना चाहिए जिसको विकसित करने की क्षमता श्रीलंका में नहीं है।

1.8.2. भारत-श्रीलंका : कुछ विवादित मुद्दे

(Contentious Issues Between India-Sri Lanka)

मछुआरों का मुद्दा:

- मछुआरों का मुद्दा भारत-श्रीलंका संबंधों में एक **बड़ी अड़चन** बना हुआ है।
- भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिकरूप से उपस्थित समुद्र, दोनों किनारों पर तमिल मछुआरों के बीच एक लड़ाई का मैदान बन गया है।
- विशेष रूप से **एक छोटे से टापू (कच्चाथीवू** - जिसे 1974 में कोलंबो को सौंपा गया था) के आसपास श्रीलंका भारतीय मछुआरों पर अपने जल क्षेत्र में भटक कर आने का आरोप लगाता है, जबकि भारत का दावा है कि वे केवल अपने पारंपरिक क्षेत्रों में मछली पकड़ रहे होते हैं।
- भारत का कहना है मछुआरों के मुद्दे का संबंध सामाजिक-आर्थिक, आजीविका और मानवीय पहलुओं से है अतः वह समस्या का दीर्घकालिक समाधान चाहता है।

सत्ता का हस्तांतरण

- भारत एक "संयुक्त श्रीलंका" का समर्थन करता है, तथा साथ ही **"13 वें संशोधन का प्रारंभिक और पूर्ण कार्यान्वयन"** चाहता है जो तमिल बहुमत उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण करता है।

सुलह की प्रक्रिया और युद्ध अपराध

- एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा युद्ध अपराधों पर UNHRC संकल्प है जिस पर दोनों देशों को एक समझ तक पहुँचना है।
- भारत ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों(IDP) के शीघ्र पुनर्वास के लिए वकालत की है।

चीन की ओर झुकाव

- श्रीलंका चीन के समुद्री सिल्क रोड का हिस्सा है। चीन श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह का आधुनिकीकरण कर रहा है।
- चीन समुद्री सिल्क रोड के विस्तार हेतु भी श्रीलंका को केन्द्रीयता देता है।
- हाल ही में, श्रीलंका ने ठप पड़े 1.4 अरब डॉलर की कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना, जिसमें एक भागीदार के रूप में चीन भी था,सम्पूर्ण करने का फैसला किया है। चीन और श्रीलंका ने हिंद महासागर में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय चौकी बनाकर कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना को फिर से परिभाषित करने का फैसला किया है।

विश्लेषण

श्रीलंका पर चीनी प्रभाव को कम करने के लिए भारत को कोलंबो में नई सरकार के साथ मजबूत संबंध विकसित करने की जरूरत है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि चीन का दक्षिण एशिया में बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक चुनौती है, जो इसे अपनी पड़ोसी नीति में सुधार करने हेतु भारत को प्रेरित करेगा।

1.8.3. श्रीलंका में युद्ध अपराध

(Sri Lankan War Crimes)

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में वर्ष 2002 से 2011 के बीच चले गृहयुद्ध के समय बहुत अमानवीय युद्ध अपराधों को अंजाम दिया गया। इन अपराधों को सरकार तथा लिट्टे दोनों पक्षों द्वारा अंजाम दिया गया।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र (UN) रिपोर्ट ने सेना तथा लिट्टे दोनों को इन अमानवीय युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
- **गैरकानूनी हत्याएं :**श्रीलंकाई सेना ने जहां तमिल राजनेताओ, सहायता कर्मियों, पत्रकारों को निशाना बनाया वहीं लिट्टे ने मुसलमानों व सिंहलियों के विरूद्ध अभियान चलाया।
- **स्वतंत्रता का हनन :**सेना ने लोगों को मनमाने तरीके से बंदी बनाया, लोगों को गैरकानूनी तरीके से गायब कर दिया तथा लोगों की गैरकानूनी रूप से हत्याएं भी करवाई।
- **लैंगिक अपराध:** इस गृह युद्ध की विभीषिका को सबसे ज्यादा महिलाओं को झेलना पड़ा है। महिलाओं के साथ बलात्कार तथा अन्य यौन अपराधों को उत्पीड़न का औजार बनाया गया।
- इसके निष्कर्ष के अनुसार इस दौरान घटी घटनाओं को युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।
- रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि लिट्टे के लड़ाकुओं ने सामान्य नागरिकों को भी निशाना बनाया। लिट्टे ने अपनी सेना में बच्चों व युवाओं को जबरदस्ती भर्ती किया।

रिपोर्ट में दिए गए सुझाव

रिपोर्ट में सभी पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त **'हाइब्रिड स्पेशल कोर्ट'** के गठन का सुझाव दिया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायधीशों, अभियोक्ताओं, वकीलों तथा जांच अधिकारियों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है।

श्रीलंका सरकार की प्रतिक्रिया

श्रीलंकाई सरकार ने युद्ध अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से घरेलू न्यायिक तंत्र का गठन करने का निर्णय लिया है।

युद्ध अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का संकल्प

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने ईलम युद्ध दौरान हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर एक संकल्प पेश किया है।
  - यह प्रस्ताव एक श्रीलंकाई न्यायिक तंत्र के गठन की अनुशंसा करता है, जिसका कार्य वहां पर हुए मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करना होगा।
  - प्रस्तावित न्यायिक तंत्र में राष्ट्रमंडल देशों तथा अन्य विदेशी न्यायधीशों, वकीलों, अभियोक्ताओं तथा जांच अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।
- श्रीलंका ने भी इस संकल्प का समर्थन किया है।
- 'राष्ट्रीय तमिल गठबंधन' ने राष्ट्रमंडल तथा अन्य विदेशी विधिवेत्ताओं को शामिल किए जाने पर संतोष जताते हुए इस प्रस्ताव को न्याय की राह में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।

1.8.4. श्रीलंका ने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की

(Sri Lanka Begins Process to Draft New Constitution)

- श्रीलंका की सरकार ने देश के लिए एक नया संविधान तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसका लक्ष्य पिछले लगभग तीन दशकों से चले आ रहे गृह युद्ध के कारणों को समाप्त करना है|
- नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संसद को संवैधानिक सभा में परिवर्तित करने हेतु एक प्रस्ताव संसद में पेश किया गया।

संसद में पेश किए गए संविधान के प्रारूप की विशेषताएं:

- सरकार का लक्ष्य लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करना, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना और ऐसी राजनीतिक संस्कृति का विकास करना है जो कानून के शासन का सम्मान करती हो।
- जैसे ही एक बार संसद में दो तिहाई बहुमत के साथ संविधान प्रारूप विधेयक को अंगीकार किया जाता है, यह विधेयक प्रांतीय परिषदों को उनकी राय जानने के लिए भेजा जाएगा और अंत में, लोगों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक जनमत संग्रह कराया जाएगा।
- कैबिनेट के प्रवक्ता ने दावा किया है कि श्रीलंका में पहली बार संविधान को लोगों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।
- अक्टूबर-दिसंबर 2015 के दौरान सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार श्रीलंका की 53.4 प्रतिशत जनता इस बात पर सहमत है कि देश की नृजातीय समस्या के राजनीतिक समाधान निकालने के लिए संविधान में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

2015 के बाद नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आने के बाद से श्रीलंका में नृजातीय समस्या के समाधान की दिशा में सकारात्मक बदलाव के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ है। यह सभी हितधारकों जिनमें तमिल, मुसलमान और बागानों में काम करने वाले तमिल सम्मिलित हैं, के लिए इस प्रक्रिया में भाग लेने का ऐतिहासिक अवसर है।

चीन (China)

1.9.1. चीन- पाकिस्तान

(China-Pakistan)

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी पहली राजकीय विदेश यात्रा के लिए ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान को चुना। उन्होंने वहां 45 बिलियन डॉलर के अवसंरचना एवं ऊर्जा समझौतों पर हस्ताक्षर किया, जिनका प्रयोग बीजिंग की महत्त्वाकांक्षी मेरीटाइम सिल्क रोड परियोजना के पाकिस्तानी हिस्से को सुदृढ़ करने में किया जाएगा।

चीन - पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना (CPEC)

- **चीनी राष्ट्रपति ने अपने देश के सबसे बड़े विदेशी निवेश- महत्त्वाकांक्षी 3000 किमी लंबे- चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना की घोषणा की।**
- इस परियोजना में सड़कों, रेलवे और पाइपलाइनों का निर्माण शामिल है। यह आर्थिक गलियारा चीन के **सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट** और **21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड** के तहत बनने वाले 6 आर्थिक गलियारों में से एक है।
- **इस गलियारे के पूर्णतः विकसित तथा ग्वादर बंदरगाह के आधुनिकीकरण के उपरांत चीन की अपनी वृहद् ऊर्जा ज़रूरतों के लिए मलक्का जलडमरूमध्य मार्ग पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी।**
- इस परियोजना से चीन के लिए मध्य-पूर्व एशिया से ऊर्जा आयात करना आसान हो जायेगा क्योंकि इससे आयात मार्ग 12,000 किलोमीटर छोटा हो जायेगा।

भारत की चिंता

- यह गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर यानी विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है इसलिए भारत ने चीन को अपनी आपत्तियों से अवगत करा दिया है।
- भारत इस गलियारे को चीन की भारत को अपनी पश्चिमी सीमा से दूर रखने की रणनीति के तहत देखता है।
- संघर्ष के दौरान चीन इस गलियारे का उपयोग सैन्य बलों के संचलन हेतु कर सकता है।

1.9.2. वन बेल्ट वन रोड(OBOR)

One Belt, One Road (OBOR)

वन बेल्ट वन रोड' एक चीनी संकल्पना है, जोकि भूमि आधारित “सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट” और सागर आधारित

“समुद्री सिल्क रोड” के माध्यम से राष्ट्रों के सुनियोजित आर्थिक विकास के लिए प्रस्तुत की गयी है। इसके द्वारा चीन विश्व के शक्ति संतुलन का पुनर्निर्माण कर विश्व महाशक्ति बनना चाहता है।

VISION IAS

OBOR के बारे में

"बेल्ट और रोड" के दो घटक हैं- सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट, जो कि प्रशांत तट से बाल्टिक सागर तक यूरेशियाई भूमि गलियारे में बनाया जाएगा और 21 वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड।

- "बेल्ट और रोड" एशिया, यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों से होकर गुजरेगा। यह जहाँ एक ओर गतिशील पूर्वी एशियाई आर्थिक सर्किल से सम्बद्धता प्रदान करेगा ,वहीं दूसरी ओर विकसित यूरोपीय आर्थिक सर्किल को जोड़ेगा।
- "सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट" चीन, मध्य एशिया, रूस और यूरोप (बाल्टिक क्षेत्र) को एक सूत्र में पिरो देने पर केंद्रित है। यह चीन को मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के माध्यम से, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर के साथ जोड़ेगा और चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर से जोड़ेगा।
- 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड चीन के तट को एक ओर दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर होते हुए यूरोप से जोड़ेगा, वहीं दूसरी ओर दक्षिण चीन सागर होते हुए, दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ेगा।
- भूमि पर, इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से, एक नया यूरेशियाई स्थल मार्ग विकसित करना है और साथ ही साथ चीन-रूस-मंगोलिया; चीन-मध्य एशिया-पश्चिम एशिया और चीन-इंडोचाइना प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा को विकसित करना है।
- इस संकल्पना को कार्यान्वित करने के लिए चीन संयुक्त सलाह एवं निर्माण पर बल दे रहा है। उसके अनुसार यह पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा मॉडल है।

OBOR से चीन की उम्मीदें

- सुरक्षा खतरों से निपटना।
- दीर्घकालीन आर्थिक लाभ प्राप्त करना।
- व्यापार के प्रमुख मार्गों में अमेरिका के प्रभुत्त्व को कम करना।

विश्लेषण

- विश्लेषकों के अनुसार ठोस वित्तीय संस्थागत नेटवर्क द्वारा समर्थित 'वन बेल्ट वन रोड' पहल जब कार्यान्वित हो जाएगी तब भू-आर्थिक शक्ति संतुलन अमेरिका के पाले से यूरेशिया की ओर खिसक जाएगा।
- चीन की इस योजना से तकरीबन 4.4 अरब लोगों या 63 फीसदी वैश्विक जनसंख्या को लाभ होने की संभावना है।
- विश्लेषकों का कहना है कि "बेल्ट और रोड" पहल अमेरिका और उसके सहयोगी दलों के 'एशिया धुरी अथवा पिवोट एशिया' कूटनीति को कमजोर कर सकता है।
- चीनी राष्ट्रपति , शी जिनपिंग को उम्मीद है कि सिल्क रोड अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार अगले 10 वर्षों में 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छू सकता है।

OBOR से जुडी भारत की चिंताएं

भारत OBOR का भाग नहीं है। नई दिल्ली में विदेश सचिव ने OBOR का विरोध करते हुए स्पष्ट किया कि भारत एशिया में किसी ऐसे बहुपक्षीय संपर्कता कार्यक्रम का हिस्सा तभी बनेगा जब उसका निर्माण परामर्शी प्रक्रिया के द्वारा हुआ हो।

- भारत के अनुसार OBOR दरअसल 'नेशनल चाइनीज़ इनिशिएटिव' है।
- रक्षा प्रतिष्ठानों को आशंका है कि भविष्य में ये कॉरिडोर सैन्य सञ्चालन के लिए प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
- भारत में हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन के नेतृत्व में विकास के लिए विशालकाय परियोजना (हेजेमोनीक प्रोजेक्ट) का हिस्सा बनने के प्रति आशंकाएं हैं।
- भारत की सबसे बड़ी चिंता चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर है जो इस परियोजना का एक भाग है।
- नई दिल्ली के लिए OBOR एक संभावित आर्थिक अवसर जरूर है परंतु यह भारत के हितों के लिए खतरा भी बन सकता है।

OBOR का सामना करने हेतु भारत की रणनीति

- भारत ने हाल ही में हिन्द महासागर रिम के देशों के समक्ष आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए कपास मार्ग(Cotton Route) का प्रस्ताव रखा है जिसे सिल्क रुट के उत्तर के रूप में देखा जा रहा है।

VISION IAS

- भारत द्वारा चीन के OBOR कार्यक्रम के संभावित जवाब के रूप में मौसम परियोजना और मसाला मार्ग (स्पाइस रुट) की संकल्पना दी गयी हैं।
  - मौसम परियोजना भारत के प्राचीन समुद्री मार्गों और पारंपरिक व्यापार सहयोगियों के पुनर्जीवन का प्रयास है।
  - भारत का मसाला मार्ग (the spice route of india) एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ऐतिहासिक समुद्री मार्गों तथा उनके भारत-केंद्रित लिंक-अप को अभिकल्पित करता है।
  - भारत में बहुत से लोग प्रोजेक्ट मौसम और स्पाइस रुट को मेरीटाइम सिल्क रुट के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं।

1.9.3. दक्षिण चीन सागर विवाद

(South China Sea (SCS) Dispute)

नीदरलैंड के द हेग स्थित स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) ने फैसला दिया है कि दक्षिण चीन सागर पर ऐतिहासिक अधिकार के चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। फिलीपींस द्वारा मामले को 2013 में न्यायालय में लाया गया था, जो **स्कारबोरो शोल** (Scarborough Shoal) पर केंद्रित है। हालाँकि बीजिंग के द्वारा कार्यवाही के बहिष्कारका फैसला किया गया

मध्यस्थता पैनल ने क्या निर्णय दिया?

- हेग स्थित न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सागर में तथाकथित "नाइन डैश लाइन" का चीन का दावा व्यापक आर्थिक हितों के साथ सागरीय विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) का उल्लंघन है।
- अत्यधिक मत्स्यन और कृत्रिम द्वीपों के विकास के कारण न्यायालय ने स्प्रैटली आइलैंड्स जोकि एक विवादास्पद द्वीप समूह है, में पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुँचाने के लिए चीन की आलोचना की।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि चीन ने फिलीपींस के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन किया। यह भी कहा कि चीन के द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण "प्रवाल भित्ती पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान" का कारण है।

'नाइन-डैश' लाइन क्या है?

'नाइन-डैश' लाइन दक्षिणी हैनान द्वीप के दक्षिण और पूर्व में सैकड़ों किलीमीटर में फैला क्षेत्र है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पार्सेल और स्प्रैटली द्वीप श्रृंखला को कवर करता है। चीन ने अपने दावे की पुष्टि हेतु 2000 वर्षों के इतिहास का हवाला दिया जिसमें इन दो द्वीप श्रृंखलाओं को इसके अभिन्न हिस्से के रूप में माना गया था।

PCA के निर्णय पर चीन की प्रतिक्रिया

- **चीन द्वारा** दक्षिण चीन सागर पर एक अंतरराष्ट्रीय निर्णय को “अकृत और शून्य” कहकर ख़ारिज कर दिया गया और किसी भी "बाध्यकारी तत्व" से रहित बताया गया।

- चीन दक्षिण चीन सागर में एक सैन्य वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (Air Defence Identification Zone-ADIZ) स्थापित करने पर विचार कर रहा है। ADIZ बनाये जाने से इसके ऊपर से उड़ने वाले विमानों को पहले चीन को सूचित करना होगा।
- कई चीनी विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि यह पूरा प्रकरण चीन को घेरने के उद्देश्य से अमेरिका के "पाइवोट टू एशिया" अथवा पुनर्संतुलन (रीबैलेन्सिंग) रणनीति को लागू करने के लिए निर्मित किया गया एक छद्म आवरण है ।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने इसे मान्यता प्रदान करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि न्यायाधिकरण को UNCLOS के क्षेत्राधिकार के भीतर गठित किया गया था है इसलिए इसके फैसले का पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए ।

दक्षिण चीन सागर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

- दक्षिणी चीन सागर एक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख समुद्री मार्ग और व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण मार्ग है। लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर का विश्व व्यापार जहाजों के द्वारा प्रतिवर्ष दक्षिण चीन सागर से होता है।
- दक्षिणी चीन सागर कई अपतटीय तेल और गैस ब्लॉक के साथ संसाधनों से भी समृद्ध है।

1.9.4. चीन में सैन्य सुधार

(Military Reforms in China)

चीन ने अपनी सेना को अधिक फुर्तीला और युद्ध हेतु तैयार करने तथा अपने शत्रुओं के साथ होने वाले युद्ध को अपनी सीमाओं तथा समुद्रतटों से दूर ले जाने में सक्षम बनाने हेतु कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.) के 23 लाख की संख्या वाले विशाल सैन्य बल में से 300,000 कार्मिकों की कटौती की घोषणा की है।

- राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अनुसार, यह पुनर्संरचना 2020 तक एक 'विशिष्ट युद्धक बल(Elite Combat Force)' निर्मित करने हेतु सभी सशस्त्र बलों के संयुक्त रूप से संचालित सैन्य कमान में सम्मिलित होने की साक्षी बनेगी।
- चीन अपनी तेजी से आधुनिकीकृत होती सेना (पी.एल.ए.) को रूपांतरित करना चाहता है। इसकी वर्तमान कार्यप्रणाली सोवियत संघीय शैली की है। चीन इसे एकीकृत अमेरिकी सुरक्षा बलों के समान अपनी शक्ति को सभी जगह प्रयुक्त करने में सक्षम बनाना चाहता है।
- इसमें चीन की बीजिंग, नानजिंग, चेंग्दू, जिनान, शेनयान और गुआंगझउ की वर्तमान सात सैन्य क्षेत्र कमानों को चार सामरिक जोनों में पुन: व्यवस्थित करना भी सम्मिलित होगा।
- इन सुधारों में सेन्ट्रल मिलिट्री कमीशन (CMC) कमान संरचना को रूपांतरित करना भी सम्मिलित है।
- चीन ने आधिकारिक रूप से यह भी स्वीकार किया है कि अदन की खाड़ी में संचालित अपने समुद्री डकैती रोकथाम (एंटी-पायरेसी) गश्ती दल के लिए समुद्र-पार सैन्य संचालन सुविधा (overseas logistics facility) हेतु जिबूती के साथ इसकी वार्ता जारी है। इसके संबंध में अनेक देशों को भय है कि आने वाले वर्षों में ये हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन के प्रथम सैन्य बेस के रूप में परिवर्तित हो सकता है।

सुधारों की आवश्यकता के कारण:

- चीन, अन्य एशियाई देशों के साथ अनेक क्षेत्रीय विवादों में संलग्न है। इसका अर्थ है कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से यह संभव है कि चीन की सेना को किसी दिन एक साथ दो दुश्मनों का सामना करना पड़ जाये। संभावित रूप से ऐसा पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में हो सकता है। लेकिन चीन की नौसेना अभी एक साथ दो युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है।
- भ्रष्टाचार अभी भी एक समस्या बना हुआ है। इन सुधारों की घोषणा से पहले PLA का अनुशासन आयोग अपेक्षाकृत कमजोर था। अब आयोग प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है,अतः सैद्धांतिक रूप से इस कदम से देश भर में पार्टी की भ्रष्टाचार से संघर्ष करने की क्षमता में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होगी।

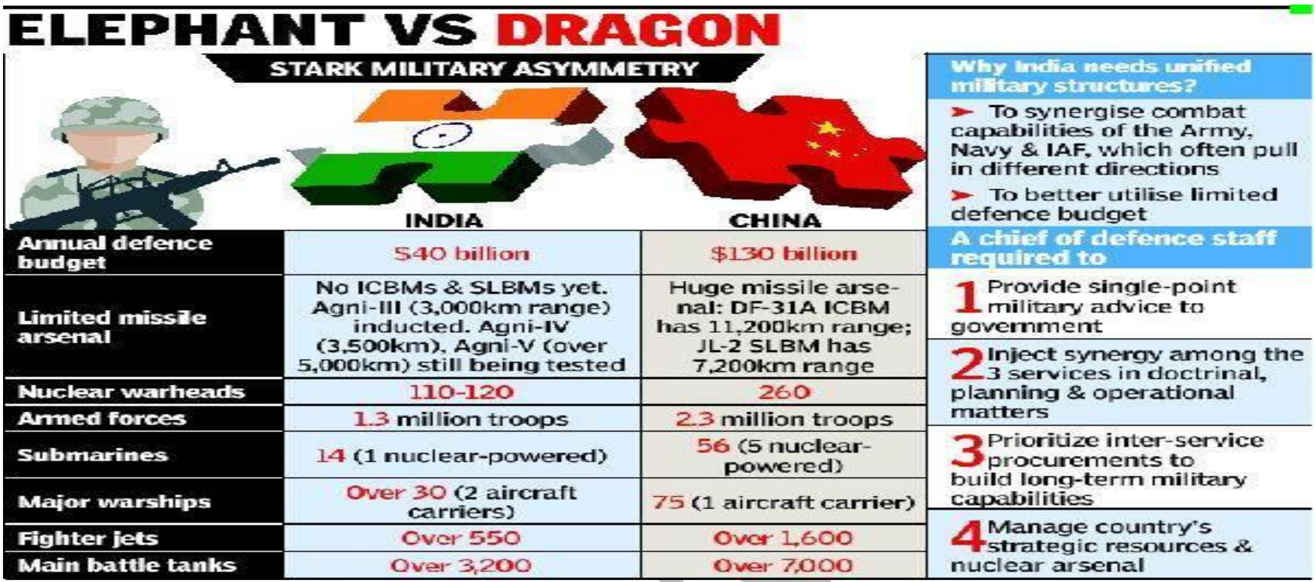

	INDIA	CHINA
Annual defence budget	$40 billion	$130 billion
Limited missile arsenal	No ICBMs & SLBMs yet. Agni-III (3,000km range) inducted. Agni-IV (3,500km), Agni-V (over 5,000km) still being tested	Huge missile arsenal: DF-31A ICBM has 11,200km range; JL-2 SLBM has 7,200km range
Nuclear warheads	110-120	260
Armed forces	1.3 million troops	2.3 million troops
Submarines	14 (1 nuclear-powered)	56 (5 nuclear-powered)
Major warships	Over 30 (2 aircraft carriers)	75 (1 aircraft carrier)
Fighter jets	Over 550	Over 1,600
Main battle tanks	Over 3,200	Over 7,000

Why India needs unified military structures?
- To synergise combat capabilities of the Army, Navy & IAF, which often pull in different directions
- To better utilise limited defence budget

A chief of defence staff required to
1. Provide single-point military advice to government
2. Inject synergy among the 3 services in doctrinal, planning & operational matters
3. Prioritize inter-service procurements to build long-term military capabilities
4. Manage country's strategic resources & nuclear arsenal

भारत के लिए निहितार्थ:

- भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों में स्थित चीनी सैन्य कमानों के एकीकरण के साथ अब चीनी बल वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ओर बेहतर निरीक्षण और नियंत्रण करने में सक्षम होंगे। इससे यह इंगित होता है कि चीन भारत के प्रति निरंतर दवाब बनाकर, भारत के प्रति आक्रामक रूख अपनाये रखेगा।
- भारत को चीन में जारी सैन्य सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सुधारों से निश्चित रूप से पी.एल.ए. की क्षमताओं में बढ़ोत्तरी होगी तथा विशेष रूप से नौसेना की क्षमताएँ बढ़ेंगी, जिसे अब 'खुले समुद्रों का संरक्षण'(OPEN SEA PROTECTION) करने की विस्तृत भूमिका प्रदान की गयी है।
- इससे विवादास्पद दक्षिणी चीन सागर में तनावों में निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी होगी। इसके *एक्ट ईस्ट पॉलिसी* के प्रति नकारात्मक निहितार्थ हो सकते हैं।
- जिबूती में उपस्थिति प्राप्त करने का चीन का यह कदम हिन्द महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका के लिए खतरा उत्पन्न करता है। अन्डमान और निकोबार कमान (ANC) से IOR में चीन के नौसैनिक आक्रमणों को प्रति-संतुलित करने की अपेक्षा थी, परन्तु तीनों सेनाओं के बीच अधिकार क्षेत्र हेतु प्रतिस्पर्धा के कारण यह काफी सीमा तक मजबूत रणक्षेत्र नियंत्रण के अपने प्रारंभिक वादे को पूरा करने में असफल रहा है।
- भारत वस्तुत: अब तक थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के बीच अति-वांछित सहयोग/अंतर्संबंध पैदा करने एवं अपने टीथ-टु टेल युद्ध अनुपात (स्वयं की हानि कम करने संबंधी अनुपात को कम करने) तथा समग्र रूप से मूल्य प्रभावी तरीकों से सैन्य क्षमताओं का व्यवस्थित रूप से निर्माण करने हेतु अल्प संसाधनों के बेहतर उपयोग में सक्षम नहीं हो पाया है।

चीन-ईरान संबंध

(China-Iran Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले वैश्विक नेता हैं जिन्होंने ईरान पर प्रतिबंधों की समाप्ति के पश्चात ईरान का दौरा किया।

VISION

प्रमुख विशेषताएँ

- चीनी राष्ट्रपति ने तेहरान में चीन ईरान संबंधों में एक नए दौर के प्रारंभ होने की बात कही। उन्होंने अगले दशक में द्विपक्षीय व्यापार को 600 बिलियन डॉलर करने के लिए ईरान के साथ एक 25 वर्षीय रणनीतिक समझौते के प्रति प्रतिबद्धता जताई।
- चीनी राष्ट्रपति ने अपने वाणिज्यिक केंद्र यीवू (yiwu) से तेहरान के लिए एक ट्रेन रवाना कर पश्चिम एशिया को किस प्रकार चीन द्वारा प्रस्तावित सिल्क रोड परियोजना से सम्बद्ध किया जा सकेगा, इसका प्रदर्शन किया।
- इस माल गाड़ी द्वारा 14 दिनों में कुल 10399 किलो मीटर दूरी तय की जाएगी। यह मालगाड़ी चीन के झिनजियांग प्रान्त के अलाताव (alataw) दर्रे से गुजरती हुई कजाखस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान की राजधानी तेहरान पहुँचेगी।
- दोनों देश गुप्तचर सूचनाओं के आदान-प्रदान, आतंकवाद निरोधक प्रयासों, सैन्य आदान-प्रदान तथा समन्वय के माध्यम से द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग में वृद्धि के लिए सहमत हुए हैं।
- चीन शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की पूर्ण सदस्यता का समर्थन करेगा।

चीन के लिए ईरान का महत्व

1. चीन के प्रभुत्व विस्तार की दृष्टि से ईरान का अत्यधिक महत्व है। पश्चिम एशिया और मध्य एशिया को जोड़ने वाली इसकी भौगोलिक अवस्थिति चीन के वन -बेल्ट, वन रोड पहल के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2. ऊर्जा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ईरान में चीनी कंपनियों के लिए व्यापक अवसर मौजूद हैं।
3. किसी भी ऐसी शक्ति के लिए जो पश्चिम एशिया में महत्वाकांक्षी भूमिका अदा करना चाहती है, ईरान का व्यापक महत्व है।
4. चीन के हितों के दृष्टिकोण से पश्चिम एशिया में ईरान ऐसा अकेला देश है, जो राजनीतिक उथल-पुथल से रहित है। ईरान में अमरीकी प्रभाव भी नगण्य है।

प्रतिबंधों के दौरान ईरान के परिप्रेक्ष्य में चीन की स्थिति

- ईरान के अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के दौर में चीन के द्वारा ईरान के संदर्भ में दोहरी नीति अख्तियार की गयी। जहां एक ओर इसने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के संदर्भ में सयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का समर्थन किया वहीं दूसरी ओर इसके द्वारा ईरान के साथ रक्षा और आर्थिक संबंधों को भी सशक्त किया गया।
- इस दौरान चीन ने यूरोपीय संघ को ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझीदार के स्थान से प्रतिस्थापित कर दिया। चीन - ईरान द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2001 के 3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2014 में 50 बिलियन डॉलर हो गया। वर्ष 2010 में चीनी विमानों में ईरान में ईंधन भरा गया। यह घटना क्रम इस लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की भूमि पर कदम रखने वाली यह पहली विदेशी सेना की इकाई थी। एक चीनी युद्धपोत ने वर्ष 2014 में ईरान के बन्दर अब्बास बंदरगाह की प्रथम यात्रा की।
- जबकि ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबन्ध लगे हुए थे चीन ने ईरान के साथ अपने संबंध सशक्त किये। अतः यह किसी भी अन्य देश की अपेक्षा ईरान के साथ संबंधों को सशक्त करने की दृष्टि से लाभ की स्थिति में है।

(नवम्बर 2016 में प्रकाशित होने वाले अपडेटेड स्टडी मटेरियल में चीन को समग्र रूप से कवर किया जाएगा)

1.10. सार्क (SAARC)

1.10.1. सार्क का 37वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

(37th Session of The SAARC Council of Ministers)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क अथवा दक्षेस) के मंत्रियों का 37वाँ सत्र नेपाल के पोखरा में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य 2014 के सार्क सम्मेलन के 36 सूत्रीय काठमांडू उद्घोषणा पर की गई कार्यवाईयों की समीक्षा के साथ-साथ इस्लामाबाद में होने वाले अगले सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी करना था।

सत्र के मुख्य बिन्दु:

- मंत्रिपरिषद ने सार्क की स्थाई समिति के इस सुझाव का समर्थन किया कि सार्क सम्मेलन प्रत्येक एकान्तर वर्ष के नवम्बर माह में आयोजित होना चाहिए।
- सार्क के मंत्रियों ने नई दिल्ली में दक्षेस आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

VISION IAS

- इस बैठक ने भारत-पाकिस्तान और नेपाल के अधिकारियों को महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर उच्चस्तरीय बातचीत के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान किया।

1.10.2. सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों का सातवाँ सम्मेलन

(7th SAARC Interior and Home Ministers' Conference)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री ने सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2015 में लाहौर में वार्ता प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए की गयी यात्रा के बाद, पहली बार भारत से एक उच्च स्तरीय यात्रा इस्लामाबाद के लिए रवाना की गयी। वार्ता प्रक्रिया को 2 जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हुये हमले के बाद से रोक दिया गया था।

यात्रा के मुख्य बिंदु

- गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों की किसी भी परिस्थिति में "शहीदों के रूप में " प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ "यथासंभव कठोर" कदम उठाये जाना चाहिए।
- उन्होंने इस बात को दोहराया की भारत का दृष्टिकोण दृढ है कि आतंकवाद की अच्छी और बुरी दो श्रेणियाँ नहीं हो सकती।
- गृह मंत्री ने **आतंकवाद के दमन पर सार्क क्षेत्रीय अभिसमय** (**SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism**) और इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए कहा।

इस अभिसमय में प्रभावी उपाय सुनिश्चित करना शामिल है ताकि जो लोग आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं वे अभियोजन और सजा से नहीं बच पाएँ और उनका प्रत्यर्पण करा कर उन पर मुकदमा चलाया जा सके।
गृह मंत्री ने **आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता पर सार्क अभिसमय का तत्काल अनुसमर्थन** करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मोटर वाहन समझौता(MVA)

चार दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश द्वारा यात्री, कार्मिक और कार्गो यातायात के विनियमन हेतु ऐतिहासिक मोटर वाहन करार समझौते (एमवीए) पर हस्ताक्षर किया गया।

- 4 सार्क देशों (BBIN) के उप-समूह के बीच समझौते से उनकी सीमाओं के पार लोगों और माल की आवाजाही के लिए मार्ग प्रशस्त होगा जिससे क्षेत्र के एकीकरण और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।
- BBIN फ्रेमवर्क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय सहयोग के अनुकूल मॉडल के रूप में देखा जाता है जो परिवहन तथा ऊर्जा को शामिल करता है।
- यह भविष्य में सड़कों, रेलवे और जलमार्ग अवसंरचना, ऊर्जा ग्रिड, संचार और हवाई संपर्क के निर्माण और उन्नयन के माध्यम से सीमा पार माल, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और लोगों के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने वाले पूरक के रूप में सहायता करेगा।
- इसी तरह के एक फ्रेमवर्क को भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच अंतिम रूप दे दिया गया है। इस पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद भारत के लिए यात्री और कार्गो के निरंतर संचालन के माध्यम से बड़े आसियान बाजार तक पहुँच सुनिश्चित हो जाएगी।

1.10.3.सार्क के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

(SAARC Finance Ministers' Conference)

- सार्क के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। भारतीय वित्त मंत्री ने इस समारोह में भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और एक दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ (SAEU) स्थापित करने की प्रतिबद्धता दोहराई गयी।
- वर्ष 2020 तक एक SAEU स्थापित करने का प्रस्ताव 1998 में लाया गया था।
- विश्व बैंक के अनुसार, 2016 में आर्थिक विकास दर 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 7.3 प्रतिशत होने की सम्भावना के साथ दक्षिण एशिया दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है।

VISION IAS

- गहन आर्थिक एकीकरण, एकीकृत दक्षिण एशियाई बाजार जिसमें माल, सेवाओं और पूंजी का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित हो, के निर्माण द्वारा इस विकास दर को बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा।

व्यापार उदारीकरण ·

- दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानकर उसकी प्रशंसा की गयी थी परंतु साफ्टा ने अंतः-सार्क व्यापार को बढ़ाने में बहुत ही मामूली योगदान दिया।
- इस समझौते के लागू होने के समय सभी दक्षिण एशियाई देशों ने बहुत से उत्पादों को 'संवेदनशील सूची' में शामिल कर उन्हें टैरिफ उदारीकरण से बाहर कर लिया।
- 2012 में, साफ्टा के दूसरे चरण के तहत टैरिफ उदारीकरण हेतु देशों ने अपनी संवेदनशील सूची को संशोधित करने की सहमति प्रदान की। हालाँकि यह छँटनी ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं साबित हुई। उदाहरण के लिए भारत दक्षिण एशिया के न्यूनतम विकसित देशों (नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान) के लिए अपनी संवेदनशील सूची में उत्पादों की संख्या को 95 प्रतिशत तक नीचे लाया, जबकि अन्य देशों के लिए संवेदनशील सूची में ये कटौती महज 30 प्रतिशत ही रही।
- इसके अतिरिक्त, अंतः-सार्क व्यापार जटिल गैर टैरिफ बाधाओं, निम्न अवसंरचना, राष्ट्रीय सीमाओं पर कमजोर कनेक्टिविटी और नौकरशाही तथा लालफीताशाही जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। इससे दक्षिण एशिया में व्यापार करने की संचयी लागत बढ़ जाती है।
- हालाँकि भूटान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित किए मोटर वाहन करार से कनेक्टिविटी में सुधारहोगा लेकिन यह केवल दक्षिण एशिया के पूर्वी हिस्से में ही कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा।

निवेश उदारीकरण

- दक्षिण एशिया विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरने में नाकाम रही है।

	SAARC	ASEAN
विदेशी निवेश	2015 में 50 बिलियन डॉलर	2015 में 448 बिलियन डॉलर
विश्व FDI में हिस्सा	2.9 प्रतिशत	25 प्रतिशत

- पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की एक प्रमुख विशेषता अन्तःक्षेत्रीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोत्तरी है। आसियान क्षेत्र में, कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18 प्रतिशत का योगदान आसियान देशॉन से ही है।
- दूसरी ओर, भारतीय परिधान कंपनियों द्वारा बांग्लादेश में निवेश जैसी कुछ सफल कहानियों को छोड़कर, सार्क के भीतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुत कम है।
- हाल में संपन्न सार्क वित्त मंत्रियों की बैठक में सभी देशों ने निवेश संधि, जो 2007 के बाद से लंबित है, को अंतिम रूप देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
- निश्चित रूप से, सार्क निवेश संधि, सार्क के भीतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उसी प्रकार लाभ पहुंचाएगी जिस प्रकार इंट्रा-आसियान निवेश बढ़ाने में आसियान निवेश समझौते ने पहुँचाया।

1.10.4. भारत की सहायता कूटनीति

(India's Aid Diplomacy)

सभी सार्क देशों के लिए विकास सहायता को 2016-17 के बजट में पर्याप्त रूप से घटा दिया गया है। पाकिस्तान को छोड़ कर दक्षेस के अन्य छः सदस्य राष्ट्र एवं म्यांमार भारत से पर्याप्त सहायता प्राप्त करते थे।

VISION IAS

सहायता में कटौती के कारण:

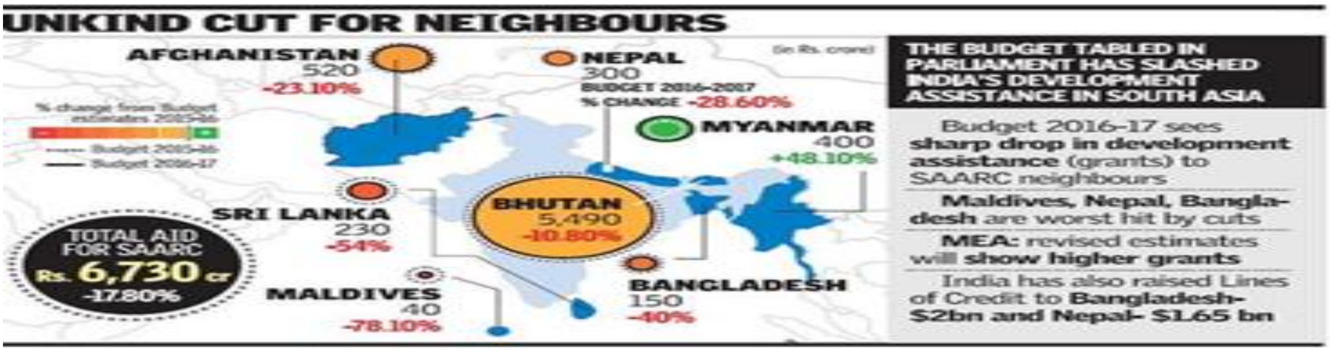

अफगानिस्तान:

- 2005-2010 के बीच आरंभ में बहुत सी परियोजनाएं या तो पूर्ण हो चुकी है या होने के करीब है। अतः ऐसे में उनमें अधिक सहयोग की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ अफगानिस्तान में संसद भवन, सलमा जलविद्युत परियोजना अंतिम चरण में हैं।
- किसी नई बड़ी परियोजना की घोषणा नहीं की गई है।

भूटानः

- भूटान में पुनासांगचु I और II तथा 720 मेगावाट की विशाल मंगदेचु परियोजनाएं अपने प्रथम चरण में थी।
- भूटान, भारत के कुल विदेशी सहायता की 70% से अधिक राशि प्राप्त करता है।

बांग्लादेशः

- बांग्लादेश के संदर्भ में प्रत्यक्ष विकास सहायता का स्थान रियायती दरों पर दिए गए लाइन आफ क्रेडिट ने ले लिया है। इस वर्ष भारत द्वारा 862 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट प्रदान की गई है जबकि 2 बिलियन डॉलर की एक अन्य लाइन ऑफ़ क्रेडिट की पहले ही घोषणा की जा चुकी है।

मालदीव और श्रीलंकाः

- इस संदर्भ में बजटीय आंकडे अभी अंतिम रूप से तय नहीं हैं।
- भारत को अभी भी मालदीव एंव श्रीलंका को इस वर्ष देने के लिए सहायता की योजना बनानी बाकी है। अतः ऐसी दशा में संशोधित आंकलन अधिक सटीक होंगे।

नेपालः

- सरकार ने नेपाल को दी जाने वाली सहायता में कटौती उसके साथ बिगड़ते हुए संबंधों के कारण की है, इस बात का खंडन किया है।

म्यांमारः

- म्यांमार (दक्षेस का सदस्य नहीं है) विकास परक सहायता में 48% वृद्धि का साक्षी रहा है। इसका कारण कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एवं साथ ही त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना पर भारत सरकार द्वारा अधिक ध्यान दिया जाना है।

विश्लेषणः

- वर्तमान सरकार द्वारा सहायता के लिए एक भिन्न तरीका अपनाया गया है जो सभी आर्थिक सहायताओं को विकास के कारक के रुप में देखती है।
- विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित थिंक टैंक RIS (विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना तंत्र) के महानिदेशक का दावा है कि क्षमता निर्माण, लाइन ऑफ़ क्रेडिट, द्विपक्षीय व्यापार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ऋण एवं प्रत्यक्ष अनुदान को सम्मिलित रुप से अपने पड़ोसी एवं दूसरे देशों के लिए भारत द्वारा दिए जाने वाले सहयोग को विकास परक सहायता के रुप में देखा जाएगा।
- इस सहायता में कमी NDA सरकार की 'पड़ोसी पहले' (**Neighbourhood First**) नीति के विरुद्ध है।
- इस समय जबकि चीन, दक्षिण एशिया में तेजी से अपनी पैठ बना रहा है, भारत द्वारा सहायता में की जाने वाली कमी के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं क्योंकि इन देशों को प्रत्यक्ष सहायता देना हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण उपकरण रहा है।
- दक्षेस देशों को 2015-16 एवं 2016-17 के बीच सहायता में 17.80% की कमी के कारण भारत सरकार को अपने पडोसी देशों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है।

VISION IAS

2. पश्चिम एशिया

(West Asia)

2.1. भारत-पश्चिम एशिया

(India-West Asia)

आजादी के बाद से भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। पश्चिम एशियाई देशों में भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामरिक हित निहित है।

भारत की पश्चिम एशिया के सन्दर्भ में नीति

दशकों तक, भारत पश्चिम एशिया में एक अल्प सक्रिय भूमिका में रहा तथा कई कारकों से बहु पक्षीय लाभ प्राप्त करता रहा। ऐतिहासिक दृष्टि से, भारत की पश्चिम एशिया नीति बहु दिशात्मक रही है।

- शीत युद्ध के वर्षों के दौरान, भारत ने क्षेत्रीय भू-राजनीति में दोनों प्रतिद्वंद्वियों सऊदी अरब और ईरान के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग बनाए रखा।
- सोवियत संघ के विघटन के बाद के वर्षों में: - द्वि-दिशात्मक दृष्टिकोण को पश्चिम एशिया के तीन प्रमुख स्तंभों- सऊदी अरब, ईरान और इजराइल को समायोजित करने के लिए एक त्रिदिशात्मक दृष्टिकोण युक्त विदेश नीति में विस्तारित किया गया।

भारत के लिए पश्चिम एशिया का महत्व

भारत के इस क्षेत्र में अनन्य हित समाहित है जैसे- ऊर्जा, व्यापार और इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय समुदाय की सुरक्षा ।

- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत की आयातित ऊर्जा जरूरतों का 70 फीसदी पश्चिम एशिया से आयात किया जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रतिशत या उससे अधिक की दर से बढ़ने पर इस निर्भरता में और वृद्धि संभावित है ।
- **भारतीय समुदाय की सुरक्षा:**
  - ✓ भारत पश्चिम एशिया से विदेशी प्रेषण (Remittances) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
  - ✓ 11 मिलियन भारतीय पश्चिम एशिया में कार्यरत है। इसलिए, इस क्षेत्र में स्थिरता को भारत की विदेश नीति में उच्च वरीयता प्राप्त है।
- **कट्टरता का मुकाबला करने के लिए:** भारत में कट्टरता का मुकाबला करने के लिए निकट सहयोग आवश्यक है।
- **मध्य एशिया का प्रवेश द्वार:** पश्चिम एशिया स्थलअवरुद्ध और ऊर्जा समृद्ध मध्य एशिया के लिए प्रवेश द्वार है।
- **भूरणनीतिक महत्व**: पश्चिम एशिया और अरब सागर में चीन के प्रभाव पर नियंत्रण। चीन वन बेल्ट-वन रोड पहल के माध्यम से पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।

पश्चिम एशियाई क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियां

- राजनैतिक अस्थिरता : पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति दिसंबर 2010 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत के बाद से लगातार बिगड़ती जा रही है।
- सीरिया, इराक और यमन में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई है। क्षेत्रीय शक्तियां सांप्रदायिक आधारों पर छद्म युद्ध लड़ रही है और अपने हितैषी समूहों को मजबूत करने के लिए पैसे और हथियारों की बड़ी राशि भेज रही है।
- पश्चिम एशिया के आंतरिक संघर्ष में बाह्य-क्षेत्रीय देशों जैसे अमरीका और रूस की भागीदारी से स्थिति और अधिक बिगड़ गई है।
- GCC-ईरान प्रतिद्वंद्विता, शिया-सुन्नी संघर्ष, इस क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप, धार्मिक कट्टरपंथ के उदय के डर आदि ने पश्चिम एशिया में अस्थिरता को और अधिक बढ़ाने में योगदान दिया है।
- आतंकवाद: आतंकवाद इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बनकर उभरा है। इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) का उदय सर्वाधिक चिंताजनक मुद्दा है।
- सउदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता: पश्चिम एशिया को अस्थिर कर रही है और पश्चिम एशियाई भू-राजनीति को प्रभावित कर रही है।
- पाकिस्तान का क्षेत्र पर प्रभाव : पाकिस्तान कई पश्चिम एशियाई देशों का बहुत करीबी सहयोगी है, विशेष रूप से GCC का ।
- शिया- सुन्नी विभाजन का भारत की आंतरिक सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।
- इस्राइल के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध पश्चिम एशिया के साथ असहजता का एक और मुद्दा है।

VISION IAS

- ईरान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध सऊदी अरब को भारत विरोधी बना सकता है। भारत को पश्चिम एशिया में सभी तीनो क्षेत्रीय शक्तियों- ईरान, इस्राइल और सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा।

भारत की 'लुक वेस्ट' नीति

भारत ने वर्ष 2005 में 'लुक वेस्ट' नीति को अपनाया। हालांकि, नीति पर 2005 के बाद ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई पश्चिम एशियाई देशों के हाल के दौरों के कारण पश्चिम एशिया के साथ हमारे संबंधों में सुधार के काफ़ी आसार हैं।

पश्चिम एशियाई रणनीतिक सोच में बदलाव

पश्चिम एशियाई रणनीतिक सोच में इस बुनियादी बदलाव के लिए कई कारक उत्तरदायी है।

- सर्वप्रथम कारक पश्चिम एशियाई तेल और गैस के ट्रांस-अटलांटिक बाजारों की अपेक्षा दक्षिण और पूर्व एशियाई बाजारों में निर्यात में तेज़ी आने के कारण **वैश्विक ऊर्जा बाजार में आया संरचनात्मक परिवर्तन**।
- दूसरा निर्यात की प्रकृति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरुप और आंशिक रूप से ट्रांस अटलांटिक अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय संकट के कारण, पश्चिम एशिया भारत और अन्य एशियाई शक्तियों के इस क्षेत्र में प्रवेश और इसे सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने की ओर देख रहा है। कई GCC राष्ट्रों ने भारत के साथ रक्षा सहयोग समझौतों का स्वागत किया है।
- तीसरा, अरब स्प्रिंग और मिस्र एवं इराक में उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर, खाड़ी देश कई पश्चिमी राज्यों की तुलना में भारत और चीन को अधिक विश्वसनीय वार्ताकार मान रहे हैं।
- चौथा, पश्चिम एशिया के भीतर कट्टरपंथी और अतिवादी राजनीतिक ताकतों के दबाव में, इस क्षेत्र में ज्यादातर देशो ने क्षेत्रीय सुरक्षा के सिद्धांत के रूप में क्षेत्रीय स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे हासिल करने के भारतीय सैद्धांतिक मूल्यों की प्रासंगिकता को स्वीकार किया है।

विश्लेषण

- 'लुक ईस्ट' नीति इसलिए सफल रही क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया ने चीन को प्रतिसंतुलित करने हेतु भारत के लिए 'पश्चिम की ओर देखो (लुक वेस्ट)" नीति अपनाई।
- "लुक वेस्ट" नीति सफल होगी क्योंकि पश्चिम एशिया अपने स्वयं के पड़ोस में उभरती सामरिक अस्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजार में संरचनात्मक बदलाव के बारे में चिंतित होकर "पूर्व की ओर देखो (लुक ईस्ट)" नीति अपना रहा है।
- भारत-पश्चिम एशिया संबंध न सिर्फ एक "साझा" अतीत के दावे पर टिके है बल्कि वर्तमान में साझा चुनौतियों और एक साझा भविष्य पर भी टिके है।

2.2 प्रथम भारत अरब मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

(First India Arab Ministerial Conference)

- अरब-भारत सहयोग मंच की प्रथम मंत्रिस्तरीय बैठक बहरीन की राजधानी मनामा में 24 जनवरी 2016 को आयोजित की गयी।
- भारत की ओर से बैठक में विदेश मंत्री और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री ने भाग लिया, वहीं अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
- बैठक में नेताओं ने अरब-भारतीय सहयोग की उपलब्धियों की समीक्षा की और **मनामा घोषणा-पत्र** पारित किया।
- अरब-भारत सहयोग मंच को 2008 में नई दिल्ली में शुरू किया गया था।

- अरब लीग अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित स्वतंत्र अरब देशों का संगठन है। लीग के गठन हेतु समझौते पर काहिरा में मार्च, 1945 में छह सदस्य देशों मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और सऊदी अरब के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।
- वर्तमान में, लीग के 21 सदस्य देश अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के मुख्य बिंदु

A. **क्षेत्रीय मुद्दे**

- **अरब-इज़राइल संघर्ष -** अरब-इजरायल संघर्ष का एक व्यापक और स्थायी समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, 1991 के मैड्रिड शांति सम्मेलन और 2002 में बेरूत में हुई अरब शांति पहल के आधार पर किया जाना चाहिए।
- **सीरिया मुद्दा -** सीरिया की एकता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्थिरता की रक्षा करने की जरूरत है, साथ ही सीरिया वासियों के जीवन को बचाने के लिए इस संकट के राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है।
- **इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष :**
- इजरायल को फिलीस्तीनी 'अरब' प्रान्त जिन पर उसने 1967 में कब्ज़ा किया था पर अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए तथा अपनी सभी बस्तियों को उन प्रान्तों से हटा देना चाहिए।
- सम्मेलन में यह भी कहा गया की इज़राइल को अपनी जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनी और अरब कैदियों और बंदियों को रिहा कर देना चाहिए तथा इज़राइल के द्वारा फिलिस्तीनियों पर किये जा रहे आक्रमणों और अपराधों को बंद कर दिया जाना चाहिए।

2. **वैश्विक मुद्दें**

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार -** समकालीन वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों की सदस्यता में विस्तार के माध्यम से तत्काल सुधार किये जाने की आवश्यकता है।
- **आतंकवाद –** मंत्रीसमूह ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया तथा आतंकवाद और उग्रवाद के वित्तपोषण सहित उसके स्रोतों को समाप्त करने और संगठित सीमा पार अपराध का मुकाबला करने के लिए रणनीति विकसित करने पर जोर दिया।

2.3. भारत- सऊदी अरब

(India-Saudi Arabia)

सुर्खियों में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री ने अप्रैल माह में सऊदी अरब की पहली आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सऊदी अरब की यात्रा की। उनसे पहले 2010 में डॉ मनमोहन सिंह, 1982 में इंदिरा गांधी और 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने सऊदी अरब की यात्रा की थी।

- उन्होंने सऊदी अरब के शासक किंग सलमान को 'चेरामन जुमा मस्जिद (629 ईस्वी में निर्मित, इसे भारत में निर्मित पहली मस्जिद माना जाता है) की स्वर्णजड़ित प्रतिकृति भेंट की।
- उन्हें सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज साश सम्मान से सम्मानित किया गया।

यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते/MoUs:

- श्रम सहयोग पर करारः सामान्य श्रेणी के श्रमिकों की भर्ती के लिए।
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और सऊदी स्टैंडर्ड्स मेट्रोलॉजी एंड क़्वालिटी आर्गेनाइजेशन (SASO) के मध्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम।
- एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल ऑफ़ हैंडीक्राफ्ट (EPCH) और सऊदी कमीशन फॉर टूरिज्म एंड नेशनल हेरिटेज के मध्य हस्तशिल्प के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्यकारी कार्यक्रम।
- मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण और अन्य अपराधों पर नकेल कसने के लिए भारत और सऊदी अरब की वित्तीय खुफ़िया इकाइयों के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान पर समझौता ज्ञापन।
- इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरब जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (SAGIA) के मध्य निवेश संवर्धन सहयोग हेतु फ्रेमवर्क।

यात्रा का महत्त्वः

- इस यात्रा के जरिये तीन महत्त्वपूर्ण करारों -2008 का ऊर्जा सुरक्षा समझौता, 2010 का रणनीतिक साझेदारी समझौता (जिसमें अब ठोस आतंकरोधी सहयोग शामिल है) और 2014 के प्रतिरक्षा सहयोग समझौते के प्रावधानों का उन्नयन किया गया, जिससे द्विपक्षीय सम्बन्ध बेहतर हुए हैं।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त व्यापार और निवेश सम्बन्धों की बेहतरी की सम्भावना भी बनी। दोनों देशों के मध्य वर्तमान तेल निर्भरता के अलावा 40 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार की भी उम्मीद बनी है।
- **भारत के लिए निवेश के अवसरः** सऊदी सरकार अपने मेगा प्रोजेक्ट किंग अब्दुल्ला इकनोमिक सिटी के जरिए निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। यहाँ के गहरे समुद्र में स्थित बंदरगाह पूर्व और पश्चिम के मध्य संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सऊदी सरकार चाहती है कि भारत इस परियोजना को अफ्रीका में अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने के दृष्टिकोण से प्रवेशबिंदु के रूप में देखे।

सऊदी अरब का महत्त्वः

सऊदी अरब के साथ जीवंत संबंधों को बनाए रखना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

- सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
- भारत, सऊदी अरब से विदेशी प्रेषण (foreign remittances) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
- पश्चिम एशिया में कार्यरत 11 मिलियन भारतीयों में से लगभग तीन मिलियन सऊदी अरब में हैं। इसलिए, इस क्षेत्र में स्थिरता, और विशेष रूप से सऊदी अरब में स्थिरता भारत के मुख्य एजेंडे में शामिल है।
- हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में सुरक्षा का आयाम जुड़ गया है जिसके कारण आतंकवाद का मुकाबला करने और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग के लिए दोनों देश बेहतर कदम उठा रहे हैं।
- रियाद ने कई संदिग्ध आतंकी भारत को प्रत्यर्पित किये हैं।
- सऊदी अरब पाकिस्तान को अपनी भारत विरोधी विदेश नीति का परित्याग करने के लिए मजबूर कर सकता है।

सऊदी अरब के लिए भारत का महत्त्वः

- आर्थिक तनावः तेल की गिरती वैश्विक कीमतों और हाल ही में विभिन्न प्रतिबंधों से बाहर निकलने वाले ईरान से मिलने वाली प्रतिद्वंदिता के बीच, भारत सऊदी अरब के लिए महत्त्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभर सकता है।
- अमेरिकी नीति में बदलाव: अमेरिका अब इस क्षेत्र में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पहले जितना निर्भर नहीं रहा; साथ ही उसका अधिक ध्यान इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ईरान के साथ सहयोग पर है।
- पाकिस्तान के साथ विवाद: पाकिस्तान भी अब तेहरान के साथ सम्बन्ध बेहतर कर रहा है। इसके अलावा उसने यमन में लड़ रहे शिया (हैती) विद्रोहियों, जिन्हें ईरान का समर्थन है, के खिलाफ सऊदी अरब के युद्ध गठबंधन में शामिल होने से भी इंकार कर दिया था।

सऊदी अरब से जुड़े संवेदनशील मुद्देः

- सऊदी-पाक गठजोड़ : पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए एक "ऐतिहासिक सहयोगी" है।
- सऊदी-ईरान शत्रुता : पश्चिमी एशिया को अस्थिर बनाने के साथ ही साथ वहां की भूराजनैतिक स्थितियों को प्रभावित करती है।
- विचारधारात्मक समस्याएं :

✓ यद्यपि सऊदी अरब आतंकवाद की निंदा करता है, तथापि सऊदी अरब से बड़े पैमाने पर वहाबी इस्लामी समूहों को पैसा पहुंचता है।

✓ इस्लाम की वहाबी शाखा से कई चरमपंथी समूह प्रभावित हैं।

पश्चिम एशिया में सऊदी अरब की आक्रामक विदेश नीति :

- सीरिया में, सऊदी अरब के द्वारा विद्रोहियों के समर्थन ने क्षेत्र को अस्थिर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो बाद में इस्लामिक स्टेट के जन्म का कारण बना।
- यमन में युद्ध, अराजकता और मानवीय त्रासदी का कारण बन गया है, जिससे कट्टरपंथ के पनपने के लिए परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है।

भारत की पश्चिम-एशिया नीति :

- मनमोहन सिंह सरकार के सत्ता में आने से पहले भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बावजूद राजनैतिक संबंध बहुत कम विकसित हुए थे।
- 2010 में भारत और सऊदी अरब ने रियाद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये, जिससे सुरक्षा प्रतिरक्षा और आर्थिक क्षेत्रां में साझेदारी बढ़ने का ढांचा तैयार हुआ। तबसे भारत और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा सहयोग और ख़ुफ़िया जानकारियों के लेनदेन के संदर्भ में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला है।
- प्रधानमंत्री की रियाद यात्रा पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती हुई संलग्नता को प्रदर्शित करती है।

VISION IAS

2.4. भारत-ईरान

(India and Iran)

प्रधानमंत्री के द्वारा ईरान की पहली आधिकारिक यात्रा की गयी। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक, व्यापारिक, बंदरगाह विकास, संस्कृति, विज्ञान, और शैक्षणिक सहयोग जैसे 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

चाबहार बंदरगाह समझौता

भारत और ईरान के द्वारा ऐतिहासिक चाबहार बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। यह समझौता भारत के लिए अफगानिस्तान, मध्य-एशिया और यूरोप के संदर्भ में प्रवेश द्वार के समान है।

- समझौते के अंतर्गत दो टर्मिनलों और पांच बर्थ के विकास और संचालन के लिए 10 वर्षों का एक अनुबंध किया गया।
- 500 मिलियन डालर की क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराने का प्रावधान किये जाने के साथ ही इस्पात रेल और बंदरगाह के कार्यान्वयन हेतु 3,000 करोड़ रुपये प्रदान किये जायेंगे ।
- भारतीय रेल द्वारा प्रदत्त सेवाओं के ऊपर एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ जिसमे चाबहार-जेदान (Zahedan) रेलवे लाइन के विकास के लिए 1.6 अरब डालर की वित्तीय सहयता शामिल है। द्रष्टव्य है कि चाबहार- जेदान (Zahedan) रेलवे लाइन भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच पारगमन और व्यापार गलियारे से संबंधित त्रिपक्षीय समझौते का भी हिस्सा है।
- भारत चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र में यूरिया संयंत्रों से लेकर एल्यूमीनियम उद्योग जैसी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में निवेश करेगा।

नई दिल्ली और तेहरान 2003 में ईरान-पाकिस्तान सीमा के पास, बंदरगाह विकसित करने के लिए सहमत हुए थे लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण तथा कुछ हद तक भारतीय पक्ष की निष्क्रियता के कारण परियोजना प्रारंभ नहीं हो पाई।

बंदरगाह का आर्थिक महत्व:

- एक बार चाबहार बंदरगाह विकसित हो जाने के पश्चात् भारतीय जहाजों की ईरान तट तक सीधी पहुँच हो जाएगी; अफगान सीमावर्ती शहर जरांज तक एक रेल लाइन भारत को पाकिस्तान के चारों ओर मार्ग प्रदान करेगी।
- वर्ष 2009 में भारत के द्वारा विकसित की गयी जरांज-डेलाराम सड़क के माध्यम से भारत गारलैंड हाईवे से संबद्ध हो सकता है। गारलैंड हाईवे से भारत की संबद्धता भारत को अफगानिस्तान के 4 प्रमुख शहरों हेरात, कंधार, काबुल और मजार-ए-शरीफ तक पहुँच प्रदान करेगी।
- यह ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ावा देगा।
- इस परियोजना के माध्यम से, भारत से अफगानिस्तान तक केवल माल भेजना ही सुगम नहीं होगा अपितु मध्य-एशिया के लिए भविष्य में विकसित किये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC) के साथ संबद्धता भी संभव हो पायेगी ।

सामरिक महत्व

- चाबहार 46 अरब डालर की राशि से चीन द्वारा विकसित किये जाने वाले आर्थिक गलियारे के मुख्य केंद्र ग्वादर बंदरगाह से महज 100 किमी दूर है।
- चीन-पाकिस्तान आर्क को पूरी तरह दर-किनार करते हुए यह मध्य-एशिया के लिए भारत के प्रवेश द्वार के समान कार्य करेगा।

- चाबहार में भारत की उपस्थिति पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के जरिये चीन की उपस्थिति के प्रभावों को कम करेगा।

त्रिपक्षीय व्यापार संधि

- भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने इस बंदरगाह के विकास के लिए त्रिपक्षीय व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए।
- यह त्रिपक्षीय परिवहन गलियारा परियोजना दक्षिण और मध्य-एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि इस समझौते को 'गेम चेंजर' के रूप में परिभाषित किया जा रहा है।

2.5. भारत संयुक्त अरब अमीरात

(India-UAE)

- भारतीय प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र और पश्चिम एशिया की अपनी पहली यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से की। पिछले तीन दशकों में संयुक्त अरब अमीरात के लिए किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। वर्ष 2014-2015 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार 59 अरब डॉलर का था।
- संयुक्त अरब अमीरात भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक व्यापक सामरिक भागीदारी के स्तर तक पंहुचा दिया है।
- दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि राजनीतिक उद्देश्य या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए धर्म का दुरूपयोग नहीं होने दिया जायेगा। यह भारत की विदेश नीति में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इससे पहले सुरक्षा और आतंकवाद को ही तरजीह दी जाती रही है।
- यह सहयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें किसी भी देश का नाम लिए बिना पाकिस्तान और राज्य प्रायोजित आतंकवाद को दोषी ठहराया गया है।
- दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर भारत द्वारा प्रस्तावित व्यापक समझौते को अपनाने की दिशा में भी साथ काम करेंगे।
- संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा।

रूपांतरणकारी यात्रा (Transformational visit)

- भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का साझा वक्तव्य अरब जगत के भारत के प्रति दृष्टिकोण में एक सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है।
- इसके अंतर्गत अरब देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों तथा भाई-चारे की भावना का वर्णन किया गया है। अरब समुदाय का भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर केरल तक के भारतीय समुदायों के साथ रहे ऐतिहासिक संबंधों का भी इस वक्तव्य में वर्णन किया गया है।
- इस साझा वक्तव्य में दोनों देशों की सरकारों के बीच, दोनों देशों के व्यापारियों के बीच तथा दोनों देशों के लोगों के बीच के आपसी संबंधों में विस्तार को प्रमुखता दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा भारत में निवेश बढ़ाने का वादा किया गया है।
- संयुक्त अरब अमीरात और भारत द्वारा उल्लिखित नई सामरिक भागीदारी सिर्फ भारत की 'लुक वेस्ट' की नीति से ही परिभाषित नहीं है, बल्कि यह उतनी ही GCC की 'लुक ईस्ट' नीति से भी परिभाषित है।

2.6. भारत-क़तर

(India-Qatar)

प्रधानमंत्री ने गैस समृद्ध कतर की पहली आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

- भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कतर के संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को सरल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (NIIF) और कतर निवेश प्राधिकरण (QIA) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये|
- सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक सहयोग और सहायता पर करार।
- वित्तीय खुफिया इकाई भारत (FIU-IND) और कतर वित्तीय सूचना इकाई (QFIU) के बीच मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद वित्तपोषण और अन्य संबंधित अपराधों से संबंधित खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान में सहयोग के विषय में समझौता ज्ञापन।
- कौशल विकास और योग्यता को मान्यता देने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।
- पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- युवा मामलों और खेल के क्षेत्र में प्रथम कार्यकारी कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।

VISION IAS

कतर का महत्व

- 2014-15 में द्विपक्षीय व्यापार 15.67 बिलियन डॉलर था जिसमें भारत का निर्यात केवल 1 अरब डॉलर था।
- यह भारत के कच्चे तेल के आयात के प्रमुख स्रोतों में से भी एक है।
- भारत जापान और दक्षिण कोरिया के बाद कतर के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। LNG व्यापार की प्रमुख मद है।
- भारतीय समूह कतर में प्रवासियों का सबसे बड़ा एकल समूह है।
- प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के साथ संबंधों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वह पहले ही संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का दौरा कर चुके है। कतर खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का सदस्य है।

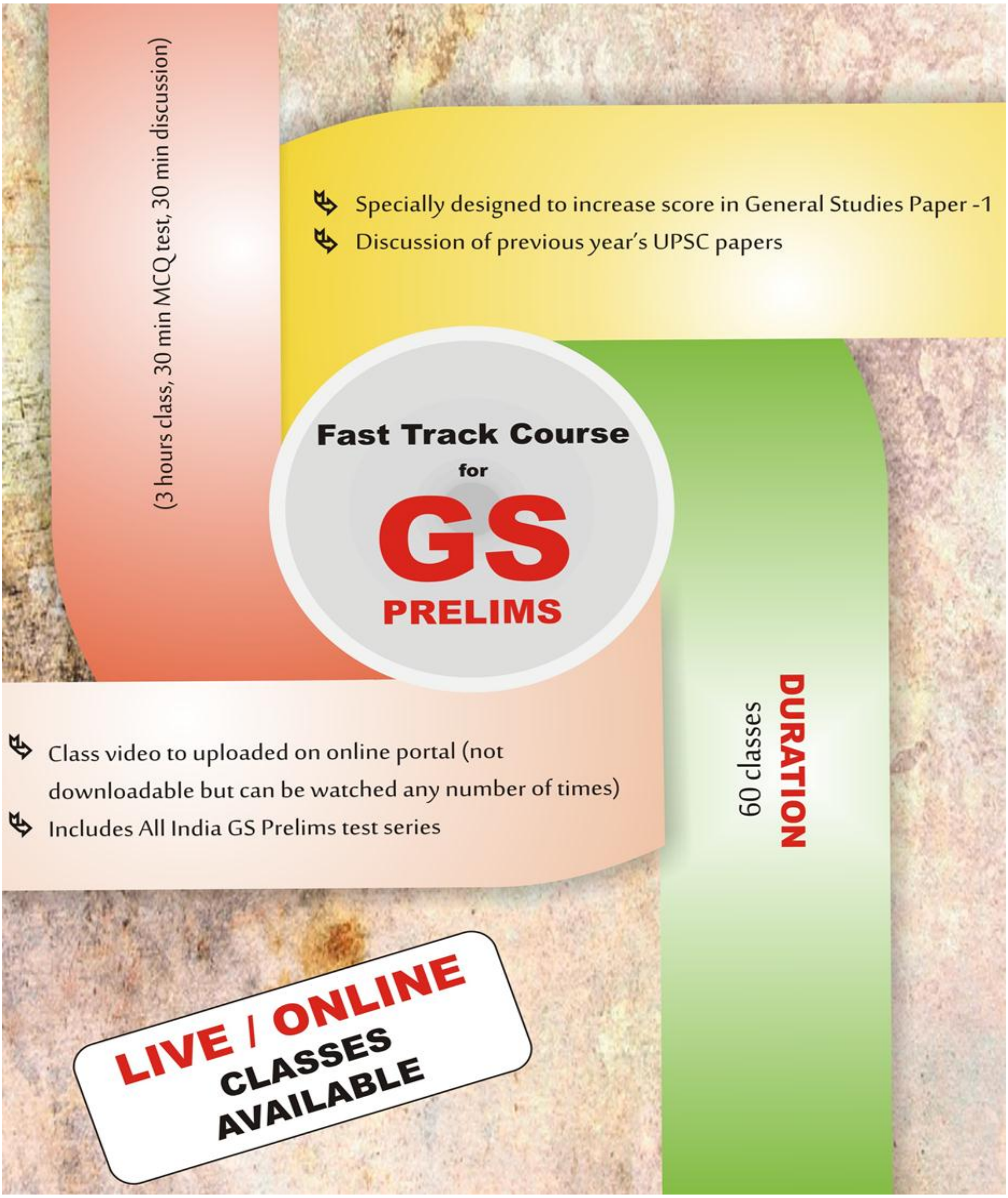

3. मध्य एशिया

(Central Asia)

3.1. भारत-मध्य एशिया (India-Central Asia)

भारत और मध्य एशिया के क्षेत्र के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। प्रसिद्ध सिल्क रूट ने न केवल लोगों और व्यवसायों को जोड़ा बल्कि विचार, संस्कृति और मान्यताओं के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक स्वतंत्र प्रवाह को भी सुनिश्चित किया।

- मध्य एशियाई गणराज्य कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान 1990 के दशक में स्वतंत्र हुए।
- 2012 में भारत ने 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति की घोषणा की, और इन गणराज्यों में से एक में सालाना ट्रैक II पर आधारित भारत-मध्य एशिया वार्ता आयोजित करने की घोषणा की।
- वर्तमान में पाँचों मध्य एशियाई गणराज्यों का भारत के साथ केवल 1.6 अरब डॉलर का व्यापार है जबकि चीन के साथ 50 अरब डॉलर का व्यापार है। चीन ने उन्हें अपने सिल्क रोड इकनोमिक बेल्ट (SREB) पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।
- भारत के मध्य एशिया में चार प्रमुख हित है: सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग।

मध्य एशिया की महत्ता

ऊर्जा सुरक्षा

- मध्य एशिया के देश महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन और खनिज संसाधनों से संपन्न हैं और भौगोलिक दृष्टि से भारत के करीब हैं।
- कज़ाकस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके पास विशाल गैस और तेल भंडार है।
- उज़्बेकिस्तान भी गैस में समृद्ध है, और किर्गिस्तान के साथ-साथ सोने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय उत्पादक है।
- तजाकिस्तान के पास तेल भंडार के अलावा विशाल पनबिजली क्षमता है, और तुर्कमेनिस्तान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस भंडार है।

रणनीतिक अवस्थिति

- भौगोलिक दृष्टि से, इन देशों की सामरिक अवस्थिति उन्हें एशिया के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच तथा यूरोप एवं एशिया के बीच एक सेतु बनाती है।

व्यापार और निवेश क्षमता

- मध्य एशिया, विशेष रूप से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में आर्थिक विकास ने निर्माण कार्य में तेजी और आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों के विकास में तेजी ला दी है।
- भारत को इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है और गहन सहयोग इन देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को एक ताजा प्रोत्साहन देगा।
- क्षेत्र में भारतीय दवा उत्पादों की भारी मांग है।

सुरक्षा: आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियारों की तस्करी की चुनौती से निपटने के लिए।

आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए: कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के उदय पर निगरानी रखने के लिए जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते है।

धार्मिक उग्रवाद, कट्टरपंथ और आतंकवाद मध्य एशियाई समाज और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे है।

फ़रग़ना घाटी कट्टरपंथ का एक केंद्र बनी हुई है। मध्य एशियाई गणराज्य अफगानिस्तान से नशीली दवाओं के अवैध व्यापार जैसे गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। मध्य एशिया की अस्थिरता भारत तक भी फैल सकती है।

अफगानिस्तान का स्थिरीकरण: मध्य एशियाई देश और भारत अफगानिस्तान में सामान्य स्थिति लाने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। इन देशों में से दो - कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान - कैस्पियन तटीय देश हैं जो ऊर्जा से भरपूर अन्य कैस्पियन राज्यों का प्रवेश द्वार बन सकते हैं।

क्षेत्रीय सहयोग: चार मध्य एशियाई राष्ट्र शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा हैं।

चुनौतियां

- स्थलअवरुद्ध क्षेत्र: मध्य एशियाई क्षेत्र स्थलावारुद्ध है। यह मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों में बाधा उत्पन्न करता है। खराब कनेक्टिविटी भी भारत और मध्य एशिया के बीच कम व्यापार का प्रमुख कारण है।
- भारत जिस मुख्य बाधा का सामना कर रहा है, वह है- मध्य एशिया तक सीधी पहुंच की कमी।
- अफगानिस्तान में अस्थिर स्थिति और बेहद समस्याग्रस्त भारत-पाकिस्तान संबंध भारत को मध्य एशिया के साथ संबंधों के लाभ से वंचित कर रहे हैं।

- चीन की उपस्थिति: मध्य एशिया सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट (SREB) पहल का हिस्सा है।

3.2. प्रधानमंत्री की मध्य एशिया यात्रा

(Prime Minister's Central Asia Visit)

प्रधानमंत्री की मध्य एशिया यात्रा:

प्रधानमंत्री ने मध्य एशिया के पांच देशों–उजबेकिस्तान, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए थे। ये सभी मध्य एशियाई देश ऊर्जा संसाधनों में बहुत समृद्ध हैं।

वर्तमान में चीन के साथ $50 बिलियन डॉलर के व्यापार की तुलना में इन पांच मध्य एशियाई देशों से भारत का व्यापार केवल $1.6 बिलियन डॉलर का है, जिसने इन देशों को चीन के सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट (SREB) नीति के लिए अहम बना दिया है।

भारत और किर्गिस्तान

- भारत और किर्गिस्तान ने चार संयुक्त समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, जिनमें से एक सुरक्षा सहयोग बढ़ाने तथा संयुक्त वार्षिक सैनिक अभ्यास के लिए है।
- किर्गिस्तान और भारत के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास **खंजर 2015** अभी कुछ समय पहले ही सम्पन्न हुआ।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गए समझौतों की सूची:

1.	सुरक्षा सहयोग समझौता।
2.	चुनावों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।
3.	किर्गिस्तान के आर्थिक मंत्रालय और भारत के मानक ब्यूरो (BIS) के बीच मानकों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।
4.	सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता।

भारत और उज्बेकिस्तान

मध्य एशियाई देशों की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के मुख्य विषयों पर वार्ता की, जिनमें अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा भी सम्मलित थी। दोनों देशों ने अपने-अपने दूतावासों के बीच सांस्कृतिक तथा पर्यटन के क्षेत्रों में और सहयोग बढ़ाने के लिए तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

दोनों नेताओं ने वर्ष 2014 में खनिज समृद्ध उज्बेकिस्तान से यूरेनियम की आपूर्ति के किये गए करार को शीघ्र लागू करने के उपायों पर भी चर्चा की। समझौता 2,000 मीट्रिक टन यूरेनियम (येलो केक) की आपूर्ति के लिए किया गया था।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गए समझौतों की सूची:

1.	पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्सरकारी सहयोग के लिए समझौता।
2.	उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रालय और भारतीय गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग के लिए प्रोटोकॉल।
3.	2015–17 में सांस्कृतिक सहयोग के लिए सरकारों के बीच कार्यक्रम।

भारत और कज़ाखस्तान

- प्रधानमंत्री की कज़ाखस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव से अस्ताना में हुई वार्ता के प्रमुख विषय भारत और कज़ाखस्तान के बीच व्यापार को प्रोत्साहन, ऊर्जा, सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग रहे।
- कज़ाखस्तान जो विश्व का शीर्ष यूरेनियम उत्पादक है, भारत को वर्ष 2015–19 में 5000 टन यूरेनियम की आपूर्ति करेगा।
- दोनों नेताओं ने भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से व्यापार वृद्धि की सम्भावनाओं की तलाश के लिये संयुक्त अध्ययन समूह की स्थापना का भी स्वागत किया।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों की सूची:

- सजायाफ्ता कैदियों को सौंपने संबंधी समझौता।
- भारतीय गणराज्य और कज़ाखस्तान गणराज्य के बीच सुरक्षा और सैन्य तथा तकनीकी सहयोग के लिए समझौता।
- भारत के युवा और खेल मंत्रालय एवं कज़ाखस्तान गणराज्य के संस्कृति और खेल मंत्रालयों के बीच सांस्कृतिक और खेलों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।
- भारतीय गणराज्य के रेल मंत्रालय और कज़ाखस्तान गणराज्य के कज़ाखस्तान तेमिर झोले (Kazakhstan Temir Zholy) के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।
- भारतीय गणराज्य के परमाणु ऊर्जा विभाग और JSC राष्ट्रीय परमाणु कम्पनी कझ-एटम-प्रोम (Kaz-Atom-Prom) के बीच प्राकृतिक यूरेनियम के क्रय और विक्रय के लिए दीर्घकालिक समझौता।

VISION IAS

भारत और तुर्कमेनिस्तान

- प्रधानमंत्री ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुर्बंगुली बर्दीमुखाम्मेदोव (Gurbanguly Berdymukhammedov) के साथ अपनी वार्ता में $ 10 बिलियन डॉलर की TAPI गैस पाईपलाईन के शीघ्र कार्यान्वयन पर बल दिया। दोनों देशों ने सुरक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सम्बन्ध विकसित करने के लिए सात संधियों पर हस्ताक्षर किये।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गए समझौतों की सूची:

- भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी *राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड* और तुर्कमेनिस्तान की 'तुर्क्मेन्हीमिया' के बीच रसायनिक उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन।
- भारतीय गणराज्य के विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन।
- भारतीय गणराज्य के युवा एवं खेल मंत्रालय और तुर्कमेनिस्तान की खेलों की समिति के बीच खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।
- भारतीय गणराज्य और तुर्कमेनिस्तान सरकार के बीच वर्ष 2015–17 के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम।
- भारतीय गणराज्य और तुर्कमेनिस्तान सरकार के बीच योग और परम्परागत औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।
- भारतीय गणराज्य और तुर्कमेनिस्तान सरकार के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।
- भारतीय गणराज्य और तुर्कमेनिस्तान गणराज्य के बीच सुरक्षा क्षेत्र में समझौता।

भारत और तजाकिस्तान

भारत और तजाकिस्तान ने आंतकवाद के विरुद्ध सहयोग में वृद्धि के लिए शपथ ली। प्रधानमंत्री ने इस बात का विशेष रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सम्बन्ध में उल्लेख किया कि दोनों ही देश इस संकट के "प्रमुख स्रोत" के आसपास ही स्थित हैं।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों की सूची:

- भारत और तजाकिस्तान के सांस्कृतिक मंत्रालयों के बीच वर्ष 2016-18 की अवधि के लिए सहयोग कार्यक्रम।
- तजाकिस्तान के 37 विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालायें स्थापित करने के लिए मौखिक समझौता।

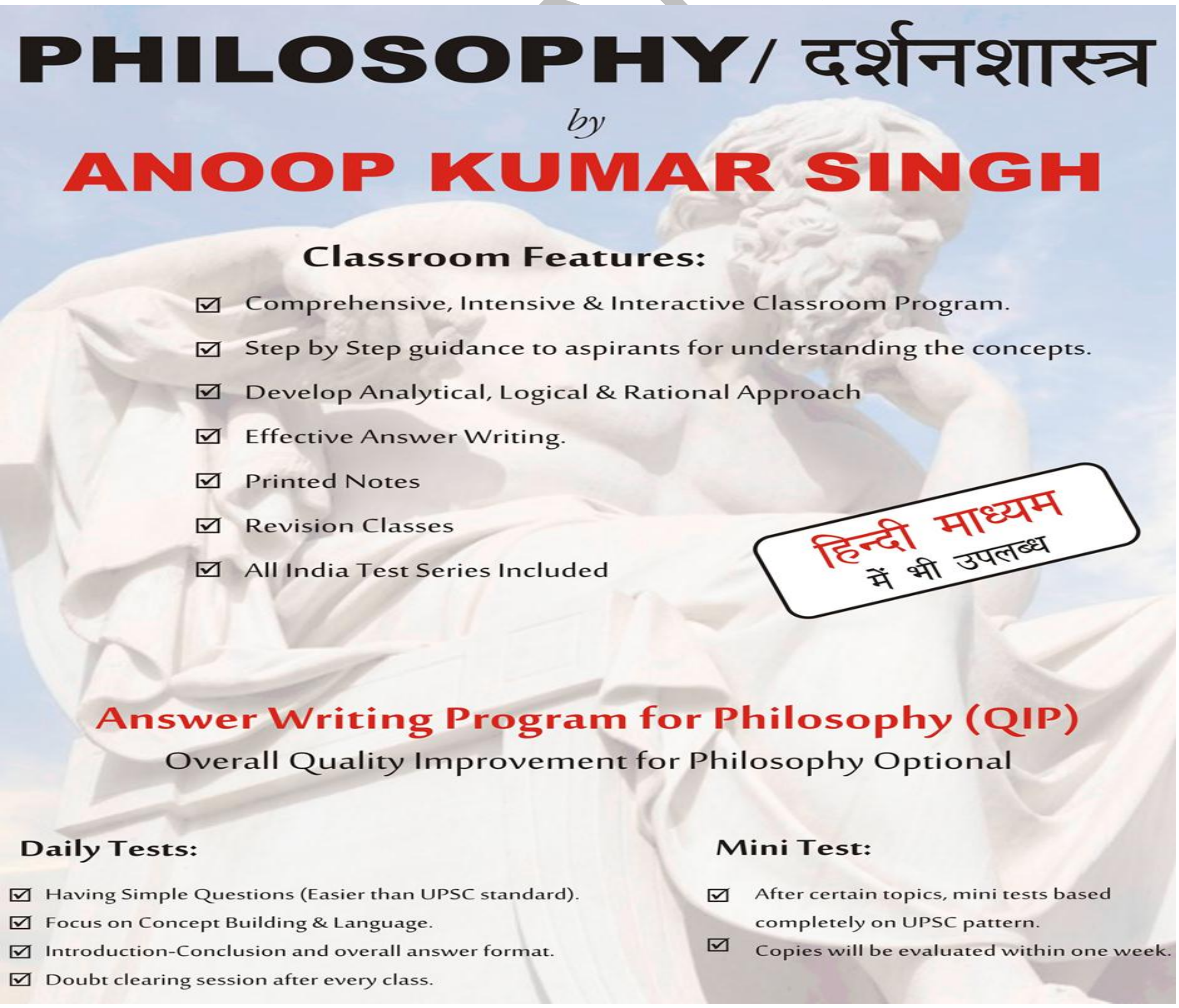

4. अफ्रीका

(AFRICA)

4.1. भारत-अफ्रीका

(India- Africa)

भारत अफ्रीकी देशों के लिए तेजी से एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार बनता जा रहा है। अफ्रीका के साथ इसके संबंधों की जड़ एक मजबूत साझा दक्षिण-दक्षिण सहयोग सिद्धांत में निहित है, लोगों से लोगों के बीच संबंधों और विकास की समान चुनौतियों पर आधारित इतिहास का पता लगाया जा सकता है।

वास्तव में, भारत और अफ्रीका के बीच सदियों पुराने संबंध, विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के देशों के साथ भारत के संबंध, दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद विरोधी और नस्लवाद विरोधी लड़ाई और रंगभेद के ख़िलाफ़ संघर्ष भारत के निरंतर समर्थन की वजह से मजबूत हुए हैं। एक बार अफ्रीका में मुक्ति की राजनीतिक लड़ाई औपचारिक रूप जीत ली गयी तो आर्थिक कारक भारत-अफ्रीका संबंधों की धुरी बन गए।

अफ्रीका का महत्व

भारत की अफ्रीका के साथ संबंधों में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक और समुद्री हिस्सेदारी है।

संसाधन समृद्ध क्षेत्र

- अफ्रीका बहुत संसाधन-समृद्ध है, और एक अविकसित महाद्वीप से कई तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं और नए लोकतंत्रों में परिवर्तित हुआ है।

वैश्विक संस्थाओं में सुधार

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारत की महत्वाकांक्षा के लिए यह जरूरी है कि भारत अफ्रीका महाद्वीप के सभी 54 देशों के साथ संलग्न हो।

निजी क्षेत्र के लिए निवेश के अवसर

- कई भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इस क्षेत्र में कृषि व्यवसाय, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT), और ऊर्जा सहित रणनीतिक क्षेत्रों में पहले से ही महत्वपूर्ण हित और निवेश हैं।
- अफ्रीका भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में उभरा है। साथ ही भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत की पूर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है।
- भारत अफ्रीका महाद्वीप में डिजिटल पेनीट्रेशन के लिए भी भारी संभावनाएं पैदा कर सकता हैं।

भारत और अफ्रीका के उभयनिष्ठ हित :

- भारत और अफ्रीका ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सभी लंबित विषयों पर दोनों सहभागी एकमत हैं और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के पक्ष में हैं। बाली में वर्ष 2013 में मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में भी भारत और अफ्रीका ने संयुक्त रूप से एक अंतरिम प्रक्रिया और WTO की अधिकतम सीमा के विपरीत किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत को किसी स्थाई समाधान के मिलने और स्वीकार किये जाने तक बनाये रखने की मांग की थी।
- आंतकवाद से निबटने के लिए सहयोग भारत ने गुप्तचर जानकारी के आदान-प्रदान और 54 अफ़्रीकी देशों को प्रशिक्षण के रूप में सहयोग बढ़ाने का समर्थन किया।
- **भारत और अफ्रीका के बीच जलवायु परिवर्तन पर परस्पर सहयोग:** दोनों का ही भूमंडलीय तापमान वृद्धि में बहुत कम योगदान है।
- **सुरक्षा परिषद में सुधार** से दोनों के हित जुड़े हैं, इसलिए दोनों पक्षों का सुरक्षा परिषद के सुधारों के सम्बन्ध में एक ही सुर में बात करना आवश्यक है।
- शांति स्थापना ऑपरेशन (Peacekeeping operation): 1960 के बाद से इस क्षेत्र में कुल 22 मिशन में से 17 मिशन में शामिल30,000 से अधिक कर्मियों के साथ भारत का संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य शांति स्थापना और अफ्रीका में अन्य कार्यों में सबसे बड़ा योगदान है।
- भारत लोकतांत्रिक विकास के लिए एक उपयोगी मॉडल उपलब्ध कराता है। दरअसल, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अफ्रीकी सरकारों से अपने लोकतांत्रिक अनुभव साझा कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर प्रशिक्षण की पेशकश, संसदीय प्रक्रियाओं, संघीय प्रशासन, और कानून के शासन को मजबूत करने हेतु, एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की स्थापना आदि क्षेत्रों में अफ्रीका भारत से सहयोग प्राप्त कर सकता है।

VISION IAS

21 वीं सदी में साझा चुनौतियां

- सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ जिनका भारत और अफ्रीका विशेष रूप से सामना करेंगे- वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा खतरे, ऊर्जा असुरक्षा और उग्रवाद एवं आतंकवाद का उदय।

भारत और अफ्रीका के बीच सम्बन्ध :

- **आर्थिक :** अफ्रीका, भारत का एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक सहभागी है। भारत और अफ्रीका के बीच वर्ष 2014-15 में लगभग $70 बिलियन का व्यापार हुआ था और भारतीय कम्पनियों ने पिछले दशक में इस महाद्वीप में लगभग $30-35 बिलियन का निवेश किया है। इन दस वर्षों में व्यापार में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी चीन और अफ्रीका के बीच व्यापार की तुलना में अत्यधिक कम है। इन दोनों के बीच वर्ष 2014-15 में $200 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन ने अफ्रीका के सब-सहारा क्षेत्र में ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्र में ही 2005-2015 के वर्षों में $180 बिलियन से अधिक का निवेश किया है।
- **लोगों का लोगों से सम्पर्क (P2P संपर्क):** लोगों के बीच आपसी सम्बन्धों में स्वागत योग्य वृद्धि हुई है। अफ़्रीकी उद्यमी, मेडिकल पर्यटक, प्रशिक्षु और विद्यार्थियों ने भारत आना आरम्भ किया है और भारतीय विशेषज्ञ और उद्यमी भी अब वहाँ जा रहे हैं।
- **व्यापार से व्यापार का सम्पर्क (B2B संपर्क) :** भारत और अफ्रीका के कई देशों के बीच व्यपारिक सम्बन्ध अति महत्वपूर्ण हो गए हैं जिनसे सरकार से सरकार के सम्बन्धों को बढ़ावा मिल रहा है।
- भारतीय जेनेरिक दवाओं, उनकी अपेक्षाकृत सस्ते कीमतों के कारण, अफ्रीका में एचआईवी / एड्स से लड़ने के लिए भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा हैं।

अफ्रीका को भारतीय सहायता

- वर्ष 2006 में भारत ने अफ्रीका में अपनी फ्लैगशिप सहायता पहल 125 मिलियन डॉलर के पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क, महाद्वीप की सबसे बड़ी टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन पहल के निर्माण से शुरू की है। यह नेटवर्क उपग्रह और फाइबर ऑप्टिक लिंक के माध्यम से भारत के स्कूलों और अस्पतालों को 47 अफ्रीकी देशों के साथ जोड़ता है।
- इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता कार्यक्रमों में भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम और अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम (SCAAP) हैं। आईटीईसी और एससीएएपी के तहत, लगभग 1,000 अफ्रीकी विशेषज्ञों को भारत में हर साल तकनीकी क्षेत्रों में अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है- जिसमें लोक प्रशासन से कृषि अनुसंधान और कंप्यूटर साक्षरता तक शामिल हैं।
- भारत ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए 10 अरब डॉलर मूल्य की एक नई लाइन ऑफ़ क्रेडिट की पेशकश की है।
- इसके अलावा, भारत 600 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता की पेशकश करेगा जिसमे भारत-अफ्रीका विकास कोष के लिए 100 मिलियन डॉलर और भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य कोष के लिए 10 मिलियन डॉलर शामिल होंगे। भारत ने भारत में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अफ्रीकी छात्रों के लिए 50,000 छात्रवृत्तियों की भी घोषणा की है।

अफ्रीका में भारत की चुनौतियां

- भारत में अफ्रीकन: भारत को अफ्रीकी नागरिकों को सहज महसूस कराने के लिए प्रयास करने होंगे। हाल के महीनों में, भारत में रहने वाले अफ्रीकियों पर हमले हुए है। ये हमले अफ्रीका में भारत की नकारात्मक छवि पैदा करते हैं और महाद्वीप के साथ एक सदी पुराने संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है।

महाद्वीप में चीन की मजबूत उपस्थिति:

- भारत और चीन अफ्रीका के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- हालांकि भारत भारी निवेश के साथ एक प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, इसे भूमंडलीकरण के तहत अफ्रीका में अन्य दुर्जेय प्रतिद्वंद्वीयों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है जैसे चीन,जापान और दक्षिण कोरिया। हालांकि, चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी भारत के लिए अफ्रीका में आगे पैठ बनाने के लिए नए अवसर उपलब्ध करा सकती है।

	चीन	भारत
व्यापार	$200 बिलियन	$70 बिलियन
निवेश	अकेले उप-सहारा अफ्रीका में $180 बिलियन	$30-35 बिलियन

VISION IAS

4.2. अफ्रीका में भारत बनाम चीन

(China vs. India in Africa)

- अफ्रीकी महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों, जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण तेजी से वैश्विक आकर्षण और प्रतिस्पर्धा का अगला केन्द्र बनता जा रहा है।
- इस अवसर का लाभ उठाने के लिए चीन आदि अनेक देशों ने इस महाद्वीप में विशाल मात्रा में निवेश किया है।
- अफ्रीकी नेताओं द्वारा भारत एवं चीन के मध्य की इस प्रतिस्पर्धा का स्वागत किये जाने के कारण निरंतर बढ़ रहीयह प्रतिस्पर्धा आर्थिक रूप से लाभप्रद रही है और व्यापक निवेश और विकास में परिणत हुई है।
- भारत और चीन के बीच नए बाजारों, कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच के लिए निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
- यद्यपि चीन के आक्रामक आर्थिक दृष्टिकोण के कारण इसका किसी अन्य देश की तुलना में अफ्रीका पर अधिक प्रभाव पड़ा है तथापि इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती संलग्नता से इसका प्रभुत्व धीरे-धीरे कम हो रहा है।
- भारत ने जिम्बाबवे, इथियोपिया और सूडान जैसे संसाधन-संपन्न देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों का विकास करने के लिए अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को सशक्त बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया है।
- भारत की रणनीति की सफलता सूडान जैसे देशों में स्पष्ट हुई है, जहाँ भारतीय निगमों ने स्थानीय तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग पर लगभग संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है।
- जिम्बाबवे में भी यही परिदृश्य है। वहां ऊर्जा और संसाधन क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को निजी और राज्य स्वामित्व वाले उद्योगों द्वारा चुनौती दी जा रही है।

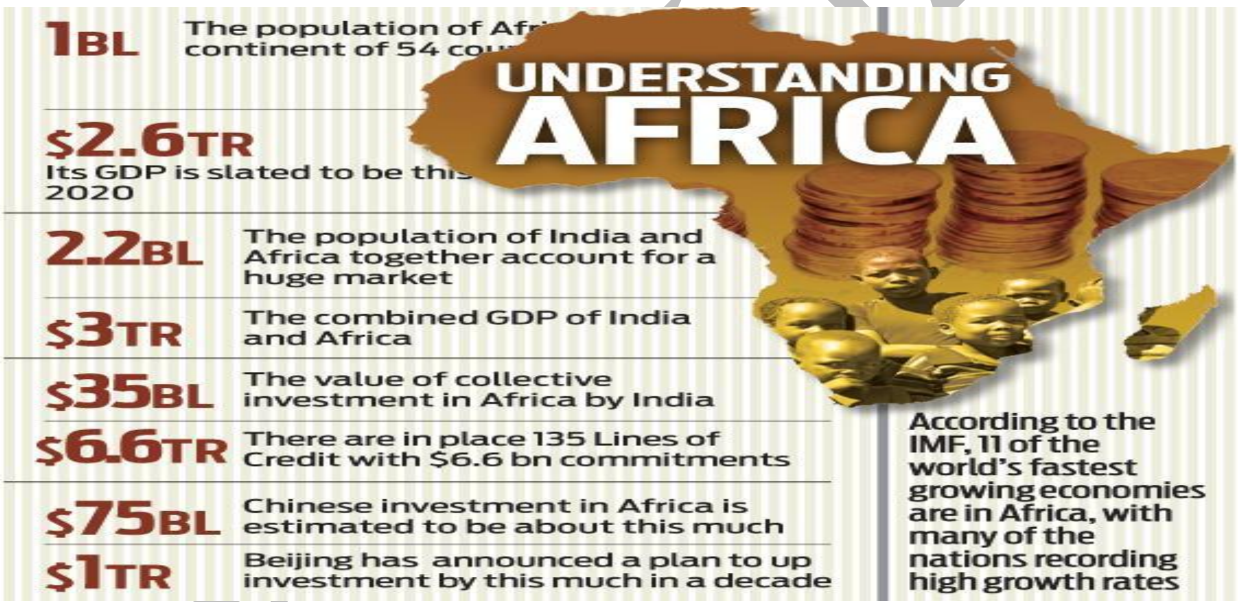

- भारत के एस्सार समूह द्वारा जिम्बाबे की स्टील निर्माता कम्पनी जिकोस्टील के 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहण को, जिम्बाम्बे सरकार ने जिम्बाबे में सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सौदे के रूप में प्रशंसा की है।
- अफ्रीकी देश यह अनुभव कर रहे हैं कि यद्यपि चीनी निवेश आकर्षक हैं, किन्तु इनके साथ कुछ समस्यायें हैं, जैसे:

✓ चीनी कंपनियाँ स्थानीय लोगों के स्थान पर चीनी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं।
✓ यह भी देखा गया है कि ये कम्पनियाँ पर्यावरण संरक्षण पर अधिक ध्यान नहीं देती हैं।
✓ चीनी ऋण केवल चीनी प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की कठोर शर्तों पर आधारित हैं।

- इन चिंताओं को मुख्य रूप से नागरिक समुदाय द्वारा उठाया गया है| अनेक सरकारों ने भी चीन के विकल्पों की खोज आरम्भ कर दी है।
- भारत को इस अवसर का लाभ उठाने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक संबंधों और भारतीय कंपनियों द्वारा स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति करने और उनकी कुशलता का संवर्धन करने के कारण भारत को पहले से ही अफ्रीकी लोगों की सद्भावना प्राप्त है।
- राजनीतिक अस्थिरता: कई अफ्रीकी देशों में राजनीतिक अस्थिरता भारत के दीर्घकालिक निवेश के अवसरों को प्रभावित कर सकती है।

- अफ्रीका में आतंकवाद: हाल के वर्षों में अफ्रीका में अल कायदा और आईएसआईएस से जुड़े इस्लामी चरमपंथियों द्वारा आतंकवादी हमलों में असाधारण वृद्धि हुई है।

4.3. भारत-अफ्रीका फोरम का तीसरा सम्मेलन

(3RD INDIA-AFRICA FORUM SUMMIT)

भारत-अफ्रीका फोरम (मंच) का तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 41 देशों के राष्ट्राध्यक्षों समेत अफ्रीका के 54 देशों की सरकारों ने भाग लिया। वर्ष 1983 के नयी दिल्ली में आयोजित गुट निरपेक्ष सम्मेलन के बाद यह विदेशी उच्च अधिकारियों का सबसे बड़ा जमावड़ा था।

पृष्ठभूमि :

- स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पहले तीन दशकों में अफ्रीका महाद्वीप और भारत के बीच बहुत ही घनिष्ठ राजनीतिक सम्बन्ध रहे थे। यह सम्बन्ध मुख्यत: साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव और रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष में सहभागिता पर आधारित थे।
- परन्तु 1990 के वर्षों में भारत द्वारा अफ्रीकी देशों के साथ सशक्त भागीदारी करने के प्रयास मंद पड़ने लगे थे क्योंकि भारत अपनी विदेश और आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर रहा था। इस बढ़ती दूरी को सीमित करने और सम्बन्धों को पुनः मजबूत करने हेतु पहली बार भारत-अफ्रीका सम्मेलन के विचार को प्रस्तुत किया गया था।
- इससे पहले दो बार भारत-अफ्रीका सम्मेलन वर्ष 2008 और 2011 में नई दिल्ली और अदिस अबाबा में आयोजित हुए थे।

निष्कर्ष :

- भारत-अफ्रीका फोरम सम्मेलन (IAFS) से भारत-अफ्रीका के बीच सहभागिता के लिए आशा की किरण दिखती है। वास्तव में, वर्तमान वैश्विक आर्थिक निष्क्रीयता (स्टैगफ्लेशन)के परिदृश्य में भारत और अफ़्रीकी महादीप के बीच सशक्त सम्बंधो का महत्व और भी बढ़ जाता है।
- भारत अफ्रीका संयुक्त सम्मेलन (IAFS) की प्रक्रिया द्वारा सांस्कृतिक एवं सूचना संपर्क के साथ-साथ परस्पर जागरूकता को भी बढ़ावा मिला है।
- हमें अफ्रीका में अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिये। वहाँ बसे हुए प्रवासी भारतीय, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और शिक्षा सुविधाएं, हमारे विकास मॉडल की उपयुक्तता और भारत के निजी क्षेत्र द्वारा इस महाद्वीप में कार्य करने की उत्सुकता, अफ्रीकी महाद्वीप के संदर्भ में भारत के महत्वपूर्ण संसाधन है।
- इस महाद्वीप में भारत के लिए जो सद्भावना बनी है, वह स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उपनिवेशवाद के विरुद्ध सैद्धांतिक रूप से अपनाए गए दृष्टिकोण का ही परिणाम है। भारत को इस सद्भावना का उपयोग नई सदी में अफ्रीका के साथ सशक्त आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता के निर्माण हेतु करना चाहिये।

4.4. राष्ट्रपति की अफ़्रीकी देशों की यात्रा

(President's Visit to African Nations)

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा हाल ही में तीन अफ्रीकी देशों का दौरा किया गया- घाना, कोट डी आइवर (आइवरी कोस्ट) और नामीबिया।

A. भारत- आइवरी कोस्ट

1960 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा थी। भारत ने 1979 में आबिदजान में अपने दूतावास की स्थापना की थी, जबकि कोटे डी आइवर (जिसे आइवरी कोस्ट भी कहा जाता है) ने भारत में 2004 में अपना रेजिडेंट मिशन स्थापित किया।

यात्रा के मुख्य बिंदु

- राष्ट्रपति मुखर्जी को आइवरी कोस्ट के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस नेशनल आर्डर से सम्मानित किया गया।
- आबिदजान में एक्जिम बैंक के मुख्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- व्यापार: 2010-11 में $344.99 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार था जो 2014-15 में बढ़ कर $841.85 मिलियन हो गया|
- आइवरी कोस्ट, कोको का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसने व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत के निजी क्षेत्र द्वारा विशेष रूप से चॉकलेट के मुख्य घटक के प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की मांग की है।
- यह भारत के लिए काजू का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत इसके कुल काजू निर्यात का लगभग 80% खरीदता है।

VISION IAS

- भारत ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के तहत विविध क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए 156.3 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है, जैसे- सार्वजनिक परिवहन, ग्रामीण विद्युतीकरण, चावल उत्पादन में आत्मनिर्भरता, काजू प्रसंस्करण, नारियल रेशा प्रसंस्करण, आईटी और जैव-प्रौद्योगिकी पार्क।

B. भारत-घाना

किसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा घाना की यह पहली यात्रा थी। भारत और घाना ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए तीन द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

समझौतों / समझौता ज्ञापनों की सूची

- राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर समझौता।
- एक संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।
  - ✓ यह आयोग समय समय पर बहु-आयामी संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगा।
- विदेश सेवा संस्थान (भारत) और विदेश मंत्रालय (घाना) के बीच समझौता ज्ञापन ।

परमाणु सहयोग

घाना पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए लागत में कटौती और स्वच्छ पर्यावरण पर आधारित संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत से असैन्य परमाणु सहयोग चाहता है।

व्यापार संबंध

- घाना में भारत का संचयी निवेश लगभग 1 अरब डॉलर है जबकि 2015-16 में द्विपक्षीय व्यापार 3 अरब डॉलर का रहा।
- घाना के व्यापार में मुख्यतः सोने का आयात शामिल है। यह कुल व्यापार का लगभग 80 प्रतिशत है।
- भारत घाना में 700 से अधिक परियोजनाओं के साथ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। इनमें से 200 से अधिक विनिर्माण क्षेत्र में हैं।
- भारत अगले तीन वर्षों में घाना के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को 3 से 5 अरब डॉलर तक विस्तारित करना चाहता है।

अन्य क्षेत्रों में सहयोग

- भारत यूनिवर्सिटी ऑफ़ घाना (अक्रा) में भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना करेगा। इसका वित्तपोषण भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा किया जाएगा।
- भारत अनुदान और ऋण के माध्यम से कई प्रमुख सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं, जैसे- कोमेंडा चीनी संयंत्र और एल्मिना मछली प्रसंस्करण संयंत्र, में सहयोग कर रहा है।
- भारत ने एक विदेश नीति प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए लाइन ऑफ़ क्रेडिट को मंजूरी दी है।

C. भारत-नामीबिया

राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्र (CEIT) की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।
- सरकारी अधिकारियों में क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

परमाणु सहयोग

- नामीबिया ने 2009 में भारत के साथ यूरेनियम आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। हालांकि, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि (**African Nuclear Weapon-Free Zone Treaty,** ANWFZT) के एक सदस्य के रूप में यह भारत के साथ यूरेनियम का व्यापार नही कर सकता है क्योंकि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
- नामीबिया यूरेनियम का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- नामीबिया ने नई दिल्ली से अन्य देशों के साथ इसी तरह के समझौते करने के लिए कहा है ताकि यह ANWFZT सदस्यों को मनाने में सफल हो सके।

अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि (African Nuclear Weapon-Free Zone Treaty, ANWFZT)

- ANWFZT, **पेलिन्डाबा (Pelindaba) की संधि** के रूप में भी जाना जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम पर है। यह वह स्थान है जहाँ दक्षिण अफ्रीका के 1970 के दशक के परमाणु बम विकसित, निर्मित एवं भंडारित किए गए।
- **पेलिन्डाबा संधि** परमाणु प्रसार को रोकने और अफ्रीका के सामरिक खनिजों के मुक्त निर्यात को रोकने के उद्देश्य से 1996 में संपन्न हुई।

VISION IAS

नामीबिया का महत्व

- नामीबिया दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) का सदस्य है। SACU में बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, और स्वाजीलैंड सदस्य राष्ट्र के तौर पर शामिल हैं।
- नामीबिया की अर्थव्यवस्था की ताकत खनिज उत्खनन क्षेत्रक है जो इसके सकल घरेलू उत्पाद में करीब 11 प्रतिशत का योगदान देता है।
- भारत उत्खनन अभियांत्रिकी के व्यापार द्वारा नामीबिया को सहयोग देने की पेशकश करेगा।

यात्रा का विश्लेषण

- राष्ट्रपति की अफ्रीकी राष्ट्रों की यात्रा विकास सहायता के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को जारी रखने एवं अफ्रीकी राष्ट्रों के विकास हेतु संसाधन को साझा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में तीसरे इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट (IAFS) की मेजबानी करने के बाद भारत अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक योजना पर काम कर रहा है।
- विशाल खनिज संपदा संपन्न इस महाद्वीप में चीन की बुनियादी ढांचे और निवेश के क्षेत्र में तेजी से बढती पैठ के कारण भारत अफ्रीका में अपनी पहुँच, जो ज्यादातर विकासपरक सहायता के रूप में है, में वृद्धि के प्रयास कर रहा है।
- अफ्रीका महाद्वीप दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने जा रहा है।
- अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, अतः भारत अपनी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए इसके विशाल संसाधनों के दोहन करने की कोशिश कर रहा है।

4.5. उपराष्ट्रपति की उत्तर अफ्रीकी देशों की यात्रा

(Vice president's Visit to North African Nations)

उपराष्ट्रपति ने उत्तरी अफ्रीकी देशों मोरक्को और ट्यूनीशिया की आधिकारिक यात्रा की।

A. भारत-मोरक्को

भारत और मोरक्को ने संस्कृति और कूटनीति पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

- संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता और सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से संगीत, कला और अभिलेखागार, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग बढाना।
- राजनयिकों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए, संचार और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को बढ़ाना।

व्यापारिक संबंध

- उपराष्ट्रपति और मोरक्को के प्रधानमंत्री अब्देलिलाह बेन्किराने द्वारा इंडिया-मोरक्को चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (IMCCI) का उदघाटन किया गया।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.26 अरब डॉलर तक पहुँच गया है जिसमें लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी भारतीय निर्यात की है।

B. भारत-ट्यूनीशिया

यात्रा के मुख्य बिन्दु

- हस्तशिल्प, आईटी एवं संचार तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए दो सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये गए|
- भारत अगले पांच साल में 350 ट्यूनीशियाई छात्रों को प्रशिक्षित करेगा और दोनों पक्ष समझौते के अनुसार एक दूसरे की पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देंगे।
- पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार 340 मिलियन अमरीकी डालर से थोड़ा अधिक था। भारत ट्यूनीशिया के वैश्विक फॉस्फोरिक एसिड निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत आयात करता है।
- ट्यूनीशिया विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के दावे का समर्थन करता है।

ट्यूनीशिया 'अरब स्प्रिंग का उद्गम' है जो प्रसिद्ध बगावतों की श्रृंखला में बदला और जिसने 2011 में पूरे अरब जगत को बदलकर रख दिया। ट्यूनीशिया की जैस्मीन क्रांति अरब स्प्रिंग के लिए ट्रिगर थी।

VISION IAS

4.6. प्रधानमंत्री की अफ़्रीकी देशो की यात्रा

(Prime Minister's Visit to African Nations)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार अफ़्रीकी देशों मोजाम्बिक, दक्षिण अफ़्रीका, तंजानिया और केन्या की ऐतिहासिक यात्रा की। इस यात्रा का केंद्रबिंदु हाइड्रोकार्बन, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, कृषि और खाद्य के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाना था।

भारत-मोजाम्बिक

यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्नलिखित समझौतों पर हताक्षर किए गए:-

- दवाओं की मांग में कमी और मादक दवाओं, मादक पदार्थों और पूर्ववर्ती रसायनों (precursor chemicals) और संबंधित सामग्री के अवैध व्यापार के रोकथाम पर समझौता ज्ञापन।
- युवा मामले और खेल के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।
- मोजांबिक से दाल की खरीद के लिए लंबी अवधि के करार।
- भारत मोजाम्बिक से दालों की खरीद भारत में दालों की निरंतर कमी को पूरा करने और इसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए करेगा।

सहयोग के अन्य क्षेत्र

ऊर्जा

- प्रधानमंत्री की मोजाम्बिक यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश भारत के अफ्रीका केन्द्रित भारी निवेश के लिए बेहतर गंतव्य स्थल है।
- इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट के बाद दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा वार्ता की गति तीव्र हुई है।

सुरक्षा और रक्षा

- भारत मोजाम्बिक के सुरक्षा बलों की क्षमता निर्माण में मदद करेगा।
- भारत और मोजाम्बिक अफ्रीकी मुख्य भूमि और हिंद महासागर क्षेत्र में उभरते "रणनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों" को पूरा करने में सहयोग करने के लिए सहमत हुए।

भारत-दक्षिण अफ्रीका

भारत और दक्षिण अफ्रीका रक्षा उत्पादन, विनिर्माण, खनन और खनिज के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुए तथा आतंकवाद का मुकाबला करने और बहुपक्षीय मंचों पर मुद्दों से निपटने में "सक्रिय" सहयोग के लिए वचनबद्धता दिखायी।

यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों और समझौता ज्ञापनों पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए:

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन,
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर नवाचार की स्थापना पर समझौता ज्ञापन,
- पर्यटन पर समझौता ज्ञापन; तथा
- सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम।

यात्रा के प्रमुख आकर्षण

- मेक इन इंडिया के लिए अभियान: प्रधानमंत्री ने रक्षा उद्यमियों को भारत में एक विनिर्माण आधार स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जिसे भारत और दक्षिण अफ्रीका के घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही किसी तीसरे देश को निर्यात हेतु भी प्रयुक्त किया जा सकेगा।

- प्रधानमंत्री ने 1893 की घटना की स्मृति में पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन के लिए एक ट्रेन यात्रा की। इसी स्टेशन पर महात्मा गांधी को उनकी त्वचा के रंग के कारण ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था।

दक्षिण अफ्रीका का महत्व

- भारतीय डायस्पोरा: दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के 12 लाख लोग रहते हैं।
- दक्षिण अफ्रीका NSG का सदस्य है। इसका सहयोग NSG में भारत के प्रवेश के लिए आवश्यक है।
- दोनों देश प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समूहों यथा G-20, ब्रिक्स, ISBA और IORA के सदस्य हैं।
- दोनों देश सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं।

भारत-तंजानिया

भारत और तंजानिया आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के दो महत्वपूर्ण खतरों का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु सहमत हुए।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों/समझौतों की सूची:-

- जल संसाधन प्रबंधन और विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन।
- दोनों देशों के बीच राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौते पर समझौता ज्ञापन।
- भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) और लघु उद्योग विकास संगठन तंजानिया (SIDO) के बीच संयुक्त कार्य योजना (JAP) पर समझौता।
- तंजानिया की सरकार और भारत सरकार के बीच जंजीबार में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।
- जंजीबार में पुनर्वास और पानी की आपूर्ति प्रणाली में सुधार के लिए $92 मिलियन की क्रेडिट लाइन।

'Solar Mamas'

'सौर माँ', (Solar Mamas) वस्तुतः अफ्रीका के ग्रामीण महिलाओं सौर इंजीनियरों का एक समूह है, जो भारत सरकार-समर्थित कार्यक्रम के तहत अपने गांवों में सौर लालटेन और घरेलू सौर प्रकाश प्रणाली का निर्माण करने, उन्हें स्थापित करने, उपयोग, मरम्मत और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किए गये हैं।

भारत-केन्या

भारत और केन्या ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने प्रतिरक्षा, सुरक्षा एवं दोहरे कराधान से बचाव (DTAA) सहित सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौतों की सूची निम्नलिखित हैं:

- संशोधित DTAA,
- राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर द्विपक्षीय समझौता,
- रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन: यह जलराशि विज्ञान और उपकरणों की आपूर्ति में कर्मचारियों के आदान-प्रदान, विशेषज्ञता साझा करने, प्रशिक्षण एवं सहयोग से संबंधित समझौता है,
- मानकीकरण, विशेषज्ञता और साझा व्यापार के क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो और केन्याई मानक ब्यूरो के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन,
- राष्ट्रीय आवास नीति विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन,
- केन्या में विभिन्न छोटे और मध्यम उद्यमों को विकासित करने के लिए केन्या के IDB कैपिटल लिमिटेड को 15 मिलियन डॉलर (30 लाख डॉलर की पहली किश्त) का लाइन ऑफ क्रेडिट,
- केन्या सरकार को केन्या स्थित रिफ्ट वैली टेक्सटाइल्स फैक्ट्री [RIVATEX East Africa Limited] के उन्नयन के लिए 29.95 डॉलर मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट।

VISION IAS

5. हिंद महासागर क्षेत्र

(Indian Ocean Region)

5.1. भारत-हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)

(India-Indian Ocean Region [IOR])

हिंद महासागर दुनिया के कुल महासागर क्षेत्र के कम से कम 20% हिस्से में फैला है और अफ्रीका ,अरब प्रायद्वीप (पश्चिमी हिंद महासागर), भारत का तटीय हिस्सा (केंद्रीय हिंद महासागर), और म्यांमार के पास बंगाल की खाड़ी और इंडोनेशिया (पूर्वी हिंद महासागर) से घिरा है।

- विश्व के कुछ प्रमुख रणनीतिक चेक पॉइंट्स जिनमें होर्मुज एवं होर्मुज और मलक्का जलडमरूमध्य प्रमुख है, स्थित है।
- यह महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग प्रदान करता है जो मध्य-पूर्व ,अफ्रीका और दक्षिण एशिया को व्यापक पूर्वी एशियाई महाद्वीप तथा यूरोप को पश्चिम से जोड़ते हैं।
- दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक चोकपॉइंट (Chokepoints) जिनमें होर्मुज और मलक्का जलडमरूमध्य प्रमुख है, यही स्थित है।

हिंद महासागर क्षेत्र में चुनौतियां

- सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती की घटनाओं में कमी के बावजूद हिंद महासागर में गैर पारंपरिक चुनौतियों में अचानक वृद्धि देखी गयी है।
- पिछले दो वर्षों में एशियाई तटीय क्षेत्रों में एक रिकार्ड संख्या में नशीली दवाओं को पकड़ा गया (अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक ऑस्ट्रेलियाई युद्धपोत द्वारा एक तस्करी पोत से 150 किलो से अधिक हेरोइन की जब्ती, हिन्द महासागर क्षेत्र में नशीली दवाओं के खतरे की गंभीरता का नवीनतम मामला है)।
- दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासन और मानव तस्करी की घटनाओं में भी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल, बांग्लादेश और म्यांमार से शरणार्थी आंदोलन में तेजी से अभूतपूर्व मानवीय संकट उत्पन्न हुआ।

भारत की भूमिका

- भारतीय नौसेना ने सुदूर समुद्र (high seas) में समुद्री डकैती रोकने में अहम भूमिका निभाई है और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, संयुक्त अभ्यास और बहुपक्षीय आदान-प्रदान के साथ अपने आप को "शुद्ध सुरक्षा प्रदाता" के रूप में स्थापित किया है।
- भारत विभिन्न समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) अभ्यास के माध्यम से छोटे हिंद महासागर के द्वीप राष्ट्रों तक पहुंच बना रहा है।
- समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) अभ्यास में शामिल हैं:
    - खोज और बचाव (**Search and Rescue,** SAR) सहयोग।
    - तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास।
    - कानूनी मामलों में सहायता।
- भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के देशों जैसे श्रीलंका, मॉरीशस, मालदीव और सेशेल्स की प्रशिक्षण, जल सर्वेक्षण, निगरानी के संचालन और आतंकवाद से लड़ने के लिए गश्ती दल तैनात किये जाने आदि के रूप में सहायता की है।
- भारत और चीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर में अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों को विस्तृत करने के प्रयासों में लगे हैं।
- यह देखते हुए कि दुनिया के तेल शिपमेंट का दो-तिहाई भाग, एक तिहाई बल्क कार्गो और आधा कंटेनर यातायात हिंद महासागर के चैनलों से होता है ,इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व निर्विवाद है। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए हमें विस्तारित पड़ोस के साथ रणनीतिक संबंध बनाने की आवश्यकता है।

5.2. प्रधानमंत्री की हिन्द महासागरीय देशों की यात्रा

(Prime Minister Visit of India Ocean Countries)

भारत के प्रधानमंत्री ने आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तीन हिंद महासागरीय देशों का दौरा किया। यह इस क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाने की तथा नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की भारत की इच्छा को प्रदर्शित करता है। चीन के द्वारा इन देशो में हाल के दिनों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश, भारत के लिए चिंता का विषय है।

- जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका का दौरा किया, तो इससे हिंद महासागर क्षेत्र में समग्र सुरक्षा प्रदाता (net security provider) के रूप में, भारत की भूमिका को बल मिला।
- भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच मौजूदा समुद्री सुरक्षा सहयोग व्यवस्था में शामिल होने के लिए भारत ने सेशेल्स और मॉरीशस को आमंत्रित किया है।
- भारत हिन्द महासागर के लिए एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयासरत है,जो इसके 'सागर' नाम को सार्थक करे। सागर अर्थात क्षेत्र मेंसभी के लिए सुरक्षा और विकास ('SAGAR — Security and Growth for All in the Region)
- भारत, हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देशों को उनके समुद्री क्षेत्र सतर्कता क्षमताओं को, मजबूत बनाने और क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
- श्री मोदी ने कहा कि हिंद महासागर में शांति, स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो का है।
- श्री मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है- विश्वास और पारदर्शिता का वातावरण बनाना; सभी देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों के प्रति सम्मान; एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता; समुद्री सुरक्षा के मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान; और समुद्री सहयोग में वृद्धि।

भारत और मॉरीशस संबंध:

भारत और मॉरीशस_के बीच, हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के आधार पर अद्वितीय सम्बन्ध हैं। मॉरीशस में 70% जनसँख्या भारतीय मूल के लोगों की है। मॉरीशस अपना राष्ट्रीय दिवस ,12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के दांडी मार्च के सम्मान में मनाता है, जिन्होंने मार्च 1930 में इसी दिन दांडी यात्रा की शुरुआत की थी।

- भारत ने विकास या सुरक्षा परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ़ क्रेडिट उपलब्ध कराया है तथा इन विकास या सुरक्षा परियोजनाओं के बारे में फैसला करने का अधिकार भी मॉरीशस को दिया है।
- मॉरीशस का एक विशाल,विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, जो 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है।
- मॉरीशस के लिए एक भारत निर्मित नौसैनिक गश्ती पोत, 'बाराकुडा' को, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अधिकृत किया गया। उन्होंने कहा कि यह हिंद महासागर को और अधिक सुरक्षित बनाएगा।
- अपनी रणनीतिक अवस्थिति के आधार पर मॉरीशस को हिंद महासागर में समुद्री गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। समुद्री गश्ती पोत के अधिग्रहण द्वारा समुद्री डकैती जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों को रोकने, इस क्षेत्र में स्थित व्यापक परिसंपत्तियों के बेहतर नियंत्रण में और विभिन्न द्वीपों के बीच संवादहीनता को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

GREAT POWER COMPETITION IN THE INDIAN OCEAN

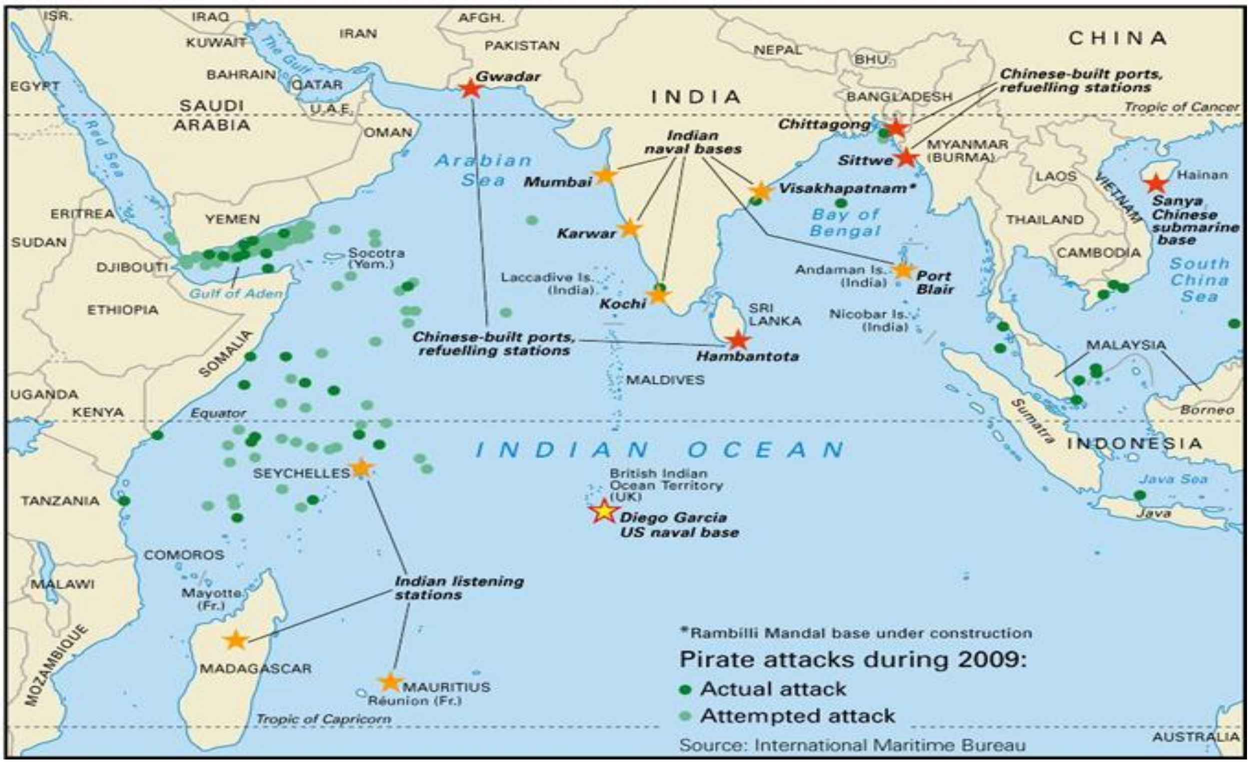

भारत और सेशेल्स संबंध

प्रधानमंत्री 34 साल बाद ,सेशेल्स की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। सेशेल्स इस क्षेत्र में भारतीय सहायता प्राप्त करने वाले सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक है।

- दोनों देशों के गहन संबंध समुद्री सुरक्षा और विकास में सहयोग के दोहरे आधार पर आधारित है। सेशेल्स के पास, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है, जिसे देखते हुए भारत सेशेल्स की समुद्री सुरक्षा सहायता में संलग्न रहा है।
- विकास में सहयोग, भारत की विस्तारित समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें समुद्र में डकैती और आतंकवाद रोकने में सहयोग के अलावा गश्ती पोत और जल सर्वेक्षण आदि भी शामिल हैं। साथ ही इसमें क्षमता निर्माण शामिल है, जिसके तहत सेशेल्स की एक प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या को आईटीईसी के तहत प्रशिक्षित किया जाना है।
- दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अक्षय ऊर्जा जैसे विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों में सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराने की परम्परा रही है।
- सेशेल्स, भारत और अफ्रीकी संघ के मध्य पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना का एक हिस्सा है।

सेशल्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- भारत आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक सहयोग के विस्तार से और सामरिक भागीदारी के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहता है। भारत ने 2005 से चार पश्चिमी हिंद महासागर द्वीप राष्ट्रों को साथ लाने के लिए एक नीति शुरू की है और सेशल्स इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- अंतरराष्ट्रीय समुद्री संचार मार्गों की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्थिति वाला देश सेशेल्स, विकासशील लघु द्वीपीय राष्ट्रों के समूह(SIDS-Small Island Developing States) का भी नेतृत्व करता है|इस प्रकार सेशेल्स और भारत के मध्य सहयोग के लिए एक विस्तृत क्षेत्र विद्यमान है।
- यह 'नीली अर्थव्यवस्था' को आगे बढ़ाने में अग्रणी है, जिसमें बहुत से पहलू जैसे पर्यावरण, हाइड्रोकार्बन, समुद्री अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा और महाद्वीपीय शेल्फ का पर्यवेक्षण आदि शामिल है। मोदी ने कहा कि समुद्री अर्थव्यवस्था हमारे भविष्य की चुनौतियों को पूरा करनेके लिए अपरिहार्य है।
- चीनी उपस्थिति

✓ चीन इन द्वीपीय देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के साथ पैठ बना रहा है| यह भारत के लिए चिंता का विषय है।

✓ पिछले साल नामीबिया के एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की सेशेल्स सहित हिंद महासागर क्षेत्र में 18 नौसैनिक अड्डों के स्थापना की योजना है। इससे भारत की चिंता और बढ़ गयी है। इसलिए यह जरूरी है कि भारत इस द्वीप राष्ट्र के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी करे जिससे चीन द्वारा प्रदान किये जाने वाले आर्थिक या वाणिज्यिक लाभ, बेअसर हो जाएँ और इस द्वीप देश को चीन एक सैन्य अड्डे की तरह उपयोग न कर पाए।

- यह द्वीप राष्ट्र पूर्वी अफ्रीका के लिए प्रवेश द्वार की तरह है, जिसकेसाथ भारत के ऐतिहासिक रूप से सामाजिक-वाणिज्यिक संबंध हैं। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि सेशेल्स भारतीय कंपनियों के लिए उभरता हुआ बाजार है।

सुरक्षा सहयोग

- भारत ने सेशेल्स के एजम्प्शन (Assumption) द्वीप के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। इससे इस साझेदारी को मजबूती मिलेगी। यह द्वीप 11 वर्ग किमी से अधिक में फैला हुआ है और मेडागास्कर के उत्तर में एक रणनीतिक जगह पर स्थित है।
- लामित्ये सैन्य अभ्यास. 2016: भारतीय सेना एवं सॅशेल्स पीपुल्स डिफेंस फ़ोर्सेस (Seychelles People's Defence Forces, SDPF) के बीच सातवां संयुक्त सैन्याभास लामित्ये-2016 का आयोजन सॅशेल्स डिफेन्स एकेडमी, विक्टोरिया में किया गया।
- सॅशेल्स में नौसैनिक वायुयान का अभियान: भारतीय नौसेना ने पहली बार नौसैनिक सर्वेक्षण वायुयान(maritime reconnaissance aircraft) को सशेल्स में तैनात किया है। इसका कार्य सॅशेल्स के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की निगरानी करना है।

6. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप

(Australia, New Zealand And Pacific Islands)

6.1. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध

(India-Australia)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कई समानताएं हैं, जो घनिष्ठ सहयोग और बहुमुखी बातचीत के लिए एक आधार प्रदान करती हैं। दोनों मजबूत, जीवंत, धर्मनिरपेक्ष और बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र हैं। दोनों में स्वतंत्र प्रेस और एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है तथा अंग्रेजी भाषा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्रिकेट लोकप्रिय स्तर पर जागरूकता का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया परमाणु समझौता

- भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य सितंबर 2014 में असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए
- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने "भारत-ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु समझौते" की प्रक्रियाओं की पूर्णता की घोषणा की। प्रशासनिक व्यवस्थाओ और प्रक्रियाओं के पूरा होने के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया परमाणु समझौता लागू हो जाएगा।
- इस कदम के साथ परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का अनुसमर्थन न करने पर भी भारत ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने वाला पहला देश बन जाएगा।
- यह संधि ऑस्ट्रेलिया के साथ गहरे होते रणनीतिक संबंधो को रेखांकित करती है।
- ऑस्ट्रेलिया में विश्व के लगभग 40% यूरेनियम भण्डार हैं और यह प्रतिवर्ष लगभग 7000 टन येलो केक का निर्यात करता है।

व्यापार

- दोनों देशों के मध्य अनुमानत: 15 अरब डॉलर का व्यवसाय होता है।
- व्यापार के विस्तार के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक 'व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते'(CEPA) को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने पर सहमत हुए हैं।
- ऑस्ट्रेलिया डेयरी उत्पाद, ताजे फल, फार्मास्यूटिकल्स और वाइन में टैरिफ में कमी के लिए जोर दे रहा है। भारत ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कपड़ा और ताजा फल पर कोई शुल्क नहीं चाहता है। भारत ने सेवा क्षेत्र में अधिक से अधिक पहुँच की मांग की है।

रक्षा संबंध

- भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की सीमा हिंद महासागर से लगती है और नेविगेशन और व्यापार की स्वतंत्रता के रखरखाव में दोनों के साझा हित हैं।
- ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है।
- ऑस्ट्रेलिया और भारत साथ मिलकर समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, पहला औपचारिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास (AUSINDEX) 2015 में विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित किया गया।
- लोगों से लोगों के बीच कार्मिक एवं प्रशिक्षण विनिमय के माध्यम से हमारे रक्षा बलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

बहुपक्षीय सहयोग

- भारत और ऑस्ट्रेलिया विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों राष्ट्रमंडल, IOR-ARC, ASEAN क्षेत्रीय मंच, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और जलवायु और स्वच्छ विकास पर एशिया-प्रशांत साझेदारी के सदस्य हैं। 2008 में, ऑस्ट्रेलिया सार्क में पर्यवेक्षक राष्ट्र बना।

6.2. भारत और न्यूजीलैंड

(India and New Zealand)

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा की गयी। भारत के किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा यह न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा थी।

यात्रा के परिणाम

- राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और कौशल विकास के साथ-साथ उच्च तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के बारे में चर्चा की।

VISION IAS

- इस यात्रा के दौरान भारत और न्यूजीलैंड ने पर्यटन और व्यापार के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को संभव बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

न्यूजीलैंड का महत्व

- व्यापार: भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2015 में 885 मिलियन डालर था, जिसमें से भारत का निर्यात वर्ष 2015 में 429 मिलियन डालर था। अतः स्वाभाविक रूप से दोनों देशों के मध्य व्यापार में वृद्धि की अपार सम्भावना है। दोनों देश एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।
- भारतीय डायस्पोरा: न्यूजीलैंड भारतीय मूल के 170,000 से अधिक लोगों का घर है।
- न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम कुशल प्रवासियों के लिए यह समझौता एक बड़ा अवसर है।
- उच्चतर शिक्षा: भारतीय छात्रों की संख्या न्यूजीलैंड में उपस्थित कुल विदेशी छात्रों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है ।
- न्यूजीलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है।
- न्यूजीलैंड को कोल्ड स्टोरेज आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रौद्योगिकी में महारत हासिल है, दोनों ही तकनीकियाँ भारतीय हितों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- एक शांतिपूर्ण एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दोनों ही राष्ट्रों के साझे हित निहित हैं अतः ये इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में भागीदार के रूप में काम कर सकते हैं।
  - न्यूजीलैंड भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के लिए महत्वपूर्ण देश है।
  - न्यूजीलैंड का प्रशांत द्वीपीय देशों पर अत्यधिक प्रभाव है।

6.3. भारत – प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC)

(India-Pacific Islands Cooperation [FIPIC])

भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग के लिए 2014 में गठित एक बहुराष्ट्रीय समूह है।

- भारत ने प्रशांत द्वीपीय देशों के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मेलन भारत-प्रशांत द्वीपों के बीच सहयोग के लिए मंच उपलब्ध कराने के लिए आयोजित किया गया था। इसका आयोजन क्षेत्र में भारत की उपस्थिति का विस्तार करने की रणनीति के अंतर्गत किया गया था जो कि आर्थिक और भू-राजनीतिक रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके एजेंडें में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, सौर ऊर्जा, टेलीमेडिसिन और टेली-शिक्षा में समन्वय शामिल है। इसके अंतर्गत ई-नेटवर्क, अंतरिक्ष-सहयोग और जलवायु परिवर्तन शामिल है जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपनी 2014 की फिजी यात्रा के दौरान सहयोग के संभावित क्षेत्रों के रूप में किया था ।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने फिजी द्वीप पर एक नए अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह निगरानी स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। फिजी में एक उपग्रह निगरानी स्टेशन भारत को एक स्वतंत्र उपग्रह निगरानी क्षमता प्रदान करेगा। वर्तमान में भारत , प्रशांत महासागर के ऊपर अपने उपग्रहों की निगरानी के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सहायता पर निर्भर है।
- जयपुर शिखर सम्मेलन में दक्षिण- प्रशांत महासागर के 14 द्वीपीय देशों के बढ़ते भूराजनीतिक महत्व को रेखांकित किया गया। ये देश एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में स्थित होने के साथ ही संसाधनों से समृद्ध हैं और संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़े मतदाता समूह हैं।

विश्लेषण

- फिजी का इस क्षेत्र में काफी प्रभाव है और फिजी के साथ भारत के मजबूत संबंधों से क्षेत्र में बढ़ रहे चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।
- विश्लेषकों का कहना है कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि, मत्स्य पालन और लघु उद्योगों पर आधारित है। इन क्षेत्रों में भारत की क्षमता यूरोप और चीन से भी बेहतर है। इसलिए भारत अपनी प्रौद्योगिकी के आधार पर इन द्वीपीय देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है।
- इस क्षेत्र मे किया गया सीमित प्रयास भी महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेगा।
- इनमें से कई देश भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से अपने नागरिकों को शिक्षा के लिए भारत भेजते हैं।
- इन देशों का समर्थन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बनने की भारत की दावेदारी के लिए महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रपति की पापुआ न्यू गिनी यात्रा

(President visit to Papua New Guinea)

VISION IAS

यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा पापुआ न्यू गिनी की पहली आधिकारिक यात्रा थी।

राष्ट्रपति की इस यात्रा के मुख्य बिंदुः

- कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में चार समझौता ज्ञापन (MoU)।
- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना के लिए एक समझौते सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पापुआ न्यू गिनी को 100 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट।
- भारत संयुक्त उद्यमों और निवेश के माध्यम से पापुआ न्यू गिनी के विशाल तेल और गैस संसाधनों का पता लगाने और उन्हें विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
- पापुआ न्यू गिनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे के संबंध में अपने समर्थन को दोहराया तथा एक प्रस्तावित द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौते (IPPA) द्वारा निवेश को सुसाध्य बनाने में तेजी लाने के लिए सहमति व्यक्त की।
- इसने भारतीय पर्यटकों के लिए आगमन-पर-वीजा (वीजा-ऑन-अराइवल) सुविधा की घोषणा की।
- FIPIC अर्थात् भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम, एक बहुपक्षीय मंच है जो नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
- भारत प्रशांत महासागरीय द्वीपों के साथ अपने सहयोग को 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक प्रमुख घटक मानता है।

7.अमेरिका

(USA)

7.1.भारत -अमेरिका सम्बन्ध

(India-USA relation)

भारत-USA द्विपक्षीय संबंध,साझे लोकतांत्रिक मूल्यों एवं द्विपक्षीय ,क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बढती समानता के आधार पर वैश्विक रणनीति साझेदारी में विकसित हो चुके हैं ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिका की यात्रा की।

संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य	**भारत ने क्या दिया**	**भारत को क्या मिला**
जलवायु और ऊर्जा	मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत दुबई मार्ग का अनुसरण करते हुए "एक महत्त्वाकांक्षी चरणबद्ध अनुसूची के साथ", वर्ष 2016 में HFCसंशोधन की दिशा में कार्य	अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की सदस्यता प्राप्त करना चाहेगा
	अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन सभा (**International Civil Aviation Organization Assembly**) में वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस पर बातचीत द्वारा एक "सफल परिणाम" तक पहुँचना	छह **AP1000** रिएक्टरों का वेस्टिंगहाउस द्वारा निर्माण किया जाएगा; भारत और अमेरिका निर्यात आयात बैंक परियोजना के लिए एक प्रतिस्पर्धी वित्तीय पैकेज हेतु एक साथ काम करेंगे।
	दोनों देशों द्वारा समान रूप से समर्थित एक 20 मिलियन डॉलर के "US-इंडिया क्लीन एनर्जी फाइनेंस"(USICEF) पहल की घोषणा।	
	दोनों देशों द्वारा समान रूप से समर्थित 40 मिलियन डॉलर के US-भारत कैटेलिटिक सोलर फाइनेंस कार्यक्रम की घोषणा।	
निर्यात नियंत्रण और रक्षा सहयोग	अमेरिका भारत को "प्रमुख रक्षा साझेदार (**major defence partner**)" में से एक के रूप में नामित करेगा।	अमेरिका ने NSG, मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था, आस्ट्रेलिया समूह और वासेनार व्यवस्था में भारत के प्रवेश के लिए समर्थन की पुष्टि की।
	लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता ज्ञापन के लिखित स्वरुप को "अंतिम रूप" दिया गया।	अमेरिका ने भारत द्वारा 2018 में काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टेररिज्म पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है।
	एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अमेरिका व भारत के बीच का संयुक्त सामरिक दृष्टिकोण आने वाले वर्षों में सहयोग के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा।	भारत अमेरिकी कानून के अनुरूप "डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी" की विस्तृत श्रृंखला तक लाइसेंस मुक्त पहुँच प्राप्त करेगा।
		भू-प्रेक्षण उपग्रह आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन को "अंतिम रूप" दिया गया।
साइबर	सूचना के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए "प्रतिबद्धता"।	साइबर अपराध से निपटने के लिए एजेंसियों

VISION IAS

		के बीच घनिष्ठ सहयोग
	भारत आईसीटी के माध्यम से बौद्धिक संपदा सहित ट्रेड सीक्रेट या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अन्य गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की चोरी के खिलाफ मानकों का समर्थन करता है।	अमेरिका भारत में "महत्वपूर्ण इंटरनेट अवसंरचना" को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
	साइबर सुरक्षा मानकों और सुरक्षा के परीक्षण पर अधिक से अधिक सहयोग।	अपने क्षेत्र से चलाई जा रही दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि से निपटने के लिए मानक तय करना।
आतंकवाद का मुकाबला		अमेरिका द्वारा "2008 के मुंबई हमले और [पहली बार] 2016 के पठानकोट आतंकवादी हमलों" के दोषी व्यक्तियों को सजा देने संबंधी पाकिस्तान की जिम्मेदारी को स्वीकारा गया।
		अमेरिका ने यूएन कॉम्प्रिहेंसीव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।
व्यापार	बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दों पर ठोस प्रगति की दिशा में काम करना और दोनों देशों में "ड्राइवर्स ऑफ़ इनोवेशन" के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना।	
	अफ्रीकी भागीदारों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग की पुन: पुष्टि की, इसमें "कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं"।	

7.2. रक्षा संबंध

(Defense Relation)

रक्षा संबंधों को तीन श्रेणियों में समेकित किया गया है: अमेरिका से रक्षा खरीद के साथ ही साथ 14 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की सह विकास परियोजनाएँ ; समन्वय, सहयोग और दोनों सुरक्षा बलों के बीच सूचना के आदान-प्रदान; और त्वरित रूप से,पायरेसी, शांति और गश्ती पर परिचालन पर एक साथ काम करने के प्रस्ताव पर।

लोजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (LEMOA)

केंद्रीय रक्षा मंत्री और अमरीकी रक्षा सचिव ने लोजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (LEMOA) पर हस्ताक्षर किए।

- LEMOA दोनों देशों में से किसी में भी "स्थायी बेस" की स्थापना का प्रावधान नहीं करता है।
- LEMOA केवल "परस्पर आधारित सुविधाओं " की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है। यह मामले विशेष पर आधारित होगा, जो संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्रों से भी आपातकालीन निकास के रूप में मानवीय राहत कार्यों में तेजी लाने में मदद करने के उद्देश्य पर आधारित होगा।
- कुछ निश्चित परिस्थितियों में, यह दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच ऑपरेशनल लोजिस्टिक्स को भी सरल बनाने में मदद कर सकता है।
- यदि यह समझौता संपन्न हो गया तो अमेरिकी युद्धक विमान और जंगी बेड़े भारतीय सैन्य छावनियों में साजो सामान के लिए, ईंधन इत्यादि भरने और मरम्मत सम्बन्धी कार्यों के लिए रुक सकेंगे, ठीक यही सुविधा अमेरिकी छावनियों में भारतीय सेना को भी मिलेगी।
- अमेरिका ने भारत को एक 'मुख्य रक्षा सहयोगी' के रूप में चिन्हित किया है यह वर्गीकरण भारत को अमेरिका से और अधिक उन्नत एवं संवेदनशील प्रोद्योगिकियां खरीदने की अनुमति देगा
- भारत और अमेरिका ने एक नए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 10 वर्ष के रक्षा फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसमे जेट इंजन, विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण सहित रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी का संयुक्त विकास शामिल है।

VISION IAS

समुद्री सुरक्षा समझौताः

- भारत ने बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास RIMPAC में अगले कई वर्षों तक भाग लेने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। रिम ऑफ़ द पैसिफिक एक्सरसाइज (RIMPAC) दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास है।
- वाणिज्यिक नौवहन यातायात पर डेटा साझा करने की क्षमता में सुधार करने के लिए व्हाइट शिपिंग टेक्निकल अरेंजमेंट समझौते को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की गयी।
- सबमरीन सेफ्टी और एंटी-सबमरीन वारफेयर पर विमर्श के लिए नेवी-टू-नेवी संवाद प्रारम्भ किये जाने संबंधी समझौता।

US-इंडिया डिफेन्स टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप एक्टः पिछले एक दशक में भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत अब तक अमेरिका से 10 बिलियन डॉलर से अधिक के रक्षा उपकरण खरीद चुका है।

- हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में US-इंडिया डिफेन्स टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप एक्ट पेश किया गया, जिसमें भारत को व्यापार और तकनीकी हस्तांतरण के संदर्भ में अमेरिका के नाटो सहयोगियों के समकक्ष रखा गया। इस तरह यह अधिनियम रक्षा निर्यात बाजार में भारत का ओहदा बढ़ाता है।
- यह अधिनियम दोनों देशो के बीच 'डिफेन्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव (DTTI) फ्रेमवर्क और पेंटागन में स्थित इंडिया रैपिड रिएक्शन सेल (IRRC) को संस्थागत रूप प्रदान करेगा।
- उच्च प्रौद्यौगिकी सहयोग को और मजबूत करने तथा उच्च प्रौद्यौगिकी प्लेटफॉर्म के सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए 2012 में IRRC का गठन किया गया।

विश्लेषण

- LEMOA पर हस्ताक्षर करके भारत ने विश्व को स्पष्ट सन्देश दिया है कि उसे अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी में कोई संकोच नहीं है। यह भारत व अमेरिका के संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन लाने में समर्थ होगा।
- कई विश्लेषक मानते हैं कि नई दिल्ली की ऐसी रणनीतिक साझेदारी इसके अन्य देशों के साथ स्थापित संबंधों पर प्रभाव डालेगी।
- कुछ विश्लेषक इसके भारत की स्वतन्त्र विदेश नीति पर कुप्रभावों की भी आशंका जता रहे हैं।

7.3.सौर विवाद:

(Solar Dispute)

राष्ट्रीय सौर मिशन:

- मिशन का उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस मिशन ने वर्ष 2022 तक ग्रिड संपर्क के साथ 20,000 मेगा वाट की सौर ऊर्जा अवसंरचना स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- 2015 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) के अंतर्गत भारत की सौर ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2022 तक पांच गुना बढ़ाकर 1,00,000 मेगावाट करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान की है।
- सरकार ने घरेलू विनिर्माताओं के लिए निविदाएं प्रस्तुत कर, सौर ऊर्जा क्षमता संपन्न बड़े संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्यान्वियन एजेंसी को 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट तक की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भी दिया है।

अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सौर मिशन का विरोध:

संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन **(WTO) में** देश के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत भारत की **घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR)** के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई है।

- अमेरिका ने दावा किया है कि DCR **राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत** एवं **व्यापार संबंधित निवेश उपायों (TRIMS)** पर समझौते जैसे WTO के समझौतों का उल्लंघन करता है।
- अमेरिका की व्यापार संबंधी शिकायत ने 2013 में आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की सब्सिडियाँ, डेवलपर्स (विकासकर्ताओं) द्वारा केवल भारत में निर्मित उपकरणों का प्रयोग करने पर ही उपलब्ध थीं। यह प्रतिबंध वैश्विक व्यापार के एक मूलभूत नियम का उल्लंघन करता था।

अमेरिका के लिए भारत का प्रस्ताव:

भारत इस तथ्य के प्रति आश्वस्त है कि डी.सी.आर. संधारणीय विकास को सुसाध्य करने की एक व्यवस्था है।

- भारत का प्रस्ताव है कि यह स्वयं के उपभोग जैसे रेलवे और रक्षा हेतु सोलर पैनल खरीदने के लिए घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR) उपायों का प्रयोग करेगा और ऐसे रियायती पैनलों से उत्पन्न विद्युत को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विक्रय नहीं करेगा।

विश्व व्यापार संगठन के निर्णय:

अमेरिका द्वारा भारत के विरुद्ध उठाये गए विवाद तथा नई दिल्ली द्वारा अपने सौर ऊर्जा कार्यक्रम में सुझाए गए परिवर्तनों पर सहमति नहीं बनने के बाद, अब 3 वर्षों बाद विश्व व्यापार संगठन का निर्णय आया है। विश्व व्यापार संगठन के निर्णय के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- भारत की प्रश्नाधीन घरेलू सामग्री आवश्यकताएँ, ट्रिम्स समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित निदर्शी सूची के लिए व्यापार-संबंधित निवेश उपाय हैं अतः ये ट्रिम्स समझौते के अनुच्छेद 2.1 के प्रावधानों के साथ असंगत हैं।
- पैनल ने यह भी पाया कि **घरेलू सामग्री आवश्यकताएँ (DCR)** जिन पर कि प्रश्न उठाया गया था वे निश्चय ही GATT 1994 के अनुच्छेद III:4 के अनुसार "कम अनुकूल व्यवहार" प्रदान करती थीं।
- हालांकि, पैनल ने भारत द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सब्सिडी पर कोई निर्णय नहीं दिया।

विश्लेषण:

इस महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा कार्यक्रम से सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिणामों की संभावना को देखते हुए, भारत अपीलीय निकाय के समक्ष WTO के निर्णय का विरोध करने के लिए विवश हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान पैनल के निर्णयों को विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में चुनौती दी जा सकती है।

- कई विश्लेषक यह अनुभव करते हैं कि WTO के निर्णय के न केवल भारत बल्कि ऐसे कई विकासशील देशों के लिए व्यापक निहितार्थ होगें जो हरित (पर्यावरण संरक्षी) अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR) द्वारा लाखों लोगों को घोर गरीबी से उबारने के लिए रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त **पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते** के बाद, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने हेतु पर्यावरण संरक्षी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है।
- अंतिम निर्णय पेरिस जलवायु समझौते के तुरंत बाद ही दिए गए हैं जिसमें विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करने के लिए **तकनीकी एवं वित्तीय सहायता** प्रदान करने का वादा किया था।
- पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के विकास के लिए **देशों को "सनशाइन नेशन" बनाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन** का आरंभ किया।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु दबाव निर्मित करने वाले वैश्विक समूहों ने विश्व व्यापार संगठन के निर्णय की आलोचना की है और विकासशील देशों से निवेदन किया है कि वे इन मुक्त व्यापार नियमों को लागू न करें जो स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिये संकट उत्पन्न करते हैं और जलवायु संकट से निपटने की कार्रवाई के महत्व को कम करते हैं।

7.4. भारत-अमेरिका: आतंकवाद विरोधी तंत्र में सहयोग

(India-USA: Cooperation in Anti-Terror Mechanism)

- गृह मंत्रालय ने अमेरिका की आतंकवादी स्क्रीनिंग सेंटर (Terrorist Screening Center (TSC)) द्वारा निर्मित वैश्विक आतंकी डेटाबेस से जुड़ने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया।
- अमेरिका के द्वारा पहले से ही 30 देशों के साथ ऐसे समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है। दृष्टव्य है दक TSC के डेटाबेस में 11,000 संदिग्ध आतंकवादियों के साथ उनकी राष्ट्रीयता, फोटो, उंगलियों के निशान, पासपोटश नंबर आदि विवरण उपलब्ध है।
- रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) और इंटेलिजेन्स ब्यूरो (IB) ने भारत में आतंकी संदिग्धों के डेटाबेस तक संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्बाध पहुंच प्रदान करने का विरोध किया है।

7.5. व्यापार और अर्थव्यवस्था

(Trade and Economic)

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डालर तक पहुंच गया है एवं दशक के अंत तक 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की संभावना है।

व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक

संयुक्त राज्य और भारत के बीच बढ़ती रणनीतिक निकटता के बावजूद हाल के महीनों में व्यापारिक संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले अनेक कारक रहे।

VISION IAS

- **सौर विवाद**
- **वीजा शुल्कों में वृद्धि पर संयुक्त राज्य से विवाद।**

✓ राष्ट्रपति ओबामा ने हाल ही में 1.8 ट्रिलियन डॉलर के कर एवं खर्च विधेयक पर हस्ताक्षरकर इसे कानून का रूप दे दिया। इसने अन्य बातों के साथ-साथ वीजा शुल्क में वृद्धि को प्राधिकृत कर दिया। वीजा शुल्क में यह वृद्धि 50 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली कम्पनियों पर लागू होगी जिनके 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी संयुक्त राज्य अमेरिका में H1B और L1 वीजा पर कार्य करते हैं।

✓ H1B और L1 वीजा, कुशल पेशेवरों के लिए अस्थायी कार्य वीजा होते हैं। भारत H1Bवीजा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और L1 वीजा के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से भी एक है।

✓ नैस्कॉम के अनुमानों के अनुसार, इस कदम से भारतीय IT उद्योग को 400 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष की हानि हो सकती है।

✓ भारत के अनुसार, ये उपाय GATS के अंतर्गत संयुक्त राज्य की प्रतिबद्धताओं से असंगत प्रतीत होते हैं।

✓ भारत शीघ्र ही विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय को संयुक्त राज्य द्वारा वीजा शुल्क में की गई वृद्धि से उपजे विवाद का निर्णय करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करने हेतु आवेदन करेगा।

✓ यह विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में 11 और 12 मई को आयोजित विमर्श बैठक के दौरान सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने में भारत और अमेरिका की विफलता का परिणाम है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार यदि परामर्श विफल होता है तो शिकायत करने वाला देश निपटान निकाय को पैनल नियुक्त करने हेतु निवेदन कर सकता है।

- **बौद्धिक संपदा (आई.पी.) अधिकार**

✓ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव (USTR) की वर्ष 2016 हेतु स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। यह रिपोर्ट अन्य देशों में बौद्धिक संपदा अधिकार की स्थिति का वार्षिक मूल्यांकन करती है।

✓ भारत ने बार-बार दावा किया है कि इसके आई.पी. कानून विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) मानकों का अनुपालन करते हैं और इसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार सौदों में 'ट्रिप्स प्लस' अनिवार्यताओं का विरोध किया है।

✓ संयुक्त राज्य अमेरिका, सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में दवाइयों के लिए भारत के अनिवार्य लाइसेंसिंग कानूनों और साथ ही साथ भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3(डी) का विरोध करता रहा है। धारा 3(डी) किसी उत्पाद की दक्षता में पर्याप्त वृद्धि किए बिना उसका पेटेन्ट लेने से रोकती है।

- **पोल्ट्री का आयात**

✓ संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत द्वारा विभिन्न कृषि उत्पादों (पोल्ट्री सहित) के आयात पर कथित रूप से एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) से संबंधित चिंताओं के कारण लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध वाद दायर किया था। संयुक्त राज्य ने दावा किया था कि प्रतिबंध विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विरुद्ध था और उससे भारत को किए जाने वाले इसके पोल्ट्री निर्यात को क्षति हुई।

✓ विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने पाया था कि पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों पर भारत का आयात प्रतिबंध 'भेदभावपूर्ण' था और 'वांछित रूप से अधिक व्यापार प्रतिबंधक' था, इसलिए उसने विश्व व्यापार संगठन नियमों का उल्लंघन किया।

✓ संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार, भारत विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित 19 जून की समय सीमा के भीतर निकाय की अनुशंसाओं का अनुपालन करने में विफल रहा।

✓ संयुक्त राज्य अमेरिका अब विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार प्रतिबंधों का अनुमोदन करने के लिए मध्यस्थता पैनल चाहता है जिनसे भारत को प्रतिवर्ष 450 मिलयन डालर की हानि हो सकती है।

7.6.भारत-पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका

(India-Pakistan-USA)

संयुक्त राज्य अमेरिका की डि-हाइफनेशन (de-hyphenation) नीति:

राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी सरकार ने **'डि-हाइफनेशन'** (**de-hyphenation**) नीति की कार्य-योजना निर्मित की थी लेकिन ओबामा के सत्ता में आने के बाद इस पर मुहर लगायी गयी थी।

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न विभागों के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान को, उनके द्विपक्षीय संबंधों को संदर्भित किए बिना दो पृथक भागों के रूप में देखने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लाभदायक रही है क्योंकि इस नीति से यह पाकिस्तान की ओर से किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता के बिना ही भारत के साथ रणनीतिक और सैन्य संबंधों में सुधार करने में सक्षम था।

- इसने उन्हें भारत को संदर्भित किये बिना अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान की सेना के साथ अपना सहयोग जारी रखने की रणनीति में सहयोग किया है।
- **अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि (एस.आर.ए.पी.)** संबंधी प्रावधान 2009 में किया गया था, जिसने डी-हायफ़नेशन नीति के प्रारंभ का स्वागत किया।
- नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से अपने संबंधों को पृथक-पृथक परिभाषित कर, वर्ष 2008 से दोनों देशों के संबंध में प्रश्न उठने पर अमेरिका अत्यधिक लाभ प्राप्त करता रहा है।

नीति उत्क्रमण:

- 2009 के ओबामा प्लान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को "डी-हाइफेनेट" रखता था; अब सात वर्ष बाद प्रशासन उसे बदलने के विषय में सक्रियतापूर्वक विचार कर रहा है। ओबामा सरकार **अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि (SRAP)** कार्यालय को भारत संबंधी मामले देखने वाले **दक्षिण एवं मध्य एशिया (SCA)** ब्यूरो के साथ पुन: मिलाना चाहता है।

इस निर्णय का प्रभाव:

री-हाइफनेशन (re-hyphenation) का निहितार्थ यह है कि वाशिंगटन के साथ संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत और पाकिस्तान दोनों से एक समान नीतिगत निर्णयों के अंतर्गत व्यवहार किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ हायफ़नेशन को अस्वीकृत किया।

- ऐसे निर्णय से भारत-पाकिस्तान संबंधों में अमेरिका के हस्तक्षेप की संभावनाओं में काफी वृद्धि होगी।
- एस.आर.ए.पी. को सम्मिलित करने से भारत-पाकिस्तान विवाद में संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा पक्ष बन जाएगा।
- भारत-पाकिस्तान संबंधों की वर्तमान डि-हाइफनेट स्थिति दोनों देशों के बीच आपसी समस्याओं के समाधान के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना ही द्विपक्षीय समाधान की अनुमति देती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना में भारत-पाकिस्तान संबंधों का रि-हायफ़नेशन भारत के लिए वांछित नहीं है क्योंकि इससे भारत की अफ़ग़ानिस्तान नीति प्रभावित होने की संभावना है।
- भारत की अफ़ग़ानिस्तान नीति को इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वयं की कुछ नीतियों का समर्थन करने के लिए तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है।
- यह अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति का समर्थन करने के लिए भारत को अप्रत्यक्ष रूप से विवश करेगा।

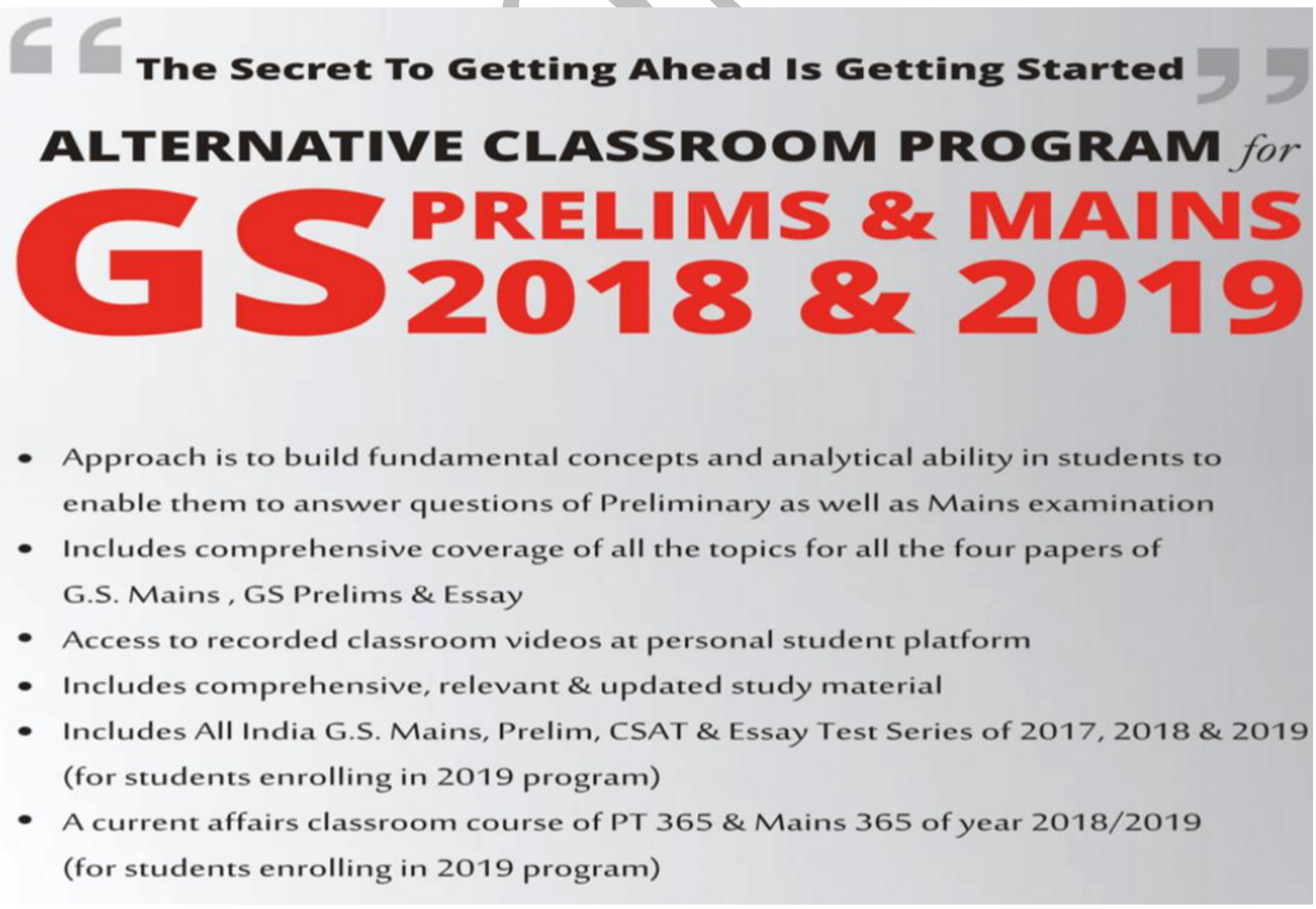

8.यूरोपीय यूनियन

(European Union)

8.1. तेरहवाँ भारत-यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन

(13th India-EU summit)

सुर्खियों में क्यों?

- तेरहवाँ भारत-EU शिखर सम्मेलन मार्च 2016 में ब्रुसेल्स में संपन्न हुआ।

सम्मेलन का परिणाम

ब्रुसेल्स में हुए इस सम्मेलन में यद्यपि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति नहीं बन सकी, परन्तु विदेश नीति तथा बाह्य अंतरिक्ष जैसे अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रक्रिया में प्रगति हुई।

- **एक्शन 2020 के लिए भारत-ईयू एजेंडा :** अगले पांच वर्षों में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक साझे प्रारूप पर सहमति बनी है।

✓ विदेश नीति और सुरक्षा सहयोगः एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और अन्य ऐसे क्षेत्र जहाँ पारस्परिक हित निहित हैं, में विदेश नीति संबंधी सहयोग को मजबूत बनाना।

✓ सुरक्षाः परमाणु अप्रसार और निःशस्त्रीकरण, "पायरेसी, आतंकवाद एवं कट्टरता का मुकाबला करने" तथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र के साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में आपसी सहयोग को मजबूत बनाने का निर्णय।

✓ हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने, आतंकवादियों की भर्ती को बाधित करने और विदेशी लड़ाकों के अबाध आवागमन को रोकने के लिए आपसी सहयोग पर दोनों पक्ष राजी हुए।

✓ साथ ही दोनों पक्ष भारत और यूरोपोल (EU की कानून प्रवर्तन एजेंसी) के मध्य ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने की संभावनाओं के अध्ययन हेतु भी सहमत हुए।

- द कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी (CAMM) को भी सम्मेलन में अपनाया गया। यह एजेंडा प्रवासन के नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित है जो ईयू के लिए एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

✓ इस एजेंडे में ही मानव तस्करी को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने को भी प्राथमिकता क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

- स्वच्छ ऊर्जा और क्लाइमेट पार्टनरशिप पर संयुक्त घोषणा।
- दोनों पक्ष बीटीआईए (BTIA) के प्रारंभिक निष्कर्ष पर वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।
- यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक (EIB) ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत यह लखनऊ मेट्रो के निर्माण की दिशा में अपने कुल 450 मिलियन यूरो के ऋण में से 200 मिलियन यूरो की पहली किश्त जारी करने के लिए सहमत हुआ।

ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट (BTIA) पर गतिरोध :

दोनों पक्षों द्वारा वस्तुगत निर्यात के लिए बाजारों तक अधिक व्यापार पहुंच के मुद्दे को लेकर BTIA समझौते पर गतिरोध बना हुआ है।

EU की प्रमुख मांगें :

- यूरोपीय संघ ऑटोमोबाइल, शराब और स्पिरिट जैसे कुछ क्षेत्रों से करों को पूरी तरह समाप्त करने या कम करने के पक्ष में है।
- भारत में कारों पर आयात शुल्क 60 से 120 प्रतिशत है, जबकि ईयू में यह महज 10 प्रतिशत है।

भारत की प्रमुख मांगें :

- भारत की प्रमुख मांगें हैं- डेटा सिक्योरिटी स्टेटस की प्राप्ति (यह EU की फ़र्मों से और अधिक व्यापार करने हेतु भारत के IT सेक्टर के लिए आवश्यक है), कुशल पेशेवरों का आसान आवागमन और सहज इंट्रा-कॉर्पोरेट आवागमन।
- ईयू को अपने उन 'गैर-प्रशुल्क अवरोधों' को हटाना चाहिए, जो वहां की स्थानीय इकाइयों के हितों का अधिक ख्याल रखते हैं, सुरक्षा और गुणवत्ता का कम।
- भारत EU के कृषि बाजार तक पहुंच चाहता है। भारत के द्वारा सेनेटरी, फाइटो-सैनेटरी अर्थात पौधों और जंतुओं से सम्बंधित प्रतिबंधात्मक नियमों को तर्कसंगत बनाने के साथ ही व्यापार संबंधी तकनीकी अवरोधों को समाप्त करने की मांग की गयी है।

VISION IAS

EU का महत्त्वः

- यूरोपीय संघ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, निर्यात गंतव्य और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है।
- हालाँकि 2014-15 में भारत का EU को निर्यात (-) 4.4 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष से कम होकर 9.3 बिलियन डॉलर रह गया। साथ ही EU से होने वाला आयात (-)1.5 प्रतिशत कम होकर 49.2 बिलियन डॉलर रह गया है।

भारत और EU के मध्य अन्य प्रमुख मुद्देः

- मानवाधिकार हननः ईयू और भारत के बीच वार्ता में अवरोध उत्पन्न होने के लिए प्रकट कारणों में से एक भारत में मानव अधिकार उल्लंघन पर यूरोपीय संघ की चिंता है।
- इतालवी नौसैनिकों का मुद्दा भी सम्बन्ध बिगड़ने के लिए उत्तरदायी है।
- मनमाने प्रतिबन्ध: अगस्त 2015 में भारत ने मुक्त व्यापार सम्बन्धी वार्ताएं टाल दी क्योंकि EU ने लगभग 700 फार्मास्यूटिकल उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

8.2. भारत-जर्मनी

(India-Germany)

भारत गणराज्य और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध व्यवसायिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग जैसे कारणों से परम्परागत रूप से बहुत ही सशक्त रहे हैं। जर्मन चांसलर एंजला मेर्केल **तीसरे भारतीय-जर्मन अंतर-सरकारी विचार विमर्श** के लिए भारत यात्रा पर आई थीं।

इस दौरान कुल 18 अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किये गए जिनमें कौशल विकास, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर विमानन तक व्यापक विषय सम्मिलित थे।

जर्मन भाषा को एक विदेशी भाषा के रूप में और आधुनिक भारतीय भाषाओं को जर्मनी में प्रोत्साहन प्रदान करना।	विकास सहयोग पर हुई वार्ता का संक्षिप्त रिकार्ड;
भारत-जर्मन सौर ऊर्जा सहभागिता।	कौशल विकास और व्यवसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण।
सुरक्षा सहयोग।	विमानन सुरक्षा।
आपदा प्रबंधन।	कृषि अध्ययन में सहयोग।
लिंडाऊ नोबेल विजेता बैठकों में प्राकृतिक विज्ञान में युवा भारतीय वैज्ञानिकों को भागीदारी के लिए समर्थन देना।	इंडो-जर्मन साईंस एंड टेक्नोलाजी सेंटर (IGSTC) की अवधि में विस्तार।
उच्च शिक्षा में भारत-जर्मन सहभागिता।	पौधों की सुरक्षा सम्बन्धी उत्पाद।
रेलवे क्षेत्र में विकास के लिए सहयोग।	उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग।
जर्मन कम्पनियों के लिए शीघ्र निपटान व्यवस्था की स्थापना।	भारत के निजी क्षेत्रों के अधिकारियों और निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए उच्च प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग।
खाद्य सुरक्षा के लिए फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर रिस्क असेसमेंट (BFR) और भारत की खादय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बीच सहयोग।	खाद्य सुरक्षा के लिए भारत की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और फेडरल ऑफिस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फ़ूड सेफ्टी (BVL) के बीच सहयोग।

यात्रा संबंधी मुख्य तथ्य:

- जर्मनी ने भारत को दसवीं शताब्दी की दुर्गा प्रतिमा वापिस कर दी। यह प्रतिमा दो दशक पूर्व कश्मीर के मंदिर से गायब हुई थी।
- **"फास्ट-ट्रैक क्लीयरेंस व्यवस्था" :**
- जर्मन निवेश को आकर्षित करने हेतु भारत ने "फास्ट-ट्रैक क्लीयरेंस व्यवस्था" स्थापित करने का निर्णय लिया है। जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके लिए पहले से ऐसी व्यवस्था है।
- जर्मन कम्पनियों के लिए "फास्ट-ट्रैक क्लीयरेंस व्यवस्था संबंधी कार्य की देख-रेख औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा की जायेगी और यह व्यवस्था मार्च 2016 से अमल में आ जाएगी।
- दोनों देशों के नेताओं ने अंतराष्ट्रीय **जल सीमा में स्वतंत्र रूप से जहाजरानी** तथा अंतराष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत अन्य समुद्री अधिकारों के महत्व को रेखांकित किया | यह स्पष्ट रूप से दक्षिण चीनी सागर में बढ़ती चीनी अग्रहिता के संदर्भ में है।

VISION IAS

- जर्मनी ने भारत में जघन्य अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों के लिए "मृत्युदंड" के प्रावधान का हवाला देते हुए भारत के साथ परस्पर विधिक सहायता समझौता (MLAT) करने में असमर्थता जताई है।
- एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ के बीच **मुक्त व्यापार अनुबंध** के लिए भारत और जर्मनी ने फिर वार्ता आरम्भ करने हेतु अपने सहमति दे दी है।

स्वच्छ ऊर्जा के लिए सहयोग:

- **भारत-जर्मन पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा समझौते पर** दोनों देश सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के बीच यह एक व्यापक भागीदारी होगी जिसके अंतर्गत स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा तक सब की पहुंच संभव करने हेतु प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष और आवश्यक वित्त जुटाया जाएगा।
- जर्मनी ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के लिए एक बिलियन यूरो से अधिक के नये सहायता पैकेज हेतु अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है।

जर्मनी भारत का 'स्वाभाविक मित्र'

- भारत के स्वाभाविक भागीदार ऐसे देश होंगे जो एक ओर न तो इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा करें और न ही सत्ता की राजनीति में और दूसरी ओर भारत को कुछ ऐसा प्रदान करने में सक्षम हों जिसका भारत में अभाव हो।
- विकास और भू-आर्थिक सहयोग के प्रयासों में भारत की सहायता करने में जर्मनी के लिए भू-राजनीतिक संदर्भों में अपने उदय को पोषित करने का अवसर निहित है।
- जर्मनी के पास अतिरिक्त पूँजी, आधुनिक प्रौद्योगिकी की अधिकता है और जनसांख्यिकीय कमी है।
- भारत के पास पूँजी की कमी, आधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव और निर्यात योग्य मानव पूंजी है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

- जर्मनी और भारत, जापान और ब्राजील सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्में सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं।

8.3. भारत और फ्रांस

(India and France)

भारत और फ्रांस के संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ट और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। 1998 में रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राष्ट्रपति श्री फ्रॉंस्वा ओलांद गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे।

- यह संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की संपूर्ण श्रृंखला पर साझा मूल्यों एवं वास्तविक प्रवृत्तियों पर आधारित है।
- फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसके साथ भारत ने सिविल नाभिकीय सहयोग का समझौता किया था। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता सहित अंतर्राष्ट्रीय फोरमों में भारत की बढ़ती भूमिका का निरंतर समर्थन किया है।

व्यापार संबंध

- भारत और फ्रांस का व्यापार लगभग 8 बिलियन है। यह यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी के साथ भारतीय व्यापार का आधा है। इसका एक बड़ा कारण यूरोपीय संघ के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में गतिरोध है।
- एक हजार से अधिक फ्रांसीसी कंपनियों ने भारत में लगभग कुल 20 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

रणनीतिक भागीदारी

- शीत युद्ध के बाद की अवधि में, फ्रांस वह पहला देश था जिसके साथ भारत ने 'रणनीतिक भागीदारी' स्थापित की। फ्रांस ही एकमात्र ऐसा पश्चिमी देश है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका की व्याख्या "hyperpuissance" (बड़ी राजनैतिक शक्ति) के रूप में की और बहुध्रुवीयता के गुणों का खुलकर समर्थन किया और भारत द्वारा की जाने वाली सामरिक स्वायत्तता की मांग में स्वाभाविक वैचारिक समानता देखी।
- मई 1998 में नाभिकीय परीक्षणों के बाद भारत ने जब स्वयं को नाभिकीय क्षमता से सम्पन्न राष्ट्र घोषित किया, तब भारत के साथ सबसे पहले वार्ता स्थापित करने वाली प्रमुख शक्ति फ्रांस ही था।
- रणनीतिक वार्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया है। इसमें नाभिकीय, रक्षा, अंतरिक्ष और आतंकवाद-विरोध, साइबर-सुरक्षा आदि मुद्दे सम्मिलित हैं।
- इन्हें खुफिया जानकारी को साझा करने एवं जांच व न्यायिक प्रक्रियाओं के संबंध में किए गए समझौते के माध्यम से बढ़ावा दिया गया है।

राफेल सौदा

- भारतीय वायु सेना की महत्वपूर्ण संचालन आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए भारत 36 लड़ाकू वायुयानों को उड़ने के लिए तैयार स्थिति में खरीदेगा।

- दोनों देशों ने राफेल फाइटर जेट की खरीद के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

नाभिकीय समझौता

- जैतापुर परियोजना में फ्रांसीसी कम्पनी अरेवा द्वारा लगभग छ: नाभिकीय संयंत्रों की स्थापना निर्धारित है। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 10,000 मेगावाट होगी। यह परियोजना उत्पादित की जाने वाली विद्युत के मूल्य पर मतभेदों के कारण लम्बे समय से अटकी हुई है।
- दोनों देशों ने मूल्य-निर्धारण के मुद्दे के समाधान की पृथक प्रक्रियाओं एवं तकनीकी और विधिक पहलुओं के लिए पृथक प्रक्रियाओं के प्रयोग की अनुमति देते हुए, इस समस्या को विभिन्न भागों में विभाजित कर इस गतिरोध को दूर करने का निश्चय किया है।

सौर ऊर्जा

- फ्रांस के राष्ट्रपति ने गुड़गांव में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन किया।
- फ्रांसीसी विकास एजेंसी अगले पांच वर्षों में सौर ऊर्जा के विकास के लिए 300 मिलियन यूरो आवंटित करेगी।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूर्ण या आंशिक रूप से अवस्थित 122 देशों को एक दूसरे के निकट लाने की परिकल्पना करता है। यह श्री मोदी द्वारा नवम्बर 2015 में पेरिस में आयोजित CoP 21 शिखर सम्मेलन में घोषित की गयी पहल है। इसके सदस्य ऐसे देश होंगे जो वर्षभर में 300 या उससे अधिक दिन तक सूर्य का उज्ज्वल प्रकाश प्राप्त करते हैं।

8.4.भारत और इटली

(India and Italy)

इतालवी मरीन मामला

एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने फैसला दिया है कि जब तक इसके द्वारा वर्ष 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या की कोशिश के मामले में भारत में मुकदमा चलाये जाने संबंधी अधिकार क्षेत्र के बारे में इटली द्वारा दर्ज कराइ गई आपत्ति पर निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक इतालवी मरीन इटली लौट सकते हैं।

- न्यायाधिकरण के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब तक एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण भारत और इटली के बीच क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर फैसला करता है गिरोने (इतालवी मरीन) इटली लौट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने श्री गिरोने को रिहा करने के लिए निम्नलिखित शर्ते रखीं।

✓ उनका मामला सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में बना रहेगा और इन्हें महीने में एक बार इटली में स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के साथ ही भारतीय दूतावास को अपने बारे में निरंतर सूचित करते रहना होगा ।

✓ दूत की जिम्मेदारी: इतालवी राजदूत को भारत में मुकदमे के पक्ष में न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय देने पर एक महीने के भीतर उनकी वापसी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी ।

मामले की पृष्ठभूमि

दो इतालवी मरीन मासीमिलियानो लातोरी और गिरोने पर वर्ष 2012 में केरल तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है।

इटली का दृष्टिकोण

- इटली का मानना है कि कोच्चि से 20.5 नॉटिकल मील की दूरी एक व्यापारी टैंकर, एनरिका लेक्सी, पर तैनात दो मरीनों के द्वारा समुद्री डाकू हमला समझ कर इसे विफल करने के लिए गोली चलायी गयी।
- इस मामले में और अधिक तर्क देते हुए इटली ने कहा कि मछुआरों की मौत उनके परिचालन कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हुई है इसलिए उन्हें इस कृत्य के लिए सैन्य सेवा करने वाले व्यक्तियों के समान उन्मुक्ति प्रदान की जानी चाहिए।
- इटली का तर्क है कि इस मामले को भारत में नहीं सुना जाना चाहिए, क्योंकि घटना अंतरराष्ट्रीय जल-सीमा में हुई।

भारत का दृष्टिकोण

भारत के द्वारा लगातार इतालवी तर्क को खारिज किया गया है और भारतीय कानून के प्रावधानों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए अपने संप्रभु अधिकार लागू करने का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

समुद्र कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (ITLOS)

जून 2015 में इटली ने हैम्बर्ग में समुद्री कानून (ITLOS) के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।

- न्यायाधिकरण के द्वारा ,यह मामला भारत या इटली किसके अधिकार क्षेत्र में आता है जैसे सीमित विषय पर ही विचार किया जा रहा है।

VISION IAS

- अगस्त 2015 में ITLOS ने निर्णय दिया कि: "इटली और भारत में चल रही सभी अदालती कार्यवाहियों को रोक दिया जाय और कोई नई कार्यवाही प्रारंभ न की जाय ,क्योंकि संभव है कि इन कार्यवाहियों से विवाद और बढ़ सकता है या विवाद ,अनुबंध VII के अंतर्गत सुनवाई कर रहे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय में बाधा पंहुचा सकता है। इन परिस्थितियों में निर्णय के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।
- ITLOS फैसले के बाद, दोनों दलों में सहमति हुई कि विवाद UNCLOS न्यायाधिकरण के तहत सुलझा लिया जाएगा।
- 2 मई 2016:संयुक्त राष्ट्र की एक मध्यस्थता अदालत ने भारत को इतालवी मरीन सल्वातोरे गिरोने को रिहा करने का आदेश दिया।

8.5. भारत - UK

(India-UK)

नरेंद्र मोदी लगभग पिछले एक दशक में ब्रिटेन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।

- दोनों नेताओं ने अपने देशों और विश्व की बेहतरी के लिए उन्नत और परिवर्तनकारी साझेदारी का निर्माण करने हेतु एक साथ काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने पहले से अधिक सहयोगकारी रक्षा और रणनीतिक साझेदारी और साथ ही साथ एक असैनिक परमाणु समझौते की घोषणा की।
- दोनों देश पहली बार, यूनाइटेड नेशंस कंप्रिहेंसिव कंवेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT) एवं वार्षिक परामर्श के माध्यम से सामरिक सहयोग को मजबूत बनाने और खुफिया साझेदारी के लिए संयुक्त रूप से जोर दे रहे हैं।
- यात्रा के दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच **9.2 बिलियन पाउंड के वाणिज्यिक सौदों** की घोषणा कर उन्हें सूचीबद्ध किया गया।
- दोनों देशों ने तकनीकी सहायता, विशेषज्ञता साझाकरण और व्यापार संलग्नता के माध्यम से भारत के महत्वाकांक्षी शहरी विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए इंदौर, पुणे और अमरावती के साथ तीन **यू.के.-भारत शहर साझेदारियों** की घोषणा की।
- दोनों देशों ने स्वस्थ नदी प्रणालियों के लिए एक नयी टेम्स/गंगा साझेदारी का शुभारंभ किया है। इस साझेदारी में गंगा बेसिन में जल संसाधनों के निरंतर प्रबंधन को सक्षम करने के लिए अनुसंधान और नवोन्मेष का एक सहयोगी कार्यक्रम तथा 2016 में ब्रिटेन जल साझेदारी द्वारा समर्थित नीति विशेषज्ञ विनिमय सम्मिलित होगा।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ब्रिटेन की अनुसंधान परिषदों के बीच **भारत-यूके संयुक्त टीका विकास सहयोग कार्यक्रम** स्थापना की घोषणा।

व्यापार और निवेश

- यूनाइटेड किंगडम भारत में सबसे बड़ा G-20 निवेशक है, जबकि भारत यूनाइटेड किंगडम में शेष यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले निवेश की तुलना में अधिक निवेश करता है। भारत, यूनाइटेड किंगडम के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तीसरे सबसे बड़ा स्रोत के रूप में भी उभरा है। भारतीय कंपनियाँ यूनाइटेड किंगडम में 1,10,000 लोगों को रोजगार देती हैं।
- ब्रिटेन से भारत में अप्रैल 2000 और मार्च 2016 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह 23.1 बिलियन डॉलर मूल्य के थे। पिछले 15 वर्षों के दौरान यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कुल 8.56% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है।
- द्विपक्षीय व्यापार 15-16 बिलियन डॉलर के स्तर तक रहा है।

वीजा मुद्दा

- भारत ने यूनाइटेड किंगडम के अधिकारियों को नए ब्रिटिश आव्रजन कानून के संबंध में अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। यह कानून प्रतिवर्ष 35,000 पाउंड से कम अर्जित करने वाले पेशेवरों को प्रभावित करेगा।
- टियर-2 वीजा पर ब्रिटेन में निवास करने और काम करने वाले यूरोपीय संघ (ई.यू.) से बाहर के हजारों भारतीयों और अन्य देशों के नागरिक यदि एक वर्ष में 35,000 यूरो से कम अर्जित करते हैं तो वीजा की शर्तों की समय सीमा समाप्त होने पर उन्हें यूनाइटेड किंगडम छोड़ कर जाना पड़ सकता है अथवा उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा।
- भारतीय पेशेवरों का वर्ग पिछले वर्षो में यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी इस प्रकार का वीजा प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा वर्ग रहा है।
- भारतीय पेशेवर संयुक्त राज्य सहित अन्य देशो में भी वीजा से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत, संयुक्त राज्य द्वारा अस्थायी कार्य वीजाओं पर उच्च शुल्क लागू करने के निर्णय को विश्व व्यापार संगठन में ले गया है।

पाकिस्तान का मुद्दा

- भारत का मानना है कि यूनाइटेड किंगडम को आतंकवाद पर पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम का तर्क कि उसे पाकिस्तान के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है, इसका कारण केवल यह नहीं हैं की ब्रिटेन में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय की अच्छी खासी जनसंख्या निवास करती है।

9.जापान

(Japan)

9.1. भारत-जापान

(India-Japan)

भारत-जापान आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग

दोनों देशों के बीच अन्योन्याश्रितता

- जापान की वृद्ध होती आबादी (23% आबादी 65 वर्ष से अधिक की है) और भारत का युवा कार्यशील वर्ग (50% से अधिक 25 वर्ष से कम आयु के हैं);
- भारत के समृद्ध प्राकृतिक और मानव संसाधन और जापान की उन्नत प्रौद्योगिकी;
- सेवा क्षेत्र में भारत की शक्ति और विनिर्माण में जापान की उत्कृष्टता;
- निवेश के लिए जापान की अतिरिक्त पूंजी और भारत का बड़ा और बढ़ता मध्यवर्गीय बाजार।
- ऐतिहासिक भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) पर हस्ताक्षर होने और अगस्त 2011 से इसका कार्यान्वयन होने से दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के और अधिक तीव्र गति से बढ़ने की आशा है।
- जापान 1958 के बाद से भारत के लिए द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करता रहा है। जापान भारत के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जापानी सरकारी विकास सहायता (ODA) विशेष रूप से विद्युत, परिवहन, पर्यावरण परियोजनाओं और मूलभूत मानव आवश्यकताओं से संबंधित परियोजनाओं जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों में त्वरित आर्थिक विकास के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करती है। उदाहरण के लिए

✓ नई दिल्ली मेट्रो नेटवर्क।

✓ पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (द वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर- DFC),

✓ आठ नए औद्योगिक टाउनशिप के साथ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा(DMIC) ,

✓ चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (द चेन्नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर – CBIC)

✓ जापान के लिए भारत के प्राथमिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, तत्व, यौगिक, गैर-धात्विक खनिज सामान, मछली एवं मत्स्य उत्पाद, धातु अयस्क एवं स्क्रैप, परिधान एवं ऐसेसरीज, लोहा एवं स्टील उत्पाद, टेक्सटाइल यार्न, कपड़ा और मशीनरी इत्यादि रहे हैं।

- भारत में जापानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2004 में 139 मिलियन अमेरिकी डॉलर से चरघातांकी रूप से 2008 में अभी तक के सर्वाधिक 5551 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा। वर्तमान में जनवरी-दिसंबर 2014 के दौरान जापान से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जापानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, दूरसंचार, रासायनिक और दवा क्षेत्रों में रहा है।
- पिछले वर्षों में भारत में जापान संबद्ध कंपनियों की संख्या काफी बढ़ी है।

- जापान के प्रधानमंत्री श्री शिन्जो अबे ने 11 से 13 दिसंबर 2015 को भारत का दौरा किया
- जापान सदैव भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार रहा है किन्तु यह भारत का रणनीतिक साझेदार नहीं रहा है। अब, आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर भारत-जापान संबंध में परिवर्तन हो रहा है।

महत्वपूर्ण परिणाम

1. परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

- पांच वर्ष के भारी विवादों के बाद असैनिक परमाणु सहयोग पर व्यापक समझौता हुआ।
- यह भारत को परमाणु रिएक्टर बेचने के लिए, जापान से प्रमुख उपकरण प्राप्त करने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

- वाणिज्य के अतिरिक्त, यह समझौता प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली द्वारा 1998 में परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद जापान भारत के सबसे मुखर आलोचकों में से एक था।
- यह प्रगतिशील परमाणु कार्यक्रम को पुन: प्रतिष्ठित करने की भारत की लगभग एक दशक लम्बी प्रक्रिया का भाग है।

2. रक्षा और सुरक्षा संबंध

- भारतीय और जापानी वायु सेनाओं और तटरक्षक बलों के बीच नए संबंध।
- जापान की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं के लिए भारतीय प्रशिक्षण।
- गोपनीय सैन्य जानकारी साझा करने के लिए समझौते।
- रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- संयुक्त राज्य-भारत मालाबार नौसैनिक अभ्यासों में जापान को 'औपचारिक सहभागी' के रूप में आमंत्रित करने का भारत का निर्णय।
- यह चीनी शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिसंतुलित करेगा। यह भारत की अन्य पहलों जैसे अक्टूबर में विदेश मंत्री स्तर पर अमेरिका-भारत-जापान त्रिपक्षीय पहल एवं जून में थोड़े निचले स्तर पर अमेरिका-भारत-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय पहल का पूरक होगा।

3. व्यापार और निवेश

- हमारे *मेक इन इंडिया* के लक्ष्य को आगे बढ़ाने हेतु,भारत में निवेश करने वाली जापानी कंपनियों के सहयोग के लिए जापान 12 बिलियन अमेरिकी डालर के फंड की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
- भारतीय अवसंरचना के लिए व्यापक जापानी समर्थन के भाग के रूप में मुंबई और अहमदाबाद के बीच उच्च गति *शिन्कांशेन रेल प्रणाली* को अत्यधिक रियायती येन ऋण द्वारा वित्तपोषित किया जाना तय है। इसके लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- 13 विशाल अवसंरचना परियोजनाओं को सरकारी विकास सहायता (ओ.डी.ए.) ऋण द्वारा वित्तपोषित किया जाना है। इन परियोजनाओं में चेन्नई और अहमदाबाद दोनों में मेट्रो परियोजनाएं एवं हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क संपर्क आदि सम्मिलित हैं।

4. दोहरे कराधान के परिहार एवं आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए 1989 में हस्ताक्षरित वर्तमान संधि में संशोधन के साथ-साथ भारत और जापान ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रोटोकॉल निम्नलिखित प्रावधान करती है -

- बैंक जानकारी एवं घरेलू कर ब्याज के बिना जानकारी समेत, कर संबंधी मामलों पर जानकारी के प्रभावी विनिमय के लिए अंतराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक।
- भारत के निवासी के संबंध में जापान से प्राप्त जानकारी को जापान के सक्षम प्राधिकारी एवं अन्य कानून प्रवर्तन एंजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।
- भारत और जापान दोनों राजस्व के दावों की उगाही के लिए एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे।
- सरकार/सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों द्वारा बीमाकृत ऋण के दावों के संबंध में ब्याज आय को स्रोत देश में कराधान से छूट।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नागरिक अवसंरचना को उन्नत करना

भारत और जापान के बीच अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नागरिक अवसंरचना बढ़ाने हेतु सहयोग के लिए वार्ता हो रही है।

- इसमें दक्षिणी अंडमान द्वीप में 15 मेगावाट की डीजल चालित विद्युतीय परियोजना भी शामिल है, जो इस संदर्भ में प्रथम परियोजना है।
- चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने हेतु भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया और यू. एस. ए. जैसे बड़े देशों के साथ-साथ वियतनाम जैसे छोटे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी रणनीतिक संबंध स्थापित कर रहा है।

आगे की राह

- भारत की एक्ट ईस्ट नीति— इस नीति का मुख्य सूत्र भारत-जापान संबंध हैं। यह नीति न केवल निवेश को बढ़ावा देने बल्कि चीन को चेतावनी देने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- यह क्षेत्रीय विवादों में भारत की आवाज को बुलंद करने के लिए भी है, चाहे वे आर्थिक मुद्दे हों या सुरक्षा संबंधी मुद्दे। इसका प्रयोजन भारत को ऐसी स्थिति में लाना है जिससे वह उभरते आर्थिक एवं सुरक्षा ढाँचों के गठन के पश्चात् उससे समायोजन करने के स्थान पर, उसके गठन के समय ही उसे रूप देने की स्थिति में हो।
- हाल ही में किए गए रैंड अध्ययन (RAND study) में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि, 'दक्षिण-पूर्व एशिया भारत को मुख्य रूप से एक सुरक्षा भागीदार के रूप में देखता है, जबकि भारत दक्षिण-पूर्व एशिया को मुख्य रूप से एक व्यापार भागीदार के रूप में देखता है'। सुरक्षा सहभागी के रूप में भारत जितना अधिक स्वीकार करता है, एशिया में उसकी भूमिका एवं बहसों में उसके स्वर उतने ही अधिक निर्णायक होते जाएँगे।

9.2. संयुक्त राज्य-जापान-भारत त्रिपक्षीय बैठक

(US-Japan-India Trilateral Meet)

भारत, जापान और संयुक्त राज्य के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में विश्व में चीन के बढ़ते प्रभाव को केन्द्र में रखते हुए एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए बैठक में भाग लिया। तीनों देशों के बीच यह इस प्रकार की पहली बैठक थी।

- विदेश मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय कानून और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, नौवहन एवं वायुयान संचालन की स्वतंत्रता और दक्षिण चीन सागर सहित सर्वत्र अबाधित वैध वाणिज्य के महत्व को रेखांकित किया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का कहना है कि दक्षिणी चीन सागर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में संप्रभुता संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।
- चीन अपने दावे पर अधिक हठधर्मी होता जा रहा है। इसको देखते हुए संयुक्त राज्य इस क्षेत्र में रणनीतिक भूमिका के निर्वहन हेतु अपने सहयोगियों को एकत्रित करना चाह रहा है।

✓ संयुक्त राज्य और अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण एशिआई-प्रशान्त सहयोगी के साथ इस नए त्रिपक्षीय फोरम में भारत की भागीदारी, सैन्य-रणनीतिक रूप से चीन को अलग-थलग करने और घेरने के लिए वाशिंगटन द्वारा चलाए जा रहे यू.एस. *"पिवट टू एशिया"* अभियान में एकीकरण की दृष्टि से एक नए मानदण्ड को चिह्नित करती है।

✓ संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को समय समय पर जापान तथा इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख सहयोगी ऑस्ट्रेलिया के साथ संचालित त्रिपक्षीय एवं चतु:पक्षीय पहलों में शामिल करने हेतु प्रेरित करता रहा है।

✓ *"एशिया पिवट"* की अमेरिकी अवधारणा चीन को अलग-थलग करने और 21वीं सदी में चीन का रणनीतिक महत्त्व कम करने के लिए क्षेत्रीय एवं क्षेत्र से बाहर की दूसरे स्तर की शक्तियों का संवर्ग बनाने से सम्बंधित है। इन दूसरे स्तर की शक्तियों में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान सम्मिलित हैं।"

- तीनों मंत्रियों ने अधिकाधिक सहयोग से समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने पर चर्चा की और वर्ष 2015 के मालाबार नौसेना अभ्यास में जापान की भागीदारी की सराहना की। पहली त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक में मानवीय सहायता और आपदा राहत के मुद्दों ने भी विशेष स्थान प्राप्त किया।
- चीन ने भारत की मेजबानी में बंगाल की खाड़ी में किए गए मालाबार 2007 अभ्यास में जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की भागीदारी पर आपत्ति की थी।
- क्षेत्रीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संभावित सहयोगात्मक प्रयासों की पहचान करने हेतु तीनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर विशेषज्ञ स्तरीय समूह का गठन किया। इसमें दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच आर्थिक संबंध भी सम्मिलित हैं।

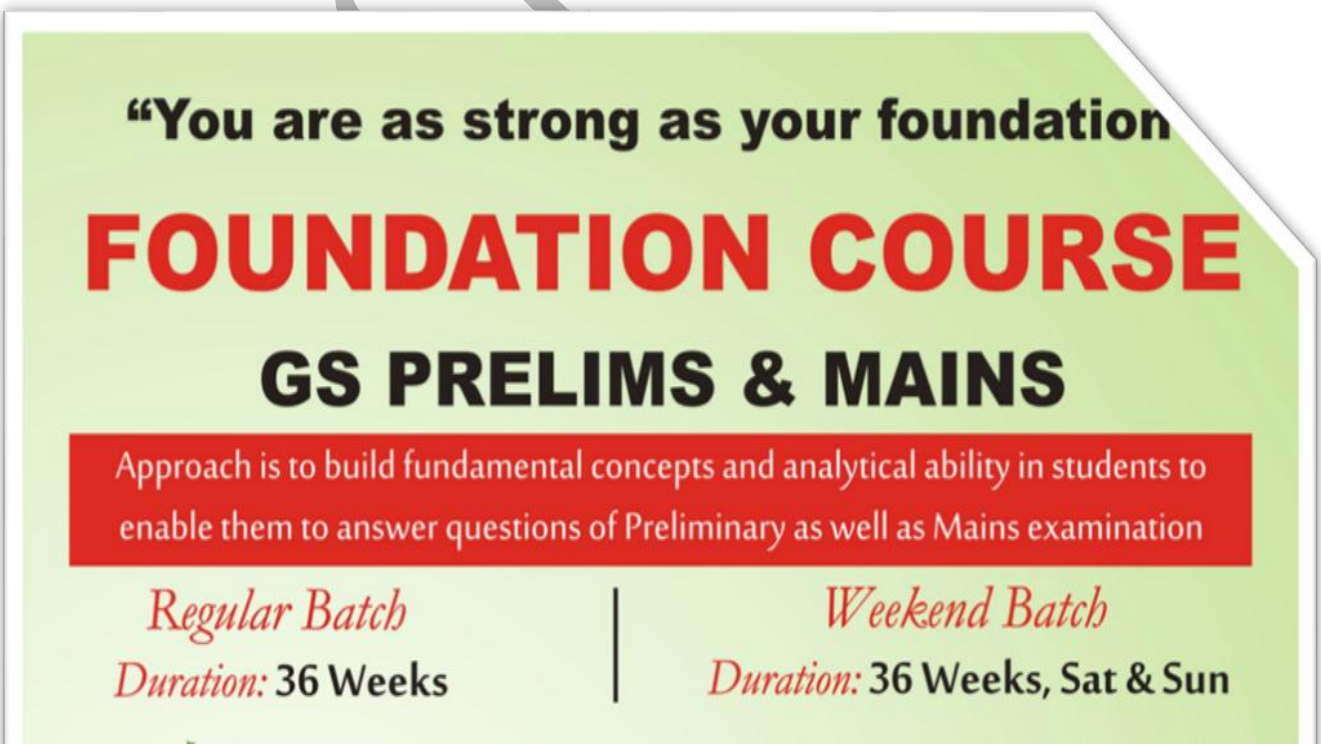

10.रुस

(RUSSIA)

10.1.भारत-रूस सम्बन्ध

(Indo-Russia Relation)

- 24 दिसम्बर, 2015 को भारत के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन द्वारा 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।
- भारतीय प्रधानमन्त्री और रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर वार्ता, भारत और रूसी गणराज्य की सामरिक भागीदारी के अंतर्गत एक उच्चतम स्तर की संस्थागत संवाद प्रक्रिया है।
- भारतीय प्रधानमन्त्री ने गत वर्ष दिल्ली में पुतिन के साथ अगले दशक में द्विपक्षीय सम्बन्धों में विस्तार और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए जिस द्रुज्झबा-दोस्ती (मित्रता) [Druzhba-Dosti (friendship)] विजन पर हस्ताक्षर किये थे, उसे अब फास्ट ट्रैक पर लाया गया है।

इस समझौते में सम्मिलित हैं:

- रुसी हेलीकाप्टर केमोव 226 का भारत में निर्माण।
- हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता।
- रूसी डिज़ाइन वाले परमाणु रिएक्टरों का भारत में निर्माण।
- रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग।
- भारत में सौर ऊर्जा संयत्रों का निर्माण।
- रूस में तेल की खोज और उत्पादन।

भारत के लिए इन समझौतों का महत्व:

- रूस में हस्ताक्षरित किये गये इन समझौतों से भारत के मेक इन इंडिया और सोलर मिशन कार्यक्रम को प्रभावी प्रोत्साहन मिलेगा।
- भारत में केमोव 226 हेलिकॉप्टर निर्माण का समझौता एक वृहद् रक्षा प्लेटफॉर्म का पहला प्रोजेक्ट है। यह भारत में रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा तथा अगली पीढ़ी के रक्षा उपकरणों हेतु भारत की रक्षा तैयारी को बढ़ावा देगा। अन्ततः यह भारत की *मेक इन इंडिया* परियोजना हेतु लाभप्रद होगा।

पृष्ठभूमि

- रूस भारत का "सार्वकालिक मित्र" रहा है।
- रूस ने भारत को कश्मीर विषय पर दृढ समर्थन दिया है।
- हमारे परमाणु परीक्षणों के समय रूस ने हमारा समर्थन किया था।
- कारगिल युद्ध के समय वह हमारे साथ खड़ा था।
- रक्षा के क्षेत्र में रूस ने हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और पनडुब्बी परियोजनाओं में सहायता की है।
- भारत भी रूस के साथ दृढ़ता से खड़ा रहा है।
- हमने रूस द्वारा वर्ष 1979 में अफगान हमले की निंदा नहीं की थी। रूस ने गत वर्ष जब क्रीमिया का अधिग्रहण किया तब भी हमने अन्य देशों के सुर में सुर नहीं मिलाया। वर्तमान में उसकी सीरिया में सलिप्तता पर भी भारत ने उसे कूटनीतिक समर्थन दिया है।

संबंधों से जुड़ी चिंताएं:

- महत्वपूर्ण नागरिक परमाणु समझौते के बाद से भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए सामरिक सम्बन्ध।
- रूस ने व्लादिमिर पुतिन के सशक्त नेतृत्व में अमेरिका और यूरोप को चुनौती दी है तथा इस हेतु वह भारत के कट्टर एशियाई प्रतिद्वंदी चीन से निकटता बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि रूस के पाकिस्तान के साथ भी सम्बन्ध बेहतर हो रहे हैं।
- दोनों देशों के बीच भौगोलिक दूरी।

हितों की समाभिरूपता:

भारत और रूस दोनों ने इस बात को समझ लिया है कि यदि वे विश्व शक्ति बनना चाहते हैं तो दोनों को ही अपनी प्रगाढ़ मित्रता के वातावरण को पुनःस्थापित करना होगा।

रूस को भारत की आवश्यकता क्यों:

- यूक्रेन के सत्ता संघर्ष में पश्चिमी देशों द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से निपटने के लिए बाजार की आवश्यकता।

VISION IAS

- अमेरिका द्वारा प्रायोजित भावी ट्रांस-एटलान्टिक व्यापार और निवेश भागीदारी के कारण भी रूस को यूरोप के बाहर बाजारों की खोज करने पर विवश होना पड़ेगा। भारत उसका एक स्वभाविक सहभागी है।
- चीन के साथ अपनी नवीकृत मित्रता के बाद भी, शीघ्र ही उसे बीजिंग से प्रतिस्पर्धा करनी होगी क्योंकि बीजिंग स्वयं को अमेरिका के साथ नया G2 मानता है।
- भारत रूस को मल्टी पोलरिटी (बहु ध्रुवीयता) प्रदान कर सकता है जिसकी उसे बहुत अधिक आवश्यकता है।

भारत को रूस की आवश्यकता क्यों:

- भारत अपनी ऊर्जा की प्रचुर आवश्यकताओं को लागत प्रभावी मूल्यों पर पूरा कर सकता है।
- अपने रक्षा उपकरणों को अमेरिका, इजराइल और यूरोप से खरीदने के पश्चात भी, भारत को रूस से अन्तरिक्ष सहित भविष्य की प्रोद्योगिकी के लिए सहयोग की आवश्यकता है।
- पश्चिमी देशों से भारत को हथियारों की बिक्री से सम्बन्धित मोलभाव की स्थिति में भारत की सौदेबाजी क्षमता में सुधार होगा।
- भारतीय उद्योगों जैसे फार्मास्यूटिकल, विनिर्मित वस्तुएं, डेयरी उत्पाद, मांस और फ्रोजन समुद्री खाद्य पदार्थों के लिए रूस प्रमुख बाजार हो सकता है।
- भू-राजनैतिक रूप से हमारे क्षेत्रीय हितों के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान की योजनाओं के संबंध में रूस सन्तुलन शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है।

भविष्य का परिदृश्य:

- वर्ष 2025 के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य 30 बिलियन डॉलर रखा गया है। वर्तमान समय में यह 10 बिलियन डॉलर के आसपास है और इसमें तीन गुना स्तर वृद्धि लाना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
- अब चूंकि रक्षा सहयोग साधारण क्रेता-विक्रेता सम्बन्धों से बढ़कर उन्नत प्रौद्योगिकी में संयुक्त शोध, विकास और उत्पादन तक पहुंच गया है, इन परियोजनाओं को शीघ्रता से निष्पादित करने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता पांचवी पीढ़ी के वायुयान की परियोजना और वायु परिवहन कार्यक्रम तथा भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण के नए समझौते/अनुबंध के सन्दर्भ में भी है।
- रूस में भारत का निवेश अब 7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और यह मुख्यतः तेल और गैस क्षेत्र में है। सखालिन-1 में ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड की 20 प्रतिशत की भागीदारी है और इसने तेल-उत्पादन संबंधी परिसम्पतियों के स्वामित्व वाली कम्पनी इम्पीरियल एनर्जी टोम्स्क का अधिग्रहण भी कर लिया है। रूस की गाजप्रोम और भारत की GAIL के बीच LNG की आपूर्ति के लिए 20 वर्ष का अनुबंध किया गया है। रोज्नेफ्ट ने एस्सार के साथ कच्चे तेल और आपूर्ति स्टाक के लिए लम्बी अवधि का अनुबंध किया है। इसके साथ ही टाटा भी छोटे भारवाहकों और बसों की असेम्बली लाइन स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सन ग्रुप, रेनबैक्सी और ल्यूपिन रूस में अपने वर्तमान संचालन का विस्तार कर रहे हैं।
- हीरा, उर्वरक और खाद्य क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लाभ हेतु अद्भुत सम्भावनाएं हैं।
- रूस को भी भारत में अपना निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में 3 बिलियन डॉलर है। दूरसंचार की प्रमुख रूसी कम्पनी सिस्टेमा को भारत में अपने संयुक्त उपक्रम श्याम सिस्टेमा टेलीलिंक्स के सन्दर्भ में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब 2G स्पेक्ट्रम केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से इसे भारत में 22 लाइसेंसों में से 21 लाइसेंस गंवाने पड़े थे।

मोदी जी की ‘मेक-इन-इंडिया’ पहल से रूसी कम्पनियों के लिए रक्षा उपकरण, नागरिक विमानन और रेलवे के क्षेत्रों में बहुत से अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

- भारत को भी रूसी प्रौद्योगिकी को आत्मसात करना सीखना होगा और नौकरशाही की अड़चनों को कम करना होगा।

VISION IAS

B.महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ

(Important International Events)

अमरीकी राष्ट्रपति की क्यूबा यात्रा

(USA President Visit to Cuba)

राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्यूबा की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न की। राष्ट्रपति की इस यात्रा ने शीत युद्ध के समय से ही कटु शत्रु रहे इन दोनों देशों के मध्य संबंधो के एक नए अध्याय का सूत्रपात किया।

- 1928 में केल्विन कूलिज के बाद बराक ओबामा अपने कार्यकाल में क्यूबा जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं।
- यात्रा यह दर्शाती है कि ऐतिहासिक एवं विचारधारात्मक शत्रुता में गहराई तक धंसी जटिल परिस्थितियों का समाधान करने में धैर्य एवं सृजनात्मक कूटनीति कार्य कर सकती है।

1959 की क्रांति में फिडेल कास्त्रो द्वारा सत्ता अधिग्रहण के बाद से यू. एस.- क्यूबा संबंधः

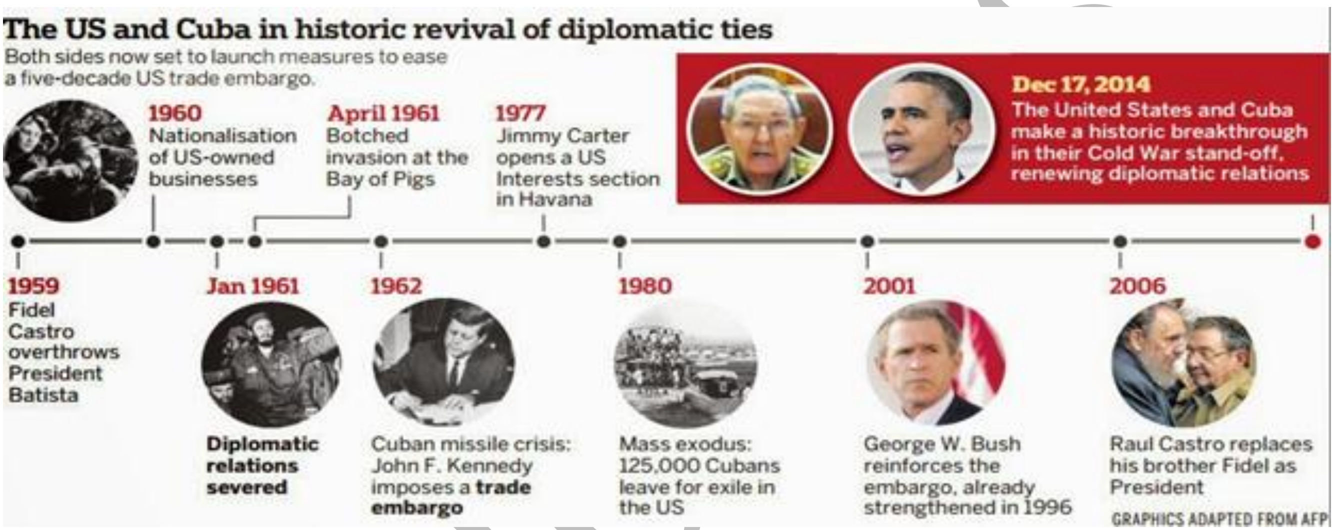

दिसंबर 2014 से संबंध सुधार की प्रक्रियाः

- राष्ट्रपति ओबामा और उनके क्यूबाई समकक्ष राउल कास्त्रो ने दिसंबर 2014 में संबंध सुधार की प्रक्रिया आरंभ की।
- वाशिंगटन ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए। अमरीका द्वारा क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की अपनी सूची में से हटाया गया ताकि द्विपक्षीय संबंधों में कुछ विश्वास का संचार किया जा सके।
- पिछले 50 वर्षों में पहली बार जुलाई 2015 में अमरीका और क्यूबा ने हवाना और वाशिंगटन में अपने दूतावासों को पुनः खोलने की घोषणा की।

संबंधों के पूर्णतः सामान्य होने की संभावनाएँ :

राष्ट्रपति कास्त्रो ने मांग की कि प्रतिबंध (embargo) को समाप्त किया जाए एवं संबंधों को सामान्य करने के लिए गुआंतानामो क्यूबा को वापस लौटाया जाए।

- किन्तु निम्नलिखित विषयों में अमरीका अभी भी क्यूबा के प्रति संदेहग्रस्त है-

✓ मतभेदों का समाधान।
✓ मानवाधिकारों का उल्लंघन।
✓ अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण।

अमेरिका-क्यूबा संबंध कालक्रम

- क्यूबा और अमेरिका फिदेल कास्त्रो द्वारा की गयी 1959 की क्रांति, जिससे कास्त्रो सत्ता में आये, के बाद से ही एक दूसरे के वैचारिक शत्रु हैं।
- जब क्यूबा ने खुद को सोवियत रूस का सहयोगी बनाते हुए वामपंथी रूख अपनाया तो वाशिंगटन ने हवाना के साथ अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिए ।

- जासूसों, शरणार्थियों एवं 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट ने शत्रुता को और गहरा किया जिसके परिणामस्वरूप विश्व पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। इसी तरह की एक परिघटना बे ऑफ़ पिग्स की घटना थी जब अमेरिका ने 1961 में फिदेल कास्त्रो को अपदस्थ करने की कोशिश की।

बे ऑफ़ पिग्स 1961

- जनवरी 1959 में एक क्रांति के द्वारा क्यूबा में सत्ता हासिल कर तथा एक राजनीतिक रणनीति के रूप में क्यूबा में अमरीकी कंपनियों और उनके हितों पर हमला कर फिदेल कास्त्रो अमेरिकी नीति निर्माताओं के लिए एक चिंता का विषय बन गए।
- मार्च 1960 में, राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइज़नहावर ने CIA को क्यूबा पर एक सशस्त्र आक्रमण हेतु वहां से निर्वासित लोगों की एक सेना को प्रशिक्षण देने और सशस्त्र बनाने के लिए आदेश दिया। जॉन एफ कैनेडी को 1961 में यह कार्यक्रम राष्ट्रपति के तौर पर विरासत में मिला।
- बे ऑफ़ पिग्स में विफलता यूनाइटेड स्टेट्स को महँगी पड़ी। कास्त्रो ने "साम्राज्यवादियों' के इस हमले का इस्तेमाल क्यूबा में अपनी शक्ति बढ़ाने और अतिरिक्त सोवियत सैन्य सहायता प्राप्त करने में किया। इस प्रकार उस सहायता में मिसाइलें शामिल हुईं और क्यूबा में मिसाइल अड्डों के निर्माण ने अक्टूबर 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट को जन्म दिया।

क्यूबा मिसाइल संकट 1962

- क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान, क्यूबा में परमाणु क्षमता से संपन्न सोवियत मिसाईलों की तैनाती के कारण अमेरिका और सोवियत संघ के नेता एक गंभीर राजनीतिक एवं रणनीतिक तनाव में उलझ गए। यह स्थिति 13 दिनों तक रहेगी।
- 22 अक्टूबर 1962 को, राष्ट्रपति जॉन कैनेडी (1917-1963) ने मिसाइलों की उपस्थिति के बारे में अमेरिकियों को अधिसूचित कर उन्हें क्यूबा के चारों ओर एक नौसैनिक नाकाबंदी अधिनियमित करने के अपने फैसले के बारे में बताया और यह स्पष्ट कर दिया अमेरिका की सुरक्षा के लिए इस खतरे को निष्क्रिय करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। इस खबर के बाद, कई लोगों ने दुनिया के परमाणु युद्ध के कगार पर पहुँच जाने की आशंका जताई।
- हालांकि सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव (1894-1971) के क्यूबा पर हमला न करने के अमेरिकी वायदे के बदले क्यूबाई मिसाइलों को हटाने के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत हो गया। कैनेडी भी गुप्त रूप से तुर्की से अमेरिकी मिसाइलों को हटाने के लिए सहमत हुए और विश्व पर आसन्न यह संकट टल गया।

2. यमन संकट

(Yemen Crisis)

सऊदी अरब एवं सहयोगी बलों तथा शिया हौथी विद्रोहियों के बीच संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक संघर्ष-विराम प्रस्ताव यमन में प्रभावी हो गया है।

यमन संघर्ष घटनाक्रम

- **21 सितंबर 2014**: हाउती विद्रोहियों ने सना में सरकारी और सैन्य स्थलों पर कब्ज़ा किया। प्रतिद्वंद्वी गुटों ने संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत राजधानी से हाउती समूह की वापसी और एक नई सरकार के गठन का प्रावधान था।
- **14 अक्टूबर 2014:** हाउती सेना ने सना से, 230 किमी पश्चिम में होदिदा के लाल सागर के बंदरगाह होदिदा पर कब्ज़ा किया और उसके बाद बिना सरकारी बलों के प्रतिरोध के केंद्र की ओर बढ़े। परंतु उन्हें AQAP और उसके आदिवासी सहयोगियों से भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
- **20 जनवरी 2015:** हाउती सेना ने, राष्ट्रपति हादी के निवास पर हमला किया और राष्ट्रपति भवन पर कब्ज़ा कर लिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दो दिन बाद इस्तीफा दे दिया।
- **6 फ़रवरी 2015**: विद्रोहियों ने घोषणा की कि उन्होंने संसद को भंग कर दिया है और देश को चलाने के लिए एक राष्ट्रपतीय परिषद का गठन किया। अमेरिका और खाड़ी देशों ने ईरान पर हाउती विद्रोहियों के समर्थन का आरोप लगाया। यद्यपि दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में अधिकारियों ने तख्तापलट के प्रयास को निष्फल कर दिया।
- **21 फरवरी 2015** हादी कई हफ्तों की नजरबंदी के उपरांत भागकर अदन चले गए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, तख्तापलट को अस्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने इस्तीफे को रद्द कर दिया और अदन को अस्थायी राजधानी घोषित किया।

सऊदी अरब द्वारा हवाई हमलों का नेतृत्व किया गया

राष्ट्रपति अब्द्राहबू मंसूर हादी की ओर से सहायता के अनुरोध के फलस्वरूप शुरू हुआ।

VISION IAS

- हाउती विद्रोहियों के आगे बढ़ने से सऊदी अरब को डर था कि अल्पसंख्यक शिया विद्रोही सुन्नी बहुल यमन पर नियंत्रण कर लेंगे, तथा यमन, शिया बहुल ईरान का करीबी हो जायेगा।
- सऊदी अरब ने ,नौ अरब देशों के गठबंधन का नेतृत्व किया और यमन पर 25 मार्च 2015 को हवाई हमले शुरू किये। इसे **"ऑपरेशन डीसिसिव स्टॉर्म"** (Operation Decisive Storm) नाम दिया गया और इस प्रकार यमन में सैन्य हस्तक्षेप की शुरुआत हुई।
- इन हवाई हमलों ने,यमन को सऊदी अरब और ईरान के बीच क्षेत्रीय संघर्ष के एक मोर्चे का रूप दे दिया है ।
- पर्यवेक्षकों के अनुसार, मध्यपूर्व के देशों में यह लड़ाई एक छद्म युद्ध की तरह है जिसमें एक तरफ हाउती का समर्थन करता,शिया बहुल ईरान और दूसरी तरफ सुन्नी बहुल ,सऊदी अरब है।

यमन पर संघर्ष का प्रभाव

इस संघर्ष ने देश के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर पश्चिमी एशिया में तनाव में अतिशय वृद्धि कर दी है। यहाँ ईरान विद्रोहियों को तथा अमेरिका और इसके सुन्नी सहयोगी सरकार को समर्थन दे रहे हैं।

- उग्रवाद का उदय

✓ एक विनाशकारी युद्ध के बीच राज्यविहीन अराजकता ने 'अल-कायदा इन अरेबियन पेनिन्सुला (AQAP)' के सशक्त होने में मदद की है। इसने देश में तेजी से अपना विस्तार किया है। अब यह दक्षिणी यमन में एक लघु राज्य की भांति व्यवस्था का संचालन करता है।

- मानवीय त्रासदी

✓ 6,000 से अधिक लोग, जिनमें से आधे नागरिक हैं, सऊदी बमबारी की शुरुआत के बाद मारे जा चुके हैं, और लगभग 20 लाख लोग विस्थापित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

✓ एक अनुमान के अनुसार 80 प्रतिशत जनसंख्या को मानवीय सहायता की जरूरत है, जबकि लाखों बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं।

आगे की राह

ईरान और सऊदी अरब के बीच मतभेद के कारण युद्धविराम के लिए पिछले तीन प्रयास असफल हो चुके हैं।

किसी भी व्यावहारिक समाधान के लिए बाहरी सैन्य हस्तक्षेप ख़त्म करने, हिंसा की समाप्ति और राष्ट्रीय एकता की सरकार के गठन की आवश्यकता होगी। यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक की ईरान और सऊदी अरब अपने निजी स्वार्थों को परे रखकर साथ कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो जाते।

हाउती कौन हैं?

- हाउती, शिया जैदी संप्रदाय के अनुयायी हैं। यमन की करीब एक तिहाई जनसँख्या जैदी संप्रदाय में ,अपनी आस्था रखती है।
- आधिकारिक तौर पर, अंसार अल्लाह (अल्लाह के समर्थक) के नाम से पहचाने जाने वाले इस समूह ने 1990 के दशक में उत्तरी यमन के जैदी समुदाय के गढ़ में, एक सहिष्णु और शांति आंदोलन शुरू कि या था।
- इस समूह ने , 2004 में तत्कालीन शासक, अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ एक विद्रोह शुरू किया जोकि 2010 तक चला। समूह 2011 की अरब स्प्रिंग प्रेरित क्रांति में भाग लिया, जिसके बाद अली अब्दुल्ला सालेह की जगह सत्ता अब्द्राह्बू मंसूर हादी के पास आ गयी

3. ईरान परमाणु करार

(Iran Nuclear Deal)

ईरान और सुरक्षा परिषद के पांच सदस्यों तथा जर्मनी (P 5 +1 समूह) के बीच, एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है जो इन दोनों के मध्य दशकों पुराने विवाद को हल करने में सहायक होगा।

कार्रवाई की योजना में ईरान के लिये स्वीकृत, सेंट्रीफ्यूज और संवर्धन संयंत्रों की संख्या को स्पष्ट किया गया है | संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कौन से सत्यापन जरूरी होंगे और ईरान पर से वित्तीय प्रतिबन्ध किन चरणों में हटाये जायेंगे इसको भी स्पष्ट किया गया है ।

समझौते के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा निम्न कदम उठाये जायेंगे:

- संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ ईरान पर लगे उन सभी प्रतिबंधों को हटा लेंगे जिनकी वजह से ईरानी अर्थव्यवस्था कई वर्षों से असंतुलित बनी हुई है।
- ईरान अपने सेंट्रीफ्यूज (centrifuges) की कुल संख्या में दो तिहाई की कमी करेगा,
- ईरान अपने निम्न संवर्धित यूरेनियम के भण्डार को 10,000 किलोग्राम से 300 किलोग्राम करेगा,

VISION IAS

- फोर्दो में चल रहे ईरान के परमाणु संयंत्र को 15 वर्ष के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र में रूपांतरित करना होगा
- सभी अतिरिक्त भंडार और परमाणु हिस्सों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निगरानी वाले स्थान पर रखा जाएगा।

समझौते का वैश्विक प्रभाव

- यह पश्चिमी एशिया के समीकरणों के पुनर्संतुलन में सहायक होगा तथा दीर्घकाल में इस अशांत क्षेत्र के लिए लाभप्रद होगा।
- ईरान और यूरोपीय संघ के 3 + 3 (यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी के साथ चीन, रूस और अमेरिका) सूत्र द्वारा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर, संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) की एक घोषणा, एक महत्वपूर्ण सफलता है, जिसका विश्व स्तर पर गहरा प्रभाव होगा।
- वार्ता की सफलता का परमाणु सुरक्षा पर व्यापक भू-राजनीतिक प्रभाव होगा। साथ ही ईरान और सऊदी अरब के छद्म युद्ध और सीरिया से लेकर यमन और ईराक तक विस्तृत संघर्ष वाले क्षेत्र पश्चिम एशिया पर भी व्यापक प्रभाव होगा।
- तेहरान एवं वाशिंगटन, सीरिया और इराक में प्रवृत्त हैं तथा अफगानिस्तान में दोनों के साझा हित विद्यमान हैं।

परमाणु करार का विरोध

- इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह और उनका मंत्रिमंडल इस समझौते की रूपरेखा का "दृढ़ता से विरोध" करते हैं।
- नेतन्याहू ने कठोरतापूर्वक इस वार्ता की आलोचना की और कहा कि इसके बजाय ईरानी परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान पर भरोसा नही किया जा सकता और उसे कुछ सुविधाएं देने का मतलब है कि ईरान अंत में एक परमाणु बम का निर्माण कर लेगा।
- अमेरिका में रिपब्लिकन्स एवं ईरान,इज़राइल तथा सऊदी अरब में रूढ़िवादियों ने अमेरिका-ईरान समझौते को सिरे से नकार दिया है।

भारत को लाभ

- एक शांतिपूर्ण व स्थिर ईरान ऊर्जा, सुरक्षा तथा संपर्क के क्षेत्र में भारत के हितों के लिए आवश्यक है।
- भारत ने अमेरिका के दबाव और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद, ईरान के साथ अपने प्राचीन संबंधों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि बैंकिंग और बीमा क्षेत्रो में प्रतिबंधो की वजह से ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हुआ।
- भारत और ईरान के बीच करीब 14 बिलियन डॉलर का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार है और दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन का अंतर बहुत ज्यादा है।
- भारत के लिए बड़ा लाभ यह है कि तेल की कीमत में और कमी हो सकती है। 2012 से पूर्व जब ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था, तब भारत बहुत अधिक मात्रा में ईरान से तेल आयात किया करता था।
- इस शांति समझौते का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि भारत अब ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान को जोड़ने वाले मार्ग को, पूरा कर सकता है। इससे भारत से ईरान-अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक नया व्यापार मार्ग खुल जायेगा
- भारत में एक बड़ा समूह प्रोजेक्ट मौसम तथा स्पाइस रुट को मेरीटाइम सिल्क रुट के प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं।

4. आसियान व्यापार गलियारा

(ASEAN Trade Corridor)

आसियान देशों के साथ पूर्ण व्यापारिक एकीकरण के उद्देश्य से नैनिंग-सिंगापुर आर्थिक गलियारे को गति प्रदान की गई है। नैनिंग-सिंगापुर आर्थिक गलियारे को सामुद्रिक सिल्क मार्ग के ढांचे के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है।

नैनिंग-सिंगापुर आर्थिक गलियारा

- चीन के द्वारा नैनिंग-सिंगापुर आर्थिक गलियारा या दूसरे शब्दों में चीन तथा हिंद-चीन प्रायद्वीप अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के निर्माण के लिए नैनिंग आम सहमति के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
- इस पहल का प्रमुख उद्देश्य आठ बड़े नगरों के मध्य आर्थिक एकीकरण की स्थापना करना है। इन आठ बड़े नगरों के अंतर्गत सिंगापुर, कुआलालंपुर, बैंकॉक, नामपेन्ह हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम, हनोई तथा नैनिग सम्मिलित हैं।

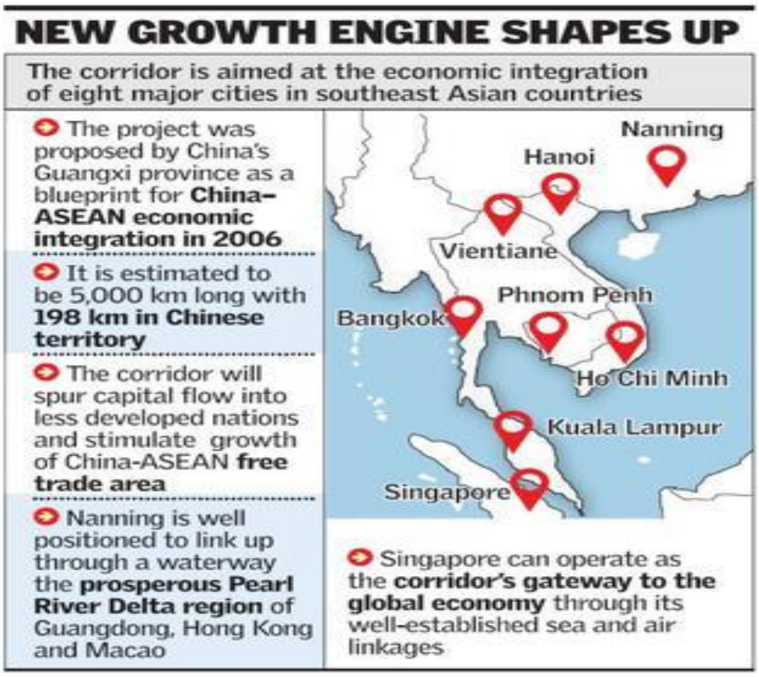

VISION IAS

- नैनिंग – सिगांपुर आर्थिक गलियारा एक बहुराष्ट्रीय भूमार्ग होगा, जोकि हिंद-चीन प्रायद्वीप के अनेक देशों को समाहित करेगा।
- यह 21वीं शताब्दी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग साबित होगा।
- यह गलियारा दो मार्गों में विभाजित है। एक मार्ग जहां वियतनाम को जाएगा वहीं दूसरा मार्ग लाओस, वियतनाम, कंबोडिया जैसे कम विकसित राष्ट्रों को जोड़ेगा।

विश्लेषण

- प्रस्तावित आर्थिक गलियारे के कार्यान्वयन के बाद श्रम तथा संसाधन गहन इकाइयां लाओस, कंबोडिया तथा म्यांमार जैसे देशों का रूख करेंगी।
- आसियान देशों के साथ आर्थिक एकीकरण के बाद दक्षिणी चीन सागर में तनाव में कमी आएगी।
- इस गलियारे के निर्माण से चीन अपनी अति उत्पादन क्षमता को आसियान के अल्प विकसित क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित करने में सक्षम हो जाएगा।
- आर्थिक एकीकरण की इस प्रक्रिया को अमेरिका के प्रभाव को भी संतुलित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दृष्टव्य है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति पार प्रशांत साझेदारी (TPP) के माध्यम से दर्ज करवा रहा है।

5. यूरोप में शरणार्थी समस्या

(Europe's Refugee Crisis)

पृष्ठभूमि

लगभग 10 लाख से अधिक प्रवासियों और शरणार्थियों ने 2015 में भूमध्यसागर को पार कर यूरोप में शरण लेने का प्रयास किया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संस्थान(आई.ओ.एम.) के अनुसार 2015 में 3770 से अधिक लोगों की मृत्यु समुद्र को पार करने की कोशिशों के दौरान हो गई।

यूरोप में शरण पाने को आतुर इन लोगों में अधिकांशत: युद्ध की विभीषिका से जूझ रहे पश्चिमी एशियाई देशों जैसे सीरिया, इराक व लीबिया से संबंध रखते हैं। साथ ही अफ्रीका के अशांत क्षेत्रों से भी प्रवास हो रहा है तथा इनके अलावा अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से भी बड़ी संख्या में प्रवासी यूरोप में शरण लेना चाहते हैं।

पश्चिमी एशियाई देशों की अस्थिरता में यूरो-अटलांटिक शक्तियों का हाथ

पश्चिमी एशियाई देशों में चल रही अस्थिरता ऐतिहासिक रूप से विद्यमान नहीं थी। छद्म लोकतंत्र होने के बावजूद ये देश राजनीतिक रूप से स्थिर थे तथा आर्थिक गतिविधियां सरलता से संचालित हो रही थीं। अपने उर्जा संसाधनों के चलते पश्चिम एशियाई देश सदा से अमेरिका व उसके सहयोगियों के लिए भू-आर्थिक रूप से अतिमहत्वपूर्ण थे।

किन्तु अपने क्षुद्र राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पश्चिमी शक्तियां, पश्चिमी एशियाई देशों में घुसी और इस क्षेत्र को अस्थिर तथा अशांत बना डाला। उदाहरणार्थ-

इराक – इराक के पास सामूहिक विनाश के कोई हथियार नहीं मिलने के बावजूद आज इराक बर्बाद हो चुका है।

लीबिया – नाटो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव,1973 का सहारा लेकर वर्ष 2011 में लीबिया पर बम बरसाए। वर्तमान में लीबिया राजनीतिक प्रभुत्व की प्राप्ति के लिए विभिन्न जातीय समूहों के बीच युद्ध का मैदान बना हुआ है।

सीरिया –अनेक प्रमाणों के साथ यह साबित किया जा सकता है कि सीरिया में पश्चिमी शक्तियों ने लोकतंत्रोन्मुख शक्तियों का साथ देने के स्थान पर अंतत: चरमपंथी गुटों को सहायता पहुंचाई। चरमपंथी गुट यह मदद पाकर सीरिया को एक बर्बर इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित करने के अभियान में लग गए।

यमन – पश्चिमी शक्तियां, सऊदी अरब समर्थित संयुक्त सेनाओं का समर्थन कर रही हैं, जोकि यमन में बमबारी कर उसे बर्बाद कर रही हैं।

अफगानिस्तान –अफगानिस्तान शीत युद्ध से प्रभावित क्षेत्र रहा है, सोवियत यूनियन के पतन के पश्चात पश्चिमी ताकतों ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया था, लेकिन 11 सिंतबर की घटना के बाद यूरो-अटलांटिक शक्तियों ने अल-कायदा के नेटवर्क को ध्वस्त करने के क्रम में अफगानिस्तान को तहस-नहस कर डाला। ओसामा–बिन-लादेन की मृत्यु के बाद भी अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। जहां एक ओर अफगानिस्तान में लगातार गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, वहीं उसके पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का लगातार पतन हो रहा है।

पलायन क्यों ?

निरंतर चलने वाले युद्धों ने पश्चिमी एशियाई देशों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक ढांचे को तबाह कर दिया है। वहां के लोगों के समक्ष जीवनयापन का घोर संकट उत्पन्न हो गया है। इसके चलते इस क्षेत्र के लोग दुनिया भर में रोजगार, शांति व स्थिरता की प्राप्ति के लिए पलायन को मजबूर हुए हैं। शांतिपूर्ण आश्रय की तलाश, इस पलायन का सबसे बड़ा कारण है।

प्रवास के लिए यूरोप का चयन क्यों?

यूरोप, मध्य एशिया व अफ्रीका से निकटस्थ स्थित सुरक्षित, सुलभ तथा धनी क्षेत्र है। इसके अलावा यूरोप के कुछ राष्ट्रों ने शरणार्थियों का स्वागत किया है, साथ ही उनको घर आदि की सुविधा उपलब्ध करउन्हें नई जिंदगी प्रारंभ करने में मदद की है। यूरोप आर्थिक रूप से संपन्न, सामाजिक रूप से सुरक्षित है तथा इसके अप्रवासन नियम भी बेहतर हैं। इसी कारण यूरोप को अपने इतिहास की सबसे बड़ी अप्रवासी शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

शरणार्थियों पर यूरोप का रुख

शरणार्थियों की बाढ़ को देखते हुए यूरोप इन शरणार्थियों को शरण देने में झिझक रहा है। शरणार्थियों को लेकर यूरोप के राष्ट्रों में भी मतैक्य नही है| जहां सीमांत राष्ट्र जैसे इटली तथा यूनान इन शरणार्थियों को यूरोप के अंदर के राष्ट्रों में भेजना चाहते हैं| वहीं यूरोपियन यूनियन के कानून के अनुसार शरणार्थी शरण लेने के क्रम में जिस राष्ट्र में पहले अपने कदम रखते हैं, उनको वहीं बसा देना चाहिए। ऐसी स्थितियों में कानूनों के उचित अनुपालन की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

विश्लेषण

क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के कारण पश्चिमी एशिया को तबाही के कगार पर पहुंचाकर अब यूरोपीय राष्ट्र शरणार्थियों की समस्या से नजर नहीं चुरा सकते हैं। संकट की इस घड़ी में यूरोपीय यूनियन को, संयुक्त राज्य अमेरिका को भी अपने साथ मिलाकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा| पश्चिमी एशिया के शांत और सुरक्षित राष्ट्रों को भी अपने पड़ोसी देशों के इन नागरिकों की सहायता करनी चाहिए। पलायन को रोकने के लिए सीरिया, इराक व अन्य स्थानों पर युद्धबंदी कर शांतिमय माहौल का निर्माण करना पड़ेगा।

6. अफपाक-मध्य एशिया में चीन की भूमिका

(China Role in AfPak-Central Asia)

चीन ने अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान में अस्थिरता को कम करने हेतु नेतृत्व करने का फैसला किया है।

चतुर्पक्षीय तंत्र (Quadrilateral mechanism)

- चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के शीर्ष सैन्य कमांडर "आतंकवाद के विरोध में चतुर्पक्षीय सहयोग और समन्वय तंत्र" का गठन करने के लिए झिंजियांग प्रांत के उरूमकी में मिले।

चतुर्पक्षीय तंत्र के गठन के कारण

- झिंजियांग प्रांत में आतंकवादी समूहों के उदय और इन आतंकी समूहों के अंतर-संबंधो के कारण चीन इस क्षेत्र तथा OBOR (One Belt One Road) परियोजनाओं की सुरक्षा के बारे में चिंतित है।
- अफगानिस्तान में राजनीतिक सुलह के प्रयास हेतु चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका से मिलकर बने एक अन्य चतुर्पक्षीय वार्ता तंत्र की असफलता।
- चीन OBOR पहल को बढ़ावा देने के लिये तथा अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा की बहाली के लिए अफगान संकट का राजनीतिक समाधान ढूँढ रहा है।

7. संयुक्त राज्य अमेरिका-पाकिस्तान

(US-Pakistan)

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान की हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई करने में विफलता के कारण पाकिस्तान को दी जाने वाली 300 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता को बन्द करने का फैसला किया है।
- अमेरिका ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियाँ दोहरे मापदंड अपनाती हैं तथा अफगान विद्रोही और भारत विरोधी आतंकी समूहों के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखती हैं।

गठबंधन सहायता कोष (CSF)

- 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद, अमेरिका के नेतृत्व में आतंकवाद का मुकाबला करने की कार्यवाही में पाकिस्तान और अन्य देशों को उनके परिचालन और सैन्य सहायता के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने 2002 में अरबों डॉलर की सहायता देना शुरू किया।
- 2001 के बाद से CSF खातों का लगभग आधा भाग पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अमेरिकी वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है।

VISION IAS

- पाकिस्तान, CSF की क्षतिपूर्ति का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, इसने 2002 के बाद से लगभग 14 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किये।

हक्कानी नेटवर्क

- हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में अमरीकी दलों के साथ ही अफगान सरकार और नागरिक ठिकानों के खिलाफ बहुत अधिक संख्या में हमले और अपहरण किये है।
- इस समूह को काबुल में 2008 में भारतीय दूतावास पर हुये बम विस्फोट सहित अफगानिस्तान में भारतीय हितों के खिलाफ कई घातक हमलों के लिए भी दोषी ठहराया गया है।

पाकिस्तान को एफ -16 की बिक्री

संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन पाकिस्तान को आठ एफ -16 लड़ाकू विमानों को बेचने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ चुका है।

बिक्री के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के तर्क

- पाकिस्तान को एफ -16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति से आतंकवाद से मुकाबले में मदद मिलेगी।
- इन लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी सेना की परिशुद्ध मारक क्षमताओं में वृद्धि की है।

योजना के विपक्ष में तर्क

- भारत ने पाकिस्तान को एफ -16 की बिक्री का विरोध किया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान अब भी आतंकवादी संगठनों को शरण दे रहा है जो कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
- पाकिस्तानी और तालिबान से जुड़े आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को हाल ही में भारत के पठानकोट एयर फोर्स बेस पर हुए हमले के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के कई सांसदों ने इस आधार पर सौदे का विरोध किया है कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को अपना समर्थन जारी रखा है। कुछ ने यह बिंदु भी उठाया है कि परमाणु सक्षम यह विमान भारत को धमकी देने के लिए और सम्पूर्ण क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

कांग्रेस

- प्रारंभ में, आठ एफ -16 मल्टीरोल लड़ाकू विमानों के लिए $ 700 मिलियन सौदे का, आंशिक रूप से अमेरिकी विदेश सैन्य फाइनेंसिंग (FMF) कार्यक्रम के माध्यम से वित्त पोषण किया जाना था, लेकिन कांग्रेस ने बिक्री को सब्सिडाइज़ करने पर रोक लगा दी।
- सब्सिडी को इस चिंता के आधार पर अनुमति नहीं दी गयी थी कि पाकिस्तान द्वारा अपनी धरती पर खूंखार हक्कानी नेटवर्क के आतंक अभयारण्यों(terror sanctuaries) को समाप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किये गए। इसके अलावा इस्लामाबाद के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी चिंता व्याप्त थी ।

8. तुर्की में तख्तापलट का प्रयास असफल

(Failed Coup in Turkey)

हाल ही में तुर्की सेना के एक वर्ग द्वारा राष्ट्रपति तईप एरडोगन (जो वर्ष 2003 से सत्ता में है) की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश की गयी। सरकार ने अमेरिका में निवास करने वाले एक शक्तिशाली, एकांतप्रिय मुस्लिम मौलवी फेथुल्लाह गुलेन पर अशांति भड़काने का आरोप लगाते हुए उसे दोषी ठहराया है।

तुर्की सेना ने विद्रोह क्यों किया?

2003 में एरडोगन के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने से सेना को वैचारिक और संस्थागत दोनों आधारों पर चुनौती मिली।

- वैचारिक संदर्भ में, एरडोगन की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (AKP) की इस्लामिक राजनीति वस्तुतः सेना की **केमलिस्ट धर्मनिरपेक्षता (Kemalist secularism)** से मौलिक रूप से भिन्न थी।
- एरडोगन की सरकार ने सैन्य अदालत के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने और समाज एवं देश में सेना के प्रभाव को कमजोर करने के लिए वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति को असैनिक नियंत्रण में लाने जैसे कदम उठाए थे।
- **राज्य का कमजोर होना:** एरडोगन ने विभिन्न तरीकों से सरकार को कमजोर करने में अपना योगदान दिया है।

विनाशकारी विदेश नीति

<u>सीरिया में संकट:</u> जब 2011 में सीरिया संकट प्रारंभ हुआ, तब एरडोगन, सीरिया के राष्ट्रपति बशर-अल-असद के इस्तीफे की मांग करने वाले सर्वप्रमुख नेताओं में से एक थे। तब से वह सक्रिय रूप से सीरिया में इस्लामी विद्रोहियों का समर्थन करते रहे हैं।

- फलतः इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पहला, इसके कारण जहां एक ओर सीरियाई संकट और अधिक गंभीर बन गया वहीं दूसरी ओर तुर्की में शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या का आगमन भी हुआ।
- दूसरा, इस सीरियाई संकट से इस्लामिक स्टेट (IS) जैसा संगठन और मजबूत हो गया। अब IS कभी-कभी तुर्की पर भी हमला करता है।
- सीरिया में तुर्की की भागीदारी ने रूस को इसके खिलाफ कर दिया। रूसी प्रतिबंधों से तुर्की की मध्य एशिया योजना पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

इस्लामीकरण

- जबरन इस्लामीकरण ने इस्लामिक और धर्मनिरपेक्ष वर्गों के बीच अंतर्विरोध को बढ़ा दिया।
- सेना का एरडोगन की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (AKP) के राजनीतिक इस्लामवाद के मुद्दे पर विरोध है।

संविधान को फिर से लिखना

- स्वयं को अधिक शक्तियां प्रदान करने के प्रयोजन से संविधान को फिर से लिखे जाने के लिए प्रयास करना।
- राष्ट्रपति ने स्वतंत्र मीडिया पर कड़ी कार्यवाही भी की है और कई लोगों द्वारा इसे सत्तावादी रुख के रूप में देखा जा रहा है।

तख्तापलट के प्रयास का प्रभाव

- असफल तख्तापलट के बाद से हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया या बर्खास्त कर दिया गया है।
- अधिकार समूहों का मानना है कि तख्तापलट-षड्यंत्रकारियों का सहयोग करने या कथित मास्टरमाइंड मौलवी फेथुल्लाह गुलेन के समर्थकों के बहाने राजनीतिक विरोधियों को घेरा जा रहा है।
- तुर्की के राष्ट्रपति ने तीन महीने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है।

तुर्की में सेना की भूमिका

ऐतिहासिक दृष्टि से तुर्की में सेना का राजनीति में काफी प्रभाव रहा है।

- यह सापेक्षिक स्वायत्तता प्राप्त एक लोकप्रिय संस्थान है, जो खुद को देश की स्थापित विचारधारा अर्थात केमलिज्म (Kemalism) और धर्मनिरपेक्षता का समर्थक मानती है।
- सेना स्वयं को केमलिज्म के रक्षक के रूप में देखती है। केमलिज्म लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता का एक रूप है जिसकी शुरुआत नवीन तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा 1923 में की गयी थी।

धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में तुर्की

प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ऑटोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात 1923 में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई।

- इसके संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क 1938 में अपनी मृत्यु तक राष्ट्रपति रहे। उनके उत्तराधिकारी इस्मेत इनोनु ने 1946 में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की।
- तुर्की ने 1960, 1971 और 1980 में दमनकारी सैन्य तख्तापलट को देखा।
- 1997 में तुर्की सेना ने वर्तमान राष्ट्रपति रिसेप तईप एरडोगन के दिवंगत गुरु नेक्मेत्तीं एर्बकन (Necmettin Erbakan) को भी प्रधानमंत्री का पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया था।

9. ब्रेक्सिट (BREXIT)

Brexit का अर्थ यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होना है। ब्रिटेन ने एक करीबी जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ को छोड़ने के लिए मतदान किया तथा निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रास्ते को चुना।

	Leave	Remain
United kingdom	**52%**	**48%**
Scotland	38%	62%
Northern Ireland	44%	56%
England	53.4%	46.6%
Wales	52.5%	47.5%.

ब्रिटेन ने कैसे वोट दिया?

- जनमत संग्रह में 30 लाख से अधिक लोगों (71.8%) ने अपना मत दिया।
- यह यूरोपीयन प्रोजेक्ट के साथ ब्रिटेन के संबंधों पर दूसरा जनमत संग्रह था। 1975 में, ब्रिटेन के यूरोपीय समुदाय (साझा बाजार) क्षेत्र में रहने या छोड़ देने पर, एक जनमत संग्रह हुआ था और देश ने 67.2 फीसदी वोट के साथ इसमें रहने के पक्ष में मतदान किया था।

जनमत संग्रह के दौरान दोनों पक्षों द्वारा दिए गये तर्क

मुद्दे	यूरोपीय संघ नहीं छोड़ने के पक्ष में तर्क	इसे छोड़ने के पक्ष में तर्क
आप्रवासन	यूरोपीय संघ के समर्थक सदस्यों का कहना है कि यूरोपीय संघ के प्रवासी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान की तुलना में योगदान अधिक करते हैं।	आप्रवासन विरोधी दलों के अनुसार इनसे राष्ट्रीय संसाधनों पर गंभीर दबाव पड़ता है और कल्याण व्यय में वृद्धि होती है।
सुरक्षा	अंतर्राष्ट्रीय अपराध व आतंकवाद के युग में यूरोपीय संघ के साथ सहयोग ब्रिटेन को सुरक्षित रखेगा।	यदि ब्रिटेन का अपनी सीमाओं पर नियंत्रण नहीं होगा तो सुरक्षा का खतरा बढ़ जाएगा।
रोजगार	यूरोपीय संघ से तीन लाख नौकरियाँ जुड़ी हैं ऐसे में अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ देता है तो यहाँ नौकरियों का संकट उत्पन्न हो सकता है।	यूरोपीय संघ के नियमों को लागू करने की मजबूरी के समाप्त होने पर यहाँ नौकरियों में उछाल आएगा।
व्यापार	शुल्क और सीमा नियंत्रण से मुक्त एकल यूरोपीय बाजार तक पहुँच ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका 45 प्रतिशत व्यापार यूरोपीय संघ के साथ है।	यूरोपीय संघ को ब्रिटिश बाजार की जरूरत है और यूरोपीय देशों के साथ अलग-अलग व्यापार सौदों की बातचीत करना आसान है।
अर्थव्यवस्था	बैंकों के बाहर जाने से यूरोप के वित्तीय केंद्र के रूप में लंदन का प्रभुत्व खतरे में पड़ सकता है|	लंदन की स्थिति अभेद्य है क्योंकि यह पहले से ही वैश्विक शक्ति का एक आधार है।

ब्रिटेन के बाहर निकलने की प्रक्रिया

- वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ब्रिटेन को यूरोपीय संघ की लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 का प्रयोग करना होगा, जिसका इससे पहले कभी प्रयोग नहीं किया गया।
- पहला कदम यूरोपीय परिषद, जो EU के सभी सदस्यों से मिलकर बनी होती है को सूचित करना होता है तथा उसके बाद दो वर्ष में बाहर निकलने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा ।

<u>यूनाइटेड किंगडम पर प्रभाव</u>

राज्य की एकता

पहला खतरा तो ब्रिटेन की भौगोलिक अखंडता को है। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड ने **Brexit** जनमत संग्रह में रहने के पक्ष में मतदान किया था।

- स्कॉटिश नेशनल पार्टी की नेता निकोला स्टरगियन ने घोषणा की कि वह ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के मार्ग को अवरोधित करेगी।
- स्कॉटलैंड ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दूसरा जनमत संग्रह कर सकता है।
- लंदन वासियों ने (मेयर सादिक खान को संबोधित याचिका पर एक लाख लोगों ने हस्ताक्षर किये है), इसे ब्रिटेन से स्वतंत्र घोषित करने की मांग की है।

2. आर्थिक प्रभाव

- पाउंड का अवमूल्यन: तत्काल प्रभाव के रूप में पाउंड के मूल्य में भारी गिरावट देखी जा सकती है।
- ब्रिटेन से अन्य यूरोपीय संघ के देशों में निवेश के स्थानांतरण की संभावना।
- लंबे समय से लंदन यूरोप में वित्तीय केंद्र के रूप में रहा है, यह अपनी प्रमुख जगह खो सकता है।
- यूरोपीय संघ के साथ इसे छोड़ने और आर्थिक संबंधो का नया तंत्र बनाने के लिए कम से कम दो साल के लिए आर्थिक अनिश्चितता का माहौल।

भारत पर प्रभाव

- भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के प्रवाह पर असर पड़ सकता है और यह जीडीपी विकास दर को प्रभावित कर सकता है।
- घरेलू निवेशक प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंतित हैं क्योंकि ब्रिटेन में सक्रिय निवेश करने वाली कुछ भारत स्थित कंपनियों और सेक्टरों को इस से नुकसान होगा।

VISION IAS

- ब्रिटेन में भारतीय निवेश का एक तिहाई आईटी और दूरसंचार क्षेत्र में है। ब्रिटेन के बाहर निकलने के कारण यूरोप और ब्रिटेन के लिए अलग अलग मुख्यालयों की आवश्यकता पड़ सकती है।
- पाउंड में प्रतिक्रियावादी गिरावट के साथ भारतीय निवेशकों को अल्पावधि में लाभ मिलने वाला है जिससे वे एक सस्ती दर पर ब्रिटेन में संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं।
- कमजोर पाउंड भारतीय पर्यटकों एवं छात्रों के लिए लाभदायक है।
- भारत यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है| अब ब्रिटेन के बाहर निकलने के कारण मुक्त व्यापार समझौते का पुनर्लेखन करना होगा।
- मुद्रा अवमूल्यन जोखिम से बचने की प्रवृति को और अधिक बढाएगा तथा कमजोर एशियाई मुद्राओं पर अधिक दबाव डालेगा।
- रुपये में गिरावट व्यापार संतुलन को बिगाड़ सकती है (चालू खाते के घाटे में वृद्धि के कारण)।

यूरोपीय संघ पर प्रभाव

- Brexit वोट के बारे में सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसने अनगिनत संभावनाओं का पिटारा खोल दिया है।
- सबसे बड़ा डर 'संक्रमण' का है। फ्रांस और नीदरलैंड के दक्षिणपंथी नेताओं ने अपने देशों में यूरोपीय संघ की सदस्यता पर तत्काल जनमत संग्रहण करवाने की मांग भी कर दी है।
- यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन से "जल्द से जल्द" इसे छोड़ने का आग्रह किया है क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया के रूप में जनमत संग्रहों की एक श्रृंखला के लिए यह एक चिंगारी का कार्य कर सकता है जो यूरोपीय एकता के लिए बड़ा झटका हो सकता है।
- आप्रवासन विरोधी समूहों और राष्ट्रवादी एवं उप-राष्ट्रवादी ताकतों को यूरोपीय संघ में आधार हासिल होगा।
- यह नतीजा यूरोप के संवेदनशील विकासमार्ग को अवरोधित कर सकता है। यूरो के तेजी से अवमूल्यन से यूरोपीय संघ के बाजार की प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा।
- संभावना है कि यूरोप मजबूत आप्रवासन अधिनियम लागू करे।
- पूरे यूरोप में, **यूरोसेप्टिक** अर्थात EU व्यवस्था विरोधी दलों के उदय के बारे में आशंका गहरा रही है।
- **वित्तीय प्रभाव**: यूरोपीय संघ को ज्यादातर धन अपने सदस्य देशों से मिलता है और ब्रिटेन एक बड़ा योगदानकर्ता है।
- **राजनीतिक प्रभाव**: ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का एक स्थायी सदस्य है, ब्रिटेन के बाहर निकलने से वैश्विक मामलों में यूरोपीय संघ की राजनीतिक शक्ति कम हो जाएगी।
- **यूरोपीय संघ का विस्तार**: इसका असर उन देशों (तुर्की) पर पड़ेगा जो यूरोपीय संघ में शामिल होने को तैयार हैं।

नॉर्वे मॉडल - बीच का रास्ता

- नॉर्वे, आइसलैंड और लीचटेंस्टीन के साथ यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) का सदस्य है।
- यूरोपीय संघ और EEA के बीच संबंधों का प्रबंधन करने हेतु EEA देशों का ब्रसेल्स में एक अलग सचिवालय है।
- वे यूरोपीय संघ के बजट में योगदान कर सकते हैं और यूरोपीय संघ से बाहर रहते हुए एकल बाजार तक पहुंच रख सकते है।

10. बेल्जियम में आतंकी हमला

(Terror Attack in Belgium)

घातक विस्फोटो की एक शृंखला ने बेल्जियम की राजधानी को हिलाकर रख दिया। इसमें मुख्य हवाई अड्डे ज़ावेंतेम (Zaventem) और शहर की मेट्रो प्रणाली को निशाना बनाया गया।

- कम से कम 34 लोग ज़ावेंतेम हवाई अड्डे और मैलबीक (Maelbeek) मेट्रो स्टेशन पर हुए बम विस्फोट में मारे गए।
- ब्रुसेल्स जहाँ यूरोपीय संघ के प्रमुख संस्थानों के मुख्यालय हैं, को यूरोप की वास्तविक राजधानी माना जाता है।

इस्लामिक स्टेट (आई.एस.) आतंकवादी समूह

- इस्लामिक स्टेट समूह, जिसका हाथ पेरिस हमलों के पीछे था, ने ब्रसेल्स में हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है।
- हाल के महीनों में इस्लामिक स्टेट ने पेरिस से अंकारा तक दुनिया भर में कई हमले किये हैं।

इस्लामिक स्टेट द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर क्यों हमला किया जा रहा ?

- तथाकथित 'खिलाफत'(Caliphate) की इच्छा में संघर्षरत इस्लामिक स्टेट को कई सैन्य असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है।
- इसके द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर हमला करने और निर्दोष लोगों को मारने का मूलकारण हैं:-

✓ पहला, 'खिलाफत' (Caliphate) के क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाना। आइ.एस, अन्य देशों को आतंकवाद निर्यात करना चाहता है और इस रूप में 'प्रासंगिक' बने रहकर और अधिक रंगरूटों को ढूँढना चाहता है।

✓ दूसरा एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आइ.एस. आधुनिक विश्व की सभ्यता के मूल्यों के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है। जनता पर हमला करके, यह स्वतंत्र और खुले समाज में दहशत पैदा करना चाहता है तथा उनकी सामाजिक एकता को तोड़ कर इसका लाभांश लेना चाहता है।

बेल्जियम क्यों?

- बेल्जियम वर्षों से आतंकवाद विरोधी निगरानी तंत्र की नज़र में रहा है क्योंकि बड़ी संख्या बेल्जियन विदेशी लड़ाकों ने ISIS और सीरिया और इराक में अन्य आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए पलायन किया है।
- किसी भी पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र की तुलना में बेल्जियम के प्रति व्यक्ति विदेशी लड़ाकों की संख्या सीरिया में सबसे ज्यादा है।
- यूँ तो कई शहरों में इस्लामी सेल मौजूद रहे हैं, लेकिन ये सर्वाधिक सक्रिय ब्रुसेल्स में और विशेष रूप से मैलबीक (Maelbeek) के दक्षिण-पश्चिमी उपनगर में हैं। यह मोरक्को नृजाति की उच्च जनसंख्या का क्षेत्र है और यहाँ बेरोजगारी की उच्च दर भी व्याप्त है।
- ब्रुसेल्स पर आतंकी हमला बदला लेने के इरादे से नहीं किया गया है, बल्कि यह तीव्र कट्टरता, जो समुदायों में और पड़ोस में गहराई से व्याप्त हो गई है, से सम्बंधित है।

11. अमेरिकी राष्ट्रपति की रियाद यात्रा

(USA President Visit to Riyadh)

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खाड़ी देशों के नेताओं के एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया।

अमेरिका-सऊदी गठबंधन में दरार

यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है, जिससे यह साझेदारी भी भारी दबाव में है। ईरान को नियंत्रित कैसे करें, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई कैसे जारी रखी जाए, सीरिया का भविष्य और यमन में झड़प आदि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई आपसी सहमति नहीं बन पा रही है और अविश्वास का माहौल कायम है।

- **मिस्रः** होस्नी मुबारक के शासन को वाशिंगटन ने संरक्षण प्रदान करने से इंकार कर दिया था।
- **सीरियाः** ओबामा प्रशासन बशर अल-असद की राज्य-व्यवस्था पर बमबारी करने के खिलाफ है क्योंकि उसे लगता है कि सीरिया में राज्य के पतन से इस्लामिक स्टेट को मदद मिलेगी।
- **ईरानः** सऊदी अरब ईरान परमाणु करार के खिलाफ था। अमेरिका चाहता है कि ईरान क्षेत्रीय राजनीति, विशेषकर ईराक में स्थिरता लाने और सीरिया में इस्लामिक स्टेट को हराने में और अधिक जिम्मेदार भूमिका का निर्वहन करे। यह दोनों तथ्य इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अमेरिका में सऊदी विरोधी भावनाएँ

- '9/11 बिल': सीनेट में पेश एक विधेयक जो अगर पारित हो गया, तो 9/11 आतंकवादी हमले के पीड़ितों को अनुमति होगी कि वह सऊदी अरब के खिलाफ मुकदमा कर सकें।
- यमन में सऊदी आक्रामकताः सामरिक चिंतकों का मानना है कि सऊदी सैन्य अभियान ने 'अल-कायदा इन अरेबियन पेनिन्सुला (AQAP)' को यमन में स्वच्छंदता से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक मुक्त क्षेत्र प्रदान कर दिया है।
- यमन में सऊदी कार्रवाई की वजह से सिविल सोसाइटी समूहों द्वारा मानवाधिकार हनन के मामलों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है।

अमेरिका की नीति में बदलाव के कारण

- अमेरिका अपने घरेलू शेल ईंधन के उत्पादन में वृद्धि के कारण अब तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रह गया है।
- वाशिंगटन महसूस करता है कि इस क्षेत्र में स्थिरता कायम करने के लिए ईरान की आवश्यकता है।

विश्लेषण

पश्चिम एशिया के कई मुद्दों पर अमेरिका के मत में भिन्नता का अर्थ यह नहीं है कि यह रियाद से दूरी बढ़ाने जा रहा है या तेहरान के करीब आ रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब दोनों को अभी भी एक दूसरे की आवश्यकता है।

- अमेरिका सऊदी अरब को उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य और खुफिया सहायता प्रदान करता है।
- सऊदी अरब अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ़ लड़ाई में मदद करता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका को खनिज तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- अमेरिका अभी भी खाड़ी में अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
- दूसरी तरफ, वाशिंगटन और तेहरान के बीच अभी भी पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं हैं।

VISION IAS

C. महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय/क्षेत्रीय समूह और शिखर सम्मेलन

(Important International/ Regional Groups And Summits)

1.एसेम सम्मेलन

(ASEM Summit)

- 11वां एशिया-यूरोप शिखर सम्मेलन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में संपन्न हुआ।
- यहाँ उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- ASEM एक अनौपचारिक अंतर-क्षेत्रीय संवाद है जोकि राजनीतिक, सुरक्षा, वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करता है।

ASEM क्या है ?

- ASEM को आधिकारिक तौर पर 1 मार्च 1996 को हुए इसके प्रथम शिखर सम्मेलन के दौरान बैंकॉक (थाईलैंड) में स्थापित किया गया।
- इसका उद्देश्य आपसी सम्मान और समान भागीदारी की भावना से दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
- ASEM के 53 भागीदार देश है तथा भारत भी इसका हिस्सा है।

ASEM प्रक्रिया के मुख्य घटक निम्नलिखित 3 स्तंभों पर आधारित हैं:

1. राजनीतिक स्तंभ
2. आर्थिक स्तंभ
3. सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तंभ

2. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन, 2015

(APEC Summit, 2015)

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APAC) के आर्थिक नेताओं का सम्मेलन 2015, मनीला (फिलिपीन्स) में 18- 19 नवम्बर के दौरान संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन 21 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा छः महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा निर्मित करने वाली घोषणा के साथ संपन्न हुआ।

APAC में भारत की सदस्यता का मुद्दा:

पृष्ठभूमि:

- भारत ने रणनीतिक, राजनयिक और आर्थिक कारणों से लम्बे समय से APAC फोरम की सदस्यता की मांग की है।
- चूँकि भारत, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, अतः यह समूह नई दिल्ली की भागीदारी को संगठन के भौगोलिक सीमा वाले मानदंड के विपरीत मानता है।
- भौगोलिक तर्क के अतिरिक्त, APAC की सदस्यता के स्थगन के कारण भारत की सदस्यता का प्रश्न कुछ समय तक गंभीरतापूर्वक नहीं उभरा था। यह स्थगन 1997 में दस वर्ष के लिए लागू हुआ था और इसे 2007 में पुन: तीन अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था।
- 2010 के बाद कोई स्थगन लागू न रहने पर कुछ APAC सदस्यों ने चिंताएँ व्यक्त की, कि भारत के प्रभाव को देखते हुए भारत को सम्मिलित करने से इस समूह का प्रशांत तटवर्ती देशों से केन्द्रित संतुलन बिगड़ (विचलित हो) सकता है।
- संतुलन के मुद्दे के अतिरिक्त, भारत के इस समूह में प्रवेश के विरोधी, व्यापार समझौता वार्ताओं में भारत द्वारा अत्यधिक सौदेबाजी करने की प्रवृत्ति का उदाहरण देते हैं। (उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर की वार्ता में जिसमें भारत के रुख की वजह से देरी हो रही है)।

2015 शिखर सम्मेलन के घटनाक्रम:

- पूर्व आस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री केविन रुड के नेतृत्व वाले नीतिगत कार्य बल और एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टीट्यूट (ASPI) ने अनुशंसा की, कि APEC को भारत के सदस्यता के निवेदन पर विचार करना चाहिए।

- हालांकि, भारत की सदस्यता का मुद्दा 2015 के शिखर सम्मेलन के एजेंडे (कार्यसूची) में नहीं रखा गया।

APEC को भारत की आवश्यकता क्यों है:

- भारत इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। 60 प्रतिशत वैश्विक GDP का उत्पादन करने वाली APEC अर्थव्यवस्थायें मंद आर्थिक विकास का अनुभव कर रही हैं और उन्हें नए बाजारों के लिए अनिवार्य रूप से अवसरों की खोज करनी चाहिए।
- अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2030 तक विश्व की सर्वाधिक विशाल अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसे अगले दशक के दौरान अवसंरचना हेतु 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी।
- ट्रांसपैसिफिक साझेदारी (TPP) के साथ व्यापार समझौते के वास्तविकता में परिणत होने के साथ ही APEC को स्वयं में सुधार लाने की आवश्यकता है।
- 2030 तक श्रम शक्ति आपूर्ति में भारत की क्षमता विश्व में सर्वाधिक होगी। यह APEC अर्थव्यवस्थाओं में वृद्ध होती जनसंख्या और घटते कार्यबलों के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में सहयोग करेगी।
- पिछले 15 वर्षों में APEC अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का तेजी से बढ़ा व्यापार APEC में इसकी भागीदारी के बाद और अधिक बढ़ेगा।
- क्षेत्रीय और वैश्विक विकास की दर को बढ़ाने में भारत के साथ दूरदर्शी समझौता आर्थिक प्रगति में सहायक हो सकता है।

भारत हेतु लाभ:

- APEC में भारत का प्रवेश भारत की **'एक्ट ईस्ट नीति'** को प्रोत्साहित करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया-प्रशांत आर्थिक व्यवस्था से और अधिक जोड़ेगा।
- APEC अधिकाधिक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त यह सदस्य राष्ट्रों में व्यवसाय आरम्भ करने, ऋण प्राप्त करने, अनुमतियाँ प्राप्त करने, अनुबंधों को लागू करने तथा सीमापार व्यापार करने में आने वाले अवरोधों को हटाकर छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है।
- APEC में भारत का सम्मिलित होना, देश में आर्थिक सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

3. ISIS के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव

(UN Resolution Against ISIS)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव के तहत, विश्वभर के देशों को ISIS के विरुद्ध "सभी आवश्यक उपाय" करने हेतु अधिकृत किया। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त हुआ।

- इसमें सैन्य कार्रवाई करने का प्राधिकार सम्मिलित नहीं है।
- फ्रांस द्वारा सुरक्षा परिषद में पुर:स्थापित यह प्रस्ताव पेरिस हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने का प्रयास था।

क्या भारत को ISIS के विरुद्ध संघर्ष में सम्मिलित होना चाहिए?

पक्ष में तर्क:

- भारतीय वायु और थल सेना कई दशकों से कश्मीर और पूर्वी भारत में उग्रवादियों से लड़ रही हैं। भारत ने पंजाब में अलगाववाद को समाप्त भी किया है। इस प्रकार के आतंकवाद विरोधी अनुभव ISIS के विरुद्ध युद्ध में अत्यधिक सहायक साबित हो सकते हैं।
- भारत के सशस्त्र बल विदेशी भूमि पर युद्ध करने का अनुभव भी प्राप्त करेंगे।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्षेत्र के बाहर बहुत कम ही हस्तक्षेप किया है। भारत को तार्किक रूप से एक मजबूत महाशक्ति नहीं माना जाता है क्योंकि यह वैश्विक मुद्दों में बहुत कम ही जोखिम उठाता है। ISIS के विरुद्ध युद्ध में इसका प्रवेश इसकी छवि को वैश्विक बल के रूप में आगे बढ़ाएगा।

विपक्ष में तर्क:

- ईराक और सीरिया में विदेशी मिशन भारतीय राजकोष पर अधिक भार बढ़ायेगा। एक ऐसे समय जब भारत की वित्तीय स्थिति सकारात्मक नही हैं, ISIS के विरुद्ध युद्ध में संलग्न होना एक वित्तीय भूल होगी।

- ईराक और सीरिया में सैन्यदल भेजने से अल्पसंख्यकों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है और यह भारत में ज़ेहाद की संभावना को भी बढ़ा सकता है।

4. चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC)

(Forum on China-Africa Cooperation [FOCAC])

प्राकृतिक संसाधनों, जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण अफ्रीका महाद्वीप तेजी से वैश्विक आकर्षण और प्रतिस्पर्धा का अगला केंद्र बनता जा रहा है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए चीन सहित कई देशों ने इस महाद्वीप में बहुत अधिक निवेश किया है।

सुर्खियों में क्यों?

चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (फोरम ऑन चाइना-अफ्रीका कोऑपरेशन या FOCAC) के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन और 6वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 3 से 5 दिसम्बर 2015 के बीच जोहान्सबर्ग में किया गया।

FOCAC, 2015 के संबंध में:

- यह एक आधिकारिक मंच है जिसने चीन-अफ्रीका सम्बन्ध के राजनीतिक प्रभाव को बहुत तीव्र कर दिया है तथा चीन और अफ्रीका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण संचालक का कार्य कर चुका है।
- इससे पूर्व अब तक इसके पांच शिखर सम्मेलन हो चुके हैं जिनमें से पिछली बैठक 19-20 जुलाई 2012 को बीजिंग, चीन में हुई थी।
- FOCAC, चीन और अफ्रीकी देशों के बीच सामूहिक वार्ता हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के साथ-साथ व्यावहारिक सहयोग के लिए भी एक प्रभावी तंत्र बन गया है।
- अगले मंत्री स्तरीय FOCAC का आयोजन 2018 में चीन में किया जाएगा।
- भारत द्वारा भारत-अफ्रीका सम्बन्ध को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक भागीदारी के साथ **भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन** का आयोजन किए जाने के कारण इसे चीन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

महत्व

- ऐसा केवल दूसरी बार (पहली बार 2006 में) हुआ है कि इसका आयोजन शिखर सम्मेलन के रूप में किया गया। FOCAC वार्ता अपनी स्थापना के समय से ही मंत्री स्तरीय रही है।
- इस शिखर सम्मेलन में लगभग 50 अफ्रीकी राज्य प्रमुखों/ सरकारों ने हिस्सा लिया।
- **जोहान्सबर्ग घोषणा और एक कार्य योजना का** आदेश जारी करने के साथ इस दो-दिवसीय शिखर सम्मेलन का समापन हुआ।
- राष्ट्रपति शी द्वारा **60 बिलियन डॉलर** के एक प्रभावशाली वित्तीय सहयोग पैकेज की घोषणा की गई। "**अफ्रीका-चाइना प्रोग्रेसिंग टूगेदर: विन-विन कोऑपरेशन**" की थीम के साथ, इस कार्यक्रम में चीन-अफ्रीका संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया गया।
- इस पैकेज में विभिन्न क्षेत्रों की दस सहकारी परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं।

परिवर्तित संदर्भ:

- **चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी** और उससे संबंधित समस्याओं को देखते हुए इस वित्तीय पैकेज की मात्रा ने कइयों को आश्चर्यचकित कर दिया। चीन अब निवेश एवं विनिर्माण आधारित वृद्धि से उपभोग आधारित वृद्धि की ओर अग्रसर होने वाला है। यह सब होते हुए भी, चीन के पास अफ्रीका के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए धन का अभाव नहीं है।
- अफ्रीकी राष्ट्रों के समक्ष एक नया परिदृश्य आया है। **चीन में अफ्रीकी संसाधनों** की मांग में कमी और व्यापारिक वस्तुओं के मूल्यों में सामान्य गिरावट के कारण उन पर निर्भर कई अफ्रीकी देशों पर दबाव पड़ रहा है जो उन्हें निर्यात की आय में कमी और उससे संबंधित बजट सम्बन्धी समस्याओं की तरफ धकेल रहा है।

यह एक विशुद्ध आर्थिक एजेंडे से अधिक है:

- इसमें **राजनीतिक और सामरिक हित** सम्मिलित हैं। जोहान्सबर्ग घोषणा में स्पष्ट रूप से इन पहलुओं का उल्लेख किया गया है और आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप एवं बल का प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी की मनाही और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के प्रयासों को अस्वीकार करने पर जोर दिया गया है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण, "एक दूसरे के मूल हितों का सम्मान करने" का सन्दर्भ है।
- इस शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख रणनीतिक परिणाम, 2006 में स्थापित "नए प्रकार की रणनीतिक सहभागिता" को एक "**व्यापक रणनीतिक और सहयोग साझेदारी**" के रूप में उन्नत करना है।

- आज, P-5 देशों में से अफ्रीका में सबसे अधिक संख्या में शांति सैनिक चीन के हैं।

5.एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)

(Asian Infrastructure Investment Bank [AIIB])

यह 21 वीं सदी के लिए स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक (MDB) है। एशिया के चुनौतीपूर्ण बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए AIIB मौजूदा MDBs के साथ सहयोग कर संयुक्त रूप से कार्य करेगा।

- AIIB के पास 100 अरब डॉलर अधिकृत पूंजी है, और एशियाई देशों ने कुल पूंजी के 75% तक का योगदान दिया है। समझौते के अनुसार, इसमें प्रत्येक सदस्य को उनकी अर्थव्यवस्था के आधार पर शेयर आवंटित किया जाता है।
- AIIB की पूंजी 100 अरब डॉलर है जो एशियाई विकास बैंक की पूंजी के 2/3 भाग तथा विश्व बैंक की पूंजी के आधे के बराबर है।
- चीन (30.34%), भारत (8.52%) और रूस (6.66%) AIIB के तीन सबसे बड़े शेयरधारक हैं। इनके मतदान शेयर इस प्रकार है; चीन- 26.06%, भारत-7.5% और रूस- 5.92%। गौरतलब है कि चीन का इस बहुपक्षीय संस्था में मतदान का अधिकार 26.06% है जो इसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में वीटो प्रदान करता है।
- बैंक ने10 सदस्य देशों से अनुसमर्थन प्राप्त करने के बाद, 25 दिसंबर 2015 से समझौते को लागू कर कार्य प्रारम्भ कर दिया।

AIIB की स्थापना के कारण

- AIIB से चीन की वित्तीय पहुंच और प्रतिस्पर्धा का विस्तार होगा तथा यह विश्व बैंक तथा जापान के प्रभुत्व वाले एशियाई विकास बैंक से प्रतिस्पर्धा करेगा।
- चीन और ब्रिक्स सहित अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और ADB सहित अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों में अपने सीमित अधिकारों के खिलाफ लम्बे समय तक विरोध किया है।
- चीन, विश्व बैंक में 'द्वितीय श्रेणी' के मतदान गुट में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि ADB में, अमेरिका 15.7 प्रतिशत और जापान 15.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ चीन की 5.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी से बहुत आगे है।
- शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, कमजोर अंतर-क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय संपर्क (Connectivity) तथा लगभग नगण्य सुविधायें आदि कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो एशिया के कई देशों को संकट में डाल रही हैं।
- एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं को अवरुद्ध करने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए AIIB को एक "एशियाई उपकरण" के रूप में पेश किया गया।

भारत के लिए AIIB का महत्व

- देश के भीतर और पड़ोसी देशों के साथ संपर्क हेतु आवश्यक अवसंरचना एवं तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है।
- भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है। यह एक लक्ष्य है जो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय सहयोग और बहुपक्षीय वित्तीय एजेंसियों के समर्थन के माध्यम से शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, भारत अपने AIIB प्रस्तावों के तहत BBIN (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल) गलियारे और बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्सटेक गलियारों को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकता है।
- भारत की 2-3 अरब डॉलर तक की कुछ परियोजनायें हैं जिनको AIIB द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है।

AIIB से सम्बंधित चिंताएं

- चीन, 26.06 प्रतिशत मतदान भागीदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक होने के कारण AIIB पर हावी हो सकता है।
- भारत और रूस 7.5 और 5.92 प्रतिशत मतदान शेयरों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। पहले और दूसरे शेयरधारक के बीच का अंतर चीन को किसी विशेष परियोजना पर अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करने में मदद कर सकता है।
- चीन भारत को OBOR का हिस्सा बनाना चाहता है। AIIB द्वारा वित्त पोषित अधिकांश परियोजनायें अंततः OBOR से जुड़ी होने की संभावना है।
- भारत ने OBOR का एक हिस्सा होने की इच्छा नहीं दिखाई है, जिसके निम्न संभावित कारक है :

✓ OBOR परियोजना की पारदर्शिता के विषय में आशंकाए,

VISION IAS

- ✓ सभी के लिए समान लाभ से संबंधित चुनौतियाँ,
- ✓ प्रस्तावित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा,पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में से होकर गुजरेगा,
- ✓ चीन का बार-बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करना, OBOR पर भारत के इस संबंध में निर्णय करने में प्रमुख कारक रहा है।

6. NSG

(NSG Plenary)

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का वार्षिक अधिवेशन सियोल में आयोजित किया गया। इस सत्र में NSG ने समूह में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के भारत के आवेदन पर निर्णय नहीं लिया।

भारत की सदस्यता का विरोध

- भारत और पाकिस्तान, दोनों ने NSG की सदस्यता के लिए आवेदन किया है किन्तु इन्होने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जहाँ भारत को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था वहीं पाकिस्तान को चीन का समर्थन प्राप्त था।
- 48 देशों में से 38 देश भारत की सदस्यता के पक्ष में थे।
- चीन ने प्रक्रियात्मक बाधाओं का हवाला (NPT का हस्ताक्षरकर्ता नहीं) देते हुए भारत की सदस्यता का दृढ़ता से विरोध किया।
- आयरलैंड और न्यूजीलैंड का मत था कि गैर-एनपीटी राज्यों के प्रवेश के लिए मानदण्डों पर पहले चर्चा की जानी चाहिए, जबकि भारत की सदस्यता के मामले को बाद में लिया जा सकता है।
- ब्राजील और स्विट्जरलैंड सहित छह देशों ने कहा कि वे मापदण्डो पर एवं भारत की सदस्यता पर एक साथ चर्चा चाहते हैं।

एनएसजी सदस्यता का महत्व

- भारत परमाणु बिजली उत्पादन का विस्तार करने और निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए वासेनार समझौते और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में हितधारक बनने के अलावा NSG का एक सदस्य बनने के लिए उत्सुक है।
- NSG भारत के परमाणु कार्यक्रम की निश्चितता बढाएगा और इसके लिए एक कानूनी आधार तैयार करेगा जो भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में निवेश हेतु विभिन्न देशों के विश्वास को बढाएगा।
- भारत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अपनी ऊर्जा का 40% अक्षय और स्वच्छ स्रोतों से पूर्ति हो, इसके लिए परमाणु बिजली उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाने की जरूरत है।
- नवीनतम तकनीक के उपयोग के साथ भारत परमाणु ऊर्जा उपकरणों के उत्पादन का व्यवसायीकरण कर सकता है। बदले में यह नवाचार और उच्च तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा देगा और आर्थिक एवं रणनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
- NSG में भारत का प्रवेश वैश्विक अप्रसार व्यवस्था को मजबूत करेगा।
- यह 2008 में भारत को NSG से मिली छूट को औपचारिक रूप दे देगा।
- इसका सदस्य न होने के कारण भविष्य में होने वाले संशोधनों पर भारत का कोई पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि जिस छूट का भारत लाभ प्राप्त कर रहा है, एक अर्थ में, बाद में संशोधन से समाप्त की जा सकती है।
- 2011 के दिशानिर्देशों में एक बड़ा परिवर्तन किया गया, एक नया नियम अपनाया गया जिसने परमाणु अप्रसार संधि के रूप में एक कसौटी को पेश किया कि पुनर्प्रसंस्करण और संवर्धन (ENR) के उपकरणों के निर्यात के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर आवश्यक है।

भारत को NSG की सदस्यता प्रदान करने के पक्ष में तर्क :

- NPT और NSG का सदस्य न होने का बावजूद इसके प्रावधानों का अनुसरण करने का भारत का ट्रैक रिकॉर्ड त्रुटिहीन रहा है।
- भारत ने परमाणु व्यापार से संबंधित अपने नियम NSG के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही बनाए हैं। इसके सिविलियन परमाणु प्रतिष्ठान भी IAEA के पर्यवेक्षण के तहत हैं।

भारत को NSG की सदस्यता क्यों प्राप्त होनी चाहिए ?

- भारत ने भविष्य में भूमिगत परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक स्थगन की घोषणा कर दी है। ऐसा करके भारत ने प्रभावी ढंग से NPT / CTBT के अर्थ एवं विचारधारा के अनुसार कदम उठाया है।
- कई पश्चिमी शक्तियों के विपरीत, भारत का परमाणु सिद्धांत गैर-आक्रामक, विस्तृत न होने वाला और केवल शक्ति संतुलन के लिए (पहले प्रयोग नहीं करने की नीति) है। इस प्रकार भारत ने स्वयं को एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।
- भारत ने परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित उपयोग में उच्च स्तरीय विशेषज्ञता हासिल कर ली है; इसे अपने नागरिक उपयोग से जुड़े परिणामों के प्रभावी नियंत्रण में महारत हासिल है और IAEA के सुरक्षा उपायों को पूर्णतया स्वीकार करने के लिए यह तैयार है।

VISION IAS

- भारत ने उद्योग, बिजली, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में पहले से ही उच्च स्तरीय विशेषज्ञता हासिल कर ली है।
- NSG में भारत की सदस्यता से केवल भारत को ही लाभ नहीं होगा बल्कि यह विश्व शांति और सद्भाव से समझौता किए बिना विश्व स्तर पर असैन्य परमाणु व्यापार को प्रोत्साहित करेगी।

7.मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)

(Missile Technology Control Regime [MTCR])

भारत MTCR का 35वां सदस्य बन गया है। द हेग आचार संहिता में शामिल होने के बाद, भारत के बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु अप्रसार व्यवस्था में शामिल होने के प्रयासों को बढ़ावा मिला है।

सदस्यता का महत्व

- भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के अलावा MTCR सदस्यता भारत की अंतरिक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देगी।
- भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को स्पष्ट रूप से फायदा होगा, हालांकि देर से ही सही – क्योंकि 1990 के दशक में, नई दिल्ली के रूसी क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी पाने के प्रयासों पर MTCR के कारण ही विराम लगा था।
- यह भारत को उच्च स्तरीय मिसाइल प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए सक्षम बनाएगा और रूस के साथ संयुक्त उपक्रम में भी मजबूती आएगी।
- यह रूस के साथ सहयोग से विकसित सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के निर्यात का रास्ता आसान कर देगा|
- भारत अमेरिका से प्रिडेटर ड्रोन का आयात करने में सक्षम हो जाएगा।

MTCR के बारे में

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह 35 देशों के बीच एक **अनौपचारिक और स्वैच्छिक भागीदारी** व्यवस्था है जो 500 किलो से ज्यादा पेलोड 300 किमी से अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम मिसाइल और मानवरहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकती है।

- चीन, इज़राइल और पाकिस्तान MTCR के सदस्य नहीं हैं।
- अमरीका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया समूह के प्रमुख सदस्य हैं।

8. हेग आचार संहिता (HCOC)

(Hague Code of Conduct [HCOC])

बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता जिसे हेग आचार संहिता (HCOC) के रूप में भी जाना जाता है, बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को रोकने के लिए 2002 में बनाई गयी थी।

- HCOC एक स्वैच्छिक आचार संहिता है, जो कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी है, और सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को रोकने का कार्य करती है।
- भारत जून 2016 में HCOC में शामिल हो गया।
- वर्तमान में HCOC पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या 138 है।
- **चीन, पाकिस्तान, इजरायल और ईरान** अभी तक इस स्वैच्छिक व्यवस्था शामिल नहीं हुए हैं।

9. व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि

(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty)

(CTBT)

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (CTBT) एक बहुपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 सितंबर 1996 को इस संधि को अपनाया। यह संधि अभी तक पूर्णतया सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाई है क्योंकि 8 परमाणु शक्ति संपन्न देशों को इसके कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्तियां हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- CTBT अपने 183 हस्ताक्षरकर्ता देशों तथा 163 प्रावधानों के कारण विश्व की प्रमुख शस्त्ररोधी संधि है।
- यह संधि अभी पूर्ण रूप से वैश्विक स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाई है। यह संधि सभी संभावित 44 परमाणु क्षमता संपन्न देशों से उनके परमाणु कार्यक्रमों पर पूर्ण रोक लगाने की मांग करती है। इन 44 देशों में से आठ ने अभी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

CTBT और भारत

- CTBT को लेकर भारत का मानना है कि इस संधि द्वारा समस्त विश्व, परमाणु शक्ति संपन्न तथा गैर परमाणु शक्ति संपन्न देशों के रूप में दो ध्रुवों में बंट जाएगा।
- भारत का मानना है कि यह संधि परमाणु हथियारों के **क्षैतिज प्रसार** पर रोक लगाती है। **उर्ध्वाधर प्रसार पर रोक** अर्थात परमाणु शक्ति संपन्न देशों द्वारा वर्तमान में अधिक उन्नत हथियारों के लिए किए जा रहे परीक्षणों पर रोक, के संदर्भ में यह संधि प्रावधान नहीं करती है। भारत का मत है कि परमाणु हथियार निषेध संधि समस्त हथियारों तथा समस्त देशों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। इसके अलावा परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले ही परमाणु हथियारों के क्षेत्र में पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त कर ली है, जिससे इन देशों द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किये जाने से उनके परमाणु हथियारों पर कोई असर नहीं होगा।
- इस संधि के अंतर्गत परमाणु हथियारों को अप्रभावी करने के लिए किसी अंतिम समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। इन सबके अतिरिक्त (CTBT) में पूर्ण परमाणु नि:शस्त्रीकरण के मुद्दे की भी कोई बात नहीं की गयी है, जबकि भारत किसी भी ऐसी संधि के प्रति प्रतिबद्ध है जोकि पूर्ण परमाणु नि:शस्त्रीकरण का प्रावधान रखती हो।

यदि भारत CTBT पर हस्ताक्षर करता है :

भारत को CTBT पर हस्ताक्षर करने से निम्न लाभ हो सकते हैं:

- भारत वैश्विक परमाणु व्यवस्था का नियन्त्रण करने वाली संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकता है, इसका मतलब दरअसल रणनीतिक निर्यात नियंत्रण उत्पादक संघ जैसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG), मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR), ऑस्ट्रेलिया समूह और वासेनार व्यवस्था की सदस्यता हैं।
- CTBT पर हस्ताक्षर करने से भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट के लिए दावा मजबूत हो सकता है।
- एक बार भारत CTBT पर हस्ताक्षर कर दे,तो अन्य देशों जैसे पाकिस्तान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी इसके अनुपालन की संभावना है।
- यह एशिया में परमाणु दौड़ को समाप्त कर सकता है।
- अप्रसार व्यवस्था के एक जवाबदेह भागीदार के रूप में, वैश्विक विकास के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण करने में उत्तरदायी हो सकता है।
- भारत,व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन (CTBTO) के अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र (IMS) से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो जायेगा।

परमाणु हथियार रोधी कार्यक्रम में भारत की भूमिका

- परमाणु हथियारों पर पाबंदी लगाने की दिशा में भारत का दृष्टिकोण पूर्णतया स्पष्ट और समतापूर्ण रहा है ।
- भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1954 में परमाणु कार्यक्रम को 'जहाँ है वहीं (stand still) रोक देने' का प्रस्ताव उल्लेखनीय है। इसके अलावा नेहरू जी ने 1963 की सीमित परमाणु निषेध संधि के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा में वर्ष 1988 में परमाणु हथियारों के चरणबद्ध नि:शस्त्रीकरण के पक्ष में अपना मत रखा।
- भारत ने IAEA के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा NPT से संबंधित समझौतों में भी प्रत्यक्ष भूमिका निभाई लेकिन परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इन संधियों में निहित भेदभावपूर्ण व्यवहार को देखकर भारत द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने को अस्वीकार कर दिया गया।

10.सुरक्षा की जिम्मेदारी (R2P)

(Responsibility to Protect [R2P])

R2P या R to P, वर्ष 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के द्वारा नरसंहार, युद्ध अपराध, नस्लीय हिंसा (ethnic cleansing) और मानवता के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए व्यक्त की गयी वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धता है।

VISION IAS

R2P के प्रमुख आधार

वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में तैयार किये गए दस्तावेज में निर्धारित किये गए और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की 2009 की रिपोर्ट में व्यक्त किये, R2P के तीन प्रमुख आधार हैं:-

- नरसंहार, युद्ध-अपराध, नस्लीय हिंसा (ethnic cleansing) और मानवता के खिलाफ अपराध करने अथवा उन्हें करने के लिए भड़काने से रोकना तथा नागरिकों की रक्षा करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य का है;
- राज्यों को प्रोत्साहित करने और इस जिम्मेदारी को पूरा करने में इनकी सहायता करने की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की है;
- इसके अतिरिक्त राजनयिक मानवीय और अन्य साधनों के उपयोग के द्वारा इन अपराधों से नागरिकों की रक्षा करना भी एक प्रमुख जिम्मेदारी है।
- इसके अतिरिक्त यदि राज्य घोषित रूप से अपने नागरिकों की रक्षा करने में असफल रहता है तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, सामूहिक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

R2P सिद्धांत की आलोचना

दृष्टव्य है कि R2P सिद्धांत का मानवीय कारणों की अपेक्षा कुछ चुनिंदा सत्ता परिवर्तनों में इस्तेमाल किया गया है। इस सन्दर्भ में आलोचकों की प्रमुख चिंता है कि पश्चिमी हस्तक्षेप मूल कारणों को नजरअंदाज कर स्थितियों को और भयावह बनाएगा।

- **लीबिया:** फरवरी 2011 में लीबिया सरकार के खिलाफ हुए एक विद्रोह ने R2P का उपयोग करने का अवसर प्रदान किया।
  - ✓ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के द्वारा नाटो को नागरिकों और नागरिक आबादी वाले क्षेत्रों की रक्षा के लिए अधिकृत किया गया किन्तु नाटो ने इस प्रस्ताव का प्रयोग सत्ता परिवर्तन की अनुमति के रूप में किया।
  - ✓ नाटो के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्राधिकार का अतिक्रमण किया गया।
  - ✓ वाशिंगटन ने हस्तक्षेप का समर्थन किया जिसका आधार लीबिया न होकर मानवीय आधार पर किया गया हस्तक्षेप था।
- **इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष:** इजरायल के आपरेशन कास्ट लीड (2008-09), में गाजा पर बमबारी के दौरान R2P का प्रयोग नहीं किया गया जबकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया इस ऑपरेशन को युद्ध अपराधों की कोटि का पाया गया था।

सीरिया:

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के द्वारा लीबिया के मामले में संयुक्त राष्ट्र के प्राधिकार का अतिक्रमण करने के कारण सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप के बारे में कोई आम सहमति नहीं है। परिणामस्वरुप, ब्रिक्स देश अब सीरिया के बारे में किसी भी प्रस्ताव को संदेहात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सीरिया संकट से पता चलता है कि "सुरक्षा की जिम्मेदारी (R2P)" की अवधारणा संकट में क्यों है।

11. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

(UNSC Reform)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार हेतु एक समझौता पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। अंतरसरकारी समझौता प्रक्रिया के इतिहास के अंतर्गत पहली बार सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु प्रस्तुत किए गए प्रपत्र को आधिकारिक दस्तावेज का दर्जा प्राप्त हुआ है।

UNSC में सुधार की आवश्यकता क्यों है ?

- सुरक्षा परिषद का गठन विश्वयुद्ध के पश्चात निर्मित जिन पारिस्थितियों में हुआ था, वह शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात परिवर्तित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त पिछले 25 वर्षों में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी बहुत से परिवर्तन हुए हैं। पहले जहाँ विश्व अमेरिका के प्रभाव में एक ध्रुवीय था, अब ब्रिक्स जैसे कई बड़े व मजबूत संगठनों की उपस्थिति से बहु ध्रुवीय विश्व की और अग्रसर हुआ है।
- पिछले 25 वर्षों के दौरान वैश्विक आर्थिक संरचना में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति रखने वाले 5 स्थाई सदस्य देशों (G-5) द्वारा लिया गया निर्णय ही सबको मानना पड़ रहा है। भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र की निर्णय प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिक भावना का अभाव है जोकि वैश्विक बहुध्रुवीयता के विकास को हानि पहुंचा रहा है।
- स्थाई सदस्यों के मध्य आपसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वैश्विक समस्याओं के उपयुक्त समाधान हेतु निर्णय लेने में UNSC को समस्या आती है। सीरिया और लीबिया जैसे देशों में उत्पन्न संकट की स्थिति के समाधान हेतु सुरक्षा परिषद में कोई विशेष निर्णय नहीं हो पाया। अत: भारत का मत है कि सुरक्षा परिषद में सुधार अब अवश्यंभावी हैं।

VISION IAS

UNSC में स्थाई सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी

- भारत UNSC का संस्थापक सदस्य रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तथा एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना मिशन के प्रारंभ से ही भारत ने इसमें सबसे ज्यादा सहयोग प्रदान किया है। भारत की विदेश नीति ने सदैव वैश्विक शांति के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्य किया है। इन सबके अलावा भारत UNSC का सात बार अस्थाई सदस्य रहा है तथा G-77 व G-4 का भी भारत सदस्य है अत: सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए भारत मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करता है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए बने समूह G-4 का हिस्सा है, जिसमें भारत के अतिरिक्त ब्राजील, जर्मनी तथा जापान शामिल हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए G-4 राष्ट्रों के सम्मेलन की आगवानी की। इस सम्मेलन में G-4 राष्ट्रों द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की गई।

UNSC में सुधार का विरोध

- जहां G-4 राष्ट्र UNSC में सुधार की मांग करते है, वहीं एक अन्य समूह भी है, जो इन सुधारों का विरोध करता है। 1990 में गठित इस समूह का नाम- "सर्वसम्मति के लिए एकीकरण (UFC) है" जिसे **कॉफी क्लब** भी कहा जाता है। कॉफी क्लब इटली के नेतृत्व में, G-4 देशों द्वारा स्थाई सदस्यता की प्रप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का विरोध करता है तथा मांग करता है कि सुरक्षा परिषद में किए जाने वाले किसी भी सुधार के लिए सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाए। UFC एक 25 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की मांग करता है, जिसके अंतर्गत कुछ स्थाई सदस्यों की जगह अधिक अस्थाई सदस्यों की भागीदारी हो।
- UNSC के तीन प्रमुख सदस्य देश यथा अमेरिका, चीन तथा रूस इसमें किसी भी प्रकार के सुधार के विरोधी हैं। हालांकि अमेरिका कुछ सामान्य सुधारों के लिए राजी है, किंतु रूस वीटो शक्ति के एकाधिकार के संदर्भ में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता है। इस क्रम में यदि सुधार से संबंधित किसी प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सहमत हो जाती है तो वीटो का प्रयोग कर स्थाई सदस्य उस प्रस्ताव को निरस्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

वैश्विक चुनौतियों तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य से सामंजस्य स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान व्यवस्था में परिर्वतन होना अत्यावश्यक है ताकि सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण तथा लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया जा सके। जी-4 राष्ट्रों को बहुआयामी कूटनीति का प्रयोग कर संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डालना चाहिए तथा सुधार के पक्ष में वैश्विक जनमत का निर्माण करना चाहिए। एक संभावना यह भी बन रही है कि यदि जल्दी ही कोई सुधार UNSC में नहीं हुए, तो विकासशील देशों द्वारा UNSC जैसे संगठनों को दरकिनार किया जा सकता है।

12. नाभिकीय क्षति के लिए अनुपूरक क्षतिपूर्ति

(Supplementary Compensation For Nuclear Damage)

भारत ने नाभिकीय क्षति के लिए अनुपूरक क्षतिपूर्ति कन्वेंशन (CSC) पर हस्ताक्षर करने के पांच वर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA), वियना में इसका अनुमोदन किया।

भारत के लिए लाभ:

- **यह विदेशी परमाणु उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की चिंताओं** को संबोधित करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संयंत्र निर्माता घरेलू दायित्व कानून, 2010 के कारण भारत में संयंत्रों की स्थापना करने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं। यह कानून वैश्विक मानकों से इस रूप में भिन्न है कि यह संयंत्रों से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए संयंत्र के संचालकों को नहीं वरन् उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को उत्तरदायी ठहराता है।
- यह परमाणु ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करेगा।
- भारत एक ऐसे **वैश्विक विधिक शासन** का भाग बन गया है जिन्होंने किसी परमाणु दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों हेतु क्षतिपूर्ति के लिए एक मानक स्थापित किया है।
- भारत के लिए **अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण** उपलब्ध हो जायेगा।

इस कन्वेंशन के संबंध में:

CSC को 12 सितम्बर 1997 को, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर वियना कन्वेंशन में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल के साथ अंगीकृत किया गया था और यह 15 अप्रैल, 2015 को लागू हुआ।

- CSC एक ऐसा कन्वेंशन है जो **किसी परमाणु घटना की स्थिति में** अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा स्वयं स्थापित किये गए परमाणु संयंत्रों की क्षमताओं के आधार पर जमा किए गए **सार्वजनिक धन के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाने** की अनुमति देता है।

- परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर वियना कन्वेंशन, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में थर्ड पार्टी दायित्व पर पेरिस कन्वेंशन से संबंधित **राज्यों के बीच संधि स्थापित करने** का भी लक्ष्य रखता है।
- इसका लक्ष्य परमाणु दुर्घटना की असम्भाव्य घटना की स्थिति में पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए एक **समान वैश्विक विधिक प्रशासन स्थापित करना** है।
- CSC पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु उपलब्ध राशि को बढ़ाने के लिए एक **अंतरराष्ट्रीय कोष** की स्थापना का प्रावधान करता है और **किसी राज्य के विशेष आर्थिक जोन के अंतर्गत पर्यटन की हानि या मत्स्य पालन से संबंधित आय की हानि सहित** नागरिक संपत्ति होने वाली किसी भी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने की अनुमति देता है।
- यह परमाणु **संयंत्र के संचालक के वित्तीय उत्तरदायित्व के मानदंडो व संभाव्य विधिक कार्रवाई को शासित करने वाली समय-सीमा** की स्थापना भी करता है। इसके अंतर्गत यह वांछित है कि नाभिकीय संचालक बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा उपायों को बनाए रखें एवं इस हेतु दावों की सुनवाई करने के लिए एकल सक्षम न्यायालय का प्रावधान करें।
- IAEA के अनुसार इस कन्वेंशन में **सभी राष्ट्र भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं** चाहे वे वर्तमान में जारी नाभिकीय दायित्व कन्वेंशन में सम्मिलित हों या उनके अधिकार क्षेत्रों पर नाभिकीय प्रतिष्ठानों की उपस्थिति हो।

भारत के कदम की आलोचना:

कई परमाणु विशेषज्ञ अनुभव करते हैं कि यह कदम नाभिकीय क्षति के लिए घरेलू नागरिक दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act), 2010, खंड 17(1) (B) और 46 का उल्लंघन करता है।

- अनुच्छेद 17(b) के अंतर्गत, विशेष रूप से जब दुर्घटना आपूर्तिकर्ता या उसके किसी कर्मचारी के कृत्य के कारण हुई हो तो नाभिकीय **दुर्घटना के दायित्व को संचालनकर्ता से नाभिकीय सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं पर स्थानांतरित** किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 46 नाभिकीय घटना के पीड़ितों को संचालक या आपूर्तिकर्ता पर क्षतिपूर्ति हेतु क्षति कानून का प्रयोग कर मुकदमा करने की अनुमति देता है।

13. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में सुधार

(IMF Reform)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने काफी समय से लंबित अपने कोटा सुधारों को कार्यान्वित करने की घोषणा कर दी है, जिन्हें अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

सुधारों के मूलभूत तथ्य:

- **कोटे के 6% से अधिक पॉइंट्स**, जिसमें IMF की पूंजी और उसके अनुपातिक मताधिकार सम्मिलित हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं से विकासशील अर्थव्यवस्थाओ को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।
- IMF के प्रशासनिक ढांचे में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने अधिक प्रभाव प्राप्त किया है।
- **भारत का मताधिकार वर्तमान के 2.3 से बढ़कर 2.6 प्रतिशत** एवं चीन का 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया है।
- पहली बार उभरते बाजार वाले चार देश (ब्राजील, चीन, भारत और रुस) IMF के 10 सबसे बड़े सदस्यों में होंगे।
- इन सुधारों से सर्वाधिक लाभ स्वयं IMF को प्राप्त होता है, क्योंकि इसके 188 सदस्य देशों द्वारा योगदान की जाने वाली सम्मिलित पूंजी 329 बिलियन पौंड (238.5 बिलियन एस.डी.आर.) से बढकर लगभग 668 बिलियन पौंड (477 बिलियन SDR) हो जाएगी।
- संयुक्त राज्य का मत-भाग भले ही कम होकर 16.7% से 16.5% हो जाएगा। किन्तु इसके अधिकार में वीटो शक्ति अभी भी रहेगी।
- इसके अतिरिक्त पहली बार IMF का बोर्ड संपूर्ण रूप से, निर्वाचित कार्यकारी अधिकारियों से मिलकर निर्मित होगा। इस प्रकार इसमें नियुक्त किए गए (appointed) कार्यकारी अधिकारियों के संबंध में निवर्तमान प्रावधान समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में सर्वाधिक कोटा वाले पांच सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्त करता है।

SDR क्या है?

- SDR एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, जिसका निर्माण IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के सरकारी भंडार के पूरक के रूप में किया गया था। इसका मूल्य वर्तमान में चार मुख्य मुद्राओं (संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, यूरो, जापानी येन, एवं पौंड स्टर्लिंग) के समूह पर आधारित है, और इस समूह को पांचवीं मुद्रा के रूप में चीनी रेनमिनबी (RMB) को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होगा।

VISION IAS

14.चतुर्थ नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन (NSS)

[Fourth Nuclear Security Summit (NSS)]

सुर्खियों में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाशिंगटन में चौथे नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

पृष्ठभूमि

- नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा की गयी एक पहल है जिसके द्वारा आतंकी संगठनों तक नाभिकीय हथियारों और नाभिकीय पदार्थों की पहुँच को रोकने के लिए हो रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वयन किया जा रहा है।
- ऐसा पहला सम्मेलन 2010 में वॉशिंगटन डी सी में हुआ था तथा इसके उपरांत 2012 में सियोल और 2014 में 'द हेग' में ये सम्मेलन हुए।

चौथे सम्मेलन का उद्देश्य

2016 में संपन्न NSS के दो प्रमुख उद्देश्य हैं -

- परमाणु सुरक्षा व्यवस्था में ठोस सुधारों को आगे बढ़ाना।
- वैश्विक नाभिकीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाना।

चौथे सम्मेलन के मुख्य परिणाम

- शिखर सम्मेलन में परमाणु सुरक्षा को बढ़ावा देने में IAEA की केंद्रीय भूमिका का समर्थन किया गया।
- इस सम्मेलन में पांच कार्य योजनाएं (एक्शन प्लान) अपनाई गयीं। ये कार्य योजनाएं पांच संगठनों यथा 'संयुक्त राष्ट्र संघ',' IAEA', 'इंटरपोल', 'ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट न्यूक्लियर वेपन (GICNT)' और 'ग्लोबल पार्टनरशिप अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ़ न्यूक्लियर वीपन्स एंड मैटेरियल्स ऑफ़ मॉस डिस्ट्रक्शन' से सम्बंधित हैं, जिनमें से अंतिम दो कुछ राष्ट्रों के मध्य हुए अनौपचारिक समझौते हैं।
- इस शिखर सम्मेलन के द्वारा सही समय पर परमाणु सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बीच सम्बद्धता पर नए सिरे से विचार किया गया।
- इंटरपोल की 'ऑपरेशन फेल सेफ" पहल साइबर हमलों और परमाणु जोखिम के बीच संभावित खतरनाक गठजोड़ के साथ संबंधित है।

NSS की उपलब्धियां :

- अप्रैल 2009 से अब तक 'उच्च संवर्धित यूरेनियम (highly enriched uranium (HEU) और प्लूटोनियम की 3.2 मीट्रिक टन से अधिक मात्रा का निपटारा कर दिया गया है।
- ताइवान के साथ-साथ तेरह अन्य देश अब HEU मुक्त बन गए हैं।
- 'हथियारों में प्रयोग होने वाली विखंडनीय सामग्री' को भण्डारित करने वाले 32 भवनों के भौतिक सुरक्षा उन्नयन का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- परमाणु सामग्रियों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवस्थित 328 प्रवेश बिंदुओं (बॉर्डर क्रॉसिंगों), हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर विकिरण का पता लगाने वाले उपकरण को स्थापित किया गया है।
- 15 देशों में उपस्थित आइसोटोप उत्पादन केंद्र बंद कर दिए गए हैं और 24 HEU अनुसन्धान रियक्टरों में निम्न संवर्धित यूरेनियम (LEU) ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है।

NSS को भारत का योगदानः

- भारत ने इन शिखर सम्मेलनों में सक्रिय भूमिका निभाई है।
- भारत ने 'नाभिकीय सुरक्षा कोष' में एक मिलियन डॉलर का स्वैच्छिक योगदान दिया है।
- नई दिल्ली में 'ग्लोबल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (GCENEP)' की स्थापना की गयी है।

चौथे शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री की उद्घोषणा

चौथे शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा परमाणु सुरक्षा और उसके अप्रसार के क्षेत्र में उठाये गए कुछ प्रमुख क़दमों की घोषणा की। यथा -

- प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग के माध्यम से नाभिकीय तस्करी एवं नाभिकीय आतंकवाद का सामना करने और उसका मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाए जाने की बात कही गयी, जिसमें निम्न सम्मिलित हैंः-

VISION IAS

- भौतिक और साइबर अवरोध,
- तकनीकी पहुंच,
- निम्न संवर्धित यूरेनियम का उपयोग कर मेडिकल ग्रेड 'Moly-99' के लिए एक सुविधा की स्थापना।
- सीज़ियम-137 जैसे सुभेद्य रेडियोआइसोटोप के विट्रीफाइड रूप का प्रयोग करना।
- भारत अनौपचारिक अंतरराष्ट्रीय "कौंटैक्ट ग्रुप" में भाग लेगा, जो परमाणु तस्करी के खिलाफ सहयोग को बढ़ावा देता है।
- भारत ने घोषणा की है कि इसका कोई भी अनुसंधान रिएक्टर भविष्य में HEU का उपयोग नहीं करेगा।
- भारत, वर्ष 2017 में GICNT की बैठक की मेज़बानी करेगा।
- इंटरपोल के साथ मिलकर 'परमाणु तस्करी के खिलाफ' एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये जाने की भी योजना है।
- नाभिकीय सुरक्षा के क्षेत्र में IAEA की केंद्रीय भूमिका के समर्थन में भारत नाभिकीय सुरक्षा कोष को अतिरिक्त 1 मिलियन डॉलर का सहयोग प्रदान करेगा।
- IAEA के विशेषज्ञों के साथ मिलकर भारत में 'इंटरनेशनल फिजिकल प्रोटेक्शन असेस्मेंट सर्विस (IPPAS)' पर एक कार्यशाला आयोजित किये जाने की योजना है।
- भारत NSS राष्ट्रों की उस त्रिपक्षीय पहल का भी हिस्सा बनेगा जिसे नाभिकीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र के रूप में सदस्य राज्यों द्वारा परमाणु उर्जा आयोग की बैठक में प्रसारित किया गया था।
- भारत इस सम्मेलन के लिए तीन "गिफ्ट बास्केट्स" से भी जुड़ेगा, जैसे- नाभिकीय तस्करी को रोकना, विएना के न्यूक्लियर सिक्यूरिटी कॉन्टेक्ट ग्रुप और सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के माध्यम से बेहतर अनुभवों को साझा करना।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य प्रायोजित आतंकी समूहों और जोखिम भरी नीतियों जैसे खतरनाक नाभिकीय हथियारों की तैनाती से नाभिकीय सुरक्षा को होने वाले खतरे के बारे में दुनिया को आगाह किया।

NSS की समीक्षा

- NSS का ध्यान मुख्यतः असैन्य क्षेत्र में नाभिकीय सुरक्षा लागू किये जाने पर रहा है।
- सैन्य क्षेत्रों में ही इसके कार्यक्षेत्र सीमित होने के कारण लगभग 83 प्रतिशत नाभिकीय पदार्थ इसकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं।
- NSS अभी तक 'नाभिकीय सुरक्षा पर IAEA के कन्वेंशन' को संशोधित करने में असमर्थ रहा है।
- साथ ही सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष यह रहा है कि NSS से संबंधित वार्ता प्रक्रियाओं के प्रारंभ से 6 वर्षों के बीत जाने के उपरांत भी कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधानों से संबंधित कोई परिणाम नहीं निकल पाया है।
- NSS का मुख्य फोकस विभिन्न देशों से नाभिकीय सुरक्षा पर उनके राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और क्षमताओं को मजबूत करने की गुजारिश करने पर ही रहा है।
- NSS के इस दृष्टिकोण के अनुसार सैन्य साधनों की सुरक्षा और देखभाल राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का विषय है, अतः इस संदर्भ में कोई भी प्रावधान राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के आधार पर निर्धारित किये जाएंगे।

सम्मेलन की सीमाएं

- चौथी वार्ता में अपनाई गयी कार्य योजनाएँ राष्ट्रों के लिए गैर-बाध्यकारी हैं।
- चौथी वार्ता में रूस के राष्ट्रपति अनुपस्थित थे जबकि रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है।
- जब तक दुनिया में परमाणु हथियार उपस्थित हैं, नाभिकीय आतंकवाद के खतरे को पूरी तरह समाप्त नहीं जा सकता। लेकिन परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में अब तक कोई ठोस तरक्की नही हो सकी है।

15.RCEP पर भारत का रवैया

(RCEP-Stance of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के सभी सदस्य देशों को सीमित परिवर्तन (Limited Deviation) के साथ प्रशुल्क (टैरिफ) में समान कटौती प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। इससे चीन को भी अनावश्यक रूप से फायदा होता है।
- इससे पहले भारत ने त्रिस्तरीय टैरिफ का प्रस्ताव रखा था।
- जापान, एकल स्तरीय प्रणाली के लिए जोर डालता रहा है जिस पर अब भारत सहमत हो गया है।

VISION IAS

इस कदम के निहितार्थ

- आसियान +6 क्षेत्र एक बड़ा एकीकृत बाजार बन जाएगा।
- भारत से चीन के लिए अधिक वस्तुओं में टैरिफ में कमी की करने की उम्मीद की जायेगी।
- वर्ष 2015-16 में भारत-चीन व्यापार में 52.7 अरब डॉलर का चौंका देने वाला व्यापार घाटा हुआ जिसमें केवल 9 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। इससे भारत के व्यापार घाटे में और वृद्धि होगी।
- चीन RCEP का उपयोग कर भारत में अधिक बाजार पहुंच प्राप्त करने की तथा अन्य वस्तुओं को कम कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहा है जिससे भारतीय उद्योग, विशेष रूप से इस्पात क्षेत्र जोखिम का सामना कर रहे हैं।
- RCEP नीति निर्माताओं के की निर्णय क्षमता को संकीर्ण कर देगा।
- इसके अतिरिक्त यह हमारे **'मेक इन इंडिया'** कार्यक्रम को कमजोर कर सकता है।

चुनौतियां

- RCEP में सेवाओं के क्षेत्र में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, जिसमें भारत की विशेष रूचि है।
- भारत ने जोर दिया है कि व्यापार समझौते, एकल उपक्रम (जिसमे माल, सेवायें और निवेश शामिल है) के रूप में किए जाएंगे।अन्य देश इसको लिखित रूप में देने में रुचि नही दिखा रहे।
- अपने कमजोर बुनियादी ढांचे और विनिर्माण आधार की वजह से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को अन्य देशों के बाजार में पहुंच से ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होता है। अत: भारत इसके बढ़ते कुशल व्यवसायों के लिए आसान वीजा की व्यवस्था पर जोर दे रहा है।
- हालांकि, सेवा क्षेत्र में व्यापार का उदारीकरण एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। अधिकांश देश उनके श्रम बाजारों को खोलने के लिए अनिच्छुक है।
- हितधारकों के परस्पर विरोधी जरूरतों के बीच संतुलन साधना तथा विनिर्माण और व्यापार अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ सम्मिलित करना, RCEP के लिए एक कठिन कार्य होगा। समझौतों के पश्चात्, सभी मौजूदा FTA जारी रहेंगे और सिर्फ RCEP में अनेक नई रियायत सूचियां जोड़ दी जाएगी।

भारत के लिए RCEP का महत्व

- RCEP में पेटेंट को अनवरत रूप से बनाये रखने से संबंधित प्रावधानों को भारत के कड़े विरोध के बाद हटा दिया गया।
- क्षेत्रीय व्यापार समझौते: भारत के लिए RCEP के भीतर बने रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अन्य दो बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौतों, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) और ट्रान्स अटलांटिक व्यापार और निवेश भागीदारी का हिस्सा नहीं हैं।
- भारत चीन के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभर सकता है।
- **रोजगार की संभावना:** यह समूहीकरण, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, विश्व में सबसे बड़ी क्षेत्रीय व्यापार गुट के निर्माण में अग्रणी रहने, 21.3 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की लगभग 45% जनसंख्या को सम्मिलित करने की परिकल्पना करता है।

आगे की राह

- भारत चीन के लिए प्रशुल्क को एक लंबी अवधि (लगभग 30 वर्ष) के लिये हटा सकता है।
- भारत के हित मुख्यतः सेवाओं में; व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं को हटाने में जैसे वे उपाय जो सेनेटरी एवं फाईटो सेनेटरी के तहत लिए गए है, तथा दवाइयों और वस्त्र उद्योग जैसे विनिर्माण क्षेत्रों में व्यापार आदि में निहित है। भारत को सक्रियता से इनका अनुसरण करना चाहिए।

16. ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP)

(Trans-Pacific Partnership [TPP])

ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP), प्रशांत महासागर से सटे बारह देशों के बीच एक व्यापार समझौता है। 4 जनवरी 2016 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। इन बारह देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं।

- इसका उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को सरल बनाना तथा श्रम मानकों, पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों, मूल मानदंड और बौद्धिक संपदा के नियमों को मजबूत करना है।
- TPP, विश्व के सकल घरेलु उत्पाद में 40 प्रतिशत का योगदान देने वाले देशों से संबंधित है।
- इस मेगा व्यापार समझौते को चीन की बढ़ती वैश्विक आर्थिक ताकत की तोड़ के तौर पर देखा जा रहा है।

- अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा कि इस साझेदारी के तहत 18,000 से अधिक सीमा शुल्क और गैर-सीमा शुल्क बाधाओं को समाप्त या कम किया जाएगा जो कि सदस्य देशों द्वारा लागू किये गये हैं।
- TPP में तथाकथित नए मुद्दों जैसे श्रम, निवेश, पर्यावरण, ई-कॉमर्स, प्रतिस्पर्धा और सरकारी खरीद के विस्तृत दायित्व शामिल हैं।

TPP देशों पर प्रभाव: विश्व बैंक के अनुसार यह संधि 2030 तक सदस्य-देशों के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि करने में मदद कर सकती है ।

भारत पर प्रभाव (भारत TPP का हिस्सा नहीं है)

- विश्व बैंक के अनुसार TPP के कारण गैर-सदस्यों पर 2030 तक GDP में 0.1 प्रतिशत के घाटे सहित एक सीमित 'व्यापार परिवर्तन' का प्रभाव होगा।
- भारत को **वरीयता क्षरण** (preference erosion) के परिणामस्वरुप निर्यात के कुछ निश्चित वर्गों में शेयर बाजार के नुकसान से हानि हो सकती है
- TPP की परोक्ष रूप से भारत के कई औद्योगिक क्षेत्रों जैसे वस्त्र, प्लास्टिक, चमड़ा, कपड़ा, कपास और धागे आदि के निर्यात को प्रभावित करने की संभावना है।
- TPP ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के लिए अत्यधिक उच्च मानक स्थापित किये हैं जो TPP देशों में निर्यात प्रभावित कर सकते हैं।
- भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के संचालन और उत्पादन के तरीके भी TPP के कारण बाधित हो सकते हैं।
- निवेश, श्रम मानकों, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), सरकारी खरीद और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की व्यवस्था भी प्रभावित हो जायेगी।
- TPP के बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और संभावित स्थायी पेटेंट सहित कुछ मानक विश्व व्यापार संगठन के नियमों की तुलना में उच्च हैं, जो भारत के फार्मा सेक्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

TPP के प्रभाव को कम करने के लिए

भारत के दृष्टिकोण से, TPP के सदस्य नहीं होने पर निश्चित रूप से व्यापार में परिवर्तन होगा, परन्तु TPP की सदस्यता से बिना अधिक लाभ के उच्च लागत अवश्यम्भावी हो जाएगी।

उच्च मानक और कठिन IPR व्यवस्था के कारण भारत के कुछ क्षेत्रों में विशेषत: फार्मा क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए दवाओं की कीमतें तीव्रता से बढ़ सकती हैं। अत: निम्नलिखित उपायों के माध्यम से TPP के प्रभाव को कम करना आवश्यक है।

- भारत को अपने मुक्त व्यापार समझौतों को प्राथमिकता के आधार पर निश्चित करना चाहिए। इन समझौतों में भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता तथा मेगा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) शामिल हैं।
- भारत को अब तक अप्रयुक्त बाजारों जैसे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निर्यात में विविधता लानी चाहिए।
- घरेलू मोर्चे पर भारत को अपने उत्पादों को और अधिक लागत प्रतिस्पर्धी बनाने की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाना चाहिए।
- देश के भीतर, भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।
- सरकार द्वारा भारतीय निर्यातकों को आयात बाजार में प्रचलित मानकों का अनुपालन करने के लिए सक्षम बनाने के साथ ही उचित अनुरूप- मूल्यांकन प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुपालन के लिए एक व्यापक पहल की शुरूआत की जानी चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय के साथ-साथ घरेलू मोर्चे पर जोड़ने वाली(cohesive) व्यापार नीति का उद्देश्य, भारत के व्यापार हितों को बढ़ावा देना और उन्हें संरक्षित करना है।

17. बिमस्टेक

(BIMSTEC)

- केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने बिमस्टेक अर्थात **'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन'** (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) के आपराधिक मामलो में पारस्परिक विधिक सहयोग सम्मेलन (**Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters**) से संबंधित पहल पर हस्ताक्षर करने एवं उसकी पुष्टि के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
- गृह मंत्रालय को इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 15 के तहत केन्द्रीय अधिकरण का दर्जा प्रदान किया गया है।
- आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहयोग के लिए क्षेत्रीय तंत्र की स्थापना अपराधों के नियंत्रण में प्रभावपूर्ण योगदान देगी।

VISION IAS

- इस कन्वेंशन का उद्देश्य पारस्परिक सहयोग के जरिए एक दूसरे की सहायता का विस्तार करना है जिससे अपराधों की जांच पड़ताल एवं अभियोजन में सदस्य राष्ट्रों की क्षमता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। इसमें सम्मिलित है: आतंकवाद से जुडे अपराध, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग एवं साइबर अपराध।
- बिमस्टेक में सात देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यामार, नेपाल, श्रीलंका एवं थाइलैण्ड शामिल हैं।

18.अश्गाबात समझौता

(Ashgabat Agreement)

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने भारत के अश्गाबात समझौते में शामिल होने को स्वीकृति दे दी है। यह समझौता मध्य एशिया एवं फारस की खाड़ी के देशों के बीच वस्तुओं के परिवहन को सुगम बनाने हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारे से संबंधित है।

- इस समझौते से भारत का यूरेशियाई क्षेत्र के साथ व्यापार एवं वाणिज्यिक अंतःक्रिया, इस मौजूदा परिवहन एवं पारगमन गलियारे के उपयोग द्वारा सरल हो जाएगी।
- इसके अतिरिक्त यह अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के क्रियान्वयन के लिए किए जाने वाले हमारे प्रयासों से सामजस्य स्थापित करेगा, जिससे संपर्क (कनेक्टिविटी) में वृद्धि होगी।
- इस कदम से भारत और यूरेशियाई क्षेत्र के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे।

अश्गाबात समझौते के बारे में

- 25 अप्रैल 2011 को अश्गाबात में एक नए अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारे के विकास हेतु 5 देशों (उजबेकिस्तान-तुर्कमेनिस्तान-ईरान-ओमान-कतर) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
- कतर ने इस समझौते से 2013 में अपना नाम वापस ले लिया था।
- यह समझौता मध्य एशियाई देशों तथा ईरानी और ओमानी बन्दरगाहों के बीच सबसे छोटे व्यापार मार्ग/गलियारा के विकास हेतु आधार का निर्माण करता है।
- ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एवं उजबेकिस्तान इस समझौते के संस्थापक सदस्य हैं जबकि कज़ाख़स्तान हाल ही में इसमें शामिल हुआ है।

19.शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन

(Shanghai Cooperation Organization Summit)

भारत ने शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए ताशकंद, उजबेकिस्तान में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

भारत की सदस्यता का महत्व

- यह कदम रूस और चीन के बीच व्यापार, ऊर्जा और पारगमन के उस मार्ग को प्रशस्त करेगा, जो मध्य
- एशिया के बीच से निकलता है और अब तक भारत के लिए अवरुद्ध था।
- ईरान के पर्यवेक्षक होने से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि ईरान के अब्बास और चाबहार पत्तनों से व्यापार सम्बन्धी वार्ताओं के लिए शंघाई सहयोग संगठन, भारत को एक मंच प्रदान करेगा और उसे रूस द्वारा प्रस्तावित उत्तर-दक्षिण ट्रांसपोर्ट गलियारे से जोड़ देगा।
- सुरक्षा समूहीकरण से भारत और पाकिस्तान के लिए द्विपक्षीय विषयों पर परस्पर वार्ता का एक मंच उपलब्ध हो जायेगा।
- रूस और चीन के नेतृत्वकर्ता होने से, TAPI (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-इंडिया) परियोजना और IPI (इरान-पाकिस्तान-इंडिया) पाईपलाइन परियोजना (जिसे भारत ने सुरक्षा चिंताओं के चलते रोक रखा था) के लिए शंघाई सहयोग संगठन गारंटर भी सिद्ध होगा।
- शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान को पड़ोसियों से सम्बन्ध बनाने का स्वर्णिम अवसर एवं बहुमूल्य इंटरफेस प्रदान करेगा।
- सुरक्षा विषयों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके सहयोगियों की ओर भारत के कथित झुकाव के लिए शंघाई सहयोग संगठन एक महत्वपूर्ण प्रति-संतुलन कारक का कार्य करेगा।

20. एशिया में संपर्क और विश्वास बहाली के उपायों पर सम्मेलन (CICA)

(Conference On Interaction and Confidence Building Measures in Asia [CICA])

यह एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अंतर-सरकारी मंच है।

- भारत सहित 26 सदस्यों वाले CICA की स्थापना 1992 में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव द्वारा एक प्रस्ताव के आधार पर अंतर-सरकारी विचार-विमर्श करने के लिए की गई थी।

- इस मंच के विदेश मंत्रियों की पांचवी बैठक चीन के बीजिंग शहर में आयोजित की गयी थी।
- इस बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका के 'धुरी' (Pivot) सिद्धांत का मुकाबला करने के लिए एक नए सुरक्षा सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया।
- चीन ने,अमेरिका द्वारा उत्पन्न क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करने के लिए एशियाई देशों को "एशियाई विशेषताओं" के साथ एक सुरक्षा शासन मॉडल तैयार करने के आमंत्रित किया।
- राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने "आम सहमति बनाने के लिए और संवाद को बढ़ाने के लिए " **एशियाई विशेषताओं के साथ सुरक्षा शासन मॉडल"** को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभागियों से आग्रह किया।

समुद्री विवाद

- अमेरिकन pivot सिद्धांत का जवाब देने हेतु दक्षिण चीन सागर में चीन की ताजा सक्रियता के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है।
- वाशिंगटन के द्वारा इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को "नौवहन की स्वतंत्रता" के लिए एक खतरे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां दक्षिण चीन सागर के माध्यम से होने वाले 5.3 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार में बाधा आ सकती है।
- चीन ने एशियाई देशों के बीच मतभेदों को हल करने के लिए बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप अथवा मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर आपत्ति जताई है।
- चीनी पक्ष के द्वारा, बार-बार अपने समुद्री दावों को निपटाने के लिए हेग स्थित स्थाई मध्यस्थता न्यायालय में याचिका दायर करने के मनीला के फैसले की आलोचना की गयी है ।

CICA

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के अतिरिक्त, CICA अंतरराष्ट्रीय सहयोग का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण मंच है, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसका महत्वपूर्ण एशियाई सहयोगी जापान इसके सदस्य नहीं हैं।
- CICA एक तंत्र है जो इसके दो महत्वपूर्ण सदस्यों चीन और रूस सहित पश्चिमी एशिया में सुरक्षित स्थिति पर बल देता है।
  - ✓ पश्चिमी चीन की सुरक्षा आंशिक रूप से पश्चिमी और मध्य एशिया की सुरक्षित स्थिति पर निर्भर है।
  - ✓ इसी तरह, काकेशस क्षेत्र में रूस के इलाके की सुरक्षा भी मध्य और पश्चिमी एशियाई देशों के संयुक्त प्रयास पर निर्भर करती है।
- यह ध्यान देने योग्य है कि CICA वर्तमान में SCO की तरह सिर्फ एक तंत्र है । CICA अभी तक एक समूह या संगठन नहीं बना है और इस प्रकार इसके प्रस्ताव और नीतियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतीकात्मक हैं।

21.रायसीना संवाद

(Raisina Dialogue 2016)

यह क्या है?

- रायसीना संवाद की परिकल्पना भारत के राजनीति एवं भू-आर्थिकी हेतु एक फ्लैगशिप सम्मेलन के रुप में की गयी।
- इसे एशियाई देशों के एकीकरण एवं एशिया के शेष विश्व के साथ एकीकरण की संभावनाओं एवं अवसरों की खोज के लिए परिकल्पित किया गया हैं।
- 2016 के सम्मेलन का केन्द्र बिन्दु एशिया की भौतिक, आर्थिक एवं डिजिटल कनेक्टिविटी एवं एशिया पर विशेष बल देते हुए साझा वैश्विक मुद्दों को प्रोत्साहन देना था।
- यह हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर आधारित है। इसका उद्देश्य ऐसी संभावनाओं की तलाश करना है जिससे भारत अपने साझेदारों के साथ एक स्थाई क्षेत्रीय एवं वैश्विक व्यवस्था का निर्माण कर सके। इस सम्मेलन का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय एवं आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (एक स्वतंत्र भारतीय थिंक टैंक) द्वारा संयुक्त रुप से किया गया।
- एशियाई कनेक्टिविटी इस सम्मेलन का मुख्य विषय था।

सम्मेलन का महत्वः

- इस सम्मेलन को सिंगापुर के शंगरी-ला संवाद एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर म्यूनिख सम्मेलनों जो बड़े वैश्विक साझेदारों को अपनी ओर आकर्षिक करने में सफल रहे हैं, के प्रत्युतर में सरकार के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
- इस सम्मेलन में 40 देशों के वक्ताओं ने भाग लिया।
- इस सम्मेलन ने भारत को हिन्द महासागर क्षेत्र में अपनी भूमिका सुदृढ करने का अवसर प्रदान किया।
- भारत के विदेश मंत्री ने भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि इस संपर्क के लिए भारत की योजना एक पक्षीय भूमिका निभाने के बजाय सहयोगी की तरह योगदान देने की है।

D. भारतीय प्रवासी समुदाय

(Indian Diaspora)

पृष्ठभूमि

- भारतीय प्रवासी समुदाय ऐसे लोगों के लिए एक सामान्य शब्द है जो वर्तमान भारतीय गणराज्य की सीमा से बाहर प्रवास कर गए हैं। यह उनके वंशजों को भी संदर्भित करता है।
- प्रवासी समुदाय की वर्तमान अनुमानित संख्या 25 मिलियन से अधिक है। इसमें NRI (अनिवासी भारतीय) और PIO (भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है) सम्मिलित हैं।

वितरण

प्रवासी समुदाय की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। 25 मिलियन से अधिक की अनुमानित संख्या वाला प्रवासी भारतीय समुदाय विश्व के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रवासी भारतीय समुदाय का प्रमुख संकेन्द्रण क्रमश: मध्य पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, मलेशिया, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका में है।

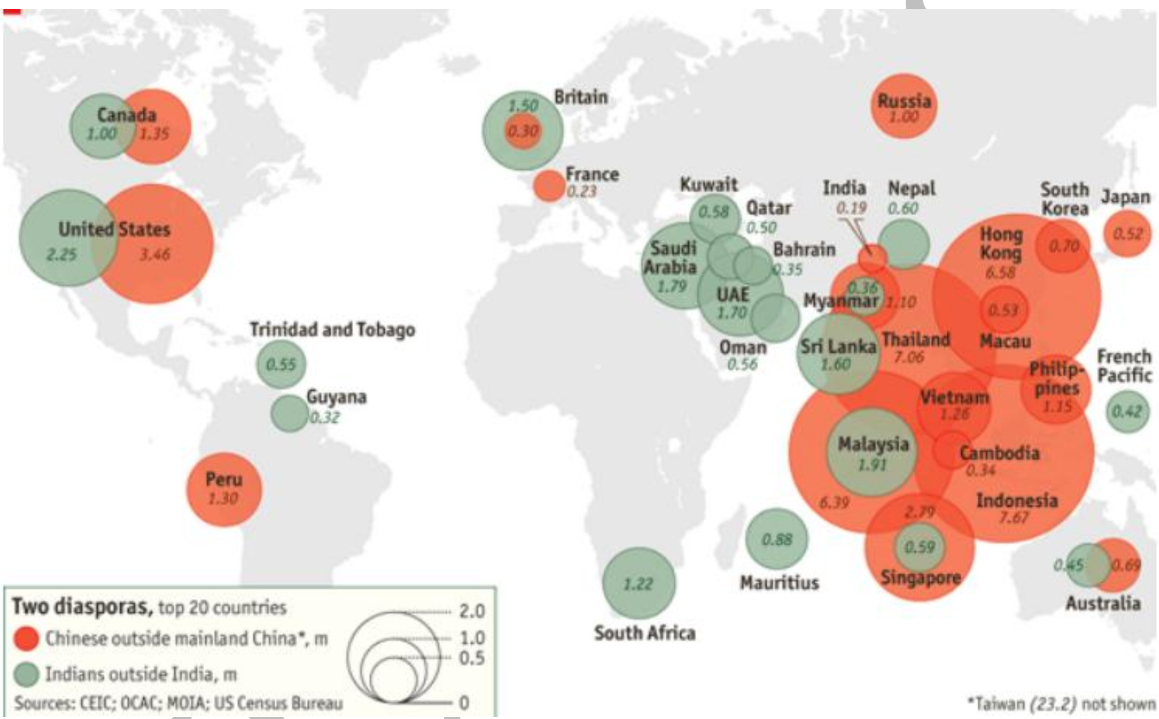

प्रवृत्तियाँ/रुझान

- प्रवासी भारतीय समुदाय सैकड़ों वर्षों के दौरान प्रवसन की विभिन्न प्रवृत्तियों का परिणाम है। ये विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुईं, जैसे वाणिज्यवाद, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण। इनके आरम्भिक अनुभव कठिनाइयों, पीड़ा और अन्तत: दृढ़ इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम की विजय-गाथाओं से समृद्ध हैं।
- 20वीं सदी के अंतिम तीन दशकों में प्रवसन का स्वरूप परिवर्तित होने लगा और उच्च कुशलता प्राप्त पेशेवरों का पश्चिमी देशों की ओर प्रवासन एवं अर्द्ध कुशल संविदा श्रमिकों का खाड़ी देशों, पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर प्रवासन होने के साथ ही एक **'नया प्रवासी समुदाय'** उभरा।

योगदान

- प्रवासी समुदाय मूल देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण संसाधन निर्मित करते हैं। यह शेष विश्व के साथ मूल देश के विकास के लिए **ज्ञान, दक्षता, संसाधनों एवं बाजारों की उपलब्धता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण 'सेतु'** का कार्य करता है।
- भारतीय प्रवासी समुदाय, भारत की **"नम्य कूटनीति या सॉफ्ट डिप्लोमेसी"** का एक महत्वपूर्ण भाग है। उदाहरण के लिए **भारत-अमेरिका नाभिकीय समझौते** को साकार करने में भारतीय प्रवासी समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने अपने निवास के देश की वृद्धि एवं विकास में भी योगदान दिया है। उदाहरण के लिए सिलिकॉन वैली भारतीयों की सफलता को प्रतिबिंबित करती है। इस क्षेत्र में प्रत्येक 10 में से 4 स्टार्टअप भारतीयों से संबद्ध हैं।

- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में** प्रवासी भारतीय समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार भारतीय उत्प्रवास में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ प्रशिक्षित वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं अन्य पेशेवरों की भागीदारी निरंतर बढ़ती गयी है। इसे प्रतिभा पलायन भी कहा जाता है।
- काफी समय के उपरांत यह **भारत में व्यापार एवं निवेश के महत्वपूर्ण स्रोत** के रूप में उभरा है।
- उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त यह **अत्यधिक मात्रा में धन प्रेषणों** का भी स्रोत है, जो चालू खाते को संतुलित करने में सहायता करता रहा है। विश्व बैंक के अनुसार, अगले कुछ वर्षों में भारतीय प्रवासी समुदाय विश्व में धनप्रेषण के सबसे बड़े उपार्जकों के रूप में उभरने वाला है।

प्रवासी भारतीय समुदाय से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **दोहरी नागरिकता:** अधिकतर प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्य अपने निवास देश की नागरिकता के साथ-साथ अपनी भारतीय नागरिकता को भी बनाए रखना चाहते हैं।
- **वाणिज्य दूतावास एवं अन्य मुद्दे:** प्रवासी भारतीय समुदाय की सबसे सामान्य शिकायत प्रवेश बिन्दुओं पर हमारे सीमा शुल्क एवं आप्रवास अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और अवैध परितुष्टियों की मांग किये जाने से सम्बंधित है।
- **संस्कृति:** भारतीय प्रवासी समुदाय अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गम्भीर रूप से जागरूक हैं। वे इस तथ्य से अवगत हैं कि वे विश्व की सबसे पुरानी निरंतर गतिमान सभ्यता की परम्पराओं के उत्तराधिकारी हैं। इस प्रकार की समृद्ध विरासत का भाग होते हुए वे स्वाभाविक रूप से अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं।
- **उनके रोजगार को खतरा (निताकत कानून):** सऊदी अरब में लागू इस कानून का लक्ष्य प्रवासी कामगारों के बड़े भाग को स्थानीय लोगों से प्रतिस्थापित करना है। इसके कारण केरल, तमिलनाडु इत्यादि के कामगार प्रभावित हुए हैं।
- **उनकी सुरक्षा को खतरा:** मध्य-पूर्व में हाल ही में हुई हिंसा के मामलों की दृष्टि से, इस क्षेत्र में प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए एक नया खतरा उभरा है। उदाहरणार्थआई.एस. समूह द्वारा हाल ही में भारतीय कामगारों का अपहरण किया गया।

सरकार द्वारा किए गए उपाय

- प्रवासी समुदायों से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार ने वर्ष 2004 में इस हेतु प्रतिबद्ध **प्रवासी भारतीय (कार्य) मंत्रालय** की स्थापना की। यह प्रवासी समुदाय को सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है।
- सरकार ने भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को इंगित करने के लिए वर्ष 2003 से **प्रवासी भारतीय दिवस** का आयोजन प्रारंभ किया।
- सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं भी आरंभ की हैं, जैसे **प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2006**।
- ***भारत को जानो** (Know India)* कार्यक्रम का आरंभ प्रवासी समुदाय के युवाओं के लिए तीन-सप्ताह की अवधि के उन्मुखीकरण कार्यक्रम के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं एवं देश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति के विषय में जागरूकता को बढ़ाना था।
- भारत की प्रवासी नागरिकता योजना (IOC): यह योजना कुछ क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक और शिक्षा में नागरिकों को समान लाभ प्रदान करने का प्रावधान करती है। हालांकि, यह सच्चे अर्थों में दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि यह केवल कुछ अधिकारों के साथ जीवन पर्यन्त बहुत बार एवं कई-बार प्रवेश करने हेतु वीजा देती है।
- प्रवासी भारतीय (कार्य) मंत्रालय भारतीय मूल के लोगों (PIO) को भारत में अपनी पहचान खोजने की सुविधा देने के लिए **"ट्रेसिंग द रूट्स"** नामक योजना संचालित कर रहा है।
- **स्वर्ण प्रवास योजना-**भारत में विशाल मात्रा में श्रम शक्ति की आपूर्ति उपलब्ध है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह योजना विदेशों में भारतीय कामगारों की रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षमता को बढ़ावा देने के लिए आरम्भ की गयी है। इस योजना के माध्यम से उनकी सक्षमता को बढ़ाने हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- इन सभी के अतिरिक्त, सरकार ने कई देशों के साथ उन देशों में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

आगे की राह

यद्यपि, सरकार ने भारतीय समुदाय के लिए कई सुधार और नीतियां आरम्भ की हैं, किन्तु कुछ सुधारों की आवश्यकता अभी भी है। इस संबंध में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जा सकती हैं:

- यह सुनिश्चित किया जाना कि प्रवासी समुदाय के सदस्य भारत आगमन पर अपने सहर्ष स्वागत का अनुभव करें और उनकी यात्राएँ मधुर स्मृतियाँ प्रदान कर सकें। प्रवेश बिन्दु पर उनका मित्रवत स्वागत हो, आप्रवासन एवं सीमा शुल्क अनुमति हेतु प्रक्रियायें सरल हों। इन सभी का शालीनतापूर्ण सेवाओं से सुसज्जित होना महत्वपूर्ण है।

- हमारे प्रवासी श्रमजीवी कामगारों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित उपायों का यथासंभव कार्यान्वयन किया जाना चाहिए:

a. संकट में स्वदेश लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए एक कल्याण कोष की स्थापना करना;

b. मेजबान देशों के साथ मानक श्रम निर्यात समझौतों पर बातचीत करना;

c. हमारे मिशनों द्वारा हमारे प्रवासी कामगारों के रोजगार अनुबंधों एवं उनकी स्थितियों की निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाना; तथा

d. हमारे प्रवासी कामगारों द्वारा जिन जोखिमों का सामना किया जाता है, उन्हें कवर करने वाली अनिवार्य बीमा योजनाओं का शुभारंभ करना।

- प्रवासी भारतीय समुदाय, भारत में पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) अपने संबंधियों से मिलने के लिए अपने गृह राज्य के नियमित दौरे करते हैं। अतः भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) की दूसरी पीढ़ी के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- भारतीय प्रवासी समुदाय हेतु अर्थव्यवस्था को और अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है।
- भारतीय प्रवासी समुदाय हेतु स्थायी संसदीय समिति गठित की जा सकती है। इसमें प्रवासी समुदाय के मामलों में रुचि रखने वाले सदस्य होने चाहिए। यह समिति अन्य देशों में भारतीय मूल के सांसदों से संपर्क करने के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में भी कार्य कर सकती है। उनके बीच बेहतर समझ एवं मेल-जोल विकसित करने के लिए इस प्रकार के विनिमय आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

केवल धनप्रेषणों और वित्तीय प्रवाह के आधार पर प्रवासी समुदाय को देखना अत्यधिक अदूरदर्शी व्यवहार कहा जाएगा। प्रवासी समुदाय मूल देश के विकास के लिए **ज्ञान, दक्षता, संसाधनों एवं बाजारों की उपलब्धता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण 'सेतु'** का कार्य कर सकता है और वस्तुत: करता भी है। गृह देश, प्रवासी समुदाय की गत्यात्मकता एवं विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता महसूस करने लगे हैं। भारत इसका अपवाद नहीं हो सकता।

E. विगत वर्षों के प्रश्न

(Previous Year Questions)

2015

1. परियोजना 'मौसम' को भारत सरकार की अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की एक अद्वितीय विदेश नीति पहल माना जाता है। क्या इस परियोजना का कोई रणनीतिक आयाम भी है? चर्चा कीजिए।
2. आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को धूमिल बना दिया है। खेलों और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों जैसी सॉफ्ट पावर्स किस सीमा तक दोनों देशों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने में सहायक हो सकती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।
3. अफ्रीका में भारत की बढ़ती हुई रुचि के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए।
4. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट प्राप्त करने में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए।

2014

1. दक्षिण चीन सागर के मामले में, समुद्री भूभागीय विवाद और बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौपरिवहन की और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिये समुद्री सुरक्षा की, आवश्यकता की अभिपुष्टि करता है। इस सन्दर्भ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिये।
2. सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों (ITA) का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और प्रशुल्कों को कम करके शून्य पर लाना है। ऐसे समझौतों का भारत के हितों पर क्या प्रभाव होगा?
3. अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं में से कुछ की आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें होती हैं, जो शर्त लगाती हैं कि उपस्कर के स्रोतन के लिए इस्तेमाल होने वाली सहायता का एक बड़ा भाग, अग्रणी देशों से उपस्कर स्रोतन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी शर्तों के गुणों-अवगुणों पर चर्चा कीजिए। क्या भारतीय संदर्भ में ऐसी शर्तों को स्वीकार न करने की एक मजबूत स्थिति विद्यमान है?
4. भारत ने हाल ही में "नव विकास बैंक" (NDB) और "एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक" (AIIB) के संस्थापक सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किये हैं। इन दो बैंकों की भूमिकाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होंगी? भारत के लिये इन दो बैंकों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिये।
5. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहाँ लिए गए निर्णय देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. का क्या अधिवेश (मैंडेट) है और उसके निर्णय किस प्रकार बंधनकारी है? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के दृढ़-मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिये।

2013

1. वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल (ISASF) की अफगानिस्तान से प्रस्तावित वापसी, क्षेत्र के देशों के लिए बड़े खतरे (सुरक्षा उलझनें) उत्पन्न करती है। इस तथ्य के आलोक में परीक्षण कीजिए कि भारत के सामने बहुत सी चुनौतियाँ हैं तथा उसे अपने सामरिक महत्त्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है।
2. 'मोतियों के हार' (The String of Pearls) से आप क्या समझते हैं? यह भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए।
3. ढाका के शाहबाग स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने समाज में राष्ट्रवादी व इस्लामी शक्तियों के बीच मौलिक मतभेद उजागर किया है। भारत के लिए इसका क्या महत्त्व है?
4. मालदीव में पिछले दो वर्षों में हुई राजनैतिक घटनाओं की विवेचना कीजिए। यह बताइए कि क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय हैं।
5. भारत-श्रीलंका संबंधों के संदर्भ में, विवेचना कीजिए कि किस प्रकार आंतरिक (देशीय) कारक विदेश नीति को प्रभावित करते हैं।
6. गुजराल सिद्धान्त से क्या अभिप्राय है? क्या आज इसकी कोई प्रासंगिकता है? विवेचना कीजिए।

VISION IAS

7. विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त रूप से ब्रेटनवुड्स के नाम से जानी जानेवाली संस्थाएँ, विश्व की आर्थिक व वित्तीय व्यवस्था की संरचना का संभरण करने वाले दो अन्तः सरकारी स्तम्भ हैं। सतही तौर पर विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की अनेक समान विशिष्टताएँ हैं, तथापि उनकी भूमिका, कार्य तथा अधिदेश स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। व्याख्या कीजिए।

8. हाल के कुछ वर्षों में भारत व जापान के मध्य आर्थिक संबंधों में विकास हुआ है पर अब भी वह उनकी संभाविता से बहुत कम है। उन नीतिगत दबावों (अवरोधों) को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण यह विकास अवरुद्ध है।